मंगलवार, 30 अप्रैल 1985

10 वैशाख, 1907 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No.
Date

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 5, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 34, मंगलवार, 30 अप्रैल, 1985/10 बैशाख, 1907 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	... ...	1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 649, 653, से 656 और 658		
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	... ...	20—148
तारांकित प्रश्न संख्या : 650 से 652, 657 और 659 से 668		
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4764 से 4842, 4844, 4845, 4847 से 4852 और 4854 से 4898		
सभा-पटल पर रखे गये पत्र :	... ...	149—150
नियम 377 के अधीन मामले :	... ...	151—157
(एक) न्यायाधीशों को प्रशिक्षण देने तथा उनके लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने हेतु एक न्यायिक प्रशासन अकादमी स्थापित करने की आवश्यकता		
श्री कमल नाथ	... ...	151

* किसी नाम पर अंकित† चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(दो) गोवा, दमन और दीव में स्नातकोत्तर शिक्षकों के वेतनमान संशोधित करने तथा सहायता-प्राप्त स्कूलों और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की पेंशन में असमानता को दूर करने की आवश्यकता

श्री शांता राम नायक 155

(तीन) मध्य प्रदेश में पेयजल की समस्या को हल करने हेतु उस राज्य को तत्काल केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता

श्रीमती पुष्पा देवी 155

(चार) हिम सागर एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सप्ताह में दो बार चलाने और कोट्टायम, पाथनपथिट्टे तथा अलेप्पी जिलों में महत्वपूर्ण स्टेशनों पर उसके रुकने की व्यवस्था करने की आवश्यकता

प्रो० पी० जे० कुरियन 156

(पांच) कर्मचारियों को ब्रोनस की अदायगी के लिए 1600 रुपए की सीमा को समाप्त करने की आवश्यकता

श्री के० एन० प्रधान 156

(छः) पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बेरोजगार लोगों को वहां पर स्थापित आई० टी० आई० में रोजगार देने की मांग

श्री दीप नारायण बन 157

(सात) कोलार स्वर्ण खानें

डा० वी० वेंकटेश 157

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86 ... ... 158—291

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय

श्री एम० रघुमा रेड्डी 160

श्री० बीरेन्द्र सिंह 179

श्री राम पूजन पटेल 181

श्री जायनल अबेदिन 184

श्री जगन्नाथ चौधरी 191

पृष्ठ

श्री वी० कृष्ण राव 194
श्री एन० सुन्दरराजन 196
श्रीमती फूलरेणु गुहा 197
श्री जुझार सिंह 200
श्री के० मोहनदास 202
श्री राज मंगल पांडे 206
श्री सोमनाथ रथ 208
श्री वक्कम पुरुषोत्तमन 211
श्री राम बहादुर सिंह 214
श्री आर० जीवरत्नम 217
प्रो० एम० आर०हाल्दर 219
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह 221
श्री राम प्रकाश- 225
श्री पलास बर्मन 226
श्री चिंतामणि पाणिग्रही 229
श्री एस० कृष्ण कुमार 232
श्री के० एन० प्रधान 236
श्री बनवारी लाल बेरवा 237
श्री जी० एस० बसवराजू 239
श्री सी० जंगा रेड्डी 242
श्री शांति पारीवाल 245
श्री जगदीश अवस्थी 246
श्री वृद्धि चन्द्र जैन 247
श्री हरिहर सोरन 248
श्री राम समुझावन 251
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी 252
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर 256
श्री एस०एम० गुरड्डी 267
श्री एस० बी० सिदनाल 269
श्रीमती जयन्ती पटनायक 272
श्री गिरधारी लाल डोगरा 275
श्री बी० एन० रेड्डी 277
श्री भरत सिंह 279
श्री लच्छी राम 281
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 282

श्री धर्मपाल सिंह मलिक 282
डा० वी० वेंकटेश 284
श्री आर० एस० माने 286
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी 287
श्री लाल विजय प्रतापसिंह 288
श्री हरीश रावत 289
श्री चितामणि जेना 290
सदस्य की गिरफ्तारी 292

लोक सभा

मंगलवार, 30 अप्रैल, 1985/10 बैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

करनाल तेल शोधक कारखाने के लिए बजट में प्रावधान

*649. श्री जी० जी० स्वैल : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करनाल में प्रस्तावित तेल शोधक कारखाने के लिए इस वर्ष के बजट में क्या प्रावधान किया गया है;

(ख) उक्त तेल शोधक कारखाने के लिए कितना पूंजीनिवेश मंजूर हुआ है; और

(ग) क्या बजट प्रावधानों की वर्तमान दर के अनुसार उक्त तेल शोधक कारखाना सितम्बर, 1989 तक की निर्धारित अवधि तक पूरा हो जाएगा ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) 1 करोड़ रुपये।

(ख) 1359.07 करोड़ रुपये।

(ग) सरकार के अनुमोदन के अनुसार, परियोजना सितम्बर, 1989 तक यांत्रिक रूप से पूरी हो जाएगी। निधियों की पर्याप्त व्यवस्था एक ऐसी घटक हो सकती है जो रिफाइनरी के समापन कार्य काल को प्रभावित कर सकेगी।

श्री जी० जी० जो० स्वैल : महोदय, मैं मंत्री महोदय को चतुराई से संक्षिप्त उत्तर देने के लिए बधाई देता हूं। 1,359 करोड़ रुपये के अनुमोदित निवेश में इस वर्ष केवल एक करोड़ रुपया आवंटित किया गया है और मंत्री महोदय ने कहा है कि यह आवंटन धन की उपलब्धता पर भी निर्भर होगा। पहले प्रश्न के भाग के रूप में मैं यह पूछना चाहूंगा। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई है कि पेट्रोलियम मंत्री जी ने कुछ नोट कर रहे हैं क्योंकि मैं इस प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर चाहूंगा। पहली

बात उन्होंने यह कही कि आबंटन धन की उपलब्धता पर भी निर्भर होगा। इसके अलावा अन्य बातें क्या हैं ? कुल मिलाकर आप ने इस वर्ष एक करोड़ रुपया आबंटित किया है। क्या आपने तेल शोधक कारखाने के लिए भूमि अधिग्रहित करने पर और धन खर्च किया है तथा हाइड्रो क्रेकर, हाइड्रोजन संयंत्र की खरीद हेतु अधिकारियों के अमेरिका और पश्चिम यूरोप जाने पर आपने कितना पैसा खर्च किया है ? क्या आपने भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वेसल्ज जैसे हमारे किसी सरकारी उपक्रम को आर्डर दिए हैं; यदि हां तो उसकी मात्रा कितनी है और क्या यह आर्डर पर्याप्त हैं, इस तथा वर्ष के लिए किए गए एक करोड़ रुपये की व्यवस्था के अनुसार सही है ? यह मेरा पहला प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी आपके पास पूछने को और प्रश्न भी हैं !

श्री जुल्फिकार अली खां : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप हमारी जगह आ जाएं तो आप भी ऐसा ही करेंगे। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने मंत्री महोदय की मितभाषिता का बदला लिया है।

श्री नवल किशोर शर्मा : महोदय, माननीय विद्वान सदस्य ने पहला प्रश्न धन की उपलब्धता के बारे में पूछा है कि क्या तेल शोधक कारखाने के पूरा करने संबंधी समय सारणी को प्रभावित करने वाला यही एक मात्र कारण है। महोदय, मैंने कहा था कि यदि धन उपलब्ध नहीं है तो इस तेलशोधक कारखाने को पूरा करने संबंधी समय सारणी को प्रभावित करने वाला एक कारण है। भूमि के अधिग्रहण करने के दौरान अन्य बहुत सी बातें हो सकती हैं..... ...

श्री जी० जी० स्वैल : वे अन्य बातें क्या हैं ?

(व्यवधान)

श्री नवल किशोर शर्मा : वहां ऐसा किया जा रहा है। अन्य कारण भी हैं। समय-सारणी के लिये मेल तथा भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वेसल्ज से उपकरण का सुलभ होना भी जरूरी है। अतः यदि धन उपलब्ध करा भी दिया जाये तो भी संभवतः इन कारणों से परियोजना के पूरा होने में विलम्ब हो सकता है। मैं इन सब बातों का इतना पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। इसलिये मैंने कहा है कि धन का सुलभ होना भी ऐसा एक कारण है जो हमें विवश कर सकता है और इस परियोजना में विलम्ब हो सकता है।

जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, हमने भेल को बिजली संयंत्र के लिये एक करोड़ रुपये का अग्रिम आर्डर दिया है भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वेसल्ज को क्रूड और वेकम कालमों के लिये 0.35 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया है। इंजीनियरिंग इंडिया लि० को 0.20 करोड़ रुपये इंजीनियरिंग शुल्क के रूप में दिये गये हैं। हमने सरकारी भूमि तथा निजी भूमि के लिये भी भुगतान कर दिया है। हमने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को भू-अन्वेषण के लिये भी तत्काल नकद भुगतान किया है। स्थल निर्धारण तथा पुलों के लिये मैसर्ज ब्रिज एण्ड रूफ को 0.25 करोड़ रु० का नकद भुगतान

किया गया है। भारतीय रेलवे के पास रेलवे सर्वेक्षण के लिये 0.25 करोड़ रूपये जमा हैं। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के पास विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु 0.25 करोड़ रु० जमा किये गये हैं। निर्माण अवधि व्यय 0.22 करोड़ रु० है। इस प्रकार यह राशि 4.45 करोड़ रु० बनती है।

यद्यपि चालू बजट में कुल एक करोड़ का नियतन किया गया है, तथापि वर्ष 1984-85 में हमने 7 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी। इन 7 करोड़ रुपयों में से, ये भुगतान किये गये हैं।

अधिकारियों की विदेश यात्राओं के संबंध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को इस बारे में जानकारी प्रस्तुत कर दूंगा। वह न्यूनतम राशि होगी। यह बहुत मामूली बात है। इस समय करनाल तेलशोधक के लिये मुख्य कठिनाई इसे पूरा करने के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करना है।

श्री जी० जी० स्वैल : अच्छा, मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है तथा उनके संक्षिप्त उत्तर से यह प्रतीत होता है कि उन्हें इस तेलशोधक कारखाने के 1989 तक पूरा हो जाने की आशा नहीं है। यह एक बड़ा तेलशोधक कारखाना है जिसे हमें स्थापित करना है और जिसके स्थापित करने के बारे में पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। मुझे बताया गया है कि यह 60 लाख टन की क्षमता वाला तेल-शोधक कारखाना है जो सम्पूर्ण पश्चिमोत्तर भारत की वर्ष 1989-90 तक पेट्रोलियम उत्पादों संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भाग शामिल हैं। इसमें हमारे स्वदेशी बम्बई हाई क्रूड (डोमेस्टिक बॉम्बे हाई क्रूड) का शोधन करने का भी प्रस्ताव है।

मेरे विचार से मंत्री महोदय इस से सहमत होंगे कि यह परियोजना 1990 तक भी पूरी नहीं होगी। लेकिन इन क्षेत्रों की पेट्रोलियम संबंधी आवश्यकताएं आपके इस तेल शोधक कारखाने के पूरा होने का इंतजार नहीं करेंगी। मांग तो होगी। तब तक आप इस मांग को कैसे पूरा करोगे ?

आपके पास अन्य विकल्प केवल यही है कि कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया जाये। यदि आप इसका आयात करते हैं तो यह कच्चा तेल किस पत्तन पर उतरेगा तथा यह पत्तन उस क्षेत्र से कितनी दूर होगा जिस क्षेत्र में आप इसे भेजना चाहते हैं ? मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उस पत्तन पर आधारभूत सुविधाएं हैं जहां यह कच्चा तेल उतरेगा, पेट्रोलियम उत्पादों को पत्तन से उपभोक्ता क्षेत्र को कैसे भेजा जायेगा, इस पर कुल कितना व्यय होगा और क्या इस पर होने वाला कुल व्यय इस तेलशोधक कारखाने की लागत से काफी अधिक होगा ?

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तेलशोधक कारखाने के संबंध में देश की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के बारे में बताया है। मैं भी उनकी इस बात से सहमत हूं कि यह तेलशोधक कारखाना समय पर ही बन जाये। मैं उनसे सहमत हूं कि पेट्रो-लियम उत्पादों के आयात में कठिनाई आयेगी और इसके काण्डला पत्तन से उपभोक्ता केन्द्रों तक लाने में और अधिक कठिनाइयां आएंगी। उपभोक्ता क्षेत्रों में कभी-कभी परिवहन संबंधी अड़चनें हो सकती हैं यह भी सच है कि इस तेलशोधक कारखाने की क्षमता 60 लाख टन है और यह कारखाना बम्बई के हाई क्रूड का शोधन करेगा।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस तेल शोधक कारखाने का प्रस्ताव किया गया था और सौभाग्य से योजना आयोग ने इसे स्वीकृति दे दी है। लेकिन सम्भवतः वित्तीय कठिनाइयों के कारण योजना आयोग इसके लिए आवश्यक धनराशि प्रदान नहीं कर रहा है। मेरा मन्त्रालय योजना आयोग से धन प्राप्त करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। हमने उनको सुझाव दिया है कि धन संबन्धी कुछ आवश्यकताएं हमारे आंतरिक साधनों से भी पूरी की जा सकती हैं। ये सब मामले अभी योजना आयोग के विचाराधीन हैं। हमें आशा है इस तेलशोधक कारखाने को स्थापित करने की आवश्यकता एवं शीघ्रता को देखते हुए, योजना आयोग इस मामले पर अनुकूल दृष्टि से विचार करेगा।

श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा : करनाल तथा मंगलोर दोनों तेलशोधक कारखानों की स्वीकृति एक साथ दी गई थी। करनाल तेलशोधक कारखाने की तुलना में मंगलौर तेलशोधक कारखाने पर अपेक्षाकृत कम लागत आयेगी क्योंकि यह समुद्र तट के निकट है। इसके लिए अब तक जो राशि दी गई है वह नगण्य है.....

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय करनाल तेलशोधक कारखाने के बारे में विचार किया जा रहा है और आप मंगलौर तेलशोधक कारखाने के बारे में पूछ रहे हैं। यदि आप करनाल तेलशोधक कारखाने के बारे में पूछ रहे हैं। यदि आप करनाल तेलशोधक कारखाने के बारे में कोई पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप करनाल तेलशोधक कारखाने को छोड़कर मंगलौर तेलशोधक कारखाने तथा अन्य तेलशोधक कारखानों पर क्यों जा रहे हैं? आपको इसके लिए मन्त्री महोदय को उपयुक्त सूचना देनी होगी ताकि वे इसका उत्तर दे सकें। **(व्यवधान)**

श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा : करनाल और मंगलौर परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बहुत सी विदेशी एजेंसियां आगे आ रही हैं। क्या सरकार इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की कोई व्यवस्था करेगी? माननीय मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार योजना आयोग मन्त्रालय को धन देने की बात अथवा ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई अन्य वित्तीय व्यवस्था करने के लिए राजी नहीं है। तेल शोधक कारखाने को हमारे देश में शुरू करने के लिए दूसरे देश आगे आ रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने सम्बन्धी पहलू की जांच करेंगे? **(व्यवधान)**

श्री नवल किशोर शर्मा : माननीय सदस्य ने मंगलौर तेलशोधक कारखाने के बारे में प्रश्न पूछा है यद्यपि मूल प्रश्न करनाल तेलशोधक कारखाने से सम्बन्धित है। फिर भी, मेरा यह मत है कि मंगलौर तेलशोधक कारखाना जिसका योजना आयोग ने सिद्धान्त रूप में अनुमोदन कर दिया है, वित्तीय कठिनाइयों के कारण रोक दिया गया है और जैसाकि माननीय सदस्य ने तरीका सुझाया है, यह एक सुझाव है जिसकी योजना आयोग तथा सरकार अलग-अलग स्तर पर जांच कर सकती है।

स्थायी और पैनल विधि काउन्सेलों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं

* 653. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के स्थाई और पैनल विधि काउन्सेलों की नियुक्ति के लिए कोई नियम और न्यूनतम अर्हताएं विहित की गई हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के स्थाई काउन्सेल और पैनल काउन्सेल के रूप में नियुक्त व्यक्ति ऐसे विधि व्यवसायी अधिवक्ता होते है जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन विहित अर्हताएं पूरी करते हैं और विधिज्ञ परिषद् की नामावली में दर्ज होते हैं। इस बारे में पृथक से कोई नियम बनाया जाना आवश्यक नहीं समझा गया। ऐसी नियुक्ति अनुभव, बार में प्रतिष्ठा और अन्य सुसंगत बातों को दृष्टि में रखते हुए, की जाती है।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, स्टैंडिंग कौंसिल और पैनल कोंसिल का आप बराबर जिक्र कर रहे हैं लेकिन इनके बारे में आज तक नियम न बनाने के क्या कारण हैं ? जब नियम नहीं बने हुए हैं तो आप मेहरबानी करके यह बताइए कि एडवोकेट की जो डेफीनोशन एडवोकेट एक्ट के अन्दर है।

[अनुवाद]

"(क) कोई भी व्यक्ति जिसे बार काउन्सिल की नामावली में अधिवक्ता के रूप में शामिल किया गया हो। अधिवक्ता का अर्थ है इस नियम के उपबन्धों के अधीन किसी भी नामावली में दर्ज अधिवक्ता।" कोई भी अधिवक्ता जिसने अभी डिग्री ली हो और बार कौंसिल की नामावली में जिसका नाम दर्ज हो, अधिवक्ता बन जाता है और फिर आप उसे स्थायी कौंसिल अथवा पैनल काउन्सिल में अधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं।"

[हिन्दी]

आप जब एडवोकेट अपोइण्ट करते हैं तो क्या यह पावर मिनिस्टर साहब को है या मिनिस्टर साहब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की राय लेते हैं ? अगर नहीं लेते हैं तो क्यों नहीं लेते हैं। जब उनके पास पैनल होता है तो क्या उस पैनल में से आप चूज करते हैं या कोई लड़का अभी डिग्री लेकर के आया है या किसी मिनिस्टर की जान पहचान का है उसको मुकर्रर कर देते हैं।

क्या आप स्टैंडिंग कौंसिल के लिए या पैनल कौंसिल के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं या नहीं जाते हैं ? मेहरबानी करके यह भी बताइए कि कहां-कहां पर स्टैंडिंग कौंसिल मुकर्रर किए

गए हैं और किस आधार पर किए गए हैं। जो मुकर्रर करने का आधार है वह क्या हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की राय लेकर बनाया है या नहीं बनाया है। अगर उनकी राय लेकर नहीं बनाया गया है तो क्यों नहीं बनाया गया है ?

[अनुवाद]

श्री एच० आर० भारद्वाज : अधिवक्ता अधिनियम में अधिवक्ता की परिभाषा दी गई है। इस सम्बन्ध में कोई अनियमितता नहीं हैं। परन्तु जब स्थायी काउन्सिल की नियुक्ति का प्रश्न आता है, तो केवल यह आवश्यक नहीं होता कि वह व्यक्ति अधिवक्ता होना चाहिए, तब ही उसे नियुक्त किया जा सकता है। यह परम्परा रही है— और कई वर्षों से यह परम्परा अपनाई जा रही है और हमने रिकार्डों में देखा है— कि केवल मेधावी अधिवक्ता, जिनकी न्यायालय में कुछ प्रतिष्ठा होती है और जिनकी न्यायालयों में न्यायाधीशों द्वारा प्रशंसा की जाती है केवल उन्हें ही स्थायी काउन्सिल के रूप में नियुक्त किया जाता है। मैं ऐसे किसी भी काउन्सिल को नहीं जानता जो स्थायी काउन्सिल के रूप में नियुक्त किये जाने योग्य न हो।

जहां तक पैनल काउन्सिल का सम्बन्ध है, उन पर भी यह बात लागू होती है क्योंकि उन्हें भी उसी प्रकार का कार्य करना होता है जो स्थायी काउन्सिल को करना होता है। यह भी आवश्यक है कि वे ख्याति प्राप्त, प्रतिष्ठित एवं कर्त्तव्यनिष्ठ हों। नियुक्तियां करते समय इन सभी बातों पर विचार किया जाता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कभी ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति की गई है जो इस पद के योग्य नहीं हो। माननीय सदस्य की यह सभी आशंकाएं बिल्कुल निराधार हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप निराधार कैसे कह सकते हैं ? आप यह निर्णय कैसे करते हैं ? क्या आप काउन्सिल की नियुक्ति से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं ? यह मेरा सुझाव है। आप किस प्रकार उनका निर्णय करते हैं ? हो सकता है कि उनकी वकालत 10 वर्ष से चल रही हो परन्तु उनका कार्य निष्पादन अच्छा न हो। एक ऐसा वकील जिसे केवल 5 वर्ष का अनुभव हो परन्तु वह अपनी प्रतिभा से अच्छा कार्य कर सकता है। आप उनका निर्णय किस प्रकार करते हैं ? इस विषय में नियम क्यों नहीं बनाए गए हैं ?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री ए० के० सेन) : हम सभी स्रोतों से पूछताछ करते हैं जो केवल विशेष रूप से मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीशों तक ही सीमित नहीं रहती और मेरे विचार में सरकार को जांच के स्रोत चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : आज सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में जो काउन्सेल मुकर्रर किए गए हैं स्टैंडिंग और पैनल कौंसल्स में उनमें आपने किस प्रकार से यह निर्णय लिया कि यह ठीक कौंसल्स है वह कौन से सोर्सिज हैं और उनके नाम क्या हैं ?

[अनुवाद]

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं अपने मित्र को बताना चाहूंगा कि हमारे यहां पैनल कौंसि और वरिष्ठ पैनल काउन्सेल हैं। वरिष्ठ काउन्सेल अथवा वरिष्ठ अधिवक्ता को सम्पूर्ण न्यायालय द्वारा मनोनीत किया जाता है। जब कभी अदालत के समक्ष काउन्सेल नियुक्त करने का कोई मामला होता है तो सम्पूर्ण न्यायालय इस बात की जांच कर निर्णय लेता है कि अमुक पुरुष अथवा महिला को वरिष्ठ काउन्सेल नियुक्त किया जाए।

अतः सभी काउन्सेल जिन्हें वरिष्ठ पैनल में रखा जाता है उन्हें वह काउन्सेल के रूप में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जैसा कि स्थिति हो, द्वारा मनोनीत किया जाता है। अतः उनकी योग्यता और कर्त्तव्यनिष्ठा तथा सभी बातों की जांच स्वयं अदालत द्वारा की जाती है और हम केवल उन्हीं काउन्सेलों को लेते हैं जो वरिष्ठ काउन्सेल होते हैं। कनिष्ठ काउन्सेलों की वकालत 5 से 7 वर्ष की होनी चाहिए और न्यायालय में उनकी पर्याप्त प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इस स्तर तक कोई भी काउन्सेल नियुक्त नहीं किया जाता जिनके पास वरिष्ठ काउन्सेल सिल अथवा कनिष्ठ काउन्सेल के लिए आवश्यक अनिवार्य अर्हताएं न हों।

दिल्ली उच्च न्यायालय में तीन स्थायी काउन्सेल कार्य कर रहे हैं। इन सभी को केवल उच्च न्यायालय का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। और न्यायधीश उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य ने कहां से यह धारणा बना ली है।

श्री शान्ताराम नायक : आपने अपने उत्तर में कहा है :

"कि अनुभव न्यायालय में ख्याति और अन्य सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखकर नियुक्ति की जाती है।"

आप अनुभव को ध्यान में रख रहे हैं। आप न्यायालय में अधिवक्ता की प्रतिष्ठता को भी ध्यान में रख रहे हैं। फिर यह 'अन्य सम्बन्धित बातें' क्या हैं ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूं। यह तब की बात है जब हमें संसद सदस्यों से पत्र मिलते हैं।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : एक अधिवक्ता जो याचिकाओं को निपटाता है, यदि उसे सरकारी वकील नियुक्त कर दिया जाता है, मैं नहीं समझता कि वह अपने कार्य के साथ न्याय कर पाएगा। दीवानी मुकदमों की प्रैक्टिस करने वाले किसी वकील को यदि फौजदारी मुकदमों का सरकारी वकील नियुक्त कर दिया जाए, तो वह अपने कार्य के साथ न्याय नहीं कर पायेगा। तो क्या आप उस विशेष क्षेत्र को भी ध्यान में रखते हैं जिसमें उसने विशेष अध्ययन किया है। फिर क्या आप उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय से पैनल की मांग करते हैं और उन पैनलों में से चयन करते हैं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : यह सुविदित है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अन्तर्गत

मैं सरकारी वकील की नियुक्ति नहीं कर सकता। उसके पास 7 और उससे अधिक समय का अनुभव होना चाहिए और न्यायालय – उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय द्वारा उसके नाम की सिफारिश की जानी चाहिए। परन्तु केंद्रीय सरकार सरकारी वकील नियुक्त नहीं करती। स्वयं राज्य सरकारों द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। जहां तक केन्द्र सरकार के काउन्सलों का सम्बन्ध है उन्हें सरकारी वकील अथवा स्थायी काउन्सेल कहा जाता है। यह प्रायः दीवानी मुकदमें निपटाते हैं। मुश्किल से ही इन्हें किसी फौजदारी मामले की वकालत करनी पड़ती है। हम एक स्थायी काउन्सेल जिसे याचिकाओं और अपीलीय मामलों का अनुभव हो और एक काउन्सेल – अतिरिक्त, जिसे दण्ड नियमों की भी जानकारी हो की नियुक्ति का प्रयास कर रहे हैं ।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि सभी तरह की योग्यताओं और अनुभव के रहने पर भी महिला अधिवक्ताओं की उपेक्षा की जाती है। क्या मन्त्री महोदय ऐसे डायरेक्शनस देंगे या इस पर विचार करेंगे कि योग्यता और अनुभव होते हुए भी महिला अधिवक्ताओं को भी नियुक्ति की जाए और उनकी उपेक्षा न की जाए। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि पिछले दो तीन वर्षों में जो नियुक्तियां ऐसी समितियों में की गई है, उनमें कितनी महिला अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि महिलाओं के बारे में प्रश्न किया गया है। अभी तक हमने जितनी नियुक्तियां की हैं उनमें 50% महिलाओं को लिया है।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलन्दईवेलू : ऐसे वरिष्ठ वकील हैं जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में वकालत करते हैं। उन्हें अच्छी आय होती है— हर माह लाखों रुपए मिलते हैं। यदि सरकार वरिष्ठ वकील का स्थायी काउन्सेल के रूप में चयन करे और वह सरकार द्वारा दिए गए आमन्त्रण अथवा प्रस्ताव को स्वीकार न करे तो क्या अधिवक्ता अधिनियम अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता में ऐसे व्यक्ति को जिसका सरकार द्वारा चयन किया गया है, बाध्य करने के लिए कोई आदेशात्मक उपबन्ध है कि उन्हें सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा ।

श्री ए० के० सेन : ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी ऐसा वकील मेरी वकालत करे जिसे मजबूरन यह पद स्वीकार करना पड़ रहा है ।

श्री सोमनाथ रथ : क्या मन्त्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि जैसे राज्यों में सरकारी वकीलों का चयन किया जाता है उसी प्रकार किसी प्राधिकरण द्वारा पैनल के लिए नामों की सिफारिश की जानी चाहिए।

श्री एच० आर० भारद्वाज : हम पहले ही यह कह चुके हैं कि हम न्यायाधीशों और अन्य सम्बन्धित लोगों को विश्वास में लेते हैं और न्यायालय संबंधी अनुभव के स्तर का निर्णय करने के लिए कोई भी अधिकारी नियत नहीं किया जा सकता।

श्री के० राममूर्ति : महोदय, स्थायी काउन्सेल की नियुक्ति और स्थायी काउन्सेल के पैनल के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री महोदय ने अपने मन्त्रालय के कार्यों की कभी समीक्षा की है विशेष रूप से केंद्रीय सरकार कितने मामले में हार चुकी है। मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि हाल ही के बजट में माचिसों पर लगाए गए उत्पाद शुल्क का मद्रास उच्च न्यायालय में विरोध किया गया और इस बारे में स्थगन आदेश दे दिया गया। इसी प्रकार का आदेश 1983 में भी इसी प्रकार के उपबन्ध के लिए दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप हमें बहुत घाटा हो रहा है। इन दो अवसरों पर स्थगन आदेश दिये जाने के विरुद्ध स्थायी काउन्सेल ने एक भी शब्द नहीं कहा। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्रालय ने स्थायी काउन्सेलों के कार्यों की कोई समीक्षा की है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : यह दोनों बिल्कुल भिन्न प्रश्न हैं। हम स्थायी काउन्सेल और पैनल काउन्सेल की नियुक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं राजस्व सम्बन्धित लंबित मामलों और अन्य विचाराधीन मामलों के सम्बन्ध में हमें अलग सूचना चाहिए। परन्तु हमारा काउन्सेलों पर पूर्ण नियन्त्रण है जो अदालत में उपस्थित होते हैं और जब न्यायालय का फैसला प्राप्त हो जाता है तो मन्त्रालय में कार्यवाही की जाती है। यदि उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो हम अपील करते हैं। मामले में हार के लिए काउन्सेल को किसी भी प्रकार उत्तरदायी समझे जाने का कोई प्रश्न नहीं है। यह न्यायालय का फैसला है।

सोवियत संघ द्वारा भारत में तेल की खोज

*654. **श्री राम प्रकाश**
श्री के० कुन्जम्बु } : क्या **पेट्रोलियम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल की खोज के लिए तटीय/तटदूर क्षेत्र सोवियत रूस को देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) मार्च, 1985 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित इण्डो-सोवियत संलेख के अनुसार सोवियत संस्थानों को गहन समेकित अन्वेषण हेतु निर्दिष्ट थालों का क्षेत्र दिया जाएगा।

क्षेत्र, कार्य सम्बन्धी कार्यक्रम और समयक्रम सम्बन्धी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

डा० कृपासिंधु भोई : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या हमारे देश के तेल क्षेत्रों में वर्ष में 1977-78 में सोवियत संघ द्वारा भूकम्पीय सर्वेक्षण किया गया था और उन्होंने हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों का पता लगाया है और हम कच्चे तेल के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने वाले हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने उत्पादनोन्मुख खोजकारी छिद्रण के मामले पर

सोवियत संघ से विचार किया है और संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं और 1985 से पहले तक इसका क्या परिणाम रहा है महोदय, मंत्री महोदय ने हमें बताया है कि वर्ष 1985 में तेल की खोज के लिए सोवियत संघ के साथ एक संलेख पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमारे देश में हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों का पता लगाने का काम अकेले सोवियत संघ को सौंपा गया है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या इस बारे में मंत्री महोदय को कोई जानकारी है कि तेल की खोज, भूकम्पीय सर्वेक्षण अथवा उत्पादनोन्मुख खोजकारी छिद्रण सम्बन्धी संलेख पर हस्ताक्षर किए गए हैं अथवा नहीं।

श्री नवल किशोर शर्मा : यह बात सही है कि तेल की खोज में सहयोग 1956 से ही चल रहा है जबकि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने सोवियत संघ के भूवैज्ञानिकों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर तेल की खोज करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण कार्य शुरू किया था। मार्च 1985 के अन्तिम सप्ताह में भारत आने वाले सोवियत उपमन्त्री के साथ किए गए वर्तमान समझौते के अन्तर्गत भारत और सोवियत संघ के बीच सहयोग के क्षेत्र का विस्तार करने के बारे में विचार किया गया है। दोनों पक्ष तेल की खोज के प्रति एक गहन और समेकित दृष्टिकोण अपनाने पर सहमत हुए जिससे कि कुछ थालों के चुने हुए क्षेत्रों में हाईड्रो-कार्बन के शीघ्र विकास में सहायता मिल सकती है इसके अन्तर्गत सोवियत संघ के संगठन भू-भौतिकी सर्वेक्षण आंकड़ों का विवेचन तथा खोजकारी छिद्रण तथा तेल पाए जाने के मामले में उस क्षेत्र की क्षमता का पता करने के लिए कुंए खोदना जैसे खोजकारी कार्य करेंगे। उस क्षेत्र में उत्पादन की जिम्मेदारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की होगी। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां दोनों देशों में सहयोग द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। यदि आप अनुमति दें तो मैं यह सूची पढ़ देता हूं, किन्तु यह बहुत लम्बी सूची है।

डा० कृपासिंध भोई : महोदय, क्या वर्ष 1985 से पहले भारत और सोवियत संघ के बीच उत्पादनोन्मुख खोजकारी छिद्रण के लिए कोई ठेका था वर्ष 1977-78 में उन्होंने हाइड्रोकार्बन बनने के नये और पुराने तटीय तथा तट दूर दोनों प्रकार के क्षेत्रों का पता लगाया है, जिससे हम आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1985 से पहले-सोवियत संघ के साथ उत्पादनोन्मुख खोजकारी छिद्रण के कितने ठेकों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : इस प्रकार का कोई ठेका नहीं था और सोवियत संघ ने आत्मनिर्भरता के लिए कोई वचन नहीं दिया था।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : महोदय, चूंकि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि खोजकारी कार्य करने के लिए चुने गए क्षेत्रों की एक लम्बी सूची है, मैं उनको सभी क्षेत्र बताने के लिए मजबूर नहीं करता। मैं उनसे इतना जानना चाहूंगा कि क्या सोवियत संघ के विशेषज्ञों द्वारा किए जाने वाले खोजकारी कार्यक्रम की सूची में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल भी शामिल है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सोवियत विशेषज्ञों ने अपना काम शुरू कर दिया है।

श्री नवल किशोर शर्मा : पश्चिम बंगाल में सोवियत विशेषज्ञों द्वारा बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। एक ऐसा ही काम पहिले ही शुरू किया जा चुका है। एक सोवियत ठेका दल पश्चिम बंगाल में

रानाघाट, जबोली और कृष्णा नगर क्षेत्रों में विशेष सर्वेक्षण कर रहा है। इस दल ने 9.5.1983 को सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया था। एक भारत सोवियत दल पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर क्षेत्र में भूकम्पीय सर्वेक्षण के कार्य में लगा हुआ है। इस प्रकार इस दल ने 14.12.1982 से ही काम शुरू कर दिया था। तीन सोवियत कार्य दल कलकत्ता में हैं। यह दल उन क्षेत्रों से सम्बन्धित आंकड़ों के पुर्नविवेचन में लगे हुए हैं।

श्री बृजमोहन महन्ती : उड़ीसा के बारे में क्या हो रहा है। माननीय मन्त्री कृपया उन क्षेत्रों की सूची सदन के सभा पटल पर रख दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनसे कहूंगा कि सूची सभा पटल पर पटल रख दें।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, लगभग पांच वर्ष पूर्व सौराष्ट्र हाई का गहन सर्वेक्षण किया गया था। सबसे उस बारे मे आगे कोई कार्य नहीं हुआ। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सौराष्ट्र क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य करने के लिए किसी संलेख पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : सोवियत विशेषज्ञों को सर्वेक्षण के लिए दिए जाने वाले क्षेत्र अभी विचाराधीन हैं और इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन से क्षेत्र दिए जाएंगे।

दिल्ली और खजुराहो (मध्य प्रदेश) के बीच एस० टी० डी० सेवा

[हिन्दी]

*655. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से एस० टी० डी० सेवा की सुविधा न होने के कारण प्रसिद्ध पर्यटक केन्द्र खजुराहो (मध्य प्रदेश) जाने वाले विदेशी पर्यटक दलों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां उनके पहुंचने की सूचना समय पर प्राप्त नहीं होती है;

(ख) क्या स्थानीय पर्यटक एजेंसियों, होटलों तथा जिला प्रशासन ने बार-बार लिखित अनुरोध करके यह सुविधा प्रदान करने की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) खजुराहो और दिल्ली के बीच की ट्रंककालों में बिलंब हो ही जाता है; खजुराहो में मैनुअल एक्सचेंज है तथा दिल्ली और खजुराहो के बीच एस० टी० डी० सेवा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस समय ट्रंक कालों का रूट वाया छतरपुर, सतना व जबलपुर है जिनकी दूरी लगभग 450 कि० मी० है और सभी खुली तार प्रणाली पर आधारित हैं। जबलपुर तथा दिल्ली के बीच माइक्रोवेव प्रणाली है। नई दिल्ली तथा खजुराहो के बीच ट्रंक सेवा में सुधार लाने के लिए, नई दिल्ली और छतरपुर के बीच एक सीधा मैनुअल सर्किट प्रदान किया जाएगा जिसमें दिल्ली से सागर तक का सैक्शन माइक्रोवेव माध्यम पर होगा। और सर्किट का लगभग 100 कि० मी० भाग ही खुली तार पर होगा। पारगमन प्वाइंट भी घट कर रह जाएगा जो छतरपुर में होगा। इस पुनः इंजीनियरी कार्य के मार्च, 1986 के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगी कि खजुराहो एक विश्व विख्यात पर्यटन-स्थल है, वहां हजारों की तादाद में विदेशी और देश के पर्यटक आते हैं और बड़े-बड़े ग्रुप्स इकट्ठे आते हैं। होता यह है कि ये पर्यटक वहां पहुंच जाते हैं और वहां की टूरिस्ट एजेन्सियों को समय पर उसके बारे में खबर नहीं मिल पाती, जिसके कारण वे असुविधा में पड़ जाते हैं। दूसरे, कई बार ऐसी नौबत भी आई कि हमारे विदेशी मेहमान वहां पहुंच गए किन्तु आफिसर्स समय पर सूचना न मिल पाने के कारण पहुंचे नहीं। इस वजह से, अभी जैसा माननीय मन्त्री जी ने बताया कि खजुराहो के लिए सागर से माइक्रोवेव लाइन डालना चाहते हैं और वहां से छतरपुर तक खुली लाइन रहेगी, तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि सागर से छतरपुर तक माइक्रोवेव लाइन का प्रस्ताव कब था और यह अब केवल सागर तक खुली लाइन आप रख रहे हैं, तो इससे क्या असुविधा नहीं रहेगी।

मैं यह जानना चाहूंगी कि अगर आप छतरपुर को कनैक्ट करना चाहते हैं तो वहां पर आप यह माइक्रोवेव लाइन ले जाकर सीधे छतरपुर को दिल्ली से कनैक्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि इससे सागर तक जाने में बड़ी असुविधा होती है और सागर के बाद और आगे छतरपुर और छतरपुर के बाद खजुराहो यह लाइन है इससे असुविधा हो जाती है जिससे कई बार ऐसी नौबत आती है कि हमारी जो टूरिस्ट पार्टियां या बड़े-बड़े लोग हैं, खबर न मिलने से असुविधा के शिकार होते हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : यह है कि खजूराहो एक बहुत ही विश्वविख्यात पर्यटन क्षेत्र है और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इसका अपना महत्व है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए योजना बनायी गई है कि दिल्ली और छतरपुर के बीच में टेलीफोन सेवाओं को शुरू किया जाये और जो सुझाव मैंने अभी बताया है और जिस को हम अगले वर्ष के अन्त तक मार्च 1986 तक पूरा करना चाहते हैं, उसकी वजह से जो असुविधा आज हो रही है वह बहुत हद तक मिट जायेगी। मैं समझता हूं कि हमारा जो विस्तृत कार्यक्रम है उसके बदलने से इसमें देरी हो सकती है और जो काम हम कर रहे हैं वह मुख्य रूप से जो माननीय सदस्या चाहती हैं उस बात को पूरा कर सकेगा।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी प्रश्न में पूछा है कि प्रस्ताव यह था कि सागर और छतरपुर तक माइक्रोवेव लाइन जायेगी, फिर बीच में सागर से छतरपुर जो लाइन डालने का प्रस्ताव रख दिया है इसकी कटौती क्यों हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1966 से मैं संसद सदस्या हूं। जब तक किसी मन्त्री महोदय की कृपा नहीं हुई या उनसे विनती नहीं की तब तक आज तक छतरपुर के लिए ट्रंक कॉल किसी तरह से लगा नहीं और अवेलेबल नहीं हुआ। ट्रंक कॉल के लिए आने-जाने का जो एक आपने जबलपुर, सागर या सतना से आपने लिंक रखा है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्ट दिल्ली से छतरपुर के लिए आप कोई लिंक जोड़ें जिससे सीधे सुविधा हो सके।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन् यह सही है कि आज दिल्ली और छतरपुर या दिल्ली व खजुराहो के बीच में ट्रंक सेवा बहुत सुव्यवस्थित नहीं है। अर्जेंट कॉल में करीब 4 घंटे की देरी होती है और सामान्य कॉल का कहना ही क्या ? पता नहीं कितना समय लगता होगा।

(व्यवधान)

श्रीमत विद्यावती चतुर्वेदी : महोदय, लाइटिंग कॉल 2-2 दिन नहीं लगता।

श्री राम निवास मिर्धा : मैंने स्वयं स्वीकार किया है कि सेवायें संतोषजनक नहीं हैं, लेकिन हमने जो व्यवस्था की है, जिसको हम कार्यान्वित कर रहे हैं उससे यह व्यवस्था बहुत सुधार जायेगी यह विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री सी० पी० ठाकुर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन महत्त्व के क्षेत्रों को एस० टी० डी० व्यवस्था से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है। बिहार में नालन्दा, गया और राजगीर, तीन ऐसी जगह हैं जिन्हें एस० टी० डी० से जोड़ा जाना है। मैं समझता हूं कि ऐसे स्थानों को एस० टी० डी० से जोड़ना राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए।

श्री राम निवास मिर्धा : हमारा वास्तव में यह प्रयास होता है कि पर्यटन अथवा किसी अन्य दृष्टिकोण से अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध स्थानों को एस० टी० डी० से जोड़ा जाए और हम खजुराहो के मामले में ऐसा ही कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही छोटा और अलग-थलग स्थान है। लेकिन पर्यटन के दृष्टिकोण से हमने इस पर पूरा ध्यान नहीं दिया है। और यह योजना नालन्दा और उन सभी स्थानों पर लागू होती है जिनका जिक्र उन्होंने किया।

श्री एस० एम० गुरुडी : अब यह बताया गया है कि पर्यटन केन्द्रों को एस० टी० डी० से जोड़ा जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जिला मुख्यालयों के लिए स्वचालित टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना के बारे में सोच रही है। जिला मुख्यालयों को भी कम से कम सातवीं पंचवर्षीय योजना में एस० टी० डी० सेवा से जोड़ दिया जाना चाहिए।

श्री राम निवास मिर्धा : सभी जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० से जोड़ने से पहले कम से कम वहां स्वचालित टेलीफोन केन्द्र होने चाहिए। मैं मानता हूं कि आज भी बहुत से जिला मुख्यालयों में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र नहीं हैं। हमारी सातवीं योजना में धीरे-धीरे सभी जिला मुख्यालयों में

स्वचालित टेलीफोन केन्द्र बनाने की योजना है और इसके बाद जब भी आवश्यकता महसूस होगी हम एस० टी० डी० सेवा प्रदान करेंगे।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में कम्युनिकेशन की हालत बहुत खराब है। हमारे यहां टूरिस्ट सेन्टर में पी० सी० ओ० नहीं लगे हैं जैसे अभी खजुराहो की बात कही। ऐसे कई सिटी हैं जैसे रतलाम आदि हैं जहां आटोमैटिक एक्सचेंज होना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि सातवें प्लान के अन्दर कितने शहरों को आप ऑटोमैटिक एक्सचेंज देंगे, और एस० टी० डी० और माइक्रोवेव से जोड़ेंगे।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन् यह बहुत जरूरी सवाल है। यदि नोटिस दें तो जवाब जरूर दूंगा।

[अनुवाद]

श्री प्रताप भानू शर्मा : मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज द्वारा सप्लाई किए गए खराब उपकरणों के कारण कुछ नई माइक्रोवेव लिंक परियोजनाओं में विलम्ब हो रहा है जैसा कि मुझे विदिश-भोपाल तथा इन्दौर-देवास माइक्रोवेव लिंक परियोजनाओं के बारे में मालूम है। उनमें इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज द्वारा सप्लाई किए गए खराब उपकरणों के कारण विलम्ब हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इन परियोजनाओं को शीघ्र शुरू करने के लिए क्या प्रभावकारी उपाय किए जा रहे हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : यह सही है कि इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज से उपकरणों की कुछ किस्मों की सप्लाई में विलम्ब हो रहा है। मैं यह नहीं कहता कि इसके द्वारा सप्लाई किए गए कुछ खराब माइक्रोवेव उपकरणों के कारण इन परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है। परंतु सप्लाई में विलम्ब हो रहा है और इस कारण कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी है। हम इस संबंध में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के कार्यकरण को सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं अर्थात यह प्रयास कर रहे हैं कि उपकरणों की सप्लाई समय पर हो मुझे विश्वास है कि इस दिशा में नए प्रयत्नों के कारण इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

अधिकारियों तथा गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए विश्वविद्यालय भर्ती केन्द्र

* 656. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का भारत के प्रत्येक विश्वविद्यालय में अधिकारियों तथा गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए विश्वविद्यालय भर्ती केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है जिसमें राष्ट्रीय कैडेट कोर के सफल कैडेटों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी;

(ख) य दि हां, तो यह केन्द्र कब तक शुरू कर दिए जाएंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

सशस्त्र सेना के अफसर काडर में,संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षाओं और सर्विस सलेक्शन बोर्डों द्वारा की गई जांच के आधार पर भरती की जाती है। भारतीय सेना एक स्वैच्छिक बल है इसलिए भरती के मामले में किसी समुदाय विशेष के लोगों के लिए कोई अनिवार्य कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। जिनके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर का "ग" प्रमाण-पत्र है और उनमें से जो लोग संघ लोक सेवा और सर्विस सलेक्शन बोर्डों की परीक्षायें उत्तीर्ण कर लेते हैं उनके लिए भारतीय सेना अकादमी के हर पाठ्यक्रम में 32 स्थान (कुल 150 स्थानों में से), नौसेना अकादमी में 6 स्थान और भारतीय वायुसेना अकादमी में उपलब्ध स्थानों से 10% स्थान निर्धारित हैं। जनवरी, 1985 तक उन सभी राष्ट्रीय कैडेट कोर के "ग" प्रमाण-पत्र धारियों को भारतीय सेना अकादमी में ले लिया गया है जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग और सर्विस सलेक्शन बोर्डों की परीक्षाएं पास की हैं। वास्तव में उनके लिए निर्धारित स्थान पूरी तरह भरे नहीं गए हैं। इसीलिए उनके पर्याप्त स्थान निर्धारित हैं।

2. जूनियर अफसर काडर में कोई सीधी भर्ती नहीं है। अन्य रैंकों की भर्ती पूरे देश में खोले गए 68 भर्ती कार्यालयों के माध्यम से की जाती है। इस भर्ती में राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण-पत्र धारियों को निम्नलिखित रियायत दी गई है :—

(क) राष्ट्रीय कैडेट कोर "क" प्रमाण पत्र धारक	— 5 अंक
(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर "ख" प्रमाण पत्र धारक	— 10 अंक
(ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर "ग" प्रमाण पत्र धारक	—15 अंक

3. मैट्रिक एन्ट्री स्ट्रीम के लिए सामान्य अर्हता मैट्रिक है और अन्य सामान्य भरती के लिए अर्हता पांचवीं कक्षा है।

4. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के सफल कैडिटों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, विश्वविद्यालयों में अफसरों एवं अन्य रैंकों के लिए भरती केन्द्र स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में यह बताया है कि थल सेना के 68 भर्ती केन्द्र हैं तथा विशेष रूप से अधिकारियों अर्थात् कमीशन प्राप्त अफसरों की नियुक्ति 'संघ

लोक सेवा आयोग' तथा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से की जाती है। महाजन आयोग की रिपोर्ट के बाद से राष्ट्रीय कैडेट कोर से भर्ती की अवधारणा पर व्यय अब कम हो गया है, हालांकि यह अभी भी विभिन्न विश्वविद्यालयों के युवा-वर्ग को सबल बना रहा है और प्रेरित कर रहा है। कमीशन प्राप्त अफसरों की भर्ती के लिए विश्वविद्यालय भर्ती केन्द्र हैं अर्थात् सीधी जांच-पड़ताल के लिए विशेष रूप से 'सी' प्रमाण-पत्र धारकों के लिए ही ये केन्द्र स्थापित किये गये हैं। जैसा कि मंत्री महोदय जानते हैं कि 'सी' प्रमाण-पत्र के लिए निर्धारित परीक्षा अत्यंत कठोर होती है। बिल्कुल सेवा चयन बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के समान ही कैडेट को सभी भारी-भारी उपकरणों का संचालन करना पड़ता है। अतः इस वक्तव्य से यही पता चलता है कि ऐसे 150 कैडेटों में से 32 को ही भारतीय सेना अकादमी में स्थान मिल पाता है। इसीलिए मंत्री महोदय भारतीय सेना अकादमी में सीधी भरती करने के लिए 'सी' प्रमाण पत्र धारकों की संख्या बढ़ाने और विश्वविद्यालय में ही केन्द्र स्थापित करने के बारे में विचार करेंगे ताकि छात्र जीवन में ही उनमें यह भावना पैदा हो जाये कि वे सेना से जुड़े हुए हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वक्तव्य में बिल्कुल साफ-साफ बताया गया है कि इस समय पद्धति यह है कि सशस्त्र सेनाओं में अफसरों की भरती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं तथा सेवा चयन बोर्ड द्वारा की गयी जांच-पड़तालों के माध्यम से की जाती है। माननीय सदस्य तो यही चाहते हैं कि इनकी बजाय 'सी' प्रमाण-पत्र धारकों की सीधी भरती की जाए ताकि वे सीधे ही अकादमी में भरती हो सकें। इसके लिए वर्तमान प्रक्रिया को बिल्कुल ही बदलना होगा और जहां तक सीटें बढ़ाने का संबंध है, वह कोई खास समस्या नहीं है; किंतु जैसा कि वक्तव्य में बिल्कुल साफ-साफ बताया गया है, उनके लिए निर्धारित रिक्त पद भरे नहीं गये हैं, अभी तक ये पद रिक्त है। अतः सीट बढ़ाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन देखना तो यह है कि आगामी वर्षों में पहले से आवंटित रिक्तियों को भी भर पाना सम्भव होगा या नहीं। अतः जिस प्रक्रिया को वह बदलने का सुझाव दे रहे हैं उस विषय में मैं अभी कोई वचन देने की स्थिति में नहीं हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं यह कर सकता हूं कि महानिदेशक से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद इस पर विचार किया जाए। इसी रिपोर्ट को बहस के दौरान ही सभा के समक्ष प्रस्तुत करने का मैंने वायदा भी किया है। किंतु मेरा ख्याल है कि संघ लोक सेवा आयोग और सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से चयन की प्रक्रिया को छोड़ देने का विचार उचित नहीं है। जैसा कि मैंने बताया है हम इसकी जांच करेंगे। किंतु मेरी पहली प्रतिक्रिया यही है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या वे जानते है कि---अब वह प्रक्रिया जारी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम जिसके अनुसार कॉलिजों और विश्वविद्यालय के सफल एन० सी० सी० कैडेटों में से काफी भारी संख्या में 'ऑफिसर्स ट्रेनिंग यूनिट' में भर्ती किये जाते थे, और उसमें सफल होने पर उन्हें सेवा चयन बोर्ड द्वारा चुन लिया जाता था। इस पाठ्यक्रम से मैं भी सम्बद्ध रहा हूं। इसीलिए मैं उसके बारे में जानता हूं। क्या मंत्री महोदय उस पाठ्यक्रम को फिर से लागू करेंगे ताकि सफल कैडेट सीधे ही आफिसर्स ट्रेनिंग यूनिट में जा सकें और वहां से वे सीधे ही थल सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में चुने जा सकें ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जैसा कि मैंने बताया इसका मतलब होगा वर्तमान पद्धति को छोड़ना और संघ लोक सेवा द्वारा चयन की विधि को भी छोड़ना। मैं सुझावों का स्वागत करता हूं

किंतु वायदा नहीं कर सकता। वह अन्य उन परिवर्तनों पर निर्भर करता है जिन्हें हमें लागू करना होगा। अतः जरा इन्तजार करिये और देखिये कि यह कैसे परिणाम पेश करता है।

श्री पीयूष तिरकी : क्या बिहार रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, जो राज्य और जाति के आधार पर गठित है, की भांति बंगाल रेजिमेंट, तमिलनाडु रेजिमेंट, और ऐसी कोई अन्य रेजिमेंट गठित करने का प्रस्ताव है जिन्हें अभी तक गठित नहीं किया गया है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मुझे अपनी बात पूरी कहने दीजिए। वे चाहते हैं कि एन०सी०सी० को राज्यवार रेजिमेंटों में गठित किया जाए। अभी एन०सी०सी० के बारे में प्रश्न किया गया है, सेना की रेजिमेंटों के बारे में नहीं।

श्री पीयूष तिरकी : क्या आप यहां से भी चर्चा शुरू करने के लिए तैयार हैं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं पहले ही इस सवाल का जवाब दे चुका हूं कि इस तरह से कोई भी नयी रेजिमेंट गठित नहीं की जायेगी। अब यदि माननीय सदस्य चर्चा को एन० सी० सी० से शुरू करना चाहें तो भी मेरा जवाब 'नहीं' ही होगा।

श्री अजय मुशरान : लगभग 35 साल पहले एन० सी० सी० के माध्यम से आफिसरों की भर्ती का तरीका यह था कि कैडेट यदि बी० ए० पास कर ले और 'सी' प्रमाण-पत्र भी पास कर ले तो उसे सेवा चयन बोर्ड के सामने साक्षात्कार मात्र के लिए ही पेश होना पड़ता था। चुने जाने पर उसे एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता था और योग्य पाये जाने पर उसे कमीशन प्रदान कर दिया जाता था। मैं भी उन्हीं में से हूं। इनके पास काफी भारी संख्या में एन० सी० सी० कैडेट हैं। इस एक वर्ष के प्रशिक्षण काल में 50-80 कैडेट ऐसे थे जो सीधे इसी प्रक्रिया से चुने जाते थे। यदि यह प्रक्रिया 35 साल पहले लागू थी। और उससे काफी अच्छे अधिकारी प्राप्त होते थे तो यह प्रक्रिया आज भी लागू हो सकती है। अतः यह प्रक्रिया दुबारा लागू करना सम्भव होना ही चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। क्या माननीय रक्षा मंत्री यह आश्वासन देंगे कि पहले लागू यह प्रणाली फिर से लागू की जायेगी ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह वादा करना बड़ा मुश्किल है कि उसे लागू कर दिया जाएगा और यह कहना भी मुश्किल है कि 35 साल पहले लागू कोई प्रक्रिया अब भी संगत है। जैसा कि पहले मैंने बताया इसपर मैं दुबारा विचार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन महानिदेशक की रिपोर्ट आने तो दीजिये। यह प्रणाली पहले भी उसमें परिवर्तन किया गया। अब संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जानी है। ऐसा कहना इतना आसान नहीं है कि मैं इस प्रणाली को छोड़ दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : बालासाहिब विखे पाटिल। माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत।

चितौड़गढ़ को सीधी डायल सेवा द्वारा दिल्ली और जयपुर से जोड़ना

[हिन्दी]

*658. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में दूर-संचार प्रणाली में सुधार करने हेतु एक नये भवन का निर्माण किया गया है;

(ख) दूर-संचार प्रणाली का सुचारू कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपकरण वहां पर कब तक पहुंच जाएंगे;

(ग) इस प्रयोजन के लिए आवश्यक दूसरे उपकरणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पर्यटन की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस शहर को सीधी डायल सेवा द्वारा दिल्ली और जयपुर से जोड़ने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) एम० ए० एक्स०-II टाइप के एक स्वचल एक्सचेंज की स्थापना की जा रही है और ऐसी संभावना है कि यह कार्य इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाएगा।

(ग) स्विचन और रिले सेट जैसे महत्वपूर्ण उपस्कर अभी प्राप्त होने हैं और ऐसी संभावना है कि चालू वर्ष के दौरान इनकी सप्लाई हो जाएगी।

(घ) जी हां।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : मन्त्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि पर्यटन की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ का महत्व है, परन्तु दूर संचार की दृष्टि से यह बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है। वहां एक वर्ष से भवन बना हुआ पड़ा है परन्तु उपकरण न आने की वजह से काम शुरू नहीं हुआ। मंत्री महोदय ने जैसे दो उपकरणों के बारे में बताया कि अभी वहां नहीं हैं, उसी प्रकार अन्य कई उपकरण जैसे बैटरी चार्जर, मीटर रैक, मास्टर क्लाक आदि उपकरण भी वहां नहीं हैं। मैं यह जानना चाहूंगी कि ये सारे उपकरण कब तक वहां पहुंच जाएंगे ?

श्री रामनिवास मिर्धा : मैंने निवेदन किया है कि चित्तौड़गढ़ की अहमियत को देखते हुए हम यह आवश्यक समझते हैं कि वहां संचार सेवाओं को सुधारा जाए। इसलिए जो कार्यक्रम वहां चल रहा है, उसमें तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि इस वर्ष के अन्त तक जो योजना चल रही है, वह पूर्ण रूप से कार्य करने लग जाएगी।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न के भाग डी का उत्तर "जी हां" में दिया है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगी कि आप चित्तौड़गढ़ को दिल्ली और जयपुर से एस० टी० डी० से जोड़ने जा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी कि यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री राम निवास मिर्धा : सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमने चित्तौड़गढ़ को जयपुर के ट्रंक औटोमैटिक एक्सचेंज से जोड़ने का प्रस्ताव किया है। उसके बाद जयपुर, दिल्ली और उदयपुर इत्यादि, जो भी जगहें हैं, उन्हें चित्तौड़गढ़ से एस० टी० डी० से जोड़ा जायेगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस तरह का प्रयास है।

श्री बालकवि बैरागी : मन्त्री महोदय ने जैसा बयान चित्तौड़गढ़ पर दिया है, वैसे ही अभी एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने फरमाया था कि जहां ट्रंक औटोमैटिक एक्सचेंज हैं, उन जिला केन्द्रों को आप सीधे दिल्ली से जोड़ देंगे। मैं जानना चाहती हूं कि जहां अभी भी ट्रंक औटोमैटिक एक्सचेंज हैं उन केन्द्रों को सीधे डायल सेवा से आप दिल्ली को कब तक जोड़ देंगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैंने तो यह कहा था कि कई जिला मुख्यालयों पर अभी औटोमैटिक एक्सचेंज हैं ही नहीं, इसलिए उनके एस० टी० डी० में परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता। सातवीं योजना में पहले उनको कम-से-कम मैनुअल से ट्रंक औटोमैटिक एक्सचेंज पर लाया जाए, उसके बाद जैसा वहां का ट्रैफिक होगा, जगह की इम्पोर्टेन्स होगी उसको देखते हुए आगे काम किया जाएगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में औटोमैटिक एक्सचेंज है और वह महत्वपूर्ण शहर है। क्या मंत्री महोदय इस वर्ष उसे एस० टी० डी० से जयपुर और दिल्ली से जोड़ देंगे।

श्री राम निवास मिर्धा : भीलवाड़ा बहुत महत्वपूर्ण जगह है, इसको ध्यान में रखते हुए वहां पर एक्सचेंज की एक नई इमारत बनाई जा रही है और उसका बहुत जल्दी उद्घाटन हो जाएगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उड़ीसा में कागज कारखाने

[अनुवाद]

*650. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में किन-किन स्थानों पर कागज के कारखाने स्थापित किये गये;

(ख) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में कागज का कारखाना स्थापित करने का है;

(ग) क्या उड़ीसा की राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को वहां पर और अधिक कागज के कारखाने स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) विभिन्न कागज परियोजनाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकार से समय-समय पर सिफारिशें प्राप्त होती रहती हैं। छठी योजना के प्रारम्भ में उड़ीसा में पहले से विद्यमान कागज मिलों के अलावा इस योजनावधि में राज्य में चार कागज मिलों की स्थापना की गई है।

विवरण

विभिन्न राज्यों में उन स्थानों के नामों को दर्शाने वाली सूची जहां छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कागज संयंत्र स्थापित किये गये हैं :—

क्र० सं०	स्थापना स्थल
1	2
आन्ध्र प्रदेश	
1.	भद्राचलम
2.	कुरनूल
3.	बामुलूरी

1	2
4.	मंड़ापेटा जिला पूर्वी गोदावरी
5.	मुथंगी, ग्राम : सांगारेड्डी तालुक जिला मैदक
6.	नेलौर
7.	गुन्डी के पास वाटर वर्क्स कुडप्पा
8.	पट्टनचेरू जिला मैदक
9.	श्रीकाकुलम
10.	खम्माम
11.	जिला निजामाबाद
बिहार	
12.	बाघा पी० ओ० नारायणपुर जिला चम्पारन
13.	पी० ओ० गढ़पलेली पूर्णिया
14.	पी० ओ० तिलरायी बरौनी औद्योगिक क्षेत्र जिला बेगुसराय (बिहार)
चंडीगढ़	
15.	चण्डीगढ़
गुजरात	
16.	निनेत
17.	गंगाधारा : जिला सूरत
18.	अंकलेश्वर

1	2
19.	लस्काना : जिला सूरत
20.	वापी जिला : बालसाद
21.	वापी जिला : बालसाद
22.	कालोल जिला : पंचमहल
23.	राजेश बाल्वा नददीक जिला : अहमदाबाद
24.	वापी—396195
25.	अंकलेश्वर जिला : बरोच
26.	उधना जिला : सूरत
27.	जिला : भड़ौच
28.	जिला : वलसर
29.	वापी जिला : बलसाद
30.	जी० आई०डी० सी० औद्योगिक बस्ती जिला : बलसाद
31.	वलसाला, निकट होला रेलवे स्टेशन के जिला : बड़ौदा
हरियाणा	
32.	धारूहेड़ा जिला : महेन्द्रगढ़
33.	सिरसा
34.	सिरसा
35.	धारूहेड़ा, जिला महेन्द्रगढ़
36.	पानीपत
37.	धारूहेड़ा जिला : महेन्द्रगढ़

1	2
हिमाचल प्रदेश	
38.	बरोतीवाला जिला : सोलन
39.	काला-अम्ब
40.	काला-अम्ब
41.	बरोटीवाला जिला : सोलन
42.	बरोटी वाला जिला : सोलन
43.	नालगढ़ जिला सोलन (हि० प्र०)
44.	ग्राम व डाक, बरोटी वाला जिला : सोलन हि० प्र०)
45.	लालजी, बरोटी वाला जिला : सोलन (हि० प्र०)
46.	डाक, काला-अम्ब जिला : सिरमूर (हि० प्र०)
कर्नाटक	
47.	थन्डेश्वपुरा नन्जरगुड, मैसूर
48.	कोलीगल ताल्लुक
49.	मांडली ग्राम
50.	सत्यगाला ग्राम गोलीगल ताल्लुक मैसूर जिला
महाराष्ट्र	
51.	ताल्लुका खांडला जिला : सहारा
52.	ग्राम : चांगेरा जिला : बांदोरा महाराष्ट्र

1	2
53.	मयूर रोड एम० एस० ई० बी० के नजदीक सब-स्टेशन बोरारा
54.	ग्राम-मांगेगांव व तकली तह-सेवनेर, जि० : नागपुर
55.	जिला : कोलापुर वारण नगर (महाराष्ट्र)
56.	सिहाराकहन जिला : नागपुर
57.	नागपुर
58.	ताया : भुसावल जलगांव (महाराष्ट्र)
59.	जिला : गोडिचिरोली महाराष्ट्र
60.	जिला : कोल्हापुर (महाराष्ट्र)
61.	जलगांव (महाराष्ट्र)
मध्य प्रदेश	
62.	बनमौर ज़िला : मुरैना
63.	जतारपुर विदिशा
64.	विदिशा (मध्य प्रदेश)
65.	ग्राम : धेमकी
66.	औद्योगिक बस्ती (विदिशा मध्य प्रदेश)
67.	जिला : बिलासपुर (मध्य प्रदेश)
नागालैंड	
68.	मुली मोकाचुंग

1	2
उड़ीसा।	
69.	झरिया, जिला-मयूरभंज
70.	बालागोपालपुर जिला : बालासौर
71	जैपुर, जिला—कोरापुट
पंजाब	
72.	जगतपुर, जिला—कटक
73.	अकरोन होशियारपुर
74.	नांगली, अमृतसर
75.	ग्राम : मलिकपुर अहमदगढ़ जिला : संगरूर
76.	पोस्ट-बनाह, होशियारपुर
77.	भटियान लुधियाना
78.	राजपुरा पटियाला
79.	भटिण्डा
80.	संगरामा साहिब, तरन तारन रोड़ अमृतसर
81.	तह० : बटाला, जिला—गुरदासपुर
82.	कोटकपुर पंजाब
83.	जिला रोपण, पंजाब,
84.	मुक्तेसर मालौट रोड, ग्राम—रूपना चन्दभान के निकट ट्रेन पंजाब
राजस्थान	
	दिल्ली अलवर रोड, जिला अलवर

1	2
86.	देरूला, अलवर, राजस्थान
87.	गुंजोल, तहसील माठवाड़ा, जिला उदयपुर
88.	रूपानेली (भीलवाड़ा)
89.	जिला अलवर
90.	ग्राम रघुनाथपुर, आर० एस० तलेरा जिला बून्दी
तमिलनाडु	
91.	पुंगर जिला भवानीनगर
92.	मयूरम डाकघर नीडुर, जिला तंजौर
93.	पुल्लन विदूठी, तालुक
94.	तिरूनेलवेल्ली
95.	वीलामपट्टी डाकघर वाया निल्लापोटर, मदुरै जिला
96.	तंजौर जिला
97.	जिला रामनाथ पुरम्
98.	वडाकुथु पनरूती तालुक, जिला उत्तरी आर्काट
99.	डाकघर पोल्लाची (कोयम्बटूर)
उत्तर प्रदेश	
100.	मुजफ्फरनगर
101.	गाजियाबाद
102.	धामपुर
103.	चितेरा (दादरी), जिला गाजियाबाद
104.	गाजियाबाद
105.	साहिबाबाद
106.	मुजफ्फर नगर
107.	रामपुर

1	2
108.	सीकरीकलां, मोदीनगर
109.	सिकंदराबाद, बुलंदशहर
110.	बाड़ापेच
111.	ग्राम व सिक्का, डाकघर बाबरी मुजफ्फर नगर
112.	रायबरेली
113.	ग्राम सिक्का, डाकघर शामली, मुजफ्फरनगर
114.	नोएड़ा, जिला गाजियाबाद
115.	अरावली, जिला आगरा
116.	रायबरेली
117.	मोदीनगर
118.	खलीलाबाद, बस्ती
119.	साहिबाबाद
120.	नोएडा, जिला गाजियाबाद
121.	जिला फैजाबाद
122.	नानुता जिला
123.	ग्राम तथा डाकघर मखियाली, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर
124.	ग्राम भैंसा, 22 कि० मी० मेरठ रोड पर, (मेरठ)
125.	प्लाट नं० 4/1, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट-2 फैजाबाद (उ० प्र०)
126.	38/2 साइट नं4, साहिबाबाद इण्डल० 3000 एस्टेट, साहिबाबाद
127.	डाकघर लालकुंआं, जिला नैनीताल 20,000 उ० प्र० 262402
128.	दक्षिणी चन्मारी पी० ओ० कल्याणी, जिला नादिया।
129.	छोटीपरूआ, रानीगंज
130.	रानीनगर पी०ओ० चाकधा, जिला नादिया
131.	शिवरामंजर पी० ओ० माणिकपुरा, जिला मिदनापुर पश्चिम बंगाल
132.	भण्डारटिकारी पी० ओ० परबस्थली जिला वर्द्धमान, पश्चिम बंगाल

इंजीनियरी उद्योग में विकास की दर

*651. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरी उद्योग में पिछले वर्ष की तत्स्थानी अवधि की तुलना में अप्रैल से नवम्बर, 1984 तक की आठ महीने की अवधि में विकास की दर 7.6 प्रतिशत अधिक रिकार्ड की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंजीनियरी उद्योग के काफी बड़े क्षेत्र में इस अवधि के दौरान विकास में सुधार हुआ है परन्तु रोड़ रोलर, कागज और लुगदी तैयार करने की मशीनों जैसे कुछ क्षेत्रों में विकास की दर नकारात्मक रही है;

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में ऐसी नकारात्मक-प्रवृत्ति के क्या मुख्य कारण हैं;

(घ) सरकार वर्ष 1985-86 के दौरान इन क्षेत्रों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) इस हेतु कौन से कार्यक्रम शुरू किए जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) औद्योगिक उत्पादन के सी० एस० ओ० सूचकांक के अनुसार अप्रैल-नवम्बर, 1984 के दौरान पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में इंजीनियरी क्षेत्र में उद्योगों की वृद्धि-दर 7.3 प्रतिशत थी।

(ख) जी हां।

(ग) बिजली की कमी, कच्चे माल की कमी और मांग तथा पूर्ति में अस्थाई असंतुलन कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं जिनसे कुछ उद्योगों जिनमें नकारात्मक वृद्धि हुई थी, में उत्पादन में मन्दी आई है।

(घ) तथा (ङ) औद्योगिक लाइसेंसिंग और आयात नीतियों में उपयुक्त परिवर्तनों के जरिए और वित्तीय और आर्थिक उपायों के जरिए औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही हैं। अवस्थापना सम्बन्धी सहायता में सुधार लाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के गुड़गांव यूनिट की क्षमता का उपयोग

*652. **श्री वाई० एस० महाजन :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के गुडगांवसंयन्त्र की प्रतिष्ठापित क्षमता क्या है;

(ख) क्या यह संयन्त्र केवल एक पारी में कार्य कर रहा है और इसकी लगभग 30 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या दवाएं बनाने सम्बन्धी इस संयन्त्र की क्षमता इतनी है कि यह देश की संपूर्ण मांग को पूरा कर सकता है और इसके बावजूद इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड गैर-सरकारी पार्टियों को लाइसेंस उधार देकर दवाओं के फार्मूलेशन्स तैयार करा रही है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या संयन्त्र के लिए आयात की गई कुछ अत्यधिक महंगी मशीनें अभी तक लगाई नहीं गई हैं; और

(छ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) जी नहीं। इजेक्टेबल्स को छोड़कर संयन्त्र दो पारियों में चलाया जा रहा है। क्षमता उपयोगिता भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) अल्प क्षमता उपयोगिता के मुख्य कारण अपर्याप्त पावर आपूर्ति, श्रमिक समस्याएं तथा मांग का प्रतिबन्ध है।

(घ) और (ङ) देश की सम्पूर्ण मांग को फार्मूलेट करने की संयन्त्र की क्षमता नहीं है।

आई० डी० पी० एल० केवल अत्यावश्यकता के समय ऋण लाइसेंसिंग युक्ति को अपना रहा है, जैसे कि—:

1. जहां मदें आई० डी० पी० एल० की उत्पादन की शृंखला में नहीं है।
2. क्षमता प्रतिबन्ध तथा आपूर्ति की अविलम्बता।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

विवरण	1982-83			1983-84		1984-85	
	वास्तविक स्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन	प्रतिशत क्षमता उपयोगिता	वास्तविक उत्पादन	प्रतिशत क्षमता उपयोगिता	वास्तविक उत्पादन	प्रतिशत क्षमता उपयोगिता
1. गोलियां मि० लि० में	1141	544.27	48	600.5	53	499.8	43
2. केप्स्यूल्स ,,	50	15.65	31	17.58	35	14.09	28
3. सिरप कि० लि० में	600	230.20	38	217.08	36	184.33	32
4. एम्प्यूल मि०लि० में	50	3.77	5	0.509	1	0.721	1
5. वायल्ल ,,	20			3.11	16	2.93	15
6. पाउडर एमटी	145	103.16	71	127.44 (1983-84 में क्षमता बढ़ाकर 390 मी० टन की गई।	33	99.70	26
7. मरहम ,,	25	0.42	—	0.314	1	—	—

धनराशि की कमी के कारण 1985-86 में दूर संचार परियोजनाओं की प्रगति को धक्का लगना

*657. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1985-86 के लिए दूर-संचार हेतु धन की मांग में 54 प्रतिशत कटौती कर दिए जाने के कारण देश में दूर संचार की प्रगति को भारी धक्का लगेगा;

(ख) यदि हां, तो विस्तार परियोजनाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) देश के किन-किन क्षेत्रों में विस्तार योजनाओं की गति धीमी करनी पड़ेगी अथवा उन्हें शुरू नहीं किया जाएगा; और

(घ) क्या इससे महाराष्ट्र में चालू योजनाएं प्रभावित होंगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) परियोजनाओं का विस्तार कार्य धीमा हो जाएगा।

(ग) समूचे देश में योजनाओं के विस्तार कार्यक्रमों में कमी की जाएगी।

(घ) अन्य राज्यों के समान महाराष्ट्र में चल रही परियोजनाओं को नई परियोजनाओं से अधिक वरीयता दी जाएगी।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड; पुणे द्वारा नई दवाओं का अविष्कार

*659. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे ने हाल में कुछ नई दवाओं का अविष्कार किया है;

(ख) यदि हां, तो इन दवाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनका वार्षिक उत्पादन कितना होगा, और

(ग) किन-किन रोगों के मामले में ये दवाएं कारगर हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा में मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों में बदलना

*660. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंज हैं और ऐसे एक्सचेंज किन-किन शहरों में हैं;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों में बदला गया है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों में बदले जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उड़ीसा में 45 मैनुअल एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचल एक्सचेंजों में बदला गया था।

(ग) इन एक्सचेंजों के स्वचलीकरण के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तरोत्तर कार्रवाई की जाएगी बशर्ते कि उपस्कर और निधि उपलब्ध रहे।

विवरण

उड़ीसा में मैनुअल एक्सचेंज और उन स्थानों के नाम जहां ये स्थित हैं :

एक्सचेंज का नाम	जहां स्थित हैं
आनन्दपुर	क्योंझर
आसका	गंजम
आथगढ़	कटक
बालासोर	बालासोर
बालूगांव	पुरी
बारबील	क्योंझर
बारीपपाड़ा	मयूर
बारापल्ली	सम्बलपुर
भाञ्जा नगर	गंजम
बीरमित्र पुर	सुन्दरगढ़

1	2
बौध	फूलबनी
बुरला	सम्बलपुर
छत्रपुर	गंजम
धानमण्डल	कटक
धेनकनाल	धेनकनाल
हीराकुड	सम्बलपुर
जगतसिंगपुर	कटक
जयपुर रोड	कटक
जयपुर टाउन	कटक
जटनी	पुरी
जयपोर	कोरापुट
जोड़ा	क्योंझर
कांताभंजी	बोलनगीर
करनजिया	मयूरभंज
केन्द्रपाड़ा	कटक
केन्दुपटना	कटक
केसिंगा	कालाहांडी
क्योंझर	क्योंझर
खरियार रोड	काला हांडी
खुरदा	पुरी
कोरापुट	कोरापुट
लाहुनीपाडी	सुन्दरगढ़
नयागढ़	पुरी
नवरंगपुर	कोरापुट
पद्मपुर	सम्बलपुर
पारलाखेमुंडी	गंजम
फूलबनी	फूलबनी
रायरंगपुर	मयूरभंज

1	2
राजगंगपुर	सुन्दरगढ़
रायगडा	कोरापुट
सम्बलपुर	सम्बलपुर
सुन्दरगढ़	सुन्दरगढ़
तलचेर	धेनकनाल
तीतलागढ़	बोलनगीर
विक्रिमपुर	धेनकनाल

छठी योजना में सीमेंट का उत्पादन

*661. श्रीमती जन्यती पटनायक
श्री सोमनाथ रथ } : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान सीमेंट के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) छठी योजना के दौरान सीमेन्ट के उत्पादन में वास्तविक उपलब्धि क्या रही;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सीमेंट की कुल खपत का ब्योरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में कितने नए सीमेंट उत्पादक एकक स्थापित किए गए ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना प्रलेख में वर्ष 1984-85 अर्थात् छठी योजनावधि के अन्तिम वर्ष तक 340 से 345 लाख मी० टन सीमेंट का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया था।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में 300 लाख मी० टन सीमेंट का उत्पादन प्राप्त किया गया।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमेंट की खपत की स्थिति निम्न प्रकार रही :—

(लाख) मी० टनों में

वर्ष	खपत
1980-81	205.3
1981-82	226.5
1982-83	248.4
1983-84	297.1
1984-85	303.1

(घ) 50 (पचास)

पर्वतीय, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के लिए डाक और दूर संचार व्यवस्था संबंधी बृहत् योजना

*662. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने डाक और दूर संचार सर्किलों को छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अपने सर्किलों के पर्वतीय, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बारे में कोई दिशा-निर्देश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो इस नीति के क्रियान्वयन के पश्चात् और नीति के विस्तार से पहले डाक और दूर संचार सर्किलों द्वारा क्या विकास किया गया;

(ग) क्या इन सर्किलों ने पर्वतीय, आदिवासी और पिछडे क्षेत्रों के लिए डाक और दूर संचारें व्यवस्था की कोई बृहत योजना तैयार की है और सातवीं योजना के लिए उनके मंत्रालय को योजनाय भेजी हैं;

(घ) यदि हां, तो सातवीं योजना के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) **डाक क्षेत्र**—चूंकि देश के जनजातीय व पिछडे क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाओं के विस्तार के लिए पहले से ही मान-दण्ड निर्धारित हैं, अत: छठी योजना अवधि के दौरान सर्किलों को अलग से कोई मार्गनिर्देशन जारी करने जरूरी नहीं समझे गए। छठी पंचवर्षीय योजना की प्रत्येक वार्षिक योजना के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय पर आधारित जो लक्ष्य सर्किलों को आबंटित किए गए, उनमें पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए थे। इन लक्ष्यों में पिछड़े और जन-जातीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल हैं।

दूर संचार क्षेत्र जी, हां।

(ख) **डाक क्षेत्र**—छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए ग्रामीण डाकघर जिनमें जनजातीय क्षेत्रों के 1570 और पिछड़े क्षेत्रों के 1576 डाकघर शामिल हैं। } 6752

दूर संचार क्षेत्र—छठी पंचवर्षीय योजना में कुल निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त किए जाने की संभावना है :—

(i)	स्विचन उपस्कर क्षमता	32,000 लाइन
(ii)	टेलीफोन एक्सचेंज	381
(iii)	एस० टी० डी० रूट (प्वाइंट-टू-प्वाइंट)	12

(iv)	यू० एच० एफ० प्रणाली	1017 रूट कि० मी०
(v)	लंबी दूरी के पी० सी० ओ०	1677
(vi)	तारघर	1364
vii)	टेलेक्स क्षमता	220 लाइन

(ग) तथा (घ) **डाक क्षेत्र**—सातवीं योजना के लिए सामान्य, पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों में डाक विकास के लिए योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं और उन्हें योजना आयोग को भेज दिया गया है। योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

दूरसंचार क्षेत्र : (ग) जी, हां।

(घ) सातवीं योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं तैयार की गई हैं :—

(i)	स्विचन उपस्कर क्षमता	177,400 लाइन
(ii)	टेलीफोन एक्सचेंज	955
(iii)	एस० टी० डी० रूट (प्वाइंट-टू-प्वाइंट)	158 यू०एच०एफ० प्रणाली
(iv)	यू० एच० एफ० प्रणाली	63
(v)	लंबी दूरी के पी० सी० ओ०	2841
(vi)	टेलेक्स क्षमता	830 लाइन
(vii)	तारघर	2500 (अस्थाई)

(ङ) **डाक क्षेत्र**—प्रश्न ही नहीं उठता।

दूरसंचार क्षेत्र— प्रश्न ही नहीं उठता।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा लघु क्षेत्र में एकक स्थापित किये जाने पर प्रतिबंध

*663. **श्री राम भगत पासवान** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़े औद्योगिक गृहों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर इस आधार पर लघु क्षेत्र में एकक स्थापित किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का है कि ये छोटे पैमाने के उद्यमियों के हित को नुकसान पहुंचा रहे हैं तथा लघु, उद्योग क्षेत्र पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों के प्रभुत्व को रोकने की दृष्टि से भी यह प्रतिबंध लगाना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित लघु क्षेत्र के सभी एककों को सरकार का अपने हाथ में लेने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) छोटे एकक की परिभाषा के अनुसार वह किसी अन्य उपक्रम का सहायक या स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन नहीं होना चाहिए। यदि छोटा एकक किसी अन्य उपक्रम के स्वामित्व या नियंत्रणाधान है तो यह अपने आप छोटा एक नहीं रहता है और ऐसे एकक के लिए औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने के प्रश्न पर केवल तभी विचार किया जा सकता है यदि वह अपने उत्पादन का कम से कम 75% निर्यात करने का उत्तरदायित्व लेता है।

(ग) बड़े घरानों के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन छोटे एककों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कोरेगांव, मलाड और कंडीवली में अतिरिक्त टेलीफोन एक्सचेंज

*664. **श्री अनूपचन्द शाह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोरेगांव, मलाड और कंडीवली में अतिरिक्त टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का विचार है, क्योंकि इन व्यस्त उपनगरों में रहनेवाले लोगों को एक ही टेलीफोन एक्सचेंज होने के कारण भारी कठिनाई उठानी पड़ रही है;

(ख) इन एक्सचेंजों को कब तक स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास (मिर्धा) : (क) जी हां। गोरेगांव (न कि कोरेगांव) और कंडीवली के लिए अतिरिक्त टेलीफोन एक्सचेंजों की योजना बनाई गई है। इन्हें मलाड एक्सचेंज से सेवा प्रदान की जा रही है। मलाड टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

(ख) और (ग) ऐसी संभावना है कि गोरेगांव और कंडीवली में नए टेलीफोन एक्सचेंज 1989-90 में स्थापित कर दिए जाएंगे।

कर्नाटक में रसायन और उर्वरक कारखाने की स्थापना

*665. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में, सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत रसायन और उर्वरक के कितने कारखाने हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत एक रसायन और उर्वरक कारखाना स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनीकार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) :

(क) कर्नाटक में सार्वजनिक क्षेत्र के कोई रसायन/उर्वरक कारखाने नहीं हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में गैस की प्राप्ति

*666. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को राजस्थान के जैसलमेर जिले में घोटारू और मनहर टिब्बा में गैस मिली है;

(ख) यदि हां, तो वहां कुल कितनी मात्रा में गैस मिली है और इसका किस प्रकार उपयोग किया जायेगा;

(ग) क्या आयोग के पास केवल एक ही रिग है जिसके परिणामस्वरूप खुदाई कार्य बहुत धीमा चल रहा है;

(घ) क्या आयोग का विचार इस कार्य में तेजी लाने के लिए आधुनिक रिग प्राप्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त रिगों की व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) इन दो गैस क्षेत्रों से कुल प्राप्य भण्डारों का अनुमान लगभग 540 मि० घन मीटर का है। इन गैस क्षेत्रों को अभी तक काम में नहीं लाया गया है।

(ग) निर्धारित खुदाई कार्यक्रम के अनुसार इस समय राजस्थान में एक रिग काम कर रहा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) 1986-87 में 3 रिगों को लगाने की योजना है।

एकाधिकार गृहों का प्रसार

*667. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल**
प्रो० रामकृष्ण मोरे } : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों के दौरान एकाधिकार गृहों ने अपनी आस्तियां 6614 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11,284 करोड़ रुपये कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में एकाधिकार गृहों के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री श्री वीरेन्द्र पाटिल : (क) और (ख) वर्ष 1980 में उनकी परिसम्पत्तिओं के आकार द्वारा श्रेणीवद्ध वर्ष 1979 में 20 एकाधिकारी घरानों की परिसम्पत्तियां 661489 करोड़ रु० थी। परिसम्पत्तियों के आकार द्वारा श्रेणीबद्ध 1982 में 20 चोटी के घरानों की परिसम्पत्तियां, उस वर्ष में 11284.61 करोड़ रु० तक बढ़ गई।

(ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम स्पष्टतः बड़े औद्योगिक घरानों की वृद्धि के विरुद्ध नहीं है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उद्देश्य देश में एकाधिकारी घरानों की वृद्धि को पूर्णरूप से निवारण करना नहीं है अपितु राष्ट्रीय, आर्थिक और औद्योगिक प्राथमिकताओं को दृष्टिगत करते हुए उनके विस्तार एवं वृद्धि को नियंत्रित करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि इस प्रकार की वृद्धि सामान्यजन अहितकारी आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण की परिणामी नहीं हो।

फार्मिक एसिड पर शुल्क

*668. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्मिक एसिड पर मूल शुल्क को 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है;

(ख) क्या देश में ही बनी और विदेशों से आयात की जाने वाली फार्मिक एसिड के मूल्यों में भारी अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार फार्मिक एसिड के आयात पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से, आयात-नीति की समीक्षा करने का है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) :

(क) और (ख) जी हां।

(ग) आयात और निर्यात नीति 1985-86 में सरकार ने फार्मिक एसिड को परिशिष्ट-2 (ख) में रखकर उसके आयात पर रोक लगा दी है। सरकार ने 2 क्षतिपूर्ति योजना (परिशिष्ट 17) के अधीन फार्मिक एसिड का आयात सीमित करके उसे चमड़ा और चमड़े की वस्तुओं के निर्यात मूल्य के 0.25 प्रतिशत से 0.09 प्रतिशत कर दिया है।

स्कूटरों, मोटर-साइकिलों के आयात में तुर्की की रुचि

[अनुवाद]

4764. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तुर्की ने स्कूटरों, मोटर साइकिलों के आयात और स्कूटरों के पुर्जों में सहयोग संबंध स्थापित करने में रुचि दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में यदि कोई करार किया गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) हाल ही में भारत-तुर्की संयुक्त समिति की हुई बैठक में तुर्की में दुपहियों के निर्माण की सुविधायें स्थापित करने के लिए सहयोग की सम्भावनाएं होने की बात को स्वीकार किया गया था। आशा है कि एक तुर्की शिष्टमण्डल भारतीय निर्माताओं के साथ विचार-विमर्श करने के लिए भारत आएगा।

खाना पकाने की गैस कनेक्शनों के वाउचरों का स्थानान्तरण

4765. श्री जायनल अबेदीन
श्री मोतीलाल सिंह
श्री संतोष कुमार सिंह
श्री सिद्धलाल मुरमू } : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन देने वाले इंडियन आयल कारपोरेशन के डीलरों को देश भर से, विशेष रूप से यमुनापार के इलाके से अनेक स्थानान्तरण वाउचर मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त स्थानान्तरण वाउचरों में अंकित धरोहर धनराशि कम है;

(घ) क्या उक्त स्थानान्तरण वाउचरों की सत्यता की पुष्टि करने हेतु कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) जनवरी-फरवरी 1985 के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली में वितरकों द्वारा प्राप्त ट्रांसफर वाउचरों का विवरण इस प्रकार है।

	इण्डेन टी० वी०	अन्य कम्पनियों के ट्रांसफर वाउचर
जनवरी 1985	4460	36
फरवरी 1985	3586	33

यमुना पार क्षेत्र में आठ वितरक काम कर रहे हैं। उनके द्वारा प्राप्त ट्रांसफर वाउचरों का विवरण इस प्रकार है—:

	इण्डेन टी० वी ०	अन्य कम्पनियों के ट्रांसफर वाउचर
जनवरी 1985	475	141
फरवरी 1985	400	44

(ग) से (ङ) इस समय पालिसी की शर्तों के अनुसार एल० पी० जी० के वितरकों के ट्रांसफर वाउचरों में लिखी सिक्योरिटी डिपाजिट का संग्रह करके इसके बदले गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। जब कभी ट्रांसफर वाउचर वितरक को प्रस्तुत किया जाता है तो वह उपभोक्ता को कनेक्शन देकर जारी करने वाले वितरक से इसकी प्रामाणिकता के बारे में पूछता है।

गुड़गांव में मिट्टी के तेल की धोखाधड़ी पूर्ण बिक्री

4766. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार का ध्यान 15 जनवरी 1985 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "विग स्कूरियस किरोसिन सेल रेकेट इन गुड़गांव" से प्रकाशित शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कथित धोखाधड़ी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उपरोक्त मामले में यदि कोई कार्यवाही की हो तो वह क्या है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) सरकार ने इस रिपोर्ट को देख लिया है।

(ख) और (ग) अन्य बातों के साथ-साथ समाचार में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बिना लाइसेन्स कैसे डीजल पम्पों में वृद्धि, मिलावटी हाई स्पीड डीजल की बिक्री तथा राशन की दुकानों पर मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं।

यह मामला राज्य सरकार के साथ उठाया गया है। खबर मिली है कि जिलाधीश गुड़गांव ने अनजाने में डीजल की बिक्री के लिए कुछ बिक्री केन्द्रों को "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी किए थे, उसके बाद देखा गया कि वे मिट्टी के तेल का भी काम कर रहे थे। राज्य सरकार की सलाह पर गुड़गांव के जिलाधीश ने उन बिक्री केन्द्रों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द कर दिये मिलावट के स्रोत थे, जिला प्राधिकारियों ने भी उन खुदरा विक्रेताओं के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही शुरू कर दी है जिन्होंने नियत फार्म में लाइसेंस के बिना भारी मात्रा में एच० एस० डी० रखा हुआ था।

दिल्ली टेलीफोन्स के क्षेत्रीय प्रबन्धक

4767. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में टेलीफोन विभाग के साथ प्रयोक्ताओं के प्रतिदिन पड़ने वाले कार्यों की दृष्टि से क्षेत्रीय प्रबन्धक प्रणाली की उपयोगिता और विशेषकर सही बिल बनाने, टेलीफोन सेवाओं के दक्ष कार्यकरण, खराब टेलीफोनों की शिकायतों पर तुरन्त कार्यवाही करने और अन्य सम्बन्धित मामलों में इसके योगदान के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे सभी अनुभागों को एक स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए उनका विचार क्या कदम उठाने का है, जिन अनुभागों में जनता को प्रायः सम्पर्क करना पड़ता है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) राजधानी में क्षेत्रीय प्रबंधकों की कार्य प्रणाली के बारे में इस तरह का कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उन सभी अनुभागों को, जिनसे जनता को सम्पर्क करना पड़ता है, जहां कहीं सम्भव है एक ही स्थान पर स्थापित करने की कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

महाराष्ट्र के शहरों को सीधे डायल सेवा द्वारा बम्बई से जोड़ना

4768. **श्री आर० एम० भोये :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान महाराष्ट्र के किन-किन शहरों को सीधी डायल सेवा द्वारा बम्बई से जोड़ने की योजना है;

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान किन-किन शहरों को सीधी डायल सेवा द्वारा दिल्ली से

जोड़ने की योजना है; और

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई अनुरोध किया है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भूसावल, चन्द्रपुर और श्रीरामपुर को 1985--86 के दौरान बम्बई के साथ एस० टी० डी० द्वारा जोड़े जाने की संभावना है।

(ख) जलगांव, भूसावल, चन्द्रपुर और श्रीरामपुर को 1985-86 के दौरान एस० टी० डी० द्वारा दिल्ली के साथ जोड़े जाने की संभावना है।

(ग) जी हां। कुछ स्थानों पर एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

पेट्रोलियम निर्यातकर्ता देशों के संगठन की नई विपणन नीति

4769. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल के मूल्यों में और अधिक गिरावट रोकने हेतु पेट्रोलियम निर्यातकर्ता देशों के संगठन द्वारा शुरू की गई कथित नई विपणन नीति की सरकार को जानकारी है तथा उनके इस प्रस्ताव पर विकासशील देशों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) पेट्रोलियम निर्यातकर्ता देशों के संगठन से संबद्ध देशों तथा गैर-संबंद्ध देशों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा): (क) से (ङ) समाचार-पत्रों में ऐसी रिपोर्ट छपी है कि ओपेक देशों ने विभिन्न सदस्यों के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों पर नियंत्रण रखने का निर्णय लिया है और उन्होंने अपने सदस्यों पर उत्पादन कोटा लागू करने के उपाय भी खोज लिए हैं। यह अपने संगठन के सदस्यों को अनुशासित करने के लिए स्वयं नीति तय करने जैसा है।

विश्व के सकल तेल उत्पादन में ओपेक तेल का शेयर घट रहा है और गैर-ओपेक तेल का शेयर बढ़ रहा है। अगर ओपेक कोटे का कड़ाई से पालन किया जाता है तो यह गम्भीर चिन्ता का मामला नहीं होना चाहिए। फिर भी बाजार की किसी परिवर्तनशील स्थिति की सही प्रतिक्रिया पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

गोरखपुर उर्वरक कारखाने का विस्तार

[हिन्दी]

4770. **श्री मदन पाण्डे : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर उर्वरक कारखाने की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इसका विस्तार करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में चूना पत्थर के भंडारों के लिए किया गया सर्वेक्षण

[अनुवाद]

4771. **श्री अमर सिंह राठवा**
श्री चिंतामणि जेना } **: क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में चूना पत्थर के भण्डारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है, यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का क्या ब्यौरा है; और

(ख) क्या उन क्षेत्रों में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) भारतीय भूतत्वय सर्वेक्षण ने सर्वेक्षण किया है और गुजरात में लगभग 10,7920 लाख मी० टन, मध्य प्रदेश में 82,180 लाख मीटरी टन और उड़ीसा में 8,400 लाख मीटरी टन के चूना पत्थर निपेक्ष होने का अनुमान लगाया है जिसमें से गुजरात में से 73,560 लाख मी० टन, मध्य प्रदेश में 37,130 लाख मी० टन और उड़ीसा में 1,650 लाख मी० टन सीमेंट ग्रेड के चूनों के पत्थर के निक्षेप हैं।

(ख) इन तीनों राज्यों में नए सीमेंट एककों की स्थापना करने/विस्तार करने के लिए औद्यो-

गिक लाइसेन्स/आशय पत्र जारी करके तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण द्वारा दी गई स्वीकृतियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उन एककों की सूची जिन्हें गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में सीमेंट का उत्पादन करने के लिए एककों को विस्तार करने/स्थापना करने हेतु आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेन्स/तकनीकी के विकास महानिदेशालय द्वारा पंजीकरण जारी किए हैं :

बड़े एकक नाम	स्थापना स्थल	क्षमता (लाख मी टन/ प्रतिवर्ष
1	2	3
गुजरात		
1. सीमेंट कारपोरेशन्स ऑफ गुजरात लि०	वेरावल	10.00
2. दिग्विजय सीमेंट	सिक्का जामनगर (पर्याप्त विस्तार)	4.85
3. —वही—	सिक्का जामनगर (पर्याप्त विस्तार)	4.85
4. ए० सी० सी० लिमिटेड	सेवालिया, कैश (पर्याप्त विस्तार)	0.80
5. गुजरात अम्बुआ सीमेंट्स लिमिटेड	महुआ	5.00
6. अरबुदा सीमेंट्स (सफेद)	ढंदुराल	0.45
7. गुजरात हिमालय सीमेंट्स (सफेद)	रनवाव	0.50
2. लघु (मिनी)		
8. श्री आर० एम० खटाऊ (जगदम्बा सीमेंट)	दान्ता	0.66
9. मै० शत्रुन्जय सीमेंट्स लिमिटेड	भावनगर	0.66
10. श्री निरंजन शाह	जूनागढ़	0.66
11. मै० अम्बिका सीमेंट	जूनागढ़	0.66

1	2	3
12. मै० गोविन्द सीमेंट कं० (प्रा०) लि०	कच्छ	0.66
13. श्री ओमप्रकाश श्यामसुन्दर अग्रवाल	महसाना	0.66
14. मै० वेकमैन्स प्रा० लि०	जूनागढ़	0.66
15. सर्वश्री एस० के० गांधी और आर० बी० गांधी	बांसकंठा	0.66
16. श्री एल० टी० वबासली	—वही—	0.66
17. श्री हंसमुख विनोद	— वही—	0.66
18. राधाकृष्णन सीमेंट्स लि०	—वही—	0.66
19. कामदम सीमेंट्स प्रा० लि०	जूनागढ़	0.66
20. अमीरगढ़ सीमेंट्स	बांसकंठा	0.66
21. मार्बेल फेयर्स	अमरेली	0.66
22. जुपीटर सीमेंट्स	जामनगर	0.66
तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत		
1. पी० एच० पी० सीमेंट्स इण्डस्ट्रीज	भावनगर	0.27
2. मै० कच्छ सीमेंट्स (प्रा०) लि०	कच्छ	0.21
3. मै० गिरनार सीमेंट कं० (प्रा०) लि०	जूनागढ़	0.30
4. मै० स्वास्तिक सीमेंट कं० (प्रा०) लि०	जूनागढ़	0.30
5. मै० गुजरात सीमेंट (पी० एस० शाह)	भावनगर	0.50
6. सुदीन सीमेंट्स (प्रा०) लि०	सुरेन्द्र नगर	0.30
7. मै० जे० के० सीमेंट (प्रा०) लि०	कच्छ	0.10
8. मै० स्वामी नारायण सीमेंट	कच्छ	0.10
9. मै० रूपारेल सीमेंट (प्रा०) लि०	भावनगर	0.30
10. मै० अजमीरा सीमेंट्स (प्रा०) लि०,	जूनागढ़	0.30
11. मै० पटेल एण्ड लालका सीमेंट	कच्छ	0.11
12. मै० एच० रामचन्द्र सीमेंट (प्रा०) लि०	कच्छ	0.11

1	2	3
13. डा० गोपाल भाई मेहजी भाई पटेल गोंडल	जूनागढ़	0.30
14. मै० दोषी सीमेंट (प्रा०) लि०	राजकोट	0.30
15. मै० गाला सीमेंट (प्रा०) लि०	कच्छ	0.11
16. मै० स्टार सीमेंट वर्क्स	कच्छ	0.15
17. द्वारकाधीश सीमेंट इण्डस्ट्रीज	जूनागढ़	0.12
मध्य प्रदेश		
1. **बड़े एकक**		
1. सीमेंट कार० आफ इण्डिया	अकलतरा (प्र०वि०)	5.00
2. —वही—	नीमच (प्र० वि०)	10.00
3. बिरला जूट एण्ड इण्डस्ट्रीज	सतना (प्र०वि०)	2.00
4. ए० सी० सी० लिमिटेड	जामुल (प्र०वि०)	2.00
5. ग्वालियर रेयन	मांढर	5.00
6. रेमण्ड वूलन मिल्स	जनगीर (प्र०वि०)	5.00
7. ए० सी० सी० लिमिटेड	जबलपुर	10.00
8. मोदी सीमेंट्स	रायपुर	9.00
9. जे० पी० रीवा	रीवा	10.00
10. मैसूर सीमेंट्स	दमोह (प्र० वि०)	4.75
11. हैदराबाद एस्बेस्ट्स	सतना	9.00
12. स्टैंडर्ड मिल्स कं०	रायपुर	10.40
13. जे० के० सिन्थेटिक्स	सीधी	10.00
14. भारत कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज	रायपुर	5.00
मिनी (लघु)		
15. श्री राधा हनुमान सिंह	बालाघाट	0.66
16. श्री एस० के० खैतान	दमोह	0.66

1	2	3
17. एम० पी० स्टेट इण्ड० कार० लि०	बालाघाट	0.66
18. धार सीमेंट	धार	0.66
19. भारत फूड इण्डिया लि०	सीधी	0.66
3. तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकृत :		
20. मैं० कलकत्ता प्रॉडक्ट्स (प्रा०) लि०	रायगढ़	0.33
21. मैं० अविनाश सीमेंट	दमोह	0.33
22. मैं० ग्वालियर सीमेंट कं०	शिवपुरी	0.30
23. मैं० क्वालिटी सीमेंट इण्ड०लि०	नरसिंहपुर	0.30
24. मैं० गंधारी सीमेंट मैन्यु० कंपनी	धार	0.33
25. श्री एस० एल० पोद्दार	धार	0.30
26. श्री रामजीदास शर्मा	धार	0.30
27. श्री राजेश कुमार अग्रवाल	धार	0.36
28. श्री अखिलेष जैन	धार	0.30
29. श्री एस० जसवन्त सिंह	धार	0.33
30. श्री मैं० बन्दना सीमेंट कं० (प्रा०) लि०	धार	0.30
31. मैं० वरुण सीमेंट (प्रा०) लि०	धार	0.30
32. श्रीमती सदाना अग्रवाल	धार	0.30
33. श्री नरेन्द्र पाठक	नरसिंहपुर	0.33
34. श्री बजरंग सीमेंट (प्रा०) लि०	बस्तर	0.33
35. रुद्र सीमेंट कं०	बस्तर	0.33
36. सुविधा कर्मशियल कं० (प्रा०) लि०	धार	0.33
37. श्री प्रकाश चन्द एम० पी० सीमेंट (प्रा०) लि०	बालाघाट	0.33
38. श्री टीकमदास नानी वाड़ी	धार	0.33
39. श्री डी० एस० गिल मैं० शमा बेगिन वाल्वस लि०	बालाघाट	0.33

1	2	3
40. श्री आर० के० बजाज (बुंदेलखंड सीमेंट)	दामोह	0.165
41. श्री ब्रजमोहन अग्रवाल	रायगढ़	0.33
42. श्री विनोद कुमार अग्रवाल	बालाघाट	0.33
43. श्री जी० एस० चरना	धार	0.33
44. श्री सुन्दरलाल शास्त्री	दामोह	0.33
45. श्री रामशरण अग्रवाल	रायगढ़	0.30
46. श्री मनोहर देव	धार	0.66
47. श्री शालिग्राम परीटा	बालाघाट	0.33
48. श्री बेरूलाल राठी	धार	0.33
49. श्री अनिल कौर मलिक	धार	0.165
50. मैं० पोलीपोट सीमेंट (प्रा०) लि०	धार	0.33
51. मैं० एम० पी० स्टेट एण्ड इण्डस्ट्रीज कार०	धार	0.33
52. श्री विराज के० मिश्र	पन्ना	0.33
53. श्री वी० विजयन	भिंड	0.165
उड़ीसा		
1. **बड़े एकक**		
1. इण्ड० डेवलपमेंट कार० ऑफ उड़ीसा	बारगढ़ (प्र० वि०)	1.65
2. हिन्दुस्तान स्टील लि०	चिलहाटी/एम० पी० राउरकेला	21.40
3. इण्डस्ट्रियल डेव० कार० ऑफ इण्डिया उड़ीसा	संभलपुर (प्र० वि०)	4.35
मिनी		
4. इण्ड० प्रमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कार० लि०	कोरापुट	0.66
5. आई० पी० आई०-एस० पी० सीमेंट कं० लि०	सुन्दरगढ़	0.66

1	2	3
3. तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकृत		
6. श्री हरूदानन्द बिसवाल	कोरापुट	0.30
7. दि उड़ीसा माइनिंग कार० लि०	कोरापुट	0.33
8. श्री अमर चन्द शर्मा	बोलनगीर	0.33
प्र० वि०=पर्याप्त विस्तार		

अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

4772. **श्री राम समुझावन†** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 20 उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिनकी पहचान पहले ही अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के रूप में कर ली गई है; और

(ख) पर्यावरण की स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से संबंधित उद्योगों की स्थापना की मंजूरी देने तथा वर्तमान उद्योगों की कार्य प्रणाली को नियमित करने के लिए क्या विशेष शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-एक में दी गई है।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-दो में दी गई है।

विवरण-एक

1. प्राथमिक धातुकर्मी उत्पादन उद्योग अर्थात् जस्ता, सीसा, तांबा, एल्यूमिनियम और इस्पात।
2. कागज, लुग्दी और अखबारी कागज।
3. कीटनाशी/कीटाणुनाशी।
4. रिफाइनरी (तेल शोधक कारखाने)।
5. उर्वरक।
6. पेन्ट।
7. रंजक पदार्थ।
8. चमड़ा कमाना।

9. रेयन।

10. सोडियम पोटाशियम साइनाईड।

11. आधारभूत औषधियां।

12. ढुलाई कारखाने (फाउण्ड्री)।

13. स्टोरेज बैटरीज (सीसा एसिड टाइप)।

14. एसिड/अल्कालीज।

15. प्लास्टिक।

16. रबड़ संश्लिष्ट।

17. सीमेंट।

18. एस्बेस्टस।

19. किण्वक उद्योग।

20. इलैक्ट्रो-प्लेटिंग उद्योग।

विवरण-दो

औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना करने के लिए जारी किए गए आशयपत्रों में निम्नलिखित शर्तें समाविष्ट की गई हैं :—

"वायु, जल और भूमि प्रदूषण रोकने के लिए सरकार की संतुष्टि हेतु पर्याप्त अभ्युपाय किए जायेंगे। इसके अलावा, प्रदूषण निवारण के लिए किए जाने वाले अभ्युपाय उस राज्य सरकार में लागू बाध्य स्राव और उत्सर्जन मानकों के अनुरूप होने चाहिएं और जिसमें औद्योगिक उपक्रम कारखाना स्थित हो।"

सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि अधिक प्रदूषण करने वाले 20 उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित शर्तों के पूरा हो जाने के बाद ही आशयपत्रों को औद्योगिक लाइसैंसों में परिवर्तित किया जाएगा।

1. राज्य के उद्योग निदेशक यह पुष्टि कर दें कि परियोजना स्थल को सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा पर्यावरण सम्बन्धी दृष्टिकोण से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

2. उद्यमी ने राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों को यह वचन दिया है कि वह प्रदूषण की रोकथाम और नियन्त्रण के लिए उपयुक्त उपकरण लगाएगा तथा निर्धारित अभ्युपायों को कार्यान्वित करेगा।

3. संबंधित राज्य के प्रदूषण बोर्ड ने यह प्रमाणित कर दिया है कि प्रस्ताव से पर्यावरण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं और यह कि अधिष्ठापित अथवा अधिष्ठापित किए जाने वाले उपकरण आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और अनुरूप हैं।

रासायनिक संयंत्र की स्थापना

4773. **श्री आनन्द सिंह** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जाइक्रोनियम क्लोराइड, टिटेनियम आक्साइड जैसे अधिक "अर्थ" रसायन तथा अधिक "अर्थ" पदार्थों के इस्तेमाल पर आधारित टिटेनियम, एल्युमीनियम सिलसेन अलायज की विभिन्न किस्मों के उत्पादन के लिए एक रसायन संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) अनुमानतः माननीय सदस्य रेयर अर्थ कैमिकल्स के उत्पादन के लिए उड़ीसा में रसायन संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में सूचना चाहते हैं। मैसर्स इण्डियन रेयर अर्थ्स लि०, एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम, उड़ीसा के गंजम जिले के छत्तरपुर में एक मिनरल सैंड कम्पलेक्स (ओ० एस० सी० ओ० एम० परियोजना) स्थापित कर रखा है, जिसमें निम्नलिखित खनिज उत्पादित किए जाएंगे :—

(क) रुटाइल, (ख) इलमेनाइट, (ग) जिरकोन, (घ) मोनाजाइड, (ङ) सिलेमेनाइट, (च) सिन्थैटिक स्टाइल, (छ) हिटोवस।

उपर्युक्त के अतिरिक्त मैसर्स रिलायन्स स्टील लि० को उड़ीसा में गंजम जिले के छत्तरपुर में टिटेनियम डायोक्साइड के उत्पादन के लिये अक्तूबर, 1982 में एक आशयपत्र जारी किया गया है।

राज्य सरकार से ऐसा दूसरा संयंत्र स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्था द्वारा चूना पलस्तर के उपयोग के बारे में गोष्ठी

4774. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्र की आवास योजनाओं के लिए सीमेंट के मुख्य विकल्प के रूप में चूने के उपयोग हेतु जैसा कि शताब्दियों पहले कुतुब मीनार, चित्तौड़ में विक्टरी टावर और मदुराई में मीनाक्षी मन्दिर जैसी इमारतों के निर्माण में उपयोग किया जाता है; कोई प्रयास अथवा अनुसन्धान किये हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई तकनीकी विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है;

(ग) क्या भारतीय सीमेंट अनुसंधान संगठन द्वारा हाल ही में आयोजित तीन दिवसीय गोष्ठी में इस मामले पर चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) आवास की योजनाओं में सीमेंट के स्थान पर चूने और अन्य वैकल्पिक सामग्री के उपयोग के सम्बन्ध में अनुसंधान करना एक सतत प्रक्रिया है और सीमेंट तथा भवन निर्माण सामग्री सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद् (जो अभी हाल तक भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान के नाम से जानी जाती थी) इस उद्देश्य के लिए अनुसंधान और विकास के प्रयास करने में लगी हुई है।

(ख) निर्माण कार्यों में चूने/पोज़ोलाना सीमेंट के उपयोग के सम्बन्ध में तकनीकी आर्थिक अध्ययन आरम्भ करने के लिए मार्च, 1982 में सरकार द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई थी।

(ग) और (घ) औद्योगिक अपशिष्टों के साथ चूने के उपयोग पर चर्चा करने के लिए सीमेंट तथा भवन-निर्माण सामग्री सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद् द्वारा मार्च, 1985 में अपशिष्टों को सम्पदा में बदलने में भवन निर्माण सामग्री उद्योगों की भूमिका के बारे में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। गोष्ठी में अन्य विषयों के साथ-साथ शामिल किए गए विषयों में भवन निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपलब्ध कृषि और औद्योगिक अपशिष्टों का उपयोग करके सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त राष्ट्रीय कार्यनीतियों और निर्देशों की रूपरेखा तैयार करनी थी। गोष्ठी में भवन निर्माण सामग्री तैयार करने के लिए कागज, चीनी, उर्वरक तथा अन्य रसायन उद्योगों से चूना स्लज अपशिष्टों के उपयोग पर भी चर्चा की गई थी।

ग्रामीण/उप-नगरीय क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज का निर्माण

4775. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए भवनों का निर्माण करने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी संक्षिप्त रूप-रेखा क्या है और उन टेलीफोन एक्सचेंजों की सर्कल-वार (बहु-राज्यीय परिमण्डलों की राज्य-वार) संख्या कितनी है जिनके विभागीय भवन हैं;

(ग) क्या ग्रामीण/उप-नगरीय क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए उपयुक्त भवनों का निर्माण करने हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोई व्यापक कार्यक्रम रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो उसकी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने इसमें ग्रामीण/उप-नगरीय क्षेत्रों को शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी, हां। भवन कार्यक्रम केवल एम० ए० एक्स०-I टाइप के बड़े टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए ही तैयार किया जाता है जिसके लिए दूरसंचार विभाग की विशिष्ट तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशेष प्रकार के भवन का

निर्माण करना आवश्यक है। छोटे एक्सचेंज, जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैं, उचित किराये के भवनों में स्थापित किए जाते हैं।

(ख) सर्किलवार टेलीफोन एक्सचेंज (बहु-राज्य सर्किलों के मामले में राज्यवार) जो विभागीय भवनों में स्थापित हैं, उनकी संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जहां तक सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए उपयुक्त भवन के निर्माण की प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई है। प्रत्येक राज्य में कितने भवनों का निर्माण किया जाएगा, इसकी जानकारी हमारी मांगों पर अन्तिम निर्णय लेने के बाद ही हो सकेगी।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सामान्यतः छोटे एक्सचेंजों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है, जो मैनुअल अथवा स्वचल एक्सचेंज होते हैं। उन स्थानों को छोड़कर जहां विभागीय भवन पहले से उपलब्ध हैं, इन एक्सचेंजों को किराए के भवनों में स्थापित किया जाता है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	31-3-85 को विभागीय भवनों में टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	299
2.	बिहार	34
3.	गुजरात	33
4.	जम्मू एवं कश्मीर	17
5.	कर्नाटक	142
6.	केरल	87
7.	मध्य प्रदेश	93
8.	महाराष्ट्र	45
9.	असम	35
10.	मणिपुर	17
11.	मेघालय	18
12.	नागालैंड	24
13.	त्रिपुरा	21
14.	हरियाणा	22
15.	हिमाचल प्रदेश	13

1	2	3
16.	पंजाब	22
17.	उड़ीसा	20
18.	राजस्थान	34
19.	तमिलनाडु	164
20.	उत्तर प्रदेश	173
21.	पश्चिम बंगाल	35
22.	सिक्किम	2

पटना में गैस सिलेन्डरों की सप्लाई

[हिन्दी]

4776. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में, शहर की जनसंख्या के अनुपात में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों की सप्लाई करने वाले डीलरों की संख्या पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या गैस सिलेण्डर की सप्लाई न होने के बारे में समय-समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से शिकायतें की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा): (क) हालांकि किसी भी शहर में एल० पी० जी० के वितरकों की संख्या उस शहर की जनसंख्या के हिसाब से निर्धारित नहीं की जाती फिर भी वितरणशिप की आर्थिक व्यवहार्यता का अनुमान लगाते समय जनसंख्या को हिसाब में लिया जाता है। तेल उद्योग द्वारा अपनी वार्षिक विपणन आयोजनाओं में चरणबद्ध रूप से पटना में और वितरणशिप खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) समय-समय पर पटना सहित देश के विभिन्न बाजारों में एल० पी० जी० की कम सप्लाई के बारे में समाचार पत्रों में छपता रहता है। तेल उद्योग द्वारा इन कमियों को दूर करने के लिए विकल्प साधनों से पूर्ति तथा अन्य आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

उड़ीसा में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

[अनुवाद]

4777. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में 50 प्रतिशत से अधिक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खराब रहते हैं जिसके परिणामस्वरूप विभाग को भारी घाटा होता है ?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उन्हें सुधारने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उन पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है।

कागज उद्योग का विकास

4778. **श्री के० प्रधानी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कागज उद्योग की समस्याओं का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो कागज उद्योग को किन-किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) सरकार द्वारा कागज उद्योग का और विकास करने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां।

(ख) उद्योग की प्रमुख कठिनाइयां बढ़ती हुई निवेश आवश्यकताओं, कच्ची सामग्री की आपूर्ति में कमी, निविष्ट लागत में वृद्धि, कोयला और बिजली जैसी आवश्यक निविष्टियों की उपलब्धता, तथा आधुनिकीकरण एवं पुनरुज्जीवन से सम्बन्धित हैं।

(ग) उपयुक्त उपचारात्मक अभ्युपाय करते समय उद्योग, सरकार वित्तीय संस्थाओं और अन्य सम्बद्ध अधिकरणों द्वारा कागज उद्योग की कठिनाइओं को ध्यान में रखा जाता है। कच्ची सामग्री का अधिकाधिक किफायती रूप से उपयोग करने अधिक उत्पादन ऊर्जा खपत में कमी करने गुणवत्ता में सुधार करने प्रदूषण नियन्त्रण और अप्रचलनों से बचने की दृष्टि से कुछ एककों ने आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ाने सम्बन्धी कार्य शुरू किए हैं। कागज उद्योग को उत्पादन शुल्क में छूट देकर तथा आयातित कच्चे माल के लिए सीमा शुल्क कम करके/समाप्त करके एकमुश्त वार्षिक राहतें प्रदान की गई हैं। उद्योग को कोयले का आवंटन बढ़ाकर अवस्थापना सहायता में भी सुधार किया गया है।

दिल्ली छावनी के असैनिक क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाना

4779. **श्री जी० भूपति** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी के असैनिक क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाने के कार्य का पहला चरण पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें अत्यधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) पहले चरण का कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है और दूसरे चरण का कार्य कब तक आरम्भ कर दिये जाने की सम्भावना है;

(घ) दूसरे चरण में किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया जायेगा; और

(ङ) दूसरे चरण का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सीवर लाइन बिछाने के कार्य का पहला चरण पूरा होने वाला है। केवल जमीन फिर से समतल बनाने और अन्य छोटे-छोटे कार्य पूरे किये जाने हैं।

(ग) कार्य पूरा हो जाने की सम्भावित तारीख 31 मई, 1985 है। दूसरे चरण का कार्य इसी वर्ष आरम्भ किए जाने की सम्भावना है।

(घ) दूसरे चरण में गोपीनाथ बाजार और नारायणा गांव को शामिल किया गया है।

(ङ) दूसरे चरण का कार्य, उसके आरम्भ होने से दो वर्षों के अन्दर पूरा होने की सम्भावना है।

दिल्ली छावनी बोर्ड में ऊपरी टंकियों (ओवरहैड टैंक) का निर्माण

4780. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा सदर बाजार तथा अन्य क्षेत्रों में ऊपरी टंकियों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी, नहीं। यह कार्य धन की कमी के कारण 1983-84 के दौरान आरम्भ नहीं हो सका। यह इस वर्ष आरम्भ किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एस० टी० डी० सेवा

[हिन्दी]

4781. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले और दिल्ली या अन्य बड़े शहर के बीच कोई एस० टी० डी० सम्पर्क नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार बाराबंकी से एस० टी० डी० सेवा उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध कर दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) इस समय बाराबंकी से न तो दिल्ली के लिए और न ही किसी अन्य बड़े शहर के लिए एस० टी० डी० की सुविधा है।

(ख) और (ग) जी हां, सातवीं योजना अवधि के दौरान बाराबंकी में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[नार्वे से डिजिटल टेलीफोन प्रणालियों का आयात

[अनुवाद]

4782. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्वे से कितने समेकित डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज प्रणालियों का आयात किया जा रहा है;

(ख) उन जिलों के नाम क्या हैं जहां उन्हें स्थापित किया जायेगा;

(ग) ऐसे जिलों का चयन करने सम्बन्धी मानदण्ड क्या हैं;

(घ) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले का चयन पहले ही कर लिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त जिले को क्यों छोड़ा गया था ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) नार्वे की शाही सरकार से वस्तु सहायता के बतौर चार अप्रधान क्षेत्रों के लिए लगभग 8 करोड़ रुपये लागत के उपस्कर आयात किए जा रहे हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इन्हें जिन जिलों में स्थापित किया जा रहा है उनके नाम इस प्रकार हैं :—

बाड़मेर	(राज०)
मथुरा	(उ० प्र०)
कोहिमा	(नागालैंड) तथा
नैनीताल	(उ० प्र०)

(ग) चयन का आधार ग्रामीण क्षेत्रों, जैसे पर्वतीय, रेगिस्तानी तथा पिछड़े क्षेत्रों की विशिष्टताओं पर आधारित था।

(घ) जी नहीं। नार्वे के उपस्कर का उपयोग करते हुए चालू की जाने वाली प्रस्तावित

योजना मे कृष्णा जिले को शामिल किया गया था।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	उपस्करण की किस्म उपकरण	मात्रा
1.	एम० सी० आर० एक्सचेंज	21
2.	आर० टी० एक्स (ट्रांजिट स्विच)	7
3.	ई० एंड एम० ए० यू० एक्स	39
4.	सब एम० यू० एक्स $\overline{X}$ रिमोट एम० यू० एक्स	27
5.	पी० सी० एम० लाइन टर्मिनल	18
6.	पी० सी० एम० रीजेनेरेटर	48
7.	500 एम० एच० जैड० रेडियो टर्मिनल	63
8.	2 जी० एच० जैड० रेडियो टर्मिनल	8
9.	पी० सी० एम० केबिल	89 कि० मी०

बांड और डिबेन्चर जारी करके टेलीफोन नेटवर्क का आधुनिकीकरण

4783. **श्री हरिहर सोरन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार बांड और डिबेन्चर जारी करके टेलीफोन नेटवर्क का आधुनिकीकरण करने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : दूर संचार विभाग के पास 7 वीं योजना के दौरान टेलीफोन नेटवर्क के विस्तार तथा उसके आधुनिकीकरण हेतु व्यापक योजनाएं हैं। योजना के लिए वित्त की व्यवस्था हेतु संसाधन जुटाने संबंधी प्रश्न पर दूर संचार विभाग अन्य संबंधित मंत्रालयों तथा योजना आयोग के साथ परामर्श कर रहा है। विचाराधीन मामलों में से एक मामला बांड जारी करने के सम्बन्ध में है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उल्लंघन के बारे में शिकायतें

4784. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को गत तीन वर्षों के दौरान अनुचित व्यापारिक व्यवहार तथा आर्थिक शक्तियों के संकेन्द्रण के दुरुपयोग की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है और उन शिकायतों का स्वरूप क्या है; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है तथा कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की जा चुकी है और कितनी शिकायतें अभी भी लंबित हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) तथा (ख) अनुचित व्यापार प्रथाओं से सम्बन्धित, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक अधिनियम की धारा 36 ख, दिनांक 1-8-1984 से प्रदत्त हुई। 1-8-84 से 31-12-84 की अवधि के दौरान, इस धारा के अन्तर्गत आने वाले तात्पर्य के 98 आरोप एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार को प्राप्त हुए। विस्तीर्ण रूप से प्रतियोगिताओं का आयोजन, उनको आपूर्ति न करने के आशय से मुफ्त दान देना, प्रभावकारिता का दावा लक्षण एवं सम्बन्धन, जो उत्पादनों में नहीं थे, आदि की प्रकृति के आरोप लगाये गये थे। सभी 46 आरोपों में जांच कराना उचित समझा गया। 8 मामलों में उचित आदेश पारित कर दिए गए हैं।

आर्थिक शक्ति के संकेद्रण के दुरुपयोग से सम्बन्धित शिकायतों के विषय में, प्रकल्पना की जाती है कि माननीय सदस्य का आशय एकाधिकारिक व्यापार प्रथाओं के सम्बन्ध में शिकायतों के ब्यौरों को सुनिश्चित करना है। पिछले 3 वर्षों की अवधि में आयोग को एकाधिकारिक व्यापार प्रथा से सम्बन्धित एक शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत का आरोप, आपूर्ति और निपटान महानिदेशक द्वारा प्राप्त सुरक्षा आपूर्ति के सम्बन्ध में अनुचित ऊंची कीमत था/अतिशय रूप में 1984 में आपूर्तिकर्ता द्वारा उल्लिखित कीमत वर्ष 1981 में उसके द्वारा उल्लिखित कीमत की अपेक्षा 33 प्रतिशत ऊंची थी, यद्यपि, लागत आदि की वृद्धि में इस प्रकार से ऊंची कीमत लेने का कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया। आयोग ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 10 (ख) के अन्तर्गत जांच सम्पन्न करने के उद्देश्य के लिए प्राथमिक जांच का आदेश दिया है। प्राथमिक जांच की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

शुल्क में रियायत प्राप्त इंटरमीडिएट्स से औषधियों का उत्पादन

4785. श्री सिद्ध लाल खुरमू : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बजट में सूचीबद्ध औषधि इंटरमीडिएट्स जिन पर शुल्क में रियायत दी गई है, कि कितनी मात्रा का गत वर्ष आयात किया गया और उनका मूल्य कितना था;

(ख) इन इंटरमीडिएट्स से बनाई जाने वाली अंतिम औषधियों के नाम क्या हैं और ये अन्तिम औषधियां बनाने वाले यूनिटों के नाम क्या हैं; और

(ग) उक्त के परिणामस्वरूप उपभोक्ता को प्रति पैकेट कितने मूल्य का लाभ मिलेगा ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) औषध मध्यवर्तियों के नाम, बजट में प्रदान की गई शुल्क रियायत की मात्रा, औषधों के नाम जिनमें उनका प्रयोग होता है तथा यथा उपलब्ध निर्माताओं के नाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) उपभोक्ताओं को पहुंचने वाले लाभ की मात्रा सुनिश्चित करना कठिन है। तथापि, रियायतों से औषधों की उपलब्धता में सुधार होने की आशा की जाती है।

विवरण

क्रमांक	मध्यवर्ती का नाम	बजट में प्रदान की गई रियायतें	मुख्य प्रपुंज औषध जिसके लिए मध्यवर्ती का प्रयोग होता है।	प्रपुंज औषध के निर्माता का नाम
1.	गुनिडाइन एच० सी०एल०	प्रतिकर शुल्क हटा दिया गया है।	ट्राइमेथोप्रिम	बुरोज वेलकम, सिपला जर्मन रिमेडीज, फेयर डील कार्पो०और अन्य कई इकाइयां
2.	डी०पेन्टा लेक्ट्रोन डीएल०पेन्टा लेक्टोन	-वही-	पेन्टोथीनेट	किसी भी एकक ने उत्पादन आरम्भ नहीं किया।
3.	2-अमीनो थियोजोल	-वही-	पेथेलाइल सल्फाथियाजोल	आई० डी०पी० एल०, मे एण्ड बेकर
4.	पिपराजाइन हेक्सा-हाइड्रेट	-वही-	पिपराजाइन और इसके लवण	आई० डी० पी० एल० और अन्य कई इकाइयां
5.	डिथाइल कार्बा-माइन क्लोराइड	-वही-	डिथाइल कार्बा माजाइन सिट्रेट	बुरोज वेलकम यूनासूसीबी और आई० डी० पी० एल०
6.	3-अमीनो ओक्सालि-डोन सल्फेट	-वही-	प्युराजोलिडीन	मैं० चेमवेल
7.	डी० एल०-एलानीन	-वही	विटामिन बी-6	आई० डी० पी० एल०
8.	रिफाम्पिसिन एस० 3-फोरमाइन रिफा-म्पिसिन एस० वी० 1 अमीनो 4-मिथा-इल पिपराजाइन	सीमाकर शुल्क घटाकर 0 प्रति-शत कर दिया गया है।	रिपाम्पिसिन	उत्पादन अभी आरम्भ किया जाना है।

केरल में वायनाड जिले के लिए डाक मंडल

4786. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में वायनाड जिले के लिए एक पृथक डाक मंडल स्थापित

करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मंडल कब तक स्थापित किया जाएगा।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में गैस एजेंसियां और पेट्रोल पम्प खोलना

[हिन्दी]

4787. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में गैस-एजेन्सियां और पेट्रोल पम्प खोलने के कोई प्रस्ताव या मांग सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गैस एजेन्सियों और पेट्रोल पम्पों के आबंटन के लिए इस समय क्या मानदंड अपनाये जा रहे हैं; और

(घ) मन्त्रालय द्वारा कोई इंटरव्यू लिये बिना कितने लोगों को गैस एजेन्सियों का आबंटन किया गया है तथा उनका पूर्ण विवरण क्या है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) हिमाचल प्रदेश में तेल उद्योग द्वारा प्रस्तावित खोले जाने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों/एल० पी० जी० डीलरशिप/वितरणशील की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) खुदरा बिक्री केन्द्रों/एल० पी० जी० वितरणशिप के लिए स्थानों को चुनने के बाद इनकी डीलरशिप/वितरणशिप देने के लिए विपणन आयोजनाओं में शामिल किया जाता है। इसके बाद सम्बन्धित तेल कम्पनियां उस क्षेत्र के मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन मांगती हैं। उस विशिष्ट विज्ञापन के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों को छांटा जाता है तथा पात्र व्यक्तियों की इंटरव्यू लेने के लिए बनाए गए तेल चयन बोर्ड को भेजा जाता है। तेल चयन बोर्ड के पेनल अनुमोदन के बाद संबंधित तेल कम्पनी आशय-पत्र जारी करती है।

(घ) इस प्रकार दी गई एल० पी० जी० वितरणशिपों का विवरण इस प्रकार है।

क्रम सं०	नाम	स्थान
1	2	3
1.	श्रीमती बिमला महाजन	शिमला
2.	एच० पी० खाद्य एवं नगर आपूर्ति निगम	रामपुर-बाशर

1	2	3
3.	एच० पी० खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम	केलोंग
4.	एच० पी० खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम	ध्योग
5.	एच० पी० खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम	पूह

विवरण

रिटेल आउलेट (आर० ओ०) स्थान

1. पनार्सा
2. घाल्ली
3. गागल
4. वीर वंगातू
5. बंगाली/लाथीयानी
6. बारारी
7. राम शाहर
8. सिरकाघाट
9. कलाम्ब
10. देनीखेत
11. रूहरू (आरम्भ हो गया है)
12. बिलासपुर (आरम्भ हो गया है)
13. धुमारवीन
14. राजघर
15. स्वरघाट
16. करसोग

एल० पी० जी० स्थान

1. ऊना
2. पालमपुर

3. सुन्दर नगर
4. शिमला (3 स्थान)
5. धर्मशाला (आरम्भ हो गया है)
6. सोलन
7. कसौली

बी० एन० सी० मिल्स राजनन्द गांव से मच्छरदानियों की खरीद

[अनुवाद]

4788. **श्री शिवेन्द्र बहादुरसिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा विभाग बी० एन० सी० मिल्स, राजनन्दगांव से मच्छरदानियां खरीदता है;

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य की खरीद की गई है; और

(ग) क्या मूल्य बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) बी० एन० सी० मिल्स, राजनन्द गांव से सीधे मच्छरदानियों की कोई भी खरीद नहीं की गई। सेनाओं द्वारा भेजी गई मांग पर आयुद्ध निर्माणियां मच्छरदानियों का निर्माण करती हैं। ये निर्माणियां मच्छरदानियां बनाने के लिए अपेक्षित जाल पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय नामक केन्द्रीय खरीद एजेन्सी के माध्यम से खरीदती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न ही नहीं उठते।

कीटनाशकों पर मूल्य नियंत्रण

4789. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि आंध्र प्रदेश में कुछ बहुराष्ट्रिक फर्में अपने उत्पादों को निम्न प्रकार से बेच रही हैं;

कैप्टन 50 डब्ल्यू० पी०
मीट्रिक टन 60,000 रुपये से 90,000
कोर्बेन्डोजिन 50 डब्ल्यू० पी०
मीट्रिक टन 2,10,000 रुपये से 3,40,000
जिनाब 75 डब्ल्यू० पी०
मीट्रिक टन 38,000 रुपये से 54,000
डायाजिनेम 20 ई० सी०

59.60 रुपये से 96.00 लिटर

देष्टाक्लोर 20 ई०सी०

49.90 रुपये से 72.00 रुपये लिटर

मोनोक्रोटोफोस

105.00 रुपये-164.00 रुपये लिटर

(ख) उपर्युक्त पदार्थों का कारोबार करने वाली बहुराष्ट्रिक फर्मों के नाम क्या हैं जिनके पास प्रोपाइटरी अधिकार हैं और उनके ट्रेड नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार व्यापार क्षेत्र द्वारा खेतिहर समुदाय के शोषण को रोकने हेतु पौधों का बचाव करने वाले उपर्युक्त रसायनों पर सांविधिक मूल्य नियंत्रण लागू करने का है जैसा कि उर्वरकों के मामले में किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) कीट नाशियों पर कोई सांविधिक मूल्य नियंत्रण नहीं है और जिन मूल्यों पर कीटनाशियों को बेचा जाता है उन पर निगरानी नहीं रखी जाती।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार उल्लिखित उत्पादों में से केवल दो, अर्थात् कार्बेन्डेनजिम टैक तथा जीनेब टैक का फैरा कम्पनियों अर्थात् मै० बास्प इंडिया लि० और मैसर्स इण्डोफिल कैमिकल्स लि०, द्वारा उत्पादन किया जा रहा है और उनका विपणन क्रमश: वेविस्टिन तथा जीनेब जेड-78 के ब्रैन्ड नामों से किया जा रहा है।

(ग) और (घ) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो से टेकनिकल ग्रेड पेस्टीसाइड्ड/पेस्टीसाइड् फार्मूलेशनों के लागत मूल्य ढांचे का अध्ययन करने को कहा गया है। कीटनाशियों पर कोई सांविधिक मूल्य नियंत्रण लगाने से संबंधित मामले पर रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जायेगा।

पोर्टलैंड सीमेंट की तुलना में स्लैग सीमेंट का उत्पादन और बिक्री मूल्य

4790. श्री नारायण चौबे : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी क्षेत्र में कितने कारखाने स्लैग सीमेंट का उत्पादन करते हैं, उनके नाम क्या हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) वर्ष 1966-67, 1976-77 और 1983-84 में स्लैग सीमेंट और पोर्टलैंड सीमेंट की प्रति टन उत्पादन लागत कितनी थी;

(ग) क्या दोनों किस्मों के सीमेंट के फैक्ट्री बाह्य बिक्री मूल्य समान हैं, यदि नहीं, तो उपरोक्त वर्षों में दोनों किस्मों के सीमेंट के क्रमश: बिक्री मूल्य क्या थे; और

(घ) क्या सरकार को विचार उप-भोक्ताओं को सस्ता सीमेंट सप्लाई करने के लिए राज्य

के स्वामित्व वाले इस्पात संयंत्रों से स्लैग लेकर सरकारी क्षेत्र में स्लैग सीमेंट का उत्पादन करने का है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) गैर-सरकारी क्षेत्र के जिन कारखानों ने 1984 में स्लैग सीमेंट का उत्पादन करने की सूचना दी है उनके ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1966-67 की सीमेंट के उत्पादन की लागत उपलब्ध नहीं है, प्रशुल्क आयोग को 1974 की रिपोर्ट के अनुसार, 1972/1972-73 में खुली सीमेंट के उत्पादन की कारखाने से निकलते समय की वास्तविक लागत 69.71 रु० से 126.60 रु० प्रति मी० टन सीमेंट थी। प्रशुल्क आयोग ने अपनी 1974 की रिपोर्ट में बताया था कि चूंकि पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट के लिए कोई अलग मूल्य नहीं रखा गया है, अतः उनके द्वारा निकाली गई लागतों के विवरण में स्लैग सीमेंट की उत्पादन लागत भी सम्मिलित थी। वर्ष 1977/1977-78 में खुले सीमेंट की कारखाने से निकलते समय की उत्पादन लागत सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट के सम्बन्ध में 115.66 रु० से 187.15 रु० प्रति मी० टन और स्लैग सीमेंट के सम्बन्ध में 130.69 रुपये से 171.68 रु० प्रति मी० टन थी। सीमेंट उद्योग विकास समिति के अध्ययन किए गए वर्ष 1979-80/1980-81 के लागत संबंधी प्रोफाइल के अनुसार, खुली सीमेंट की कारखाने से निकलते समय की लागत सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट के सम्बन्ध में 169.4 रु० से 415.9 रु० तथा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के सम्बन्ध में 157.7 रु० से 317.7 रुपये था।

(ग) जी, हां। सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट तथा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट की दोनों ही किस्मों के लिए कारखाने से निकलते समय का संधारण मूल्य समान ही है।

(घ) सरकारी क्षेत्र में विद्यमान पांच सीमेंट कारखानों के अलावा सरकारी क्षेत्र में स्लैग सीमेंट के उत्पादन के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त योजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

क्र० सं०	सीमेंट कारखाने का नाम	स्थापना स्थल
1.	दामोदर सीमेंट एकडस्लैग लिमिटेड	मधुकुण्डा जिला पुरूलिया (प० बंगाल
2.	इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन उड़ीसा	बारगढ़ जिला सम्भलपुर (उड़ीसा)
3.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया	क्लिंकर तथा पार्ट ग्राइंडिंग, चिलहटी (म० प्र०) तथा ग्राइंडिंग राउरकेला (उड़ीसा)

विवरण

क्र० सं०	सीमेंट कारखाने का नाम	स्थापना-स्थल
1.	ए० सी० सी० लिमिटेड	चाईबासा जिला सिंहभूम (बिहार)
2.	वही	जामुल जिला दुर्ग (म० प्र०)
3.	वही	खलारी जिला रांची (बिहार)
4.	वही	सिन्दरी जिला धनबाद (बिहार)
5.	आन्ध्र सीमेंट कम्पनी लिमिटेड	विशाखापट्टनम (आ० प्र०)
6.	वही	नाडीकुडी (आ० प्र०)
7.	बगलकोट उद्योग लिमिटेड	बगल कोट जिला बीजापुर (कर्नाटक)
8.	कल्याणपुर लाइम एण्ड सीमेंट वर्क्स	बंजारी, जिला रोहतास (बिहार)
9.	उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड	राजगनपुर जिला सुन्दरगढ़ (उड़ीसा)
10.	सोन-वैली पोर्टलैंड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड	जापला जिला पालमऊ (बिहार)

1	2	3
11.	दुर्गापुर सीमेंट वर्क्स	दुर्गापुर, जिला बर्द्धवान (प० बंगाल)
12.	मैसूर सीमेंट लिमिटेड	अम्मासान्द्रा जिला टुमकुर (कर्नाटक)
13.	पनयम सीमेंट्स एण्ड मिनरल्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	बुगनीपल्ली (आ० प्र०) जिला कुरनुल

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उपकरणों की खरीद

4791. **श्री डी० वी० पाटिल** : क्या पैट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में जैकेट आदि जैसे उपकरणों के लिए मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई और न्हावा यार्ड न्हावा, क्रयादेश दिए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक उपकरण का ठेकागत मूल्य क्या है;

(घ) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के एफ० डी० एल० और न्हावा यार्ड को साज उपकरणो के लिए दिए गए कुछ क्रयादेशों को रद्द कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उपकरणों के विवरण और ऐसे आर्डरों के संविदा मूल्य निम्न प्रकार हैं जो मजगांव डॉक लिमिटेड को दिये गये हैं :

क्रम संख्या	उपकरण	संविदा मूल्य
1	2	3
1.	आर-12, प्लेयर-पाइल्स, डॉक, ब्रिज, मेन पाइल्स, एस० बी० एम० आदि	12.67 करोड़
2.	'एस० एच० डी०' के लिए एस० पी० एम०	6 करोड़

1	2	3
3.	एन० क्यू० जी० जैकेट, मुख्य पाइल्स पाइप लाइन आदि	45 करोड़
4.	प्रोसेस प्लेटफार्म	मूल्यों सम्बन्धी बातचीत चल रही है
5.	वैल-हैड तथा वाटर इंजेक्शन प्लेटफार्म	14.85 करोड़ (अनुमानित एकमुश्त लागत)
6.	मुख्य डॉक तथा हेली डॉक	4.08 करोड़ (अनुमानित एकमुश्त लागत)

(घ) जी, हां।

(ङ) जल अन्तःक्षेपण प्लेटफार्म नं० डब्लू० आई०-8, डब्लू० आई०-9, डब्लू० आई०-10 और कूप शीर्ष प्लेटफार्म एन०-3 के लिए मजगांव डॉक लिमिटेड को दिए गए आर्डर रद्द कर दिए गए क्योंकि मजगांव डॉक लिमिटेड डिलीवरी कार्यक्रम में चूक कर रहा था और विलम्ब से कच्चे तेल के उत्पादन पर प्रभाव हो सकता था।

सेन्ट्रल प्रूफ रेंज, इटारसी में कबाड़ एकत्र करते समय मारे गए लोग

[हिन्दी]

4792. **श्री बालकवि बैरागी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल प्रूफ रेंज, इटारसी में उसके आरम्भ के समय से अब तक कबाड़ एकत्र करते समय कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं;

(ख) इस क्षेत्र (रेंज) में कबाड़ एकत्र करने हेतु स्थापित की जाने वाली एजेंसी का नाम क्या है और कबाड़ एकत्र करने की मौजूदा व्यवस्था क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोली चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम 1938 में आवश्यक संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो उसमें कब संशोधन किया जायेगा;

(ङ) मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने हेतु क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं; इस रेंज में समुचित व्यवस्था किये जाने तक मुआवजे के रूप में वास्तव में कितनी धनराशि दी गयी है सरकार ने अब तक कितने परिवारों को मुआवजा दिया है और प्रत्येक परिवार को कितनी धनराशि दी गई तथा मृतकों के नाम क्या हैं; और

(च) देश में ऐसे कितने रेंज हैं और वे किन-किन राज्यों में स्थित हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) 1972 से अब तक 59 (उनसठ)।

(ख) इन क्षेत्रों से कबाड़ एकत्रित करना उचित नहीं समझा गया क्योंकि इससे इसको एकत्रित करने वाले लोगों की जान के लिए गम्भीर खतरा हो सकता है। इसलिए इसके लिए कोई एजेंसी बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार के पास, युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोली चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम 1938 को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) मध्य प्रदेश सरकार ने इस रेंज को "प्रतिबन्धित क्षेत्र" घोषित किया है जिसमें प्रवेश करना गैर-कानूनी और दण्डनीय है अतः प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता।

(च) इस समय देश में ऐसे तीन प्रूफ हैं :—

1. केन्द्रीय प्रूफ स्थापना, इटारसी, मध्य प्रदेश।

2. लांग प्रूफ रेंज, खमारिया, मध्य प्रदेश।

3. प्रूफ रेंज, बालासुर, उड़ीसा।

सशस्त्र सेना के लिए व्यय आकर्षण

[अनुवाद]

4793. श्री के० मोहन दास : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सशस्त्र सेना को अधिक आकर्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : सरकार द्वारा सेना कार्मिकों की सेवा शर्तों की लगातार समीक्षा की जाती रहती है ताकि सेनाओं की क्षमता और मनोबल में सुधार लाया जा सके और सैनिक सेवा अधिक आकर्षक बन सके।

(i) जनवरी, 1983 में सरकार ने 30 करोड़ रुपये की राशि के कई भत्ते और रियायतें मंजूर कीं। अब ब्रिगेडियर रैंक तक के अफसरों को मुफ्त राशन दिया जाता है।

(ii) 1984 में सरकार ने विशेष रूप से जूनियर कमीशन अफसरों और अन्य रैंकों की सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए 16.4 करोड़ रुपये की और रियायतें मंजूर की।

(iii) द्वितीय संवर्ग समीक्षा पूरी हो चुकी है और उसके सम्बन्ध में आदेश जारी किए जा चुके हैं। इससे कुल लगभग 14.63 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ा। इस प्रकार पिछले दो वर्षों से सशस्त्र सेनाओं की सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए 60 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की जा चुकी है।

(iv) सरकार द्वारा गठित चतुर्थ वेतन आयोग अन्य बातों के साथ-साथ सशस्त्र सेना कार्मिकों को उपलब्ध मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति लाभों सहित नकद और सामान के रूप में देय कुल लाभों को ध्यान में रखते हुए परिलब्धियों की वर्तमान संरचना की जांच करेगा

और उनकी सेवा शर्तों को ध्यान में रखते हुए उसमें ऐसे परिवर्तन करने का सुझाव देगा जो वांछनीय और व्यावहारिक हो।

मारुति कार के पुर्जों का भारतीयकरण

4794. श्री बृज मोहन महन्ती
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
श्री बाला साहिब विखे पाटिल } : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के नई दिल्ली स्थित राजदूत ने सरकार को इस देश में उनके सहयोग से निर्मित मारुति कार और वाहनों के पुर्जों के भारतीयकरण के विरुद्ध चेतावनी दी है; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ़ मोहम्मद खां) : (क) भारत में जापानी राजदूत ने यह वक्तव्य दिया है कि अगर सहायक हिस्से पुर्जों का तेजी से स्वदेशीकरण किया गया तो मारुति कार की क्वालिटी को नुकसान पहुंच सकता है।

(ख) मोटरगाड़ी सहायक उद्योग के आधुनिकीकरण तथा विस्तार की आवश्यकता के बारे में सरकार को मालूम है। इस उद्योग को अब गैर-एम० आर० टी० पी० एककों के लिए लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। वर्तमान एककों को आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पुणे में विषैली कीटनाशी दवा का निर्माण

4795. श्री धर्म पाल सिंह मलिक
श्री सी० माधव रेड्डी } : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि यूनियन कार्बाइड के श्रमिक पुणे में कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर उपयुक्त सुरक्षोपाय किए बिना विषैली कीटनाशी दवा का निर्माण कर रहे हैं;

(ख) क्या इससे पुणे के लोगों में यह आतंक पैदा हो गया है कि भोपाल जैसी दुर्घटना वहां भी घट सकती है; और

(ग) पुणे के लोगों के जीवन की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) से (ग) पुणे में स्थित एक एकक मै० कामधेनू पेस्टीसाइड्स जो 1974 से चालू है, को फार्मूलेशन सेविन का निर्माण करने के लिए इन्सेक्टीसाइड्स अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत लाइसेंस दिया गया था। यह एकक मै० यूनियन कार्बाइड इण्डिया लि० से कारबराईल तकनीकी प्राप्त करता है और यूनियन

कार्बाइड के स्टाफ की निगरानी में चाईना मिट्टी एवं अन्य फिलरों को मिलाकर इसका निर्माण करता है।

यह एकक तकनीकी माल, जिसके लिए एम० आई० सी० अपेक्षित है, का निर्माण नहीं करता है। इसकी प्रक्रिया एवं निर्माण में भी किसी जहरीली गैस का भण्डारण अथवा उपयोग अन्तर्ग्रस्त नहीं है और इसलिए पुणें में भोपाल जैसी त्रासदी की पुनरावृत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा आंकड़े इकट्ठे करना

4796. **श्री के० राममूर्ति** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंकड़े इकट्ठे करने तथा जिला/राज्य स्तर पर जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा इकट्ठे किए जा रहे आंकड़ों पर निगरानी रखने और उनकी अन्योन्य जांच करने के प्रयोजनार्थ समान परिभाषाएं अपनाई गई हैं जैसा कि छठी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन (पृष्ठ 58) में सुझाव दिया गया है;

(ख) क्या संवर्धक अभिकरण के रूप में जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यनिष्पादन का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ़ मोहम्मद खां) : (क) राज्यों का उत्तरदायित्व जिला उद्योग केन्द्रों के बारे में आंकड़े इकट्ठे करना, मानिटरिंग करना तथा आंकड़ों की दोहरी जांच (क्रास चेकिंग) करना है। इस उद्देश्य के लिए राज्यों के उद्योग निदेशालयों में मानिटरिंग प्रकोष्ठ स्थापित कर दिए गए हैं।

(ख) से (ग) जी, नहीं।

प्रधान डाकघर लखनऊ द्वारा जमा राशियों की प्रविष्टियों के बारे में शिकायतें

[हिन्दी]

4797. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ अधीक्षक, प्रधान डाकघर लखनऊ को इस आशय की शिकायतें मिली हैं, कि उप-शाखा डाकघरों में जमाकर्ताओं द्वारा विभिन्न बचत योजनाओं (संचयी सावधि जमा और आवर्ती जमा) के अन्तर्गत जमा की गई धनराशि के सम्बन्ध में प्रधान डाकघर द्वारा उनके (जमाकर्ताओं के) लेखे में प्रविष्टियां नहीं की जाती हैं जिसके कारण जमाकर्ताओं को धन को वापस लेते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान आवर्ती जमा/संचयी सावधि जमा खातों में बकाया राशियों में अन्तर से सम्बन्धित 23 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें से 10 शिकायतों को निपटाया जा चुका है और शेष 13 शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। दोषी कर्मचारी को मुअत्तिल कर दिया गया है।

उपभोक्ता वस्तु उद्योग में सहयोग के लिए विदेशी कम्पनियों को लाइसेंस

[अनुवाद]

4798. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी कम्पनियों को लाइसेंस दिए गए हैं तथा उन कम्पनियों का विवरण क्या है, जिन्हें ये लाइसेंस दिए गए हैं;

(ख) उन उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का ब्यौरा क्या है; जिनके मामले में गत तीन वर्षों में विदेशी सहयोग की अनुमति दी गई है तथा ऐसी विदेशी और भारतीय सहयोग कम्पनियों का विवरण क्या है जिनके मामले में गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी अनुमति प्रदान की गई है; और

(ग) ऐसे लाइसेंस अथवा ऐसे सहयोग की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ़ मोहम्मद खां) : (क) से (ख) सरकार ने 1982, 1983 और 1984 के दौरान क्रमश: 590, 673 और 752 विदेशी सहयोग प्रस्तावों की स्वीकृति दी है। स्वीकृति विदेशी सहयोग प्रस्तावों के विवरण अर्थात् भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोगी, विनिर्माण की वस्तु, सहयोग का स्वरूप भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उसके "मन्थली न्यूज लेटर" के परिशिष्ट के रूप में तिमाही आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं। प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप में संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

(ग) समझौतों पर स्वीकृति उत्पादन प्रौद्योगिकी, आयात प्रतिस्थापन और निर्यात सम्बर्द्धन के क्षेत्रों की आवश्यकताओं के आधार पर दी जाती है।

विभिन्न राज्यों में खादी ग्रामोद्योगों में काम कर रहे श्रमिक

4799. **श्रीमती फूलरेणु गुहा** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में खादी ग्रामोद्योग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितने श्रमिक काम कर रहे हैं;

(ख) उनमें कितनी महिलाएं हैं; और

(ग) प्रति व्यक्ति न्यूनतम और अधिकतम आमदनी क्या है तथा उनकी औसतन आय क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ़ मोहम्मद खां) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में रोजगार की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में समस्त रोजगार में महिलाओं का भाग 45 प्रतिशत है।

(ग) 1984-85 के दौरान, खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में अधिकतम प्रति व्यक्ति आय 100 रुपये थी। प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय 750 रुपये थी।

विवरण

1983-84 के दौरान विवरणवार और उद्योगवार रोजगार

(लाख व्यक्ति)

क्रम	राज्य और	खादी				कुल
सं०	संघ राज्य क्षेत्र	सूती	ऊनी	रेशम	मलमल	खादी
1	2	3	4	5	6	7
1 राज्य						
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.41	0.05	0.01	0.02	0.49
2.	असम	0.09	*	0.21	*	0.30
3.	बिहार	1.96	0.05	0.03	0.02	2.06
4.	गुजरात	0.71	0.02	*	—	0.73
5.	हरियाणा	0.19	0.05	—	—	0.24
6.	हिमाचल प्रदेश	0.01	0.07	*	—	0.08
7.	जम्मू और कश्मीर	0.02	0.21	—	—	0.23
8.	कर्नाटक	0.21	0.16	0.01	0.01	0.39
9.	केरल	0.15	—	*	0.19	0.34
10.	मध्य प्रदेश	0.08	0.07	*	—	0.15
11.	महाराष्ट्र	0.04	0.10	*	*	0.14
12.	मणिपुर	*	—	—	*	*
13.	मेघालय	—	—	—	—	—
14.	नागालैंड	*	—	*	—	*

1	2	3	4	5	6	7
15.	उड़ीसा	0.03	—	0.01	—	0.04
16.	पंजाब	0.45	0.12	—	—	0.57
17.	राजस्थान	0.53	0.87	—	—	1.40
18.	सिक्किम	*	*	—	—	*
19.	तमिड़नाडु	0.86	—	0.03	0.03	0.90
20.	त्रिपुरा	0.01	—	—	*	0.01
21,	उत्तर प्रदेश	4.69	0.3	*	—	5.05
22.	पश्चिम बंगाल	0.05	—	0.32	0.06	0.43
2 संघ राज्य क्षेत्र						
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
3.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—
4.	दादर और नगर हवेली	—	—	—	—	—
5.	दिल्ली	0.04	*	*	—	0.04
6.	गोवा, दमन और दिव	*	—	—		*
7.	मिजोरम	—	—	—	—	—
8.	पाण्डिचेरा	*	—	—	—	*
	योग 1+2	10.53	2.13	0.62	0.31	13.59

* 500 से कम

राज्य	पी०सी० पी० आई०	घानी का तेल	ग्रामीण चमड़ा	कुटीर माचिस	गुड़ और खांडसारी	ताड़ से गुड़	अखाद्य तेल और साबुन	हाथ से बना कागज	मधुमक्खी पालन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. आन्ध्र प्रदेश	0.02	0.05	0.08	0.02	0.04	0.73	0.28	*	0.06
2. असम	*	0.01	*	*	0.07	—	*	*	0.21
3. बिहार	0.06	0.12	0.08	*	0.09	0.01	*	*	0.17
4. गुजरात	0.04	*	0.01	*	0.13	0.01	0.01	*	*
5. हरियाणा	0.01	*	0.05	*	0.06	—	0.01	*	*
6. हिमाचल प्रदेश	0.02	0.01	0.02	*	*	—	0.02	*	0.03
7. जम्मू और काश्मीर	0.03	0.02	0.07	—	—	—	*	*	0.01
8. कर्नाटक	0.04	0.06	0.06	0.01	0.06	*	0.11	*	0.25
9. केरल	0.05	0.02	0.02	0.05	0.02	0.22	*	*	0.22
10. मध्य प्रदेश	0.01	0.01	0.05	*	*	*	0.12	*	0.01
11. महाराष्ट्र	0.09	0.10	0.42	*	*	0.01	0.02	0.01	0.02
12. मणिपुर	0.02	0.01	*	—	0.01	—	*	*	0.07
13. मेघालय	—	*	*	—	—	—	—	*	0.01
14. नागालैंड	*	*	*	*	*	—	—	—	0.02
15. उड़ीसा	0.03	0.01	0.01	*	0.04	0.07	0.41	*	0.20
16. पंजाब	0.02	*	0.07	*	0.05	—	0.02	*	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. राजस्थान	0·02	0.08	0.18	*	0.07	*	0.13	0.01	*
18. सिक्किम	—	—	*	—	—	—	—	*	*
19. तमिलनाडु	0.05	0.07	0.11	0.25	0.01	0.64	0.17	0.01	0.44
20. त्रिपुरा	0.06	*	*	—	0.01	*	—	—	0.02
21. उत्तर प्रदेश	0.03	0.07	0.31	0.01	0.67	0.02	0·07	0.02	0.03
22. पश्चिम बंगाल	0.02	0.01	0.06	*	0.01	0.06	0·02	*	0.15
संघ राज्य क्षेत्र									
1. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	*
2. चण्डीगढ़	—	—	*	—	—	—	—	—	*
3. दिल्ली	0.01	*	0.01	*	—	—	—	—	*
4. गोवा दमण और दिव	—	—	—	—	—	—	—	—	*
5. पाण्डिचेरी	—	—	*	—	—	*	*	*	*
अन्य संघ राज्य क्षेत्र		शून्य							

* 500 से कम

राज्य	ग्रामीण मिट्टी के बर्तन	रेशे	बढ़ई का काम और लुहारी का काम	चूना	गोबर गैस	वन के पौधे	चमड़ा	गोंद और रेसिन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आंध्र प्रदेश	0.15	0.06	0.32	0.08	0.01	0.18	—	0.30
2. असम	0.20	*	0.02	—	—	*	—	—
3. बिहार	0.06	0.03	0.09	0.01	0.02	*	*	*
4. गुजरात	0.07	—	0.02	0.01	0.02	—	—	—
5. हरियाणा	0.15	0.06	0.04	*	0.01	—	—	—
6. हिमाचल प्रदेश	0.03	0.09	0.03	0.01	—	0.04	—	*
7. जम्मू और कश्मीर	0.04	0.03	0.03	*	—	—	—	—
8. कर्नाटक	0.08	0.05	0.03	0.03	0.01	*	—	—
9. केरल	0.09	0.55	0.02	0.03	—	*	—	—
10. मध्य प्रदेश	0.07	0.01	0.03	0.01	—	*	—	—
11. महाराष्ट्र	0.65	0.16	0.45	0.02	0.03	0.32	—	0.51
12. मणिपुर	0.01	0.01	0.01	*	—	*	—	—
13. मेघालय	0.01	*	*	*	—	—	—	—
14. नागालैंड	*	—	0.01	*	—	—	—	—
15. उड़ीसा	0.03	0.09	0.02	0.01	—	0.01	*	*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. पंजाब	0.03	0.28	0.07	*	0.01	—	—	—
17. राजस्थान	0.17	0.19	0.08	0.04	—	—	—	*
18. सिक्किम	*	*	*	—	—	—	—	—
19. तमिल नाडु	0.29	0.13	0.15	0.07	0.01	*	—	—
20. त्रिपुरा	0.03	—	0.02	—	—	—	—	—
21. उत्तर प्रदेश	0.14	0.12	0.14	0.07	0.02	0.01	*	0.01
22. पश्चिम बंगाल	0.06	0.01	00.2	0.02	—	—	0.01	—
संघ राज्य क्षेत्र								
1. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
2. चण्डीगढ़	*	—	0.01	—	—	—	—	—
3. दिल्ली	00.1	—	*	*	—	—	—	—
4. गोवा दमण व द्विव	—	0.01	*	*	—	—	—	—
5. पाण्डिचेरी	*	—	*	*	—	—	—	—
अन्य संघ राज्य क्षेत्र शून्य								

* 500 से कम

राज्य	कथा	फलों का संसाधन	बांस और बेंत	एल्यूमिनियम	पोली वस्त्र	कुल ग्रामोद्योग खादी	कुल जोड़ और ग्रामोद्योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	—	0.01	0.04	—	*	2.43	2.97
2. असम	—	*	0.01	—	0.01	0.53	0.83
3. बिहार	—	*	0.01	—	*	0.75	2.81
4. गुजरात	—	*	0.02	—	0.01	0.35	1.08
5. हरियाणा	—	*	*	*	—	0.39	0.63
6. हिमाचल प्रदेश	0.08	0.01	0.01	—	—	0.40	0.48
7. जम्मू और काश्मीर	—	*	0.06	—	—	1.29	0.52
8. कर्नाटक	—	*	0.01	*	*	0.80	1.19
9. केरल	—	*	0.05	—	0.01	1.35	1.69
10. मध्य प्रदेश	—	—	0.02	—	*	0.34	0.49
11. महाराष्ट्र	0.01	0.02	0.16	*	*	3.00	3.14
12. मणिपुर	—	—	0.02	—	—	0.16	0.16
13. मेघालय	—	—	*	—	—	0.02	0.02
14. नागालैंड	—	—	*	—	—	0.03	0.03
15. उड़ीसा	—	*	0.01	—	*	1.00	1.04
16. पंजाब	—	*	0.02	*	—	0.58	1.15

1	2	3	4	5	6	7	8
17. राजस्थान	—	*	0.06	—	*	1.03	2.43
18. सिक्किम	—	*	*	—	—	*	*
19. तमिल नाडु	—	*	0.06	—	0.01	5.47	6.37
20. त्रिपुरा	—	—	0.06	—	—	0.20	0.21
21. उत्तर प्रदेश	*	0.01	0.02	—	*	1.77	6 82
22. पश्चिम बंगाल	—	—	0.02		*	0.97	1.40
	*						
संघ राज्य क्षेत्र							
1. अरुणाचल	—	—	—	—	—	*	*
2. चण्डीगढ़	—	*	—	—	—	0.01	0.01
3. दिल्ली	—	*	—	*	*	0.03	0.07
4. गोवा दमण व द्विव	*	—	0.01	—	—	0.02	0.02
5. पाण्डिचेरी	—	—	—	—	—	*	*
अन्य संघ राज्य क्षेत्र : शून्य							

* 500 से कम

कीटनाशकों के उत्पादन और प्रयोग के बारे में विश्व बैंक द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश

4800. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा विकासशील देशों में स्वास्थ्य और पर्यावरण को होने वाली हानि को कम करने के लिए कीटनाशकों के उत्पादन और प्रयोग के बारे में हाल ही में जारी किए गए दिशा-निर्देशों की सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कीटनाशकों के उत्पादन और प्रयोग के लिए नीति निर्धारण करने वाले उक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन करने का है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां। विश्व बैंक ने उसके द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में पेस्टीसाइड्स के चयन अधिप्राप्ति और प्रयोग के लिए मार्गदर्शन जारी किए हैं।

(ख) मार्गदर्शनों में पेस्ट और पेस्टीसाइड्स प्रबन्ध पद्धति, पेस्टीसाइड्स का रख-रखाव भण्डारण और प्रयोग, पेस्टीसाइड्स सामग्री और फार्मूलेशनों का चयन, और पेस्टीसाइड्स की अधिप्राप्ति के ब्यौरे शामिल हैं।

(ग) अधिकांश मार्ग दर्शन इन्सेक्टिसाइड्स अधिनियम, 1968 में शामिल हैं और इसलिए पहले से ही लागू हैं। शेष मार्गदर्शनों का भी सिद्धान्त रूप से पालन किया जा रहा है।

खाद्य उत्पाद बनाने और निर्यात करने वाली बहुराष्ट्रीय और भारतीय कम्पनियां

4801. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य उत्पाद बनाने तथा बेचने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) इन कम्पनियों द्वारा कौन-कौन सी वस्तुएं बनाई जा रही हैं और बेची जा रही हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कम्पनियों द्वारा वर्ष-वार कितने मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ग) क्या कुछ भारतीय कम्पनियों द्वारा भी खाद्य उत्पाद बनाये और बेचे जा रहे हैं और उन कम्पनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया गया;

(घ) खाद्य उत्पादों का निर्यात करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और भारतीय कम्पनियों को दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या विदेशों में भारतीय खाद्य उत्पादों की अत्याधिक मात्रा है और यदि हां, तो इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, जो तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत है, भारत में खाद्य उत्पादों के निर्माण और विपणन में लगी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम द्वारा विनियमित 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी धारिता वाली केवल एक ही कंपनी है। इस कंपनी द्वारा निर्माण किए जा रहे खाद्य उत्पाद ये हैं :—(1) वनस्पति, हाइड्रोजिनेटेड आयल आदि; (2) दूध का पाउडर (शिशु आहार सहित); (3) मारगरीन तथा (4) घी। पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके द्वारा निर्यात किए गए खाद्य उत्पादों का मूल्य उपलब्ध नहीं है क्योंकि निर्यात के इस प्रकार के कंपनी वार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) अनेक भारतीय कंपनियां खाद्य उत्पादों का निर्माण और विपणन कर रही हैं। वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में तैयार किए गए खाद्य उत्पादों (समुद्री खाद्य उत्पादों सहित) के निर्यात का कुल मूल्य इस प्रकार है :—

वर्ष	मूल्य करोड़ रु० में) (अनंतिम)
1982-83	599.94
1983-84	530.26
1984-85	665.00

(घ) परिष्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आमतौर पर दी जाने वाली सुविधाओं में शुल्क की वापसी, नकद प्रतिकर सहायता, पुनः पूर्ति लाइसेंस, रियायती भाड़ा प्रभार, नौवहन के लिए प्राथमिकता आदि देना शामिल है।

(ङ) जी, हां। निर्यात बढ़ाने के लिए संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद/प्राधिकरण द्वारा अनेक उपाय किए जाते हैं। इनमें से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण उपाय विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेना और उनका आयोजन करना, क्रेता-विक्रेता बैठकों की व्यवस्था करना, निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अध्ययन संबंधी दौरे करना तथा निर्यातोन्मुख उद्योगों का संवर्धन करना आदि हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्रों में औषधि निर्माण एककों की स्थापना

4802. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में और अधिक औषधि निर्माण एककों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में कोई नई औषध निर्माता कम्पनी स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आटोमोबाइल एककों का विदेशी सहयोग से स्वदेशीकरण

4803. श्री अतीश चंद्र सिन्हा : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुषंगी क्षेत्र की असफलता और/या स्तर को बनाये रखने के बहाने पर सरकार को भारत में आटोमोबाइल एककों के कुछ विदेशी सहयोगियों द्वारा अनुबंधित स्वदेशीकरण कार्यक्रमों को विलम्बित किए जाने के लिए चलाये जा रहे अभियान की खबर (खबरें) मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सहयोगियों के माध्यम से इस समय विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात करने वाले आटोमोबाइल एककों का धीरे-धीरे स्वदेशीकरण करने के चरणबद्ध कार्यक्रम क्या हैं; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है कि वाहन निर्माता स्वदेशीकरण के स्वीकृत कार्यक्रमों का पालन करें ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) भारत में जापानी राजदूत द्वारा दिए गए इस वक्तव्य के बारे में कि मारुति कार के सहायक हिस्से-पुर्जों के तेजी से स्वदेशीकरण से कार की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है, सरकार को जानकारी है।

(ख) मोटर गाड़ियों के चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रमों में सामान्यत: उत्पादन के पांचवें वर्ष में 95 प्रतिशत स्वदेशीकरण की परिकल्पना होती है।

(ग) कुल मिलाकर, वाहन निर्माता अनुमोदित चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम का अनुसरण कर रहे हैं। वर्तमान एककों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के अतिरिक्त सरकार नये सहायक एककों को स्थापित करने के लिए भी पूरी सहायता दे रही है।

बिजली उपलब्ध न होने के कारण उर्वरकों के उत्पादन में गिरावट

4804. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसा कि भारतीय उर्वरक निगम ने कहा है कि कुछ उर्वरक संयंत्रों में बिजली की अनुपलब्धता के कारण उर्वरकों को निर्धारित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

(ख) देश में ऐसे उर्वरक संयंत्रों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें वर्ष 1984-85 के दौरान बिजली की पर्याप्त सप्लाई नहीं मिली; और

(ग) देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) देश में 1984-85 में उर्वरकों का समग्र उत्पादन लक्ष्यों से अधिक हुआ है। तथापि, कुछ उर्वरक एकक अपने व्यक्तिगत उत्पादन लक्ष्यों को अन्य पहलुओं के साथ साथ पावर की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण प्राप्त करने में असमर्थ रहे।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान निम्नलिखित उर्वरक संयंत्र अपर्याप्त पावर उपलब्धता/अस्थिर पावर आपूर्ति से मुख्यत: प्रभावित हुए :—

गोरखपुर, रामागुण्डम, तालचर, भटिंडा, पानीपत, नामरूप-1 और 2, दुर्गापुर, बरौनी, राउरकेला, कानपुर और मंगलौर।

(ग) पावर समस्याओं के कारण उत्पादन हानियों को दूर करने/न्यूनतम करने के लिए जहां कहीं व्यवहार्य समझा जाता है, केप्टिव पावर सुविधाएं या तो स्थापित की जा रहीं हैं या स्थापित करने की योजना है।

वर्ष 1985-86 के दौरान स्वरोजगार योजना को जारी रखना

[हिन्दी]

4805. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार योजना वर्ष 1985-86 के दौरान भी जारी रहेगी;

(ख) यदि हां, तो यह किस तारीख से क्रियान्वित की जाएगी;

(ग) क्या इसमें कोई परिवर्तन भी किए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो इसमें किस किस्म के परिवर्तन किए जाएंगे तथा उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): (क) से (घ) सरकार द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है।

रक्षा मंत्री की सोवियत संघ की यात्रा

4806. श्री हरीश रावत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी हाल की सोवियत संघ की यात्रा के दौरान भारत की रक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) रक्षा मंत्री की हाल की सोवियत संघ की यात्रा अनिवार्य रूप से एक सद्भाव यात्रा थी जिसमें सोवियत रक्षा मंत्री/अधिकारियों के साथ आपसी हित के मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान न तो किसी विशेष समझौते पर बातचीत हुई और न ही कोई समझौता किया गया।

राष्ट्रीय शहर विकास बोर्ड

[अनुवाद]

4807. श्री एन० डेनिस : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शहर विकास बोर्ड की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में शाखा डाकघर खोलना

[हिन्दी]

4808. डा० सी० एस० वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बलरिया (बिहार) में 2500 से अधिक की जन संख्या वाले ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जिनमें नए डाकघर खोलने के लिए सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार की संचार नीति के अनुसरण में उक्त गांवों में शाखा डाकघर खोले गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) चार।

(ख) तथा (ग) सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में गैर ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोलने के लिए निर्धारित 2,000 की जनसंख्या के मानदंड के अलावा वहां 3 कि० मी० की दूरी के भीतर कोई दूसरा डाकघर नहीं होना चाहिए और प्रस्तावित डाकघर से होने वाली संभावित आय उसकी अनुमानित लागत के 25 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। देवथा में एक डाकघर खोल दिया गया है तथा अन्य तीन गांव अर्थात झांझरा, गौचारी तथा वासुदेवपुर में डाकघर खोलने के मामले पर विचार किया जा रहा है।

टेलीफोन कनेक्शन वापस सुपुर्द करने और कट जाने के बाद टेलीफोन का बिल

[अनुवाद]

4809. श्री पृथ्वी चन्द किस्कू : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन कनैक्शन वापस सुपुर्द करने और कट जाने के बाद की अवधि के लिए भी टेलीफोन के बिल वसूली के लिए भेजे जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन विभाग के प्रशासन द्वारा इस किस्म के कदाचारों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) भुगतान न करने के कारण अस्थाई रूप से काटे गए टेलीफोनों के किराया वाले बिल तब तक जारी किए जाते हैं जब तक टेलीफोन को अन्तिम रूप से बंद न कर दिया जाए। यदि उपभोक्ता टेलीफोन को पुनः चालू नहीं करवाना चाहता, तो संबंधित टेलीफोन का खाता बंद करते समय टेलीफोन काटे जाने के बाद जारी किए गए बिलों को वापस ले लिया जाता है तथा उन्हें रद्द कर दिया जाता है। टेलीफोन काटे जाने की तारीख तक के स्थानीय कालों और ट्रंक कालों के वसूल किए जाने वाले बिल, यदि कोई हों, तो उन्हें टेलीफोन काटे जाने की तारीख के बाद जारी किया जाता है।

(ख) चूंकि निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है, अतः कदाचार का प्रश्न ही नहीं उठता।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में आरक्षण नीति का क्रियान्वयन

4810. श्री एम० अरुणाचलम : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उनके मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष का गठन किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की प्राक्कलित संख्या क्या है तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की पृथक-पृथक संख्या है;

(ग) कक्ष ने सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में यह नीति उनके मंत्रालय के नियंत्रण में क्रियान्वित की जाती है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इस सैल के कार्य की देखभाल चार अधिकारियों अर्थात एक संयुक्त सचिव, एक उप सचिव, एक अनुभाग अधिकारी और एक सहायक द्वारा आंशिक समय में की जाती है। इनमें से एक अधिकारी अनुसूचित जाति से है।

(ग) यह सैल सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों सहित इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन संगठनों में

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सेवाओं में आरक्षण से संबंधित सरकारी निर्देशों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखता है;

(ख) जी, हां।

नेवल एयर टेक्निकल स्कूल को कोचीन से बंगलौर स्थानांतरित करना

4811. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय कोचीन स्थित नेवल एयर टैक्निकल स्कूल को बंगलौर स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस प्रस्ताव के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन भेजे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) कोचीन स्थित नेवल एयर टैक्निकल स्कूल को किसी नई जगह स्थानान्तरित करने के संबंध में सरकार के पास कोई निश्चित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यह एक ऐसा संगठन है जिसकी बढ़ते रहने की सम्भावना है और जहां इस समय यह संगठन है वहां इसको बढ़ाने की गुंजाइश कम है। अतः इसको स्थानान्तरित करने की संभावना है।

(ग) जी नहीं।

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में चंडीपुर और चैतन्यपुर में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

4812. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में चण्डीपुर (नैदी ग्राम पुलिस स्टेशन) और चैतन्य नगर (सुतेहेत पुलिस स्टेशन) में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या करण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) छोटे स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज (एम० ए० एक्स-III टाइप) स्थापित करने के प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है तथा इन्हें 1985-86 के दौरान कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भोपाल, मध्य प्रदेश में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

4813. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल, मध्य प्रदेश में नयी टेलीफोन एक्सचेंज 1985 के अन्त तक कार्य करना शुरू कर देगा;

(ख) यदि हां, तो इसकी दिशा में हुई अब तक की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी होगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 4000 लाइनें, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक 1000 लाइन क्षमता की दो दूरस्थ लाइन यूनिटें (आर०एल० यू०) हैं और 2000 लाइनों की एक दूरस्थ लाइन (आर० एल० यू०) यूनिट है।

बिहार में खाना पकाने की गैस की डीलरशिप

[हिन्दी]

4814. **डा० श्रीमती चन्द्र भानु देवी** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में उन शहरों की संख्या कितनी है जहां खाना पकाने की गैस की डीलरशिप दी गई है तथा उन शहरों की संख्या कितनी है जहां डीलरशिप अभी दी जानी है; और

(ख) शेष शहरों में यह डीलरशिप कब तक दे दी जाएगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा):

(क) उन शहरों/कस्बों की संख्या जहां 31 मार्च, 1985 की यथा स्थिति को एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटर शिपें कार्य कर रही हैं।	नये शहरों/कस्बों की संख्या जहां वर्ष 1984-85 की विपणन योजना में एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें दिये जाने का प्रस्ताव है।
42	12

(ख) एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप आरम्भ करने से पूर्व उठाये जाने वाले विभिन्न कदमों को ध्यान में रखते हुए, आरम्भ करने में लगने वाले समय के बारे में बताना व्यवहार्य प्रतीत नहीं होता है। उपर्युक्त 12 शहरों/कस्बों के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन का कार्य किया जा रहा है।

पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न के लिए लाइसेंस जारी करना

4815. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न के लिए कुल कितने लाइसेंस और

आशय पत्र जारी किये गए तथा ये किन-किन पार्टियों, व्यक्तियों और कम्पनियों को दिए गए और प्रत्येक लाइसेंस तथा आशय पत्र कितने मूल्य का था;

(ख) सरकार को 30 मार्च, 1985 तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा आवेदन कर्त्ताओं, आवेदनों की तारीखों और उनके अनुमानित मूल्यों का ब्यौरा क्या है तथा उनमें से कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न की बढ़ती मांग को देखते हुए और इस क्षेत्र में एकाधिकार न पनपने देने के लिए सरकार का विचार उदारता से लाइसेंस जारी करने का है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) एक आशय पत्र पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न के उत्पादन के लिए मैसर्स इंडियन् आर्गेनिक केमिकल्स को जारी किया गया था।

(ख) एक जनवरी, 1984 से 31 मार्च, 1985 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण तथा रद्द करने का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है। विचाराधीन आवेदनों का विवरण जब तक सरकार द्वारा उन पर विचार न कर लिया जाय, बताया नहीं जाता है।

(ग) पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न की अतिरिक्त क्षमता को बढ़ाने के बारे में संबंधित बातों को ध्यान में रख कर गुणावगुण के आधार पर उचित समय पर किया जाता है।

विवरण

क्रम सं०	पंजीकरण सं० एवं दिनांक	आवेदक का नाम	क्षमता (टन/प्रतिवर्ष)	स्थान (राज्य)
1	2	3	4	5
1.	275(84) आई० एल० दिनांक 21.2.84	मैसर्स जे एण्ड के राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, कश्मीर	3,000	जे एण्ड के
2.	443 (84)—आई० एल० दिनांक 13.3.84	मैसर्स केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम	10,000	केरल
3.	682 (84)—आई० एल०/एस० आर० टी० पी० दि० 25.4.84	मैसर्स नव भारत इन्टरप्राइजेज लिमिटेड, हैदराबाद	6,600	आन्ध्र प्रदेश
4.	708 (84)—आई० एल० दिनांक 30.4.84	मैसर्स डेक्कन सीमेंट लिमिटेड हैदराबाद	6,000	आन्ध्र प्रदेश
5.	874 (84)—आई० एल० दि० 22.5.84	मैसर्स सुभाष सिल्क मिल्स लिमिटेड, बम्बई	1,230	महाराष्ट्र

1	2	3	4	5
6.	1774(84)—आई० एल०/एम० आर० टी० पी०, दि० 29.9.84	मैसर्स स्टूरा प्रोडेक्ट लिमिटेड नई दिल्ली	10,000	जे एण्ड के
7.	1793 (84)—आई० एल०, दि० 8.10.84	मैसर्स श्री पदमावती पेट्रोकैम इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद ।	3,000	गुजरात
8.	एन० आर० आई०—191/84/ आई० एल०, दि० 30.10.84	श्री यू० एम० पटेल, द्वारा मैसर्स फैयसल फैब्रिक (प्राइवेट) लिमिटेड, गुजरात ।	1,300	गुजरात
9.	2191/84/आई० एल०, दि० 27.11.1984	श्री अलोक पासंरामपूरिया नई दिल्ली	6,000	गुजरात
10.	2221/84/आई० एल०, दि० 1.12.1984	मैसर्स आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद ।	6,000	आन्ध्र प्रदेश
11.	2334/84/आई० एल०, दि० 18.12.1984	मैसर्स असम औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	10,000	असम
12.	55/85/आई० एल०, दि० 11.1.1985	श्री सुधीर संघी, हैदराबाद	10,000	आन्ध्र प्रदेश
13.	143/85/आई० एल०, दि० 28.1.1985	श्री ब्रह्म दत्त, नई दिल्ली ।	10,000	उत्तर प्रदेश
14.	176/85/आई० एल०, दि० 2.2.1985	श्री ए० एल० डिगरा बम्बई ।	5,000	महाराष्ट्र
15.	177/85/आई० एल०, दि० 8.2.1985	श्री सुभाष भाटिया नई दिल्ली ।	6,000	हिमाचल प्रदेश
16.	54 (85)/आई० एल०/एम० आर० टी० पी०, दि० 11.1.1985	मैसर्स सेंचुरी इंका लिमिटेड कलकत्ता ।	10,000	महाराष्ट्र
17.	209 (85)/आई० एल०, दि० 12.2.1985	श्री सुरेश केशवाणी बम्बई ।	6,000	बिहार

1	2	3	4	5
18.	210 (85)/आई० एल०, दि० 12.2.1985	श्री आर० जी० पटवारी	10,000	आन्ध्र प्रदेश
19.	215 (85)/आई० एल०, दि० 11.2.1985	श्री जगदीश खन्ना एवं मन मोहन आनन्द अंकलेश्वर (गुजरात)	6,000	गुजरात

मध्य प्रदेश में तेल की खोज

4816. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों में तेल की खोज के लिए कोई सर्वेक्षण कराया था;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां सर्वेक्षण किया गया था और वहां कितनी मात्रा के तेल भंडार मिले हैं; और

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग भविष्य में भी सर्वेक्षण करना जारी रखेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने निमुछ, मंदासूर, जाउरा, रतलाम, आबूआ, धार, इन्दौर, उज्जैन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा तथा जबलपुर में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए हैं। अभी तक तेल के किसी भंडार का पता नहीं चला है।

(ग) जी हां। 1985-87 के लिए भूवैज्ञानिक तथा गुरुत्व-चुम्बकीय सर्वेक्षणों प्रत्येक के दो पार्टी वर्षों को पूरा किए जाने का प्रस्ताव है। इसके पश्चात भू-कम्पीय सर्वेक्षण किए जाएंगे।

अलीगढ़ में टेलीफोन सेवाएं

[अनुवाद]

4817. **श्री चित्त महाता** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 अप्रैल, 1985 के 'अलीगढ़ मेल' में प्रकाशित अलीगढ़ जिले में टेलीफोन सेवा की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अलीगढ़ जिले में टेलीफोन सेवा की स्थिति दिन प्रति-दिन बिगड़ती जा रही है; और

(ग) सरकार का विचार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां। अलीगढ़ में टेलीफोन सेवाओं के बारे में "अलीगढ़ मेल" में खबर 11.4.85 को प्रकाशित हुई थी न कि 12.4.85 को।

(ख) जी नहीं। अलीगढ़ जिले में टेलीफोन सेवाएं सामान्यतया संतोषजनक हैं।

(ग) दूरसंचार सेवाओं में और सुधार लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

अलीगढ़ में टेलीफोन की कार्य प्रणाली पर निकट निगरानी रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को पहले ही अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।

आंध्र प्रदेश में सीमेंट उद्योग की स्थापना

4818. श्री एन० वेंकट रत्नम : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष 1985 में गुंटूर और विशाखापत्तनम में सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए आवेदन किया था;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को आशयपत्र जारी कर दिये हैं, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को कोयला की निरंतर सप्लाई के लिये कोयले सम्पर्क समिति की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी; और

(घ) क्या सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी लिमिटेड, इस उद्योग के लिए कोयले की निरन्तर सप्लाई करने के लिए सहमत हो गई है;

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां):(क) से (घ) मैसर्स आन्ध्र प्रदेश इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, हैदराबाद से गुन्टूर जिले में किल्कॅरिंग संयंत्र और विजाग में ग्राइंडिंग संयंत्र वाले 10 लाख मी० टन सीमेंट के संयंत्र स्थापित करने के लिए मार्च, 1984 में एक आवेदन प्राप्त हुआ था। सिंगरेनी की कोयला खानों से कोयले की उपलब्धता संबंधी रुकावटें होने के कारण आवेदन को प्रथमदृष्टया रद्द कर दिया गया था। कोयला विभाग में स्थापित विशेष सम्पर्क समिति द्वारा उपलब्धता तथा अन्यथा अलग-अलग कोयला खानों द्वारा कोयला देने की सहमति की ओर ध्यान दिए बिना कोयला उपलब्ध कराने के बारे में विचार किया जाता है। चूंकि इस पार्टी को कोई भी आशय पत्र स्वीकृत नहीं किया गया है अतः इस मामले में स्थायी कोयला सम्पर्क समिति की सिफारिश प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कम्पनियों की स्थायी आधार पर लागत लेखा परीक्षा

4819. श्री विष्णु मोदी
श्री शांती धारीवाल } : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम संबंधी सच्चर समिति ने सिफारिश की है कि उद्योग में एक बार लागत लेखा परीक्षा के लिए आदेश दिये जाने पर लागत लेखा परीक्षा स्थायी आधार पर जारी रहनी चाहिए और 25 लाख रुपये या इससे अधिक प्रदत्त पूंजी वाली कम्पनियों को एक लागत लेखा परीक्षक नियुक्त करना चाहिए और जहां तक भण्डार में सामान सूची भण्डार/अतिरिक्त पुर्जों कच्चे माल औजार और चल रहे कार्य आदि के आंकड़ों का संबंध है ऐसी कम्पनियों को अपना तुलन-पत्र लागत लेखा परीक्षा/लेखा परीक्षक से प्रमाणित करवाना चाहिए;

(ख) क्या उक्त समिति ने यह भी सिफारिश की है कि लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति उसी आधार पर की जानी चाहिए जिस आधार पर ऐसी कम्पनियों में सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो विशेष रूप से तेज औद्योगिक विकास करने उत्पादकता बढ़ाने और उद्योगों के कार्य निष्पादन में कुशलता लाने पर बल देने की आवश्यकता पर दिये जा रहे बल को देखते हुए इन सिफारिशों के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट में 25 लाख रु० या अधिक की प्रदत्त पूंजी तथा कतिपय प्रकार के उद्योगों में अन्तर्निहित कम्पनियों में लागत लेखापाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था। समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि इस प्रकार की कम्पनियों के तुलनपत्र को स्टाक, सूची, स्टोर/फालतू पुर्जे, कच्ची-सामग्रियों, यंत्रों और कार्य प्रगति के आंकड़े लागत लेखा-परीक्षक द्वारा प्रमाणित किये जाने चाहिएं। समिति ने आगे सुझाव दिया कि एक बार एक उद्योग में लागत लेखा-परीक्षा के दिये गये आदेश को, स्थायी आधार पर, जब तक कि, उस उद्योग में इस प्रकार की लेखा-परीक्षा को समाप्त करने का केन्द्रीय सरकार निर्णय नहीं कर ले, उसे यथावत् रखना चाहिए।

(ख) हां, श्रीमान् जी।

(ग) इन सुझावों को संसोधित करने में विलम्ब सम्पूर्ण कानून के समग्र रूप से सरलीकरण की साध्यता के मूल्यांकन की दृष्टि से, कम्पनी अधिनियम के सम्बन्ध में समिति की 460 सिफारिशों की गहराई से पुनः परीक्षा की आवश्यकता आंशिक रूप से मानी जा सकती है और खण्डशः इसलिए क्योंकि इस विषय में विभिन्न वाणिज्य मंडलों आदि से, इसी दौरान अनेकों नये सुझाव प्राप्त किये गये, जिन पर भी विचार किया जाना अपेक्षित था।

कटक (उड़ीसा) में डाक और तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

4820. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या संचार मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के मुख्य वाणिज्यिक नगर कटक में केवल 1-1/2 प्रतिशत डाक और तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण किया गया है तथा गत पन्द्रह वर्षों से कटक में डाक और तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर नहीं बनाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में कोई कदम उठा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी नहीं। 31.3.85 को कटक में उपलब्ध प्रतिशतता 5.69 है। विगत पांच वर्षों के दौरान 9 (नौ) स्टाफ क्वार्टर, निर्मित किए गए। 7 वीं योजना के दौरान सिखारपुर में 75 स्टाफ क्वार्टर निर्मित करने की योजना है बशर्ते कि निधि उपलब्ध रहे।

डाक

(क) कटक में स्टाफ क्वार्टरों की उपलब्ध प्रतिशतता 2½ है। 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कटक में 6 (छः) स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया गया।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

एफ० ए० सी० टी० उद्योग मण्डल, केरल में उत्पादन तथा क्षमता का उपयोग

4821. **श्री० टी० बशीर** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एफ० ए० सी० टी० उद्योग मंडल डिवीजन, केरल में कम उत्पादन हो रहा है और क्षमता का कम उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या उत्पादन कम होने का कारण संयंत्रों का पुराना होना है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस एकक का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान फैक्ट के उद्योग मण्डल प्रभाग का क्षमता उपयोग निम्न प्रकार था :—

नाइट्रोजन		फास्फेट	
नाम पट क्षमता का प्रतिशत	प्राप्य क्षमता का प्रतिशत	नाम पट्ट क्षमता का प्रतिशत	प्राप्य क्षमता का प्रतिशत
56.7	82.3	65.8	92.6

(ख) संयंत्र और उपकरण के पुरानेपन, बारम्बार पावर गतिरोधों, लोड शेडिंग, खारे पानी

की समस्याओं आदि के कारण उत्पादन का उच्च स्तर प्राप्त नहीं किया जा सका।

(ग) और (घ) कंपनी ने कुछ विद्यमान सुविधाओं के नवीकरण हेतु योजना तैयार की है ताकि आगामी 7-10 वर्षों के लिए उत्पादन के वर्तमान स्तर को बनाये रखा जा सके।

आंध्र प्रदेश में किराए के भवनों में दूर संचार कार्यालय

4822. **डा० टी० कल्पना देवी**
श्री सी० जंगा रेड्डी } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूर संचार विभाग आंध्र प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों, टेलीफोन कार्यालयों और दूर संचार कार्यालय भवनों के लिये प्रतिवर्ष कितना किराया दे रहा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : आंध्र प्रदेश दूर संचार सर्किल और हैदराबाद टेलीफोन जिले द्वारा किराए पर लिए गए भवनों के लिए जो कुल राशि अदा की जा रही है वह 95,67,424 रुपये वार्षिक है।

खाना पकाने की गैस एजेंसियों का आबंटन

4823. **श्री ई० एस० एम० फकीर मोहम्मद** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, भारत गैस और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम की (पृथक-पृथक) कितनी खाना पकाने की गैस एजेंसियां हैं; और

(ख) देश में खाना पकाने की गैस की कुल कितनी दैनिक खपत है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) देश में 31.3.1985 को काम कर रही विभिन्न तेल कम्पनियों की एल० पी० जी० की एजेन्सियों की कुल संख्या नीचे दी गई है :

इंडियन आयल कारपोरेशन	1005
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन	776
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन	409
कुल	2190

(ख) 1984-85 के दौरान घरेलू और अन्य उपभोक्ताओं द्वारा एल० पी० जी० की दैनिक खपत लगभग 2,600 एम० टी० थी।

बिहार में पेट्रोलियम या गैस के भण्डारों के बारे में सर्वेक्षण

4824. **डा० सी० पी० ठाकुर** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम या गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए बिहार में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने सन् 1956 से बिहार में वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण, गुरुत्व चुम्बकीय सवक्षण तथा भू-कम्पीय सर्वेक्षण कार्य किया है। उसने अभी तक तीन अन्वेषी कूंए भी खोदे हैं ।

(ग) वर्तमान में एक भू-कम्पीय पार्टी बेतिया-लौढिया-नन्दनगढ़ क्षेत्र में कार्य कर रही है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का बिहार में और भू-कम्पीय सर्वेक्षण कार्य कराने तथा एक पैरा-मीट्रिक कुआं खोदने का प्रस्ताव है ।

खादी ग्रामोद्योग भवन कर्मचारियों की मांग

[हिन्दी]

4825. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों का मांग पत्र ग्रामोद्योग भवन, बम्बई में कई वर्षों से लंबित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों के मांग-पत्र पर अन्तिम निर्णय करके उनकी समस्याओं को कब तक हल किये जाने की संभावना है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) कर्मचारियों ने 27.8.82 और 8.9.82 को मांग-प्रपत्र भेजा था । खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 8 नवम्बर, 1982 को उत्तर भेजा गया था । उनकी कुछ मांगों पर 4 जून, 1984 को चर्चा की गई थी । विभिन्न मांगों के संबंध में भी समय-समय पर उत्तर दिए गए थे । कर्मचारियों द्वारा उठाए गए स्थानीय मामलों को निबटाने के लिए एक स्थानीय समिति भी गठित की गई थी । पेंशन को बढ़ाने संपत्तियों का संवर्ग (काडर) बनाने और पदों को नियमित करने आदि जैसे कुछ मामलों पर आयोग द्वारा अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है क्योंकि वाणिज्यिक कर्मचारी (ट्रेडिंग स्टाफ) देश भर में नियुक्त हैं और ये कर्मचारी ऐसी कई सुविधाएं और प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं जो

नियमित कर्मचारियों के मामलों में लागू नहीं हैं।

(ख) वित्तीय उलझनों और देश भर में फैले आयोग के अनेक भवनों के कार्यकरण की भिन्न-भिन्न स्थितियों को देखते हुए कर्मचारियों की बाकी मांगों पर शीघ्र निर्णय ले पाना आयोग के लिए कठिन होगा।

पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्र

[अनुवाद]

4826. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या रसायन एवं उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किसी राज्य में सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का मानदण्ड क्या है;

(ख) पश्चिम बंगाल में ऐसा एक भी एकक न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पश्चिम बंगाल में एक ऐसा संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) उर्वरक संयंत्रों के स्थान निर्धारण का निर्णय उर्वरकों की मांग, कच्चे माल की उपलब्धता इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओ तथा अन्य सम्बद्ध तथ्यों जैसे कि पर्यावरण पर प्रभाव सहित तकनीकी-आर्थिक पहलुओं के आधार पर किया जाता है।

(ख) पश्चिम बंगाल में दो सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्र हैं—एक दुर्गापुर में और दूसरा हल्दिया में ।

(ग) सातवीं योजना प्रस्तावों को अभी अन्तिम निर्णय नहीं दिया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात और उत्पादन

4827. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान देश में पैदा किए गये पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश की मांग को पूरा करने के लिए उक्त वर्ष के दौरान पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों का कितना आयात किया गया तथा उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1984-85*

मदें	एकक	केवल पेट्रोल	सभी पेट्रोलियम उत्पाद
1. देशी उत्पादन	(मि० मी० टन)	2.10	32.80
2. मांग	(मि० मी० टन)	2.05	38.44
3. सकल आयात	(मि० मी० टन)	—	7.2
* अनन्तिम	(करोड़ रुपये)	—	2290

उड़ीसा के कोरापुट जिले में टेलीफोन सुविधाएं

4828. **श्री गिरिधर गौमांगो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन विभाग के उड़ीसा सर्किल ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा के कोरापुट जिले में टेलीफोन की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रायगढ़ा से आन्ध्र प्रदेश होकर गुण्टूर तक टेलीफोन के तार संभालने वाले खम्भे लगाने हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है और वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान उसके लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी; और

(ङ) वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान ब्लाक मुख्यालयों को सब डिविजनल मुख्यालयों से जोड़ने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं और उसके लिए कितनी धनराशि रखी गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) 7 वीं योजना अवधि के दौरान कोरापुट जिले में कार्यक्रम संबंधी ब्यौरा निम्न प्रकार

हैं:—

(1) 13 नए स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज (एम० ए० एक्स-II)

(2) टेलीफोन एक्सचेंज की मौजूदा क्षमता में 1800 लाइनों की वृद्धि ।

(3) 185 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन/संयुक्त डाक-तारघर ।

(4) 3 एस० टी० डी० रूट ।

(5) 100 कि० मी०, यू० एच० एफ० रूट ।

(6) 4 मैनुअल एक्सचेंजों का स्वचलीकरण किया जाएगा ।

(7) 3 एम०ए०एक्स०-III एक्सचेंजों को एम०ए०एक्स०-II में बदला जाएगा ।

उक्त कार्यक्रम का क्रियान्वयन उपस्कर/ लाइन भंडार तथा विभागीय भवन की उपलब्धता पर निर्भर करता है

(ग) आन्ध्र प्रदेश से होकर रायगडा से गुनुपुर तक टेलीफोन वायर/पोल खड़े करने के लिए न तो अलग से ही किसी निधि की व्यवस्था की गई है और न ही अभी कोई प्राक्कलन मंजूर किया गया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) 1985-86 के दौरान रामानागुडा स्थित ब्लाक मुख्यालय को इसके उपमंडलीय मुख्यालय गुनुपुर के साथ बन्धुगांव ब्लाक मुख्यालय को उपमंडलीय मुख्यालय रायागडा से जोड़ने के लिए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है । किसी अलग निधि की आवश्यकता नहीं है ।

टेलीफोन सेवाओं का आधुनिकीकरण

4829. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में टेलीफोन सेवाओं का आधुनिकीकरण करने हेतु सक्रिय कदम उठायें हैं;

(ख) क्या मौजूदा उपकरणों के स्थान पर अन्ततः पुश बटन टेलीफोन सेवा (पी० बी० टी० एस०) शुरू करने सहित कुछ अन्य प्रयोग भी किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार सरकारी संस्थान वाली इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज द्वारा निर्मित पुश बटन टेलीफोन संबंधी उपकरणों के उपयोगार्थ देश में बने इलैक्ट्रोनिक डायलर्स खरीदने पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्तमान इलैक्ट्रो-मैकैनिकल उपकरणों के स्थान पर इलैक्ट्रानिक पुश बटन टेलीफोन शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ग) देश में ही बने तथा अनुमोदित टाइप के इलैक्ट्रानिक डायलर्स को मौजूदा टेलीफोनों में उपकरणों के बतौर जोड़े जाने की अनुमति है। उन्हें इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज द्वारा विनिर्मित उपकरणों में फिट करने के सम्बन्ध में विचार नहीं किया गया है।

औषधियों की क्षमता के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

4830. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान विभिन्न औषधियों के पंजीकरण के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) औषधियों के लिए आवेदन की गई क्षमता, मंजूर की गई क्षमता, कंपनियों के नाम तथा मदों के नाम से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है और यदि उनकी अपेक्षित क्षमता में किसी प्रकार की कटौती की गई हो, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) नामंजूर किए गए मामलों का और मंजूर किए गए मामलों में, जिसमें उनकी घटाई गई है, क्षमता का ब्यौरा क्या है और तत्संबन्धी कंपनियों और मदों के नाम क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) वर्ष 1983 और 1984 के दौरान डी० जी० टी० डी० पंजीकरण हेतु कुल 412 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे। इनमें से, औषधों और भेषजों के निर्माण हेतु 197 पंजीकरण 1983 और 1984 में जारी किये गये थे। 215 पंजीकरण आवेदनपत्र 1983 और 1984 में रद्द/बन्द कर दिये गये थे। जारी किये गये पंजीकरण के संबन्ध में ब्यौरे अर्थात उपक्रम का नाम और पता, निर्माण की मदें, क्षमता और स्थान, इण्डिया इन्वेस्टमेंट सेन्टर द्वारा अपने मासिक समाचार पत्र में नियमित रूप से प्रकाशित किये जा रहे हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

ग्राम पंचायत गांवों में डाकघर खोलना

4831. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक विभाग के अनुसार शाखा डाकघर खोलने के लिए "ग्राम पंचायत गांवों" की परिभाषा क्या है;

(ख) छठी योजना के अन्त तक अर्थात 31 मार्च, 1985 को ऐसे ग्राम पंचायत गांवों/पंचायतों की संख्या कितनी थी जहां एक भी डाकघर नहीं है;

(ग) क्या प्रत्येक ग्राम पंचायत गांव में कम से कम एक शाखा डाकघर खोलने तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ऐसे तमाम गांवों में शाखा डाकघर खोलने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार कितने डाकघर खोले जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) राज्य सरकार द्वारा जो गांव ग्राम पंचायत गांवों के रूप में घोषित किए गए हैं उन्हें ही ग्राम पंचायत वाले गांव के रूप में माना जाता है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर अर्थात् 31 मार्च, 1985 को ऐसे ग्राम पंचायत गांवों/पंचायतों की संख्या 102796 हैं जहां एक भी डाकघर नहीं है।

(ग) और (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ग्राम पंचायत वाले प्रत्येक गांव में एक डाकघर प्रदान करना और शत-प्रतिशत गांवों में डाक सुविधा प्रदान करना संभव नहीं होगा क्योंकि ग्राम पंचायत वाले अनेक गावों में मौजूदा मानदंड़ों के अधीन दूरी या वित्तीय या दोनों ही शर्तें पूरी करके डाकघर खोलने का औचित्य नहीं बन पाएगा ·

(ङ) योजना आयोग द्वारा अभी सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जाना है।

टेलीग्राफ गाइड भाग-II का प्रकाशन

4832. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टैलीग्राफ गाइड वाल्यूम-II का नवीनतम संस्करण जिसमें देश में कार्यरत तार कार्यालयों की वर्णानुक्रम सूची दी गई है किस तारीख को प्रकाशित किया गया;

(ख) क्या ऐसे सभी सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों को इस सूची में शामिल किया गया हैं जिन्हें मोर्स कोड पर चलने वाले केन्द्रों से भिन्न "फोन-कम-बेसिस" पर संयुक्त कार्यालयों के रूप में कार्य करना है; और

(ग) 31 मार्च, 1985 को (एक) मौर्स कोड पर (दो) "फोन-कम बेसिस" पर कुल कितने संयुक्त केन्द्र कार्य कर रहे थे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जुलाई 1983

(ख) जी, हां।

(ग) मौर्स कोड-8793

फोनोकोम-24438

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा सप्लाई किए गए संयंत्रों और मशीनों के बारे में शिकायतें

4833. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश राज्य विद्युत बोर्ड विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा सप्लाई किए गए संयंत्र और मशीनों के बारे में शिकायत कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मन्त्रालय ने इस मामले में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से पूछताछ की है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) विद्युत जनित्रण उपकरणों का निर्माण करने में बी० एच० ई० एल० की क्षमता सुस्थापित है। स्वदेशीकरण की प्रक्रिया में कुछ राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कुछ त्रुटियां बताई गई थीं जिनके लिए उपचारात्मक उपाय किए गए हैं। किन्तु पश्चिम बंगाल की सम्भरणों के सम्बन्ध में राज्य बिजली बोर्ड से किसी प्रमुख शिकायत के बारे में नहीं बताया गया है।

जैसलमेर में चूना-पत्थर के भंडार

[हिन्दी]

4834. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसलमेर में अच्छे किस्म के चूना पत्थर के निक्षेप भारी मात्रा में उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सीमेंट उद्योग की स्थापना हेतु उस क्षेत्र में चूना-पत्थर निक्षेपों की मात्रा का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा स्थान-वार कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 1977-1982 के दौरान राजस्थान के जैसलमेर जिले में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार वहां फ्लक्स रसायन श्रेणी के चूना-पत्थर का 5600 लाख मीटरी टन का भण्डार होने का अनुमान है। राजस्थान सरकार ने जैसलमेर जिले में अमरसागर—बड़ा बाग के लगभग 1.5 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में सीमेंट ग्रेड चूने से पत्थर का 50 लाख मीटरी टन सुरक्षित भण्डार होने का अनन्तिम अनुमान लगाया है।

उत्पादक-शुल्क और सीमा-शुल्क अधिकरणों को हाथ में लेना

[अनुवाद]

4835. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का विचार उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क अधिकरणों को अपने हाथ में लेने का है जिससे कि उनका प्रबन्ध आय-कर अधिकरणों की तरह ही किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड की समुद्रपारीय परियोजनायें

4836. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड कब से दूसरे देशों में निर्माण कार्य कर रहा है और उसके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत कौन-कौन से देश हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड कुछ देशों में अब अपना कार्यालय बन्द कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड सन् 1974-75 से विदेशों में मुख्यतया मध्यपूर्व देशों की परियोजनाओं पर कार्य करती रही है। इसने कुवैत, इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में कई ठेके प्राप्त किये। इराक को छोड़कर उनकी अधिकांश परियोजनायें अब पूरी हो चुकी हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। कम्पनी की अधिकांश परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, इन देशों के विकासात्मक खर्चों में कटौती, तेल से प्राप्त आय में कमी, ईरान-इराक युद्ध की लम्बी अवधि, स्थानीय ठेकेदारों को ठेके की प्राथमिकता देने के कारणों से ई० पी० आई० को इन देशों में नये ठेके प्राप्त करने की आशा नहीं है। अत: कम्पनी इराक को छोड़कर, जहां कुछ परियोजनायें अभी पूरी होनी हैं। विदेशों में अपना संचालन कार्य बन्द करने की योजना बना रही है।

केरल समुद्र-तट पर तट-रक्षकों की कार्यकरण

4837. **श्री के० मोहन दास** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल समुद्र-तट पर तट रक्षक बल ने अपनी कार्यवाही का विस्तार नहीं किया है;

(ख) क्या इस कारण से खुले समुद्र में भारी संख्या में दुर्घटना में फंसे मत्स्य-पोतों को बचाने में सरकार बिल्कुल असमर्थ रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या तट-रक्षक बल से केरल समुद्र-तट पर अपनी कार्यवाही का विस्तार करने का अनुरोध किया जाएगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) यद्यपि कोचीन स्थित तट रक्षक जिला मुख्यालय को वर्तमान वर्ष के दौरान ही सक्रिय बनाने की योजना है फिर भी तट-रक्षक जहाज और विमान केरल तटीय समुद्र में निगरानी रखते हैं। जब कभी मांग की जाती है तट-रक्षकों द्वारा खोज और बचाव सहायता प्रदान की जाती है। 1984 के दौरान केरल सरकार से ऐसी मांग प्राप्त नहीं हुई।

शिलांग में सुपर मार्किट

4838. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय शिलांग में एक सुपर मार्किट का निर्माण कर रहा है;

(ख) प्रस्तावित रक्षा मार्किट शिलांग के "आईडुह" (बड़ा बाजार) के नाम से प्रसिद्ध वर्तमान परम्परागत मार्किट से कितनी दूरी पर होगा;

(ग) क्या छावनी बोर्ड की काफी भूमि शिलांग शहर की वर्तमान सीमाओं के भीतर है; और

(घ) क्या इस छावनी भूमि का 99 वर्ष का पट्टा समाप्त हो गया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) इस समय शिलांग छावनी बोर्ड द्वारा शिलांग छावनी में किसी बड़े बाजार का निर्माण नहीं किया जा रहा है। लेकिन बोर्ड के पास शिलांग छावनी की सर्वे संख्या-20 में एक शापिंग काम्पलैक्स के निर्माण का एक प्रस्ताव है।

(ख) प्रस्तावित शापिंग सेन्टर और वहां के बाजार के बीच की दूरी 100 मीटर है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

असम खनिज तेल के लिए रायल्टी की दर में वृद्धि

4839. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार असम खनिज तेल के लिए रायल्टी की दर में भारी वृद्धि करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन करती रही है;

(ख) इस समय यह रायल्टी किस दर पर दी जा रही है; और

(ग) रायल्टी की दर किस फार्मूले के आधार पर और कब निर्धारित की गई थी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) 61 रुपये प्रति मी० टन।

(ग) रायल्टी क्रूड ऑयल कूप शीर्ष से जुड़ी होती है और यह कई बातों के सन्तुलन के आधार पर निर्धारित होती है। यथा, जिन राज्यों में तेल का उत्पादन होता है उनके लिए उचित राजस्व की व्यवस्था की वांछनीयता और इसके साथ ही साथ इसका ऐसी सीमा तक परिसीमन जहां तक ये पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य को बढ़ाते हैं। यह क्रूड/ऑयल कूप शीर्ष मूल्य के 20% से अधिक नहीं हो सकती है। रायल्टी की दर में पिछला संशोधन 1 अप्रैल, 1981 से प्रभावी हुआ था।

उड़ीसा में पेट्रोल और डीजल डिपुओं का आबंटन

4840. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में 1984 के अन्त तक पेट्रोल और डीजल के डिपुओं की संख्या कितनी थी; और

(ख) शिक्षित युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विकलांगों, युद्ध-वीरों की पत्नियों अथवा रिश्तेदारों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को क्रमशः कितने डिपो आबंटित किए गए ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वर्ष 1984 के अन्त में उड़ीसा में पैट्रोल तथा डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों की कुल संख्या 268 थी।

(ख) वर्गवार ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, समाज के पिछड़े वर्गों या कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण नहीं किया गया है।

जम्मू और कश्मीर में टिथवाल में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाया जाना

4841. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री सी० माधव रेड्डी
श्री राम समुझावन } : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 मार्च, 1985 को जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में टिथवाल में दोनों तरफ से

गोली चलाये जाने के कारण पाकिस्तान के चार और भारत का एक सैनिक मारा गया था;

(ख) यदि हां, तो 12 मार्च, 1985 से पाकिस्तान की तरफ से अकारण लगातार गोली चल रही है;

(ग) क्या 14 और 15 मार्च, को पाकिस्तान सैनिक मारे गये थे और 19 मार्च, 1985 को भारतीय जवान मारा गया था;

(घ) क्या पाकिस्तानी सैनिकों ने 27 और 28 मार्च को राजौरी जिले की सीमा पर स्थित नौशेरा क्षेत्र में अकारण गोलियां चलाई थी;

(ङ) क्या पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में कई क्षेत्रों में नई आरक्षी टुकड़ियां बनाई हैं और अपने सैनिकों की संख्या में भी और वृद्धि की है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) जम्मू और कश्मीर टिथवाल क्षेत्र में 12 मार्च, 1985 को भारतीय तथा पाकिस्तानी सैनिकों के बीच गोली चलाए जाने की कुछ वारदात हुई थी लेकिन हमारे सैनिकों में से कोई हताहत नहीं हुआ। पाकिस्तानी सैनिकों के हताहत होने के बारे में जानकारी नहीं है।

(ख) पाकिस्तान द्वारा टिथवाल क्षेत्र में अकारण गोली चलाई गई हैं लेकिन जैसा प्रश्न में बताया गया है 12 मार्च, 1985 से लगातार गोली बारी नहीं हुई है।

(ग) 14/15 मार्च, 1985 को मारे जाने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की वास्तविक संख्या के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। सीमा सुरक्षा बल का हमारा एक जवान 19 मार्च, 1985 को मारा गया था।

(घ) 27 या 28 मार्च, 1985 को नौशेरा क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाए जाने के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ङ) सरकार के पास ऐसी कोई पक्की सूचना नहीं है कि जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में पाकिस्तान नयी आरक्षी टुकड़ियां गठित कर रहा है या अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर रहा है।

(च) देश की सुरक्षा को होने वाले किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए हमारी सशस्त्र सेनाएं जम्मू और कश्मीर में सीमा और नियंत्रण रेखा के चारों ओर सतर्क हैं।

उर्वरकों के क्षेत्र में भारत और मोरोक्को के बीच सहयोग

4842. **श्री बी०बी० देसाई** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और मोरोक्को के बीच उर्वरकों और फास्फोरिक एसिड के क्षेत्र में सहयोग हेतु सितम्बर 1984 में भारत की यात्रा पर आए मोरोक्को के व्यापार, उद्योग और पर्यटन मन्त्री के साथ विचार-विमर्श किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन विषयों पर चर्चा हुई थी;

(ग) मोरोक्को सरकार किस सीमा तक सहायता देने पर सहमत हुई है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई करार किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां। उर्वरक के क्षेत्र में सहयोग पर रसायन और उर्वरक मन्त्री तथा मोरक्को के उद्योग मन्त्री के बीच सितम्बर, 1984 में विचार-विमर्श हुआ था, जब वे भारत के दौरे पर आए थे।

(ख) विचार विमर्श, फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम की स्थापना करने की सम्भावना पर हुआ था।

(ग) मोरक्को ने साम्य पूंजी में भागीदारी और परियोजना को राक फास्फेट की सप्लाई करने हेतु भी प्रस्ताव रखा था।

(घ) और (ङ) इस बात पर सहमति हुई थी कि ऐसे संयुक्त उद्यम की स्थापना करने की सम्भावनाओं की बहुत गहराई से जांच की जानी चाहिए।

छठी योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के लिए जारी किए गये आशय-पत्र

[हिन्दी]

4844. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना के लिए कितने आशय-पत्र और लाइसेन्स जारी किये गये तथा ये किन-किन तारीखों को जारी किए गए; और

(ख) क्षेत्र-वार पिछड़े क्षेत्रों में अब तक कितने उद्योग शुरू किए जा चुके हैं तथा कितने आशय-पत्र और लाइसेन्स क्रियान्वित हुए हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) वर्ष 1980-81 से 1984-85 की अवधि में देश में केन्द्रीय रूप से घोषित किये गये विभिन्न पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन 2,889 आशय-पत्र और 1,166 औद्योगिक लाइसेन्स स्वीकृत किए गए थे। जारी किए ग ए प्रत्येक आशय-पत्र और औद्योगिक लाइसेन्स का ब्यौरा अर्थात, उपक्रम का नाम और पता निर्माण की वस्तु, क्षमता, स्थापना-स्थल, संख्या और जारी करने की तारीख भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित उनके "मंथली न्यूजलैटर" में नियमित रूप से दिया जा रहा है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में नियमित रूप से भेजी जा रही हैं।

(ख) आशय-पत्र एक वर्ष की प्रारम्भिक वैधता अवधि के लिए जारी किया जाता है और पर्याप्त औचित्य होने पर इनकी वैधता अवधि और भी बढ़ायी जा सकती है। उद्यमी द्वारा आशय-पत्र की शर्तों को पूरा कर लेने के पश्चात् आशय-पत्र को औद्योगिक लाइसेन्स में बदल दिया जाता है, औद्योगिक लाइसेन्स की प्रारम्भिक वैधता अवधि 2 वर्षों की होती है और न्यायोचित कारण होने पर इसकी वैधता अवधि और भी बढ़ायी जा सकती है। लगभग किसी भी औद्योगिक परियोजना के फलीभूत होने में सामान्यतः 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं। किन्तु, पनपने की अवधि प्रत्येक परियोजना में भिन्न-भिन्न होती है, वर्ष 1980-81 से 1984-85 के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किये गये 1166 औद्योगिक लाइसेन्सों में से 290 "कार्य चालू रहने" के लाइसेन्स थे। शेष 876 औद्योगिक लाइसेन्सों में से, 20 लाइसेन्स अब रद्द/निरस्त हो गए हैं।

हरियाणा में नए टेलीफोन कनेक्शनों की मांग

[अनुवाद]

4845. **श्री राम प्रकाश** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में इस समय नए टेलीफोन कनेक्शनों की कितनी मांग है;

(ख) वर्ष 1985 में सरकार इनमें कितनी मांग पूरी कर देगी तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए टेलीफोन कनेक्शनों की शेष मांग कब तक पूरी कर दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) हरियाणा में नए टेलीफोन कनेक्शनों की मौजूदा मांग 31-3-1985 को 11,452 थी।

(ख) जहां सम्भव है मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करके और नए एक्सचेंज खोलने के उपयुक्त प्रतीक्षा सूची में से 3,120 आवेदकों को 1985-86 के दौरान टेलीफोन दिए जाने की सम्भावना है।

(ग) नए टेलीफोन कनेक्शनों की शेष मांग को 7वीं योजना के दौरान उत्तरोत्तर पूरा किये

जाने की सम्भावना है, बशर्ते कि साधन उपलब्ध रहे ।

पश्चिम बंगाल में मिट्टी के तेल की आवश्यकता

4847. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में क्रमश: मिट्टी के तेल की कुल मांग कितनी थी;

(ख) कुल कितनी मात्रा सप्लाई की गई और किस दर से की गई;

(ग) उन दिनों खुदरा दर क्या थी;

(घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मिट्टी के तेल की कालाबाजारी को रोकने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) उक्त अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करने पर पश्चिमी बंगाल में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल सहित प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की मिट्टी के तेल की आवश्यकता का चार महीने की अवधि के आधार पर पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में आबंटित मात्रा में 5 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति देकर अनुमान लगाया जाता है । नियमित आबंटन के अतिरिक्त विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने के लिए तथा राज्य सरकारों के अनुरोध पर आबंटन कभी-कभी तदर्थ आधार पर भी किया जाता है । वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 में पश्चिमी बंगाल को आबंटित मिट्टी के तेल तथा उनके द्वारा उठाई गई मात्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(मीट्रिक टन)

वर्ष	आबंटन	बिक्री
1982-83	448,220	449,775
1983-84	484,370	489,485
1984-85	540,300	539,822

(ग) कलकत्ता में प्रति लीटर की खुदरा कीमतें इस प्रकार हैं :—

दिनांक	कीमत (रुपये में)
1.4.82 से 31.3.83	1.80
1.4.83 से 30.9.83	1.90
1.10.83 से 16.3.85	1.92
17.3.85 से 25.3.85	2.18
26.3.85 से आज तक	2.12

जिलों में खुदरा कीमतें तेल उद्योग डिपो से दूरी के आधार पर जिलाधीशों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

(घ) पेट्रोलियम मंत्रालय मिट्टी के तेल का आबंटन मासिक आधार पर राज्यों को करता है, ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों तथा विभिन्न क्षेत्रों के बीच मिट्टी के तेल का वास्तविक वितरण करना सम्बद्ध राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। समय-समय पर इस उत्पाद का विभिन्न क्षेत्रों में समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है। मिट्टी के तेल की जमाखोरी तथा काले बाजार में बेचने जैसे गलत काम में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, काला बाजार निवारण तथा आवश्यक वस्तु पूर्ति अनुरक्षण अधिनियम, 1980 और केरोसीन (फिक्सेशन आफ सेलिंग प्राइसेस) आर्डर, 1970 के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करने की उनको सलाह भी दी जाती है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या
1982-83	283
1983-84	117
1984-85	170

औषधियों का अनधिकृत निर्माण

4848. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 29 औषधि कम्पनियों द्वारा 432 औषधि फार्मूलेशनों के अनधिकृत निर्माण के प्रश्न की जांच के लिए वर्ष 1982 में एक अन्तः मन्त्रालयधीन कार्यदल गठित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां। बिना वैध औद्योगिक अनुमोदनों के औषध फार्मूलेशनों के उत्पाद के प्रश्न की जांच करने हेतु एक अन्तर-मन्त्रालय कार्यदल (आई०एम०टी०एफ०) गठित किया गया था।

(ख) आई०एम०टी०एफ० ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसे सभी फार्मूलेशनों पर रोक लगाने के आदेश देना समयोचित नहीं होगा। इसने यह सुझाव भी दिया कि ऐसे फार्मूलेशनों का चुनींदा

आधार पर विनियमन किया जाये ।

(ग) आई०एम०टी०एफ० की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है ।

उड़ीसा में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

4849. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में कितने सीमेंट कारखाने हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं तथा उनका वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या उड़ीसा में चूना भंडारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र में और अधिक संख्या में सीमेंट के संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में "मिनी" सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकार की सिफारिश सहित सरकार को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा कितने आवेदन अस्वीकार किए गए हैं और उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) :

(क)

संयंत्र का नाम और स्थापना स्थल	(लाख टन में) 1984 में उत्पादन
1. उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड, राजगंगपुर	4.66
2. हीरा सीमेंट वर्क्स, बारगढ़	3.78
3. कलिंगा सीमेंट लिमिटेड, बीरमित्रपुर	अभी हाल ही में उत्पादन शुरू हुआ है ।

(ख) राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद् (अभी तक सीमेंट अनुसन्धान संस्थान) द्वारा संकलित सूचना के अनुसार, उड़ीसा में सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के निक्षेपों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

		आरक्षित भंडार (दस लाख टन)			
क्र०सं०	जिला	मापित	मालूम हो चुके	अनुमानित	जोड़
1.	कोरापुर	10.33	10.33	90.48	111.11*
2.	संबलपुर	—	—	153.00	153.00
3.	सुंदरगढ़	64.58	2.00	487.75	554.33*
कुल आरक्षित भण्डार		74.91	12.33	731.20	818.44

*इन आंकड़ों में विस्फोटक भट्टी श्रेणी और इस्पात मिल शाप-ग्रेड चूने के पत्थर के आरक्षित भण्डार भी शामिल हैं।

(ग) उड़ीसा के औद्योगिक संवर्धन और निवेश निगम को मार्च, 1985 में उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में मिनी सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने के लिए एक औद्योगिक लाइसैंस की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, उन्हें उड़ीसा के कोरापुट जिले में दूसरे मिनी सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने के लिए दिसम्बर, 1983 में एक आशयपत्र की मंजूरी दी गई थी।

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए 6 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन आवेदनों में 4 आवेदन मुख्य रूप से इस कारण से रद्द कर दिए गए थे क्योंकि उड़ीसा सरकार प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए पर्याप्त कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर सकी थी।

शीतल पेयों का उत्पादन करने वाली बहु-राष्ट्रिक कम्पनियां

4850. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कितनी बहु-राष्ट्रिक कम्पनियां शीतल पेयों का उत्पादन करने के लिए भारत में अपने संयंत्र चला रही हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : कोई भी नहीं।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में कार्यरत कर्मचारी

4851. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में विभिन्न ग्रेडों में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान (वर्ष वार) विभिन्न ग्रेडों में कितने कर्मचारियों को नियुक्त किया गया; और

(ग) तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) 1 जनवरी, 1985 को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में विभिन्न ग्रेडों में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या 40,612 थी।

(ख) सम्बद्ध सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	विभिन्न ग्रेडों में भर्ती कर्मचारियों की संख्या
1982	4,211
1983	5,952
1984	5,801

(ग) विवरण नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं०	पद की श्रेणी	निम्नलिखित के दौरान नियुक्त अधिकारियों की संख्या		
		1982	1983	1984
1.	अधिकारी	1,861	1,699	1,183
2.	कर्मचारी	2,350	4,253	4,618

सफेद सीमेंट का आयात

4852. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल**
प्रो० रामकृष्ण मोरे } : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग ने सरकार से सफेद सीमेंट के आयात पर रोक का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) तथा (ख) सफेद सीमेंट बनाने वाले विद्यमान उत्पादकों में से एक उत्पादक ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि सफेद सीमेंट के आयात पर रोक लगाई जाए।

(ग) 1984-85 में उद्योग मन्त्रालय द्वारा सफेद सीमेंट के आयात की अनुमति नहीं दी गई थी, और इस समय भी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योग

4854. **प्रो० पी०जे० कुरियन** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को उच्चतम प्राथमिकता दी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों में कितने उद्योगों की स्थापना की गई;

(ग) उन क्षेत्रों में कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वर्ष 1983 और 1984 के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए जारी किये गये आशय-पत्र, औद्योगिक लाइसेंस तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण की संख्या नीचे दिखाई गई है :—

वर्ष	आ०प०	औ०ला०	तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण
1983	1055	1075	1155
1984	1064	905	1106

आशय-पत्र औद्योगिक लाइसेंस तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण के ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र की "मन्थली न्यूज लेटर" में प्रकाशित किए जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। रोजगार से सम्बन्धित आंकड़े नहीं रखे जाते।

गुजरात के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

4855. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य में विशेष रूप से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े

हुए क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में और अधिक उद्योगों की स्थापना का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा आदिवासी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान गुजरात राज्य सरकार उपक्रमों से 19 औद्योगिक लाइसैंस के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। उनके निपटान की स्थिति निम्न प्रकार है :—

आवेदन पत्रों की संख्या	निपटान की स्थिति
7	जारी किए गए आशय-पत्र।
8	अस्वीकृत।
4	लंबित।

आशय-पत्रों के ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मंथली न्यूज लैटर में प्रकाशित किए जाते हैं जो संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों सहित पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्यमियों को निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध हैं :—

क. केन्द्रीय निवेश राजसहायता।

ख. रियायती वित्त।

ग. इंजीनियर उद्यमियों को ब्याज सहायता।

घ. मूल/सीमांत धन सहायता।

ङ. भाड़ा-खरीद के आधार पर मशीनों की खरीद के लिए सुविधा।

च. कर रियायत।

छ. तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श।

ज. केन्द्रस्थ संयंत्रों के लिए विशेष रियायत।

शिक्षा संस्थाओं में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आरक्षण

4856. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण को

सुविधा दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं;

(ग) क्या केरल सरकार शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के मामले में ये दिशानिर्देश क्रियान्वित कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) भूतपूर्व सैनिकों/रक्षा कार्मिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश देने के लिए कुछ राज्यों में सीटें आरक्षित हैं ।

(ख) शिक्षा और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालयों ने समय/समय पर राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि जो रक्षा कार्मिक युद्ध/संघर्ष के दौरान मारे गए या अपंग हुए हैं तथा जो शांति के समय मारे/अशक्त हुए हैं उनके बच्चों के लिए इंजीनियरी/व्यावसायिक/चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में सीटें आरक्षित की जाएं । इसी प्रकार श्रम मंत्रालय ने भी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को लिखा है कि भूतपूर्व सैनिकों/सेवारत रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए प्रत्येक आई० टी० आई० में कुछ सीटें आरक्षित की जाएं ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार केरल सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों/सेवारत रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए निम्नलिखित आरक्षण किए हैं :—

(1) इंजीनियरी	—	16 सीटें
(2) चिकित्सा	—	8 सीटें
(3) आई० टी० आई०	—	15%
(4) पॉलीटेकनिक	—	3 सीटें
(5) बी० एड०	—	6 सीटें
(6) एल० एल० बी०	—	6 सीटें

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एझीमाला में नौसेना अकादमी

4857. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने एझीमाला में नौसेना अकादमी के लिए भूमि सौंप दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो अकादमी कब से काम करना शुरू कर देगी;

(घ) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(ङ) उक्त अकादमी में कितने कैडेटों को प्रवेश मिलने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) कुल 1000 हैक्टेयर भूमि की जरूरत में से 979.6498 हैक्टेयर भूमि ले ली गई है और शेष भूमि को लेने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ग) और (घ) वास्तुशिल्पी सम्बन्धी कार्य और डिजाइनों का काम पूरा होने पर सिविल निर्माण कार्य-आरम्भ हो जाने की संभावना है। वास्तुशिल्प ड्राइंग के आधार पर अनुमानित व्यय का हिसाब तैयार किया जाना है। आशा है कि अकादमी लगभग 6 वर्षों में कार्य आरम्भ कर देगी। इसके लिए 40 करोड़ रुपयों के खर्चे का प्रबन्ध किया जा रहा है।

(ङ) यहां शुरू में 600 कैडेटों और जूनियर अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी जिसे बाद में 1000 तक बढ़ा दिए जाने की संभावना है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिए भूकम्पीय सवक्षण करने हेतु हेलीकोप्टर

4858. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने भूकम्पीय सर्वेक्षण के लिए हेलीकोप्टर खरीदने हेतु कोई कदम उठाये हैं अथवा ऐसा विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को हेलीकोप्टर निर्माताओं से अब तक प्राप्त हुई पेशकशों की मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) उन पेशकशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग स्वीकार करने योग्य समझता है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये/उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में तार घर

4859. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितने तार घर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस समय उड़ीसा में 925 संयुक्त डाक-तारघर तथा 16 विभागीय तारघर कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) उड़ीसा सरकार ने ग्राम पंचायत-मुख्यालयों तथा अन्य स्थानों अर्थात-धेनकनाल-जिले में खामाल बैरेज तथा कनिछा, सम्बलपुर जिले में सरकारा, टोरा, बारडोल, झारबंध, बुजेपुर, लौमुण्डा, सैपाली, गैसीलेट, कुंदखई, देवगढ़, टाउन, नकटीडुयेल, गांव, किसन्डा, और झारसुगुडा के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा बालासोर जिले में पद्मपुर, जमुखादी, डीए, मारकोना तथा मैतरौर में अनेक संयुक्त डाक-तारघर खोलने के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक दूरसंचार, भुवनेश्वर से अनुरोध किया है।

आगे कार्रवाई करने हेतु तकनीकी संभावना तथा आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार किया जा रहा है।

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन

[हिन्दी]

4860. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या **पेट्रोलियम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को खाना पकाने की गैस के कनेक्शन देने के लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ कर जो उन शहरों/नगरों के निकटस्थ हैं और उसके परिसर में हैं, जहां एल० पी० जी० का विपणन किया जा रहा है, तेल उद्योग ने एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसी विशिष्ट स्थान को अभी तक शामिल नहीं किया है। तथापि बिहार सहित विभिन्न राज्यों के 20,000 और इससे अधिक की जनसंख्या वाले छोटे नगरों को तेल उद्योग द्वारा एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के लिए चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जा रहा है जो एक आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य डीलरशिप के लिए पर्याप्त विपणन क्षमता प्रदान करते हैं।

बिहार के उद्योग रहित जिलों के लिए जारी किए गए आशय-पत्र

4861. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के उद्योग रहित जिलों में मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित करने के लिए पिछले वर्ष कितने आशय-पत्र जारी किये गये ; और

(ख) बिहार के इन जिलों में ये उद्योग स्थापित करने के कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं और उन पर कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) बिहार के "उद्योग रहित जिलों" में उद्योग स्थापित करने के लिए 1 जनवरी, 1984 से 31 मार्च, 1985 तक उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन 5 आशय पत्र मंजूर किए गए थे।

(ख) बिहार के "उद्योग रहित जिले" में एक औद्योगिक एकक की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेंस के लिए। आवेदन इस समय विचाराधीन है। सरकार का यह निरन्तर प्रयास रहता है कि औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदन यथाशीघ्र निपटा दिए जाएं।

कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में और अधिक सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

[अनुवाद]

4862. **श्री बी०एस० कृष्णा अय्यर** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में सीमेंट संयंत्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस जिले में और अधिक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) इस समय जिला गुलबर्गा में 5 सीमेंट संयंत्र उत्पादन कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इस जिले में सीमेंट संयंत्रों के विस्तार/स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों/तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण के माध्यम से भी 23 और पार्टियों को अनुमति दे दी गई हैं जिसमें कुर्कुन्टा में सीमेंट कार्पोरेशन के विद्यमान एकक का विस्तार करना भी सम्मिलित है।

ट्राम्बे (बम्बई) में उर्वरक संयंत्रों की ओवर हाल

4863. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लि० कंपनी प्रबन्धकों ने मार्च, 1985 में ट्राम्बे (बम्बई) स्थित अपने संयंत्र को ओवरहाल करने का आदेश दिया है;

(ख) क्या इस प्रकार के संयंत्र को एक निश्चित समय के भीतर नियमित रूप से ओवर-हाल की आवश्यकता होती है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त संयंत्र में नियमित रूप से मरम्मत कब होनी थी ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) ट्राम्बे 5 अमोनिया संयंत्र के कम्प्रेसरों का वार्षिक मरम्मत और ओवरहालिंग का कार्य आरम्भ किया और मार्च, 1985 में पूर्ण किया गया। अमोनिया संयंत्र-I, यूरिया संयंत्र-I, सल्फा संयंत्र तथा सल्फ-यूरिक एसिड संयंत्र का वार्षिक मरम्मत रखरखाव अप्रैल, 1985 में आरम्भ किया गया। इसके अप्रैल, 1985 के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है। अन्य संयंत्रों के मामले में वार्षिक मरम्मत रख-रखाव का काम आरम्भ करना संयंत्र की स्थितियों और उपलब्ध अवसरों पर निर्भर करता है।

(ख) जी हां।

(ग) इन संयंत्रों के लिए हर वर्ष या हर दो वर्ष में मरम्मत रख-रखाव अपेक्षित होती है। और यह मुख्यतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ, अर्थात् अप्रैल/मई के महीने में आयोजित किए जाते हैं।

पटना में स्थित रक्षा लेखा नियन्त्रक के कार्यालय का स्थानान्तरण

[हिन्दी]

4864 **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटना स्थित रक्षा लेखा नियन्त्रक के कार्यालय को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्यवाही भूतपूर्व वित्त मंत्री द्वारा लिखित रूप में दिए गए आश्वासन के विरुद्ध होगी;

(ग) क्या सरकार की इस नीति के परिणामस्वरूप वहां काम कर रहे कर्मचारियों में अत्याधिक असंतोष और रोष है;

(घ) क्या इस कार्यवाही के विरुद्ध वहां काम कर रहे कर्मचारियों की यूनियनों ने कोई ज्ञापन भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

जबलपुर प्रूफ रेंज में दुर्घटनाएं

[हिन्दी]

4865. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान जबलपुर प्रूफ रेंज में कितनी दुर्घटनायें हुई;

(ख) इन दुर्घटनाओं के शिकार हुए परिवारों के आश्रितों को दी गई अनुग्रह राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्वा कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान जबलपुर लांग प्रूफ रेंज में किसी दुर्घटना की सूचना नहीं मिली है ।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने इस रेंज को "प्रतिबंधित क्षेत्र" घोषित किया है जिसमें प्रवेश करना गैर कानूनी और दण्डनीय है । अत: अनुग्रह राशि देने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस रेंज क्षेत्र में अतिक्रमण रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को पुलिस चौकसी बढ़ाने और रेंज क्षेत्र में प्रवेश से होने वाले खतरों से लोगों को आगाह करने के लिए समय-समय पर कहा गया है ।

विशेष श्रेणी के अन्तर्गत और विशेष मामलों में टेलीफोन की मंजूरी

[अनुवाद]

4866. **श्री एम० डेनिस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने विशेष श्रेणी के अन्तर्गत और विशेष मामलों में टेलीफोनों की मंजूरी करने हेतु क्या मानदण्ड और शर्तें तथा प्रक्रिया निर्धारित की है;

(ख) क्या शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन, धार्मिक संस्थान, स्वयंसेवी संगठन, विशेष श्रेणी के अन्तर्गत और प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन पाने के पात्र हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार संसद सदस्यों की सिफारिशों पर भी प्राथमिकता देगी/देने पर विचार करेगी ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जानकारी संलग्न विवरण

में दी गई है।

(ख) जी, हां। मामले की योग्यता के आधार पर उचित मामलों में बिना बारी के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए जा सकते हैं।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) टेलीफन कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्राथमिकता देने से सम्बन्धित संसद सदस्यों की सिफारिश को यथोचित महत्व दिया जाता है।

विवरण

निम्नलिखित संगठनों/संस्थानों/निजी व्यक्तियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद विशेष श्रेणी में 'ओ० वाई० टी०' और 'गैर-ओ० वाई० टी०' योजना के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शनों की मांग दर्ज की जाती हैं।

(क) **'ओ० वाई० टी०-विशेष' श्रेणी**

(1) सरकारी विभाग

(2) सार्वजनिक उद्यम और स्वायत निकाय

(3) संयुक्त क्षेत्र के उद्यम जहां सरकारी हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक है।

(4) सार्वजनिक उद्यमों के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी

(5) विदेशी मुद्रा अर्जक

(6) एल० पी० जी० गैस वितरक

(7) स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रों के उद्यमी

(8) शत-प्रतिशत निर्यात करने वाली यूनिटें

(9) प्राइवेट स्कूल और कालेज

(10) सिनेमा हाल और होटल

(11) गैर-आवासीय भारतीय और विदेश गये हुए भारतीय मूल के विदेशी नागरिक जो भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के जरिये 2000 अमरीकी डालर की राशि जमा करा दें।

(ख) **'गैर-ओ० वाई० टी०-एस० एस०' श्रेणी**

(1) विदेशी मिशन और दूतावास; संयुक्त राष्ट्र संघ

(2) संसद सदस्य, विधायक, सदस्य विधान परिषद, नगर निगम के सदस्य, महानगर परिषद के सदस्य तथा छावनी बोर्ड के सदस्य

(3) अग्रता सूची में दर्ज विशिष्ट व्यक्ति

(4) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सेवा निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी

(5) राजकीय अनुसंधान परिषदों के महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निदेशक विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त उप-कुलपति; और

(6) सेवा-निवृत्त डाक्टर यदि गैर-ओ० वाई० टी०—विशेष श्रेणी में उन्होंने पहले टेलीफोन कनेक्शन न लिया हो।

(ग) 'गैर-ओ० वाई० टी०-विशेष' श्रेणी

(1) मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा धारक डाक्टर, योग्यता प्राप्त नर्सें और रजिस्टर्ड दाईयां, प्रकृति चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा

(2) रजिस्टर्ड समाचार पत्र, जर्नल और पत्र-पत्रिकायें, रजिस्टर्ड समाचार एजेंसियां

(3) मान्यता प्राप्त प्रेस संवाददाता और प्रेस फोटोग्राफर

(4) सार्वजनिक संस्थान (सार्वजनिक निधि द्वारा चलाये जाने वाले)

(5) लघु उद्योग

(6) सहकारी स्कूल और कालेज

(7) स्वतन्त्रता सैनानी

(8) मान्यता प्राप्त ट्रैड यूनियन जिनके कम से कम 2000 सदस्य हों

(9) कानूनी सहायता समितियां और

(10) विशिष्ट व्यक्ति

तमिलनाडु में खाना पकाने की गैस की सुविधायें

4867. **श्री एन० डेनिस** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के उन शहरों के नाम क्या हैं जहां आगामी दो वर्षों में खाना पकाने की गैस सुविधा देने का विचार है; और

(ख) तमिलनाडु में उक्त सुविधा कुल कितने शहरों में दी जाएगी ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) तेल उद्योग की नई एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने, की विपणन योजनायें वार्षिक आधार पर तैयार की जाती हैं। 1985-86 की योजना को तेल उद्योग द्वारा अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता है।

अमरीका द्वारा उपग्रहों के माध्यम से भारत के बारे में प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारी का पाकिस्तान को भेजा जाना

4868. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका अपने उपग्रहों के माध्यम से हमारे देश के बारे में प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तान को भेजता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए गए अथवा किए जाने वाले प्रस्तावित निवारक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई पक्की सूचना नहीं है ।

(ख) सरकार उन सभी गतिविधियों को ध्यान में रखती है जिनसे देश की सुरक्षा को खतरा है और इनसे बचाव के लिए उचित उपाय करती है ।

दक्षिणी समुद्री सीमा क्षेत्र में श्रीलंका की गतिविधियां

4869. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के दक्षिणी समुद्री सीमा क्षेत्र में श्रीलंका की गतिविधियों के कारण स्थिति नाजुक हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तटरक्षक संगठन को मजबूत और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां ।

(ख) तट रक्षक संगठन की विकास योजना को ध्यान में रखते हुए इसमें विमानों और हेलीकाप्टरों की स्थायी व्यवस्था सहित अधुनातम पोत/छोटे जलयान और विमान शामिल करके इस संगठन को निरन्तर सुदृढ़ और सुव्यवस्थित किया जा रहा है। इस योजना के अनुसार जहां भी संभव हो जल्दी से जल्दी पोत/विमान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है ।

सभी उद्योगों की परिचालन और लागत लेखा परीक्षा

4870. **श्री विष्णु मोदी**
श्री शांति धारीवाल } : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी उद्योगों में उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने की वर्तमान धारणा को ध्यान में

रखते हुए सभी उद्योगों में निरन्तर आधार पर परिचालन और लागत लेखा परीक्षा लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली से उत्पादकता में सुधार का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता, जो कि वित्तीय लेखा परीक्षा का अन्य एक विकल्प है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक उद्योग में परिचालन और लागत लेखा परीक्षा प्रणाली लागू न करने के क्या कारण हैं जिनमें भारी पूंजी लगी हुई है, जो बड़े पैमाने पर सरकार वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा उपलब्ध की जाती है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) कम्पनी अधिनियम की धारा 233ख के उपबन्धों के अन्तर्गत लागत लेखा-परीक्षा का उत्पादों के विनिर्माण करने वाली कम्पनियों के विषय में आदेश दिए जा सकते हैं, जिनके लिए कम्पनी अधिनियम की धारा 209 (1) (घ) के अन्तर्गत लागत लेखा-परीक्षा अभिलेख नियम निर्धारित किये गये हैं। लागत लेखा-परीक्षा अभिलेख नियमों के अधीन पहले ही 33 उद्योगों को लिया जा चुका है तथा इस सम्बन्ध में सीमा क्षेत्र को वर्ष से वर्ष तक बढ़ाया जा रहा है।

धारा 233 ख तत्रैव में जैसा प्रावधान है, लागत लेखा-परीक्षा का तभी आदेश दिया जाता है, जब केन्द्रीय सरकार उसे आवश्यक समझे। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत "परिचालन लेखा-परीक्षा" के लिए नहीं सोचा गया है।

केरल में नारियल-जटा उद्योग को वित्तीय सहायता

4871. **श्री टी० बशीर** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष के दौरान नारियल जटा उत्पादों की बिक्री पर रियायत (रिबेट) योजना के अन्तर्गत केरल में नारियल-जटा उद्योग को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : कंयर बोर्ड की "भारत में कंयर उत्पादों की बिक्री पर रियायत" योजना के अन्तर्गत, वर्ष 1984-85 में हथकरघा कंयर उत्पादों की बिक्री पर 20 प्रतिशत रियायत की अनुमति दी गई थी। इस योजना के अंतर्गत हुए व्यय को राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश और कंयर बोर्ड द्वारा वहन किया जाना था। ऐसे उत्पादों, जिसमें केरल का उत्पाद और बिक्री भी शामिल है, की बिक्री पर वर्ष 1984-85 में ग्राहकों को 11.39 लाख रु० की रियायत दी गई थी।

उड़ीसा डाक व तार सर्किल में कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

4872. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में भुवनेश्वर में कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1985-86 में भुवनेश्वर तथा डाक व तार सर्किल उड़ीसा में अन्य

विभिन्न स्थानों पर कर्मचारियों के लिए अधिक क्वार्टरों का निर्माण करने के लिए 1985-86 के बजट में कोई प्रावधान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

दूरसंचार :

(ख) और (ग) उड़ीसा सर्किल में अन्य स्थानों पर 312 क्वार्टर निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। 6 दूरसंचार स्टाफ क्वार्टरों की भी योजना बनाई गई है। यदि निधि उपलब्ध रही तो क्वार्टरों का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।

डाक :

(क) विभागीय मार्ग निर्देशनों के अनुसार भुवनेश्वर जैसे स्थानों पर कुल विभागीय स्टाफ के 15 प्रतिशत को विभागीय क्वार्टर उपलब्ध हो सकते हैं। भुवनेश्वर में 25 प्रतिशत स्टाफ को क्वार्टर उपलब्ध कराए गए हैं।

(ख) और (ग) 1985-86 के दौरान उड़ीसा में अन्य स्थानों पर 10 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण की व्यवस्था की गई है।

हैदराबाद में क्षेत्रीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों का निर्माण

4873. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में क्षेत्रीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों, प्रशासनिक होस्टलों और कक्षाओं के कमरों का निर्माण कार्य पूरा करने की निर्धारित तिथि क्या है; और

(ख) भवनों का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था और विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) क्षेत्रीय दूर-संचार प्रशिक्षण केन्द्र के भवन की वास्तुशिल्पीय ड्राइंग तैयार की जा रही हैं। भवन का निर्माण कार्य शुरू करना निधि की उपलब्धता पर निर्भर रहेगा। इस प्रकार भवन का निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा, इसकी निश्चित तारीख बता पाना इस समय सम्भव नहीं है। होस्टल भवन के निर्माण का पहला चरण पूरा हो गया है।

आन्ध्र प्रदेश में दूरसंचार भवनों का निर्माण

4874. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में छोटे, मध्यम और बड़े दर्जे के एक्सचेन्जों और दूर संचार के कर्म-चारियों के क्वार्टरों तथा टेलीफोन तथा दूरसंचार भवनों के निर्माण के लिए 1978 से अब तक

कितने स्थलों का अर्जन किया है;

(ख) उक्त निर्माण स्थलों में से (एक) कितने स्थलों पर भवनों का निर्माण हुआ है; और (दो) भवन योजनायें मंजूर की गई है और अण्डमान को मन्जूरी दी गई है;

(ग) शेष स्थलों पर निर्माण कार्य न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) अस्थायी किराए के भवनों के उपकरणों को रखने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) आन्ध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल में 1978 से छोटे, मध्यम तथा बड़े एक्सचेन्जों के भवन तथा स्टाफ क्वार्टरों के लिए उपार्जित स्थलों की संख्या 501 है।

(ख) (एक) निर्मित भवनों की संख्या 201 है।

(दो) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें भवन के नक्शे अनुमोदित कर दिए गए हैं, प्राक्कलन मन्जूर कर लिए गए हैं तथा जिन पर निर्माण कार्य चल रहा है ?

(ग) तथा (घ) नियमों के अनुसार वास्तविक रूप में आवश्यक भूमि अधिग्रहण के लिए पर्याप्त समय पहले कार्यवाही की जाती है। आवश्यकता और निधि की उपलब्धता के अनुसार भवनों आदि की योजना तैयार करने की अगली कार्रवाई की जा रही है।

बिना बारी के आधार पर टेलीफोन आबंटन की नीति

4875. **श्री ई०एस०एम० फकीर मोहम्मद** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कुल कितने टेलीफोन हैं; और

(ख) बिना बारी के आधार पर टेलीफोन आबंटन सम्बन्धी नीति क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) यह जानकारी देना सम्भव नहीं है क्योंकि निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रदान किए गए टेलीफोनों का रिकार्ड अलग अलग नहीं रखा जाता है।

(ख) भारी संख्या में टेलीफोन काल करने वाले उपभोक्ताओं को परियात में राहत देने या मल्टी-एक्सचेंज टेलीफोन प्रणाली में जब 'मेन टेलीफोन' या इसके "एक्सटरनल एक्सटेंशन" का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अंतरण किया जाना हो तो क्षेत्र अंतरण के लिए बिना बारी आधार पर स्थाई टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जा सकते हैं। दूरसंचार सर्किलों एवं टेलीफोन जिलों के

अध्यक्ष "ओ०वाई०टी० विशेष" एवं "गैर-ओ०वाई०टी०एस०एस०" प्राथमिकता वाली श्रेणियों में से अपने विवेक से उपयुक्त मामलों में टेलीफोन मंजूर कर सकते हैं। अन्य उपयुक्त मामलों में मुख्यालय द्वारा बिना बारी आधार पर टेलीफोन की मंजूरी दी जा सकती है।

महानगरों में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

4876. **श्री ई०एस०एम० पकीर मोहम्मद** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चार महानगरों में कितने सार्वजनिक टेलीफोन बूथ पूरा कार्य कर रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : 1 मार्च, 1985 को चार महानगरों में कार्य कर रहे सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या नीचे दी गई है :

बम्बई	6655
कलकत्ता	955
दिल्ली	3782
मद्रास	877

इनमें से कुछ टेलीफोन 'बूथ्स' में प्रदान किए गए हैं और शेष इसके बगैर हैं।

बेरोजगार स्नातकों को पेट्रोल पम्पों का आबंटन

4877. **श्री ई०एस०एम० पकीर मोहम्मद** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में पैट्रोल पम्पों की मंजूरी करने सम्बन्धी सामान्य नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार की बेरोजगार स्नातकों को पेट्रोल पम्पों का आबंटन करने की कोई योजनायें हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उद्यमियों को कोई वित्तीय सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) तेल उद्योग निर्धारित मात्रा-दूरी मानदण्डों के आधार पर नये खुदरा पैट्रोल बिक्री केन्द्र (पैट्रोल/डीजल पम्प) खोलने का पता लगाने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण करता है। इस प्रकार पता लगाए गए स्थानों को तेल उद्योग की विपणन योजना में वार्षिक आधार पर चरणबद्ध तरीके से शामिल कर लिया जाता है। मानदण्ड के अनुसार नए खुदरा पेट्रोल बिक्री केन्द्रों के 407 केन्द्रों को ग्रामीण

क्षेत्रों में कम लागत के पेट्रोल पम्पों के रूप में खोलने पड़ते हैं। मौजूदा मार्गदर्शी-सिद्धान्तों के अन्तर्गत तेल कम्पनियों की डीलरशिपों का 25% आरक्षण बेरोजगार स्नातकों (य०सी०) के लिया रखा जाता है।

(ग) और (घ) रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने तेल उद्योग के परामर्श से सामाजिक उद्देश्य वर्ग के अन्तर्गत चुने गए डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना तैयार की है। इसमें बेरोजगार स्नातक वर्ग भी शामिल हैं। इस योजना के अन्तर्गत सभी सरकारी क्षेत्र (राष्ट्रीयकृत) बैंकों द्वारा दोनों कार्यचालन पूंजी और आवधिक ऋणों के लिए कुल आवश्यकता के 75% तक ऋण रियायती शर्तों पर दिया जा सकता है। मोटे तौर पर उधार सुविधाएं (I) कारोबार में स्टाक की खरीद अर्थात् पेट्रोल, डीजल और (II) कारोबार और भवन निर्माण के लिए मशीनों/उपकरणों की खरीद के लिए दी जा सकती है।

न्यायाधीशों की पेंशन की अधिकतम सीमा

4878. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक सेवा-निवृत्त न्यायाधीश द्वारा फाइल की गई रिट याचिका पर निर्णय देते हुए पेंशन की अधिकतम सीमा हटाने के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्रवाई करने का है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय के एक सेवा-निवृत्त न्यायाधीश द्वारा फाइल की गई रिट याचिका में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए उस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्रतीक्षा की जा रही है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने, न्यायाधीशों की पेंशन की अधिकतम सीमा हटाने के बारे में सुझाव दिया है। सुझाव पर, उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स लि० के मुख्यालय को दिल्ली से स्थानान्तरित करना

4879. **बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में स्थित हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स लि० जैसे सरकारी क्षेत्र के उर्वरक एककों के मुख्यालय को दिल्ली से हटाकर पूर्वी क्षेत्र में स्थित करने का निर्णय किया था;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इस बारे में कुछ कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय यह मामला किस स्तर पर है; और

(घ) इन मुख्यालयों का स्थान कब बदला जाएगा ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मुख्यालय का स्थानान्तरण दिल्ली से कलकत्ता करने से सम्बन्धित कार्य का देखभाल करने के लिए एफ०एच०सी० ने अपने कलकत्ता स्थित हल्दिया प्रभाग कार्यालय में जुलाई, 1979 में एक कक्ष की स्थापना की थी। निगम अपने कार्यालय के लिए उचित स्थान की खोज कर रहा था, इसी दौरान सरकार के पास स्थानान्तरण के विरुद्ध प्राप्त कुछ अभ्यावेदनों का निपटान होने तक निगम को 7.5.80 को इस सम्बन्ध से कोई वित्तीय वायदे न करने के लिए कहा गया। अतः कम्पनी ने इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही नहीं की।

दूरसंचार संबंधी सरीन समिति की सिफारिश

4880. **श्री जंगा रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार सम्बन्धी सरीन समिति ने सिफारिश की थी कि बाह्य संयंत्र के लिए दूसरा दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र के लिए एक दूसरा यूनिट होना चाहिए और इसे हैदराबाद में स्थित होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सिफारिश मान ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त यूनिट को स्थापित करने में होने वाले विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) हैदराबाद में संयंत्र के लिए टी० आर० सी० की एक दूसरी यूनिट स्थापित करने सम्बन्धी परियोजना की मंजूरी दे दी गई है और हैदराबाद में भूमि भी निर्धारित की जा चुकी है।

आन्ध्र प्रदेश में दूरसंचार के महाप्रबन्धक के लिए प्रशासनिक भवनों का निर्माण

4881. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद में दूरसंचार परिमण्डल, आन्ध्र प्रदेश के महाप्रबंधक के कार्यालय के लिए प्रशासनिक भवनों का निर्माण करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति और व्यय की मन्जूरी कब दी गई थी;

(ख) उक्त भवनों के निर्माण में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त भवनों का निर्माण कार्य करने की लक्षित तारीख क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) महाप्रबन्धक दूरसंचार, आन्ध्र प्रदेश सर्किल, हैदराबाद के कार्यालय हेतु प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की मंजूरी जुलाई, 1981 में दी गई थी।

(ख) भवन निर्माण में विलम्ब का कारण निर्माण स्थल में परिवर्तन होना है जिसके परिणामस्वरूप संरचनात्मक डिजाइन आदि में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया।

(ग) इस भवन के अन्त तक पूरे होने की सम्भावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

रूराफोन का विकास

4882. **श्री सी० गंगा रेड्डी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र ने रूराफोन के विकास सम्बन्धी कार्य हाथ में लिया था;

(ख) क्या इसे मैसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ने इसका उत्पादन करना और डाक तथा तार विभाग को सप्लाई करना स्वीकार कर लिया है; और

(ग) इनमें से कितने सप्लाई किये जा चुके हैं और उनका कार्य-निष्पादन किस प्रकार का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस प्रकार का विकास कार्य 1974 में मै० भारतीय टेलीफोन उद्योग, नैनी की अनुसंधान एवं विकास यूनिट द्वारा प्रारम्भ किया गया था।

(ख) दूरसंचार विभाग की आवश्यकता की पूर्ति हेतु डिजाइन में संशोधन करना पड़ा और मै० भारतीय टेलीफोन उद्योग ने संशोधित रूप को प्रायोगिक उत्पादन एवं सप्लाई के लिए स्वीकार कर लिया है।

(ग) फील्ड परीक्षण हेतु अब तक विभाग में संशोधित किस्म के 10 टर्मिनल प्राप्त हो गए हैं।

उत्तर प्रदेश में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

[हिन्दी]

4883. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी, चमोली और टिहरी में 1977 से लेकर अब तक वर्षवार कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए हैं;

(ख) क्या विभाग को उक्त जिलों में कुछ और टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के बारे में जन प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियों और इनमें टेलीफोनों के महत्व को देखते हुए उक्त टेलीफोन एक्सचेंजों को खोलने की सामाजिक आवश्यकताओं को अंदाजा लगाने हेतु आय को मानदंड बनाये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 25 लाइनों के छोटे स्वचल एक्सचेंज उन स्थानों पर खोले जा सकते हैं, जहां कम से कम 10 कनेक्शनों की मांग हो और राजस्व वार्षिक आवर्ती व्यय का 40 प्रतिशत हो । इसी प्रकार 50 और 100 लाइनों के एक्सचेंज भी खोले जा सकते हैं बशर्ते कि वहां टेलीफोन कनेक्शनों की न्यूनतम मांग क्रमश: 23 और 46 हो तथा राजस्व वार्षिक आवर्ती व्यय का 60 प्रतिशत और 70 प्रतिशत हो । इस प्रकार ग्रामीण इलाकों में छोटे एक्सचेंज आर्थिक सहायता के आधार पर खोले जा सकते हैं ।

विवरण

अनुबंध

1977 के बाद उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में खोले गए एक्सचेंजों का जिला-वार ब्यौरा

वर्ष	जिले का नाम	खोले गए एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
77-78	अल्मोड़ा	1
78-79	पिथौरागढ़	1
	टिहरी	2
79-80	चमोली	1
80-81	अल्मोड़ा	1
	पिथौरागढ़	2
	चमोली	1
81-82	अल्मोड़ा	5
	पिथौरागढ़	1

1	2	3
82-83	अल्मोड़ा	4
	पिथौरागढ़	2
	चमोली	2
	टिहरी	1
83-84	अल्मोड़ा	1
	चमोली	1
84-85	अल्मोड़ा	3
	पिथौरागढ़	2
	टिहरी	1
	कुल	32

उद्योगीकरण के लिए नेपाल को सहायता

[अनुवाद]

4884. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेपाल के उद्योगीकरण के लिये उस देश की सहायता करने का है;

(ख) यदि हां, तो नेपाल द्वारा अपने देश के उद्योगीकरण के लिए मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में दोनों देशों ने यदि कोई शर्तें तय की हैं और किसी करार पर हस्ताक्षर किये हैं तो वह क्या हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) भारत और नेपाल के बीच औद्योगिक सहयोग के समझौते से सम्बन्धित ज्ञापन पत्र पर सितम्बर, 1978 को हस्ताक्षर किए गए थे। सहयोग के लिए अनेक परियोजनायें निर्धारित की गई थीं। सहयोग के ज्ञापनपत्र में नेपाल और भारत दोनों देशों में ही नेपाल के उद्यमियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु तथा परियोजना अध्ययनों के अनुदानों और नेपाल में लघु उद्योगों के विकास के लिए पूंजीगत वस्तुओं की खरीद के लिए ऋण आदि की व्यवस्था की गई है। सहयोग से सम्बन्धी ज्ञापन पत्र में निर्धारित की गई अत्यधिक महत्वपूर्ण परियोजना उस देश में मिनी सीमेंट संयंत्र की स्थापना करना है, जिसकी जीव्यता की जांच की जा रही है।

कीटनाशक दवाइयों पर मूल्य नियन्त्रण

4885. **श्री एन० वेंकट रत्नम** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कीटनाशक दवाइयों पर सांविधिक मूल्य नियंत्रण लागू करने के बजाए उनकी व्यवहार्यता की जांच करने के लिए औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो का गठन किया है;

(ख) क्या ब्यूरो द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(घ) यदि नहीं, तो उसमें देरी के क्या कारण हैं और

(ङ) प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त करने के लिए यदि कोई कदम उठाए गए हैं तो वे क्या हैं क्योंकि अगला कृषि मौसम शीघ्र की शुरू होने को है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ङ) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो उन मदों की लागत और मूल्यों की जांच करती है जिन्हें सरकार द्वारा उसके पास भेजा जाता है और जो केवल पेस्टीसाइड्स तक ही सीमित नहीं हैं। सरकार ने औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से तकनीकी ग्रेड पेस्टीसाइड्स/पेस्टीसइड्स फार्मूलेशनों के लागत मूल्य ढांचे का अध्ययन करने को कहा है। ब्यूरो मामले का अध्ययन कर रही है और रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की गई है। अध्ययन में पेस्टीसाइड्स उद्योग से आंकड़े प्राप्त करना और उसके पश्चात आंकड़ों का संकलन और उनकी जांच करना शामिल है।

मैसर्स रिलायन्स टैक्सटाइल्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड में लागत लेखा परीक्षा

4886. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स रिलायन्स टेक्सटाइल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई के असाधारण विकास और उसके द्वारा वर्ष 1984 में 95 करोड़ रुपये के कुल लाभ की घोषणा किये जाने को ध्यान में रखते हुये सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु कि सूचना लाभ कंपनी को मिलने की बजाय कुछ लाभ उपभोक्ताओं को भी प्राप्त हो, किसी स्तर पर उनकी उत्पादन लागत लेखा परीक्षा का आदेश देने की वांछनीयता पर भी विचार किया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार अब इस पर विचार करेगी ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम की धारा 233 ख के अन्तर्गत लागत लेखापरीक्षा आदेश, उस विनिर्माता कम्पनी के सम्बन्ध में जो ऐसे उत्पादन कर रही है, जिन पर कम्पनी अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (1) के उपखण्ड (घ) के अन्तर्गत लागत लेखा अभिलेख नियमों को निर्धारित किया गया है, उन्हीं कम्पनियों के सम्बन्ध में आदेश दिये जा सकते हैं। मैसर्स रिलाइन्स टेक्सटाइल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड निम्नलिखित तीन मुख्य उत्पादन तैयार कर रही है:—

1. काटन टैक्सटाइल
2. पोलियस्टर स्पन यार्न और फैब्रिक
3. रसायन

लागत लेखा-परीक्षा के आदेश उस उत्पाद अर्थात "काटन टेक्सटाइल्स" के लिए 31-12-80 और 31-12-82 को समाप्त वर्षों के लिए दिए गये थे तथा लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों ने इस उत्पाद के सम्बन्ध में ऊंची लाभदायी स्थिति को प्रकट नहीं किया था। जहां तक कंपनी द्वारा पोलियस्टर स्पन यार्न और पोलियस्टर फैब्रिक तैयार किया जा रहा है। उसके सम्बन्ध में लागत लेखा अभिलेखों के रखरखाव को लागत लेखा अभिलेख (काटन टेक्सटाइल्स) नियमों में संशोधन द्वारा 8 दिसम्बर, 1984 से निर्धारित किया गया है। चूंकि संशोधन की अधिसूचना के पश्चात अभी एक पूर्ण वर्ष व्यतीत नहीं हुआ है इसलिए इन उत्पादनों के सम्बन्ध में इस समय लागत लेखा परीक्षा आदेश नहीं किये जा सकते हैं। जहां तक रसायनों का सम्बन्ध है, ये उत्पादन कम्पनी अधिनियम की धारा 209 (1) (घ) के अन्तर्गत लागत लेखा अभिलेख नियम के अधीन नहीं आते हैं इसलिए लागत लेखा परीक्षा के आदेश नहीं दिये जा सकते हैं।

आदिवासी क्षेत्रों में जिला उद्योग केन्द्र

4877. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने जिला उद्योग केन्द्र योजना आरम्भ करने के समय राज्यों को आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्र खोलने हेतु कहा था;

(ख) यदि हां, तो आदिवासी क्षेत्रों में राज्यवार, कितने जिला उद्योग केन्द्र काम कर रहे हैं और योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उपलब्ध कराने हेतु इन्होंने अब तक क्या भूमिका निभाई है;

(ग) जिला उद्योग केन्द्रों के आरम्भ के समय से इन केन्द्रों उड़ीसा के आदिवासी बाहुल्य जिलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोग लाभान्वित हुये; और

(घ) अनुसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों को इस सम्बन्ध में उड़ीसा सर-

कार और जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा क्या दिशा निर्देश सहायता और आधारभूत सुविधायें दी जाती हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) प्रारम्भ में राज्य सरकारों को देश के सभी जिलों में जिनमें जनजातीय क्षेत्र भी शामिल हैं जिला उद्योग केन्द्रों की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था।

(ख) जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में मौजूदा 397 जिला उद्योग केन्द्रों के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों सहित 410 जिले आते हैं जो उद्यमियों को प्रेरणा देने के साथ-साथ उनके लिये सेवाओं की व्यवस्था करते हैं।

(ग) 1980 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लाभ उठाने वालों के संबंध में सूचना इकट्ठी नहीं की गई थी। वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक अनुसूचित जनजातियों और जातियों के 1,76,942 व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है।

(घ) जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा अनुसूचित जनजातियों और जातियों को अवस्थापना संबंधी और अन्य सेवाए देने में तरजीह दी जाती है।

नौसेना के विकास की योजना

4888. श्री जी०जी० स्वैल : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के भीतर तथा बाहर कुछ निहित स्वार्थ भारतीय नौसेना की इस प्रकार का आयाम देने के प्रयास कर रहे हैं कि इसका विस्तार और गतिविधियां भारत के निकटस्थ तट-क्षेत्रों तक ही सीमित रह सकें और इस प्रकार इसका विकास खण्ड कुंठित हो; और

(ख) इन निहित स्वार्थों के नाम क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) राष्ट्र की प्रभुसत्ता एवं एकता के लिए संभावित खतरों का सामना करने की दृष्टि से भारतीय नौसेना को विकसित किया जा रहा है। अत: समुद्र की ओर से राष्ट्र की सुरक्षा को होने वाले किसी भी खतरे का सामना करने के लिए नौसेना की विकास योजना में समुचित व्यवस्था की जाती है। और ऐसी व्यवस्था करते समय तटीय देशों की अधिग्रहण योजनाओं को ध्यान में रखा जाता है। भारतीय नौसेना को विकसित करने का एकमात्र उद्देश्य राष्ट्रहित है।

महाराष्ट्र में बड़े उद्योग

[हिन्दी]

4889. श्री विलास मुत्तेवार : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़े उद्योगों के नाम क्या हैं जिनके सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) उन में से किन प्रस्तावों के लिए सातवी पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया गया है;

(ग) क्या केन्द्र का विचार महाराष्ट्र के गढ़ चिरोली जिले में, जो उद्योग विहीन और आदिवासी जिला है, कोई बड़ा उद्योग स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) महाराष्ट्र राज्य सरकार के उपक्रमों से प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस संबंधी चार आवेदन विचारार्थ आवेदन अनिर्णीत पड़े हुए हैं। नीति विषयक मामला होने के कारण अनिर्णीत आवेदनों का ब्यौरा संसद में प्रकट नहीं किया जाता है।

(ख) आवश्यक धन की व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार और उपक्रमों को करनी होगी।

(ग) और (घ) केन्द्रीय निवेश मूलतः आधारभूत प्रकृति की बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में किया जाता है। अतः इस प्रकार की परियोजना के स्थापना स्थल का निर्णय व्यापक तकनीकी आर्थिक विचारणा के आधार पर करना होता है। सरकार की यह नीति रही है कि इन विचारणाओं के अधीन केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना में तुलनात्मक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को अधिमानता दी जाती है। गढ़चिरौली में किसी उद्योग की स्थापना करने का कोई भी प्रस्ताव फिलहाल केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कागज और अखबारी कागज के बारे में विशेषज्ञ दल द्वारा दिए गए सुझाव

[अनुवाद]

4890. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज और अखबारी कागज के बारे में विशेषज्ञ दल ने अखबारी कागज के वितरण के लिए एक एजेंसी प्रणाली की सिफारिश की है;

(ख) उक्त कार्य दल द्वारा क्या सुझाव दिये गये हैं; और

(ग) सरकार उन सुझावों से किस हद तक सहमत है तथा इस सम्बन्ध में सातवीं योजना अवधि के दौरान क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क)

से;(ग) कागज, गत्ते (पेपर बोर्ड) और अखबारी कागज संबंधी उद्योग के लिए सातवीं योजना हेतु योजना आयोग द्वारा संगठित कार्य दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुझाव दिया है कि आयातित और देशी, दोनों प्रकार के अखबारी कागज के वितरण का कार्य अलग-अलग मिलों और भारतीय राज्य व्यापार निगम पर छोड़ने की बजाय सीधी आपूर्ति करने हेतु भारतीय समाचार पत्रों के पंजीकार द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर एक ही अभिकरण को सौंप दिया जाए। इस प्रस्ताव पर अभी अखबारी कागज सलाहकार समिति द्वारा चर्चा की जानी है। जिससे कि सरकार इस मामले में अन्तिम रूप से विचार कर सके ।

मध्य प्रदेश में तेल मिलें

4891. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या **उद्योग और कंपनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में तेल की कितनी मिलें स्थापित की गई हैं;

(ख) ये तेल मिलें किन-किन स्थानों पर स्थापित की गई हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त राज्य में नई तेल मिलें स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) क्या उनका मन्त्रालय आवेदकों को तेल मिलें केवल पिछड़े जिलों में स्थापित करने की अनुमति देगा ?

उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में तेल मिलें स्थापित करने के लिए अब तक 20 औद्योगिक लाइसेन्स/आशय पत्र जारी किये गये हैं, उनका ब्यौरा अर्थात् स्थापना स्थल, क्षमता, आवेदक का नाम भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित "मंथली न्यूजलैटर" नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) इस राज्य में नई तेल मिलें स्थापित करने के लिए आशयपत्र की स्वीकृति हेतु उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन कोई भी औद्योगिक लाइसेन्स सम्बन्धी आवेदन सरकार के विचाराधीन लम्बित नहीं पड़ा है।

(घ) पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

करनाल, हरियाणा में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

4892. **प्रो० वाई० एस० महाजन :** क्या **पैट्रोलियम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में करनाल में एक विशाल तेल शोधक कारखाने लगाने के बारे में क्या प्रगति

हुई है जिसके प्रस्ताव को 1984 में मन्जूरी दे दी गई थी तथा इसके लिए भूमि खरीदने हेतु पहले ही 3 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जा चुकी थी;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में निर्णय कर लिया है कि इस तेल शोधक कारखाने के हाइड्रो क्रैकर और हाइड्रोजन संयंत्र किस देश से खरीदे जायें क्योंकि अनेक सरकारी प्रतिनिधिमण्डल इस प्रकार के संयंत्रों का मौके पर जाकर अध्ययन करने के लिए पहले ही अमरीका तथा पश्चिम यूरोप का दौर कर चुके हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त संयंत्रों के कब तक आयात किये जाने और स्थापित कर दिए जाने की आशा है तथा तेलशोधक कारखाने कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) करनाल रिफाइनरी का अनुमोदन 28-9-1984 को सरकार द्वारा किया गया था और 1247 एकड़ सरकारी भूमि के अर्जन और प्राइवेट भूमि अर्जन की जमा पर 3.46 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

(ख) विभिन्न हाइड्रोक्रेकर के लाइसेन्सदाताओं से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया है और लाइसेन्सदाताओं के साथ बात-चीत करके और परिचालन संयंत्रों पर जाकर आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त किये गये हैं। जानकारी और प्रोसेस डिजाइन की सप्लाई के लिए लाइसेन्सदाता के चयन की सिफारिशों की जांच पड़ताल आई० ओ० सी० द्वारा की जा रही है।

(ग) अगर पर्याप्त योजना निधियां उपलब्ध हो जाती हैं तो रिफाइनरी के सितम्बर 1989 तक यांत्रिक रूप से पूरे हो जाने और इसके बाद चालू हो जाने की सम्भावना है।

यूनियन कारबाइड इण्डिया लिमिटेड द्वारा सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी और उपकरण प्राप्त करना

4893. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1983 में यूनियन कारबाइड इण्डिया लिमिटेड को आग और गैस के अचानक लीक होने की दुर्घटनाओं से निपटने के लिये सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी और उपकरण प्राप्त करने को कहा था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने उसका अनुपालन किया था; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने उन निदेशों को कार्यान्वित कराने हेतु कोई कदम उठाये ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क)

से (ग) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

एल्कोहाल का उत्पादन और खपत

4894. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एलकोहाल की कुल कितनी मांग है, पिछले तीन वर्षों के दौरान यदि कुल खपत में कमी आई हो, तो वर्षवार कमी कितनी आई;

(ख) हमारे देश में एलकोहल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या उद्योग ने एलकोहल के मूल्य में समुचित संशोधन करने और उद्योग को यदि कोई घाटा हो रहा हो तो उसे पूरा करने हेतु मदद करने के लिए शीरे पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कम करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) गत 3 अल्कोहल वर्षों (दिसम्बर-नवम्बर) के दौरान अल्कोकल की कुल उपलब्धता और खपत निम्न प्रकार है :

अल्कोहल वर्ष	उपलब्धता (लाख लिटर में)	खपत (मात्रा लाख लि० में)	अधिशेष (+) कमी (—)
1981-82	5499.98	5047.84	(—) 452.14
1982-83	5767.04	5475.09	(+) 291.95
1983-84	6051.12	5913.45	(+) 137.67

(ख) अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में अल्कोहल की उपलब्धता में सुधार करने की दृष्टि से राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि (I) उपलब्ध समस्त शीरे का लाभदायक प्रयोग किया जा रहा है, (II) अल्कोहल उत्पादन के लिये खण्डसारी शीरे के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाये, और (III) शीरे के पर्याप्त और उपयुक्त भण्डारण सुविधाओं का (चीनी कारखानों द्वारा) सृजन किया जाये । सरकार ने अल्कोहल उत्पादन की दक्षता की जांच करने, फर्मन्टेशन के लिये प्रौद्योगिकी में सुधार करने, ईंधन परिवर्तन

और अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के प्रवर्धन हेतु एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया है। जनवरी, 1980 में सरकार को प्रस्तुत की गई समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार और आसवनी उद्योग को सौंप दी गई थी। इसके अतिरिक्त, तीन कार्यकारी दलों अर्थात् शीरा और अल्कोहल के उपस्करों पद/कार्यकारी दल, शीरा भण्डारण पर कार्यकारी दल और क्षमता उपयोग पर कार्यकारी दल, जिनकी स्थापना सरकार द्वारा फरवरी, 1983 में की गई थी, ने भी अल्कोहल और अल्कोहल पर आधारित उद्योगों में सुधार के लिये कुछ सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें भी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को प्रेषित कर दी गई है।

(ग) और (घ) आल इंडिया डिस्टीलर्ज एसोसियेशन ने अल्कोहल के मूल्यों में संशोधन का सुझाव दिया था। आल इंडिया अल्कोहल बेस्ड इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट एसोसियेशन ने शीरे पर से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाप्त करने की मांग की थी। औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने शीरा और अल्कोहल के मूल्यों के लागत ढांचे का अध्ययन किया है और शीरा तथा अल्कोहल के मूल्यों में संशोधन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा लीबिया और अन्य देशों में शुरू की गई विद्युत परियोजनायें

4895. **श्री हरिहर सेरिन** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने लीबिया और अन्य देशों में कुछ विद्युत परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो 'भेल' द्वारा उन देशों में शुरू की गई कितनी विद्युत परियोजनाएं अब तक पूरी हो गई हैं;

(ग) क्या अनेक देश 'भेल' की सहायता से उक्त देशों में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक हैं; और

(घ) यदि हां, तो 'भेल' की सहायता से उक्त देशों में अधिक से अधिक परियोजनाएं शुरू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) तेरह।

(ग) जी, हां।

(घ) बी०एच०ई०एल० सम्भव्यता अध्ययनों और बोलियों का मूल्यांकन करने के लिए परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करता रहा है। बी०एच०ई०एल० ने उन परियोजनाओं को जो पहले ही पूरी हो चुकी है के संचालन और रख-रखाव तथा दूसरे देशों द्वारा सप्लाई किये गये उपकरण के लिए भी सेवायें प्रदान की हैं। इसके अलावा प्रत्याशित परियोजनाओं पर भी उनकी निगाह रही है।

उत्तरी केरल से खाड़ी के देशों को सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन करने की सुविधायें

4896. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए टेलीफोन कनेक्शनों की मांग में वृद्धि को देखते हुए केरल में बाडागारे टेलीफोन एक्सचेंज में सुविधाओं में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खाड़ी देशों में रह रहे केरल के हजारों लोग उत्तरी केरल से गये हुये हैं, सरकार का विचार उत्तरी केरल से खाड़ी के देशों को सीधी-डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सुविधाओं का विस्तार करने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बडागरा में इस समय 900 लाइनों का एम० ए० एक्स-II एक्सचेंज है। मौजूदा एक्सचेंज का विस्तार करने के लिए 1985-86 के सप्लाई कार्यक्रम में 100 लाइनों का उपस्कर आबंटित किया गया है। ऐसी सम्भावना है कि एक्सचेंज का सातवीं योजना के अन्त में विस्तार किया जाएगा।

(ख) एर्नाकुलम और त्रिवेन्द्रम के अन्तर्राष्ट्रीय ट्रंक एक्सचेंजों में खाड़ी के देशों के अलावा अन्य अनेक देशों के लिये सीधी काल करने की सुविधा है। ये अन्तर्राष्ट्रीय ट्रंक एक्सचेंज केरल के सभी भागों से जुड़े हैं। कालीकट में भी एक अन्तर्राष्ट्रीय ट्रंक एक्सचेंज की स्थापना करने पर विचार किया जा रहा है।

चूना पत्थर के भण्डारों का समुचित उपयोग करने के लिए राजस्थान में सीमेंट फैक्टरियों की स्थापना

[हिन्दी]

4897. **श्री विष्णु मोदी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके राजस्थान के आर्थिक क्षेत्रीय विकास को सन्तुलित रखने के उद्देश्य थे, राज्य सरकार ने वहां के चूना पत्थर के प्रचुर भंडारों का समुचित

उपयोग करने हेतु वहां पर और अधिक तथा बड़े-बड़े सीमेंट उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव अथवा सुझाव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सीमेंट की इन बड़ी फैक्टरियों के लाइसेंस देने हेतु उक्त प्रस्ताव पर विचार क्या है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) सीमेंट कार्पोरेशन द्वारा दस लाख मी०टन के दो सीमेंट संयंत्र एक झंझुपुरा और दूसरा बूंदी (राजस्थान) में स्थापित किए जाने के लिये एक सुझाव मिला है। चूंकि सीमेंट कार्पोरेशन के संदर्भ में सातवीं योजना परिव्यय पर अभी अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया गया है इसलिये सरकार द्वारा उक्त मामले पर भी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

"जैली फिल्ड" केबलों का निर्माण

[अनुवाद]

4898. **श्री महावीर प्रसाद यादव** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम को "जैली फिल्ड" केबलों के निर्माण करने के लिये कोई आशय पत्र जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स बिहार राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम को प्रतिवर्ष 5 लाख सी०के०एम० जेली युक्त केबलों के निर्माण हेतु बिहार राज्य के पिछड़े जिले में एक नया उपक्रम स्थापित करने के लिए आशय पत्र संख्या एल०आई० 880 (81) दिनांक 31.12.1981 स्वीकृत किया गया है। आशय पत्र की वैधता अवधि 30.6.1985 (बढ़ाई हुई) है। कम्पनी के विदेशी सहयोग सम्बन्धी आवेदन पत्र को स्वीकृति दे दी गई है और पश्चिमी जर्मनी के मैसर्स ए०ई०जी टेलीफंकन के साथ विदेशी सहयोग करार रिकार्ड कर लिया गया है।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : (नालंदा) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक काल-अटेंशन नोटिस दिया है। बिहार में पेय-जल का भयंकर संकट पैदा हो गया है, खास तौर से गांवों में हरिजनों के सामने बहुत बड़ी प्राब्लम पैदा हो गई है। बहुत सारे लोगों के सामने प्यासे मरने की नौबत आ गई है। जानवरों के लिए भी वही हालत है। इसलिए मेरा सेन्ट्रल गवर्नमेंट से अनुरोध है कि इस मामले में वह तुरन्त ध्यान देकर बिहार की स्पेशल मदद करे। मेरी कांस्टीट्एन्सी नालन्दा और उसके अगल-बगल के जो जिले हैं वह बुरी तरह से पेय-जल की समस्या से त्रस्त है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : सबसे पहले मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप इस बारे में एक निर्देश दें यह मामला भूतपूर्व संसद सदस्य से सम्बन्धित है। मुझे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है और इसीलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है। 28 अप्रैल, 1985 को लुधियाना में लोक सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक सार्वजनिक सभा को सम्बोधित करने के लिए पठानकोट से लुधियाना जा रहे थे। जब उनकी कार लुधियाना से गुजर रही थी पंजाब के पुलिस सुपरिन्टेंडेंट और उसके दल ने उन्हें बाजार में न जाने के लिए सावधान किया और कहा कि बेहतर है इस विशेष क्षेत्र से न जाएं और किसी अन्य रास्ते से जाएं। चूंकि वहां उनके स्वागत की व्यवस्था थी इसलिए वे बाजार से ही गये। वे सार्वजनिक सभा में गए। सार्वजनिक सभा हुई और जब सार्वजनिक सभा की कार्यवाही पूरी हो गई तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा अन्य लोगों ने उसी बाजार से वापस जाने का प्रयास किया उनके वहां से गुजरने के 15 मिनट के भीतर ही वहां एक शक्तिशाली बम फटा जिसमें एक लड़का मारा गया।

प्रो० एन० जी रंगा (गंटूर) : इसका मतलब यह है कि पुलिस ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको यही बता रहा हूं। वे ठीक कह रहे हैं। प्रो० रंगा ने मेरी बात समझ ली है और मेरा स्थगन प्रस्ताव इस विषय पर है। आप ठीक कह रहे हैं। पुलिस ने उन्हें पहले से सावधान कर दिया था। व्यवधान आप ठीक कह रहे हैं; मै आपका समर्थन करता हूं। पुलिस ने उन्हें पहले से सावधान कर दिया था कि उस क्षेत्र विशेष से न जाएं। इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि वहां बम रखा हुआ है। इसलिए, मैं चाहूंगा कि इस मामले की पूरी तरह छान बीन की जाये। इसीलिए, मैंने इस संबंध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। कृपया इस स्थगन प्रस्ताव को रखने की अनुमति दी जाए। (व्यवधान) जो लोग उनके साथ थे उनको भी इस बात का डर था। अतः यह एक उचित मांग है कि इस घटना की जांच करवाई जाए ताकि तथ्यों का पता चल सके। यदि आप मेरा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते तो आप गृह मंत्री जी को इस मामले पर वक्तव्य देने के लिए कहें।

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : वहां राष्ट्रपति शासन है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके लिए आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना भी दी है। मैं उस पर विचार करूंगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : उन्होंने पुलिस की सलाह नहीं मानी। वह गैर-जिम्मेदार व्यक्ति हैं।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया प्रो० रंगा द्वारा दिये गये सुझाव को कार्यवाही वृत्तांत से न निकालिये क्योंकि इससे मेरे प्रस्ताव को समर्थन मिलेगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : जब पुलिस ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को बाजार से होकर जाने को मना किया था तो उन्हें बाजार से नहीं जाना चाहिये था।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय देश के बहुत सारे हिस्सों में पेय जल के अभाव के कारण एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कृपा करके वर्क्स हाउसिंग मिनिस्ट्री को आदेश दें कि वे इस पर तुरन्त कार्यवाही करें। साथ ही साथ जो राज्य सक्षम नहीं हैं, उनके पास साधनों का अभाव है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसके लिए सूचना दीजिए उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे।

श्री राम प्यारे पनिका : मैंने ध्यानाकर्षण की सूचना दी है। महोदय, कृपया इसे स्वीकार करें। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : (भीलवाड़ा) श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री पनिका जी की बात का समर्थन करता हूं। राजस्थान में पीने के पानी की भयंकर समस्या है। मैंने इस बारे में काल-एटेंशन नोटिस दिया है। मैं चाहता हूं कि इसको नियम 193 में तबदील करके इस पर डिस्कशन करवाइये और माननीय मन्त्री जी से एक स्टेटमेंट दिलवाइये, ताकि यह व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात समझ ली है और मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रो० दंडवते के वक्तव्य पर हैरानी हो रही है। आमतौर पर यह परम्परा है कि यदि शांति भंग होने या तनाव होने की आशंका हो तो

पुलिस राजनीतिक नेताओं तथा अन्य लोगों को सावधान कर देती है कि वे ऐसे स्थानों पर न जाएं, मेरा विचार है कि श्री वाजपेयी का पुलिस द्वारा दी गई चेतावनी की नुक्ता चीनी करना बिल्कुल गलत···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० तिवारी इस पर ही चर्चा छिड़ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि इस मामले पर चर्चा हो। कृपया बैठ जाइये··· (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, हमने नोटिस दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कैसे नोटिस ?··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि इस पर चर्चा हो··· (व्यवधान)

प्रो०मधु दंडवते : उन्हें अब नियम 193 के अंतर्गत चर्चा शुरू करने दीजिए, मैं इस पर बाद में बोलूंगा··· (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय आपको याद होगा कि आपने पंजाब में पाकिस्तानी कमाण्डों की गिरफ्तारी के बारे में दिये गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नोटिस पर विचार करने का वायदा किया था। आज भी ऐसा समाचार है कि पाकिस्तानी सेना द्वारा पूरी तरह से प्रशिक्षित 100 से 200 कमांडों पंजाब में घुस गये हैं और श्री भाटिया, जो कि इसी सभा के भूतपूर्व सदस्य हैं, का हत्यारा गिरफ्तार किया गया है, उसने बहुत महत्वपूर्ण सुराग दिये हैं। और उसने यह कहा है कि इस कमाण्डों दल के कुछ व्यक्ति देश के सभी भागों में फैल गए हैं जिनमें दिल्ली भी शामिल है। इसलिए,इससे अति विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन को खतरा हो गया है। अतः इन सब घटनाओं को देखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप मंत्री महोदय को निदेश देंगे कि वे इस मामले पर सभा में वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करूंगा और इस संबंध में आपको बाद में बताऊंगा···

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच०के० एल० भगत) : प्रो० मधु दंडवते, मैं श्री वाजपेयी की सभा के निकट हुई घटना पर चिन्ता प्रगट करता हूं। यह बात समाचार पत्रों में भी आई है। हम इस संबंध में बहुत चिंतित हैं और हम चाहेंगे कि पंजाब सरकार इसकी पूरी जांच करे और इस पर उचित कार्यवाही करें।

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि इस मामले पर सभा मेरा समर्थन करेगी। कल हिन्दुस्तान टाइम्स में एक समाचार था कि बम्बई में शिव सेना ने एक वक्तव्य जारी किया है, जिसमें यह मांग की गई है कि सभी गैर-मराठी बम्बई छोड़ दें, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इस मामले पर वक्तव्य देंगे। यह गम्भीर चिंता का मामला है और इसीलिए मैंने शुरू में यह आशा प्रगट की है कि इस मामले में सभा के सभी सदस्य मेरा समर्थन

करेंगे। महोदय, हम कहां रह रहे है ? मैं मांग करता हूं कि गृह मंत्री इस सभा में वक्तव्य दें···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामामूर्ति, यदि आप यह महसूस करते हैं कि यह अविलम्बनीय मामला है तो आप मुझे नोटिस दें, मैं इस पर विचार करूंगा ··

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : महोदय कुछ दिन पहले हमने गैस पाइपलाइन के ठेके के प्रश्न पर चर्चा की थी। अब इसमें एक नई बात जोड़ी गई है। भारत सरकार के टर्न की आधार पर यह कार्य सौंपने संबंधी निर्णय के कारण सरकार · (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, हम इस मामले पर पहले चर्चा कर चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जापान ने ऋण देने की अपनी पेशकश वापिस ले ली है···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, इस मामले पर इस सदन में पहले ही चर्चा हो चुकी है। आप लिखित में दीजिए, मैं इस पर विचार करूंगा···

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाइये···

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, कृपया बैठ जाइये। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया गृहमंत्री जी से शिव सेना की इस कार्रवाई पर वक्तव्य देने को कहें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राममूर्ति ने भी इसका उल्लेख किया है और मैंने उनसे नोटिस देने को कहा है। आप भी नोटिस दीजिए।

डा० कृपासिंधु भोई (सम्भलपुर) : महोदय, मैं बोल रहा हूं।

** कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आपका भी कोई स्थगन प्रस्ताव है ?

डा० कृपासिंधु भोई : जी, नहीं, महोदय। मेरे दिल में श्री जयपाल रेड्डी और प्रो० मधु दण्डवते के लिए बहुत सम्मान है। प्रो० तिवारी ने एक बहुत ही संगत मामला उठाया है, क्योंकि पंजाब के मसले पर प्रो० मधु दण्डवते ने बड़ी अलंकृत भाषा में वक्तव्य दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं।

श्री एंच० के० एल० भगत : यदि प्रो० दंडवते ने परोक्ष रूप से संकेत किये हैं तो मैं उनको स्वीकार नहीं करता।

प्रो० मधु दंडवते : इसमें कोई इंगित अर्थ नहीं है। मेरा केवल यह कहना है, चूंकि उन्होंने सावधान किया था कि कुछ तैयारी की जा रही है, इसकी जांच की जानी चाहिए।

12.11 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

कम्पनी (निक्षेप स्वीकार करना) संशोधन नियम, 1985, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 आदि

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 624 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (निक्षेप स्वीकार करना) संशोधन नियम, 1985, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 19 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 286 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क (1) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 231 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 2 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा "मैसर्स कन्दन म्यूचुअल बैनीफिट।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 817/85]

(3) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18कक की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-

एक प्रति :—

(एक) का० आ० 275 (अ), जो 29 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स अपोलो जिपर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड कलकत्ता के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से अधिक बढ़ाने के बारे में है।

(दो) का० आ० 279 (अ), जो 30 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स ग्लुकोनेट लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(तीन) का० आ० 282 (अ), जो 30 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स एसोसियेटिड इंडस्ट्रीज (असम) लिमिटेड, चन्द्रपुर के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(4) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) का० आ० 274 (अ), जो 29 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स आलोक उद्योग वनस्पति एण्ड प्लाइवुड लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबंध ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(दो) का० आ० 280 (अ), जो 30 मार्च, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स लिलि बिस्कुट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, तथा मैसर्स लिलि बारिले मिल्स (प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से अधिक बढ़ाने के बारे में है।

(तीन) का० आ० 281 (अ), जो 30 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स इंडियन हैल्थ इंस्टीट्यूट एण्ड लेबोरेटरी, लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबंध ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 818/85]

(5) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 21 के अन्तर्गत प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो मल्टि सिलिंडर पम्प्स तथा नोजल होलडर्स की क्षमताओं के बड़े विस्तार के लिए मैसर्स मोटर इंडस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर, के बारे में है तथा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार का 10 सितंबर 1984 का आदेश एवं एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 819/85]

भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विनियम 1984 और पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 के विनियम 46 में किया गया संशोधन

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ;

(1) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विनियम, 1984 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 820/85]

(2) बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 की धारा 75 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, पंजाब एण्ड़ सिन्ध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 के विनियम 46 में किए गए संशोधन की एक प्रति, जो सेवान्त प्रसुविधाओं के बारे में है। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 821/85]

वर्ष 1985-86 की संस्कृति विभाग की ब्यौरेवार अनुदानो की मांगें

कार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं वर्ष 1985-86 की संस्कृति विभाग की ब्यौरेवार अनुदानों की मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 822/85]

12.13 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) न्यायाधीशों को प्रशिक्षण देने तथा उनके लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने हेतु एक न्यायिक प्रशासन अकादमी स्थापित करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : हमारे देश के लोकतांत्रिक ढ़ांचे में हमारे संविधान को न्यायपालिका पर मुख्य भूमिका रही है न्यायपालिका को भारत के सामाजिक परिवर्तन में प्रमुख भूमिका निभानी है और इसे राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका को सुदृढ़ बनाने के लिए हम सबको प्रयास करने चाहिए और इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए

कि न्यायपालिका की भूमिका हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप हो। लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान हैं जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए मसूरी में अकादमी है, रक्षा सेवा अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय मिलिट्री अकादमी और कराधान अधिकारियों के लिए भी प्रशिक्षण अकादमी है। तथापि, जो न्यायपालिका से सम्बन्धित हैं उनके लिए इस प्रकार का कोई संस्थान नहीं है। सरकार को न्यायिक प्रशासन अकादमी की स्थापना करनी चाहिए यह अकादमी सभी स्तरों पर न्यायधीशों को प्रशिक्षण देगी और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण देगी ताकि सभी स्तरों के न्यायाधीश नवीनतम न्यायिक, प्रक्रियाओं और न्यायिक प्रशासन के आधुनिक तरीकों की जानकारी प्राप्त कर सकें। यह अकादमी सभी स्तरों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अनिवार्य पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करेगी ताकि न्यायपालिका राष्ट्र की मुख्य धारा का अंग बन जाए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह नियम 377 के अन्तर्गत बोल रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह अनुमोदित मूल पाठ को पढ़ रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : वह कैसे व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं ? इन्हें नियमों की जानकारी नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने कई वर्षों तक नियमों को पढ़ा है। वह उद्योग क्षेत्र में कार्यरत हैं और मैं विधान मंडल में कार्य करता हूं अतः मैं नियमों को जानता हूं।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियम 377 के अधीन एक वक्तव्य···

श्री कमल नाथ : मैंने अपना वक्तव्य पूरा नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे उनका व्यवस्था का प्रश्न सुनने दीजिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : नियम 377 के अधीन, न कोई मानहानिकारक अथवा व्यंग्यात्मक···(व्यवधान) आपने मेरी बात नहीं सुनी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। पहले मुझे सुनने दीजिए। कृपया पहले सुनिए कि वह क्या कह रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन, कृपया बैठ जाइए।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकता हूं। परन्तु इसका क्या तात्पर्य है ?

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : नियम 377 के अधीन, न कोई मानहानिकारक अथवा कपटपूर्ण···

उपाध्यक्ष महोदय : केवल नियम 377 के अन्तर्गत ही नहीं, कोई भी निन्दात्मक बात कहने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्होंने कहा, "···ताकि न्यायपालिका राष्ट्र की मुख्यधारा का अंग बन जाए।" मैं कहता हूं कि इससे निन्दा अथवा बदनामी होती है क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि न्यायपालिका अब मुख्य धारा का अंग बन रही है। यह स्पष्ट रूप से गलत बात है। आपने इसकी अनुमति कैसे दी ?

एक माननीय सदस्य : हमारे नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपको इस पर अपना विनिर्णय देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : माननीय सदस्य ने चर्चा यह वक्तव्य नहीं दिया है। महोदय, इस पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती। आप कैसे इसकी अनुमति दे सकते हैं ?

श्री कमल नाथ : मैं यह सुझाव दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री प्रो० पी० जे० कुरियन : इस पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने मूल पाठ को पहले ही पढ़ लिया है। यह मंजूर कर लिया गया है। अतः जब मैंने स्वीकार कर लिया है, आप इस पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बिल्कुल नहीं। मैं अनुमति नहीं दूंगा। यदि आप चाहें, तो आप इस बारे में नोटिस दे सकते हैं।

श्री कमल नाथ : इन्हें विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करने दें। (**व्यवधान**) आप विशेषाधिकार प्रस्ताव क्यों नहीं पेश करते ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति पहले भी नहीं दी। यदि आप लिखित रूप में कुछ देना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। परन्तु मैं पहले ही व्यवस्था के प्रश्न को रद्द कर चुका हूं।

श्री कमल नाथ : मैं जारी रखता हूं। यह अवश्य ही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : इन्हें बात पूरी करने दीजिए।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मानहानिकारक बात क्या है, मैंने इन्हें उस बात की अनुमति नहीं दी है। बस यही बात मुझे कहनी है।

(**व्यवधान**)

श्री कमल नाथ : आपने और सदस्यों को बोलने की अनुमति दे दी है। आप मुझे बात समाप्त करने की अनुमति क्यों नहीं देते ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात जारी रखिए।

श्री कमल नाथ : यह बात अवश्य ही स्पष्ट हो जानी चाहिए कि न्यायपालिका लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायक होनी चाहिए और यदि हमारी न्याय प्रणाली पुरानी हो और अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सके तो न्यायपालिका का महत्त्व समाप्त हो जाएगा जैसा कि हमारे संविधान में बताया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शान्ताराम नायक।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप जारी रखिए, चिन्ता नहीं कीजिए। इन्होंने जो कुछ भी कहा है कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। श्री नायक, आप नियम 377 के अन्तर्गत अपने वक्तव्य को पढ़ सकते हैं।

(**व्यवधान**)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने किसी अन्य सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी सिवाय उन सदस्य के जिन्हें मैंने बोलने के लिए कहा है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरे व्यवस्था के प्रश्न का क्या हुआ ?

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उसकी पहले ही अनुमति नहीं दी है बस मुझे इतना ही कहना है।

(दो) गोआ, दमण और दीव में स्नातकोत्तर शिक्षकों के वेतनमान संशोधित करने तथा सहायता प्राप्त स्कूलों और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की पेंशन में असमानता को दूर करने की आवश्यकता

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : सैकण्डरी स्कूलों में कार्य करने वाले स्नात्तकोत्तर शिक्षा-प्राप्त अध्यापक स्नातक स्नातक, शिक्षा प्राप्त अध्यापकों की अपेक्षा अधिक वेतनमान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वेतन-मानों का यह स्पष्ट नियम यद्यपि प्रारम्भ में संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमन, द्वीप में क्रियान्वित किया गया, अब इसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। गोआ दमन और द्वीप सरकार ने भी संघ राज्य क्षेत्र में सैकण्डरी स्कूलों में पढ़ाने वाले स्नात्तकोत्तर अध्यापकों के लिए अधिक ऊंचे वेतन-मान की स्वीकृति देने के लिए भारत सरकार से निवेदन किया है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस मामले की जांच की जाए।

दूसरे, गोआ दमन और द्वीप संघ राज्य क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को दी जाने वाली पेन्शन की तुलना में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को दी जाने वाली पेन्शन में भी असमानता है। अतः मेरा सुझाव है कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के पेन्शन-प्राप्त अध्यापकों को 1.1.1980 से केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के अन्तर्गत लाया जाए।

अन्त में, शिक्षा विधेयक, जो पिछले वर्ष गोआ, दमन और द्वीप की विधान सभा द्वारा पारित किया जा चुका है, राष्ट्रपति की सहमति के लिए लम्बित पड़ा है। संघ राज्य क्षेत्र के पूरे शिक्षा व्यवस्था के हित में इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार को यह मामला उठाना चाहिए।

(तीन) मध्य प्रदेश में पेयजल की समस्या को हल करने हेतु उस राज्य को तत्काल केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता

कुमारी पुष्पा देवी (रायगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश राज्य में पीने के पानी की कमी बहुत चिन्ता का विषय है। लगभग 8,468 गांवों और 140 नगरों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस राज्य के लगभग सभी 45 जिले किसी न किसी रूप में पीने के पानी की गम्भीर समस्या का सामना कर रहे हैं। इस वर्ष मानसून की कमी से पीने के पानी की गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। यह समस्या शीत ऋतु में वर्षा न होने के कारण और भी गम्भीर हो गई है जिससे अधिकतर कूओं में पानी का स्तर नीचे पहुंच गया है।

यदि पीने का पानी उपलब्ध कराने लिए शीघ्र ही पर्याप्त कदम न उठाए गए, तो इस राज्य की अधिकतर जनसंख्या को बिल्कुल भी पीने का पानी नहीं मिलेगा। इसलिए राज्य में पानी के नए स्रोतों को बढ़ाना आवश्यक है।

सभी कमी वाले राज्यों में नल कूप बनाए जाने चाहिए। कच्चे कूओं की गहरा करने तथा दूर दराज के क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। चूंकि यह एक गम्भीर समस्या है

[कुमारी पुष्पा देवी]

इसलिए पीने के पानी की समस्या को सुलझाने के लिए काम की गति को बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि समय पर राहत पहुंचाई जा सके।

राज्य में गांवों तथा शहरों में पीने के पानी का सप्लाई कार्य शुरू करने के लिए कम से कम 13 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। मेरा सम्बन्धित मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह राज्य को पीने के पानी की समस्या से राहत दिलाने के लिए उपरोक्त धनराशि प्रदान करें। राज्य में जल सप्लाई के लिए चालू सभी योजनाओं को पूरा करने हेतु यथासम्भव शीघ्र पर्याप्त धनराशि प्रदान की जानी चाहिए।

(चार) हिम सागर एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सप्ताह में दो बार चलाने और कोट्टायम, पाथनम-थिट्टे तथा अल्लेप्पी जिलों में महत्वपूर्ण स्टेशनों पर उसके रुकने की व्यवस्था करने की आवश्यकता

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन (इदुक्की) : महोदय, जम्मू और कन्याकुमारी के बीच चलने वाली हिम सागर एक्सप्रेस रेल गाड़ी लोगों की इस मांग के फलस्वरूप शुरू की गई थी कि उत्तरी भारत तथा दक्षिण भारत को सीधा जोड़ने के लिए एक रेलगाड़ी शुरू की जानी चाहिए। इस समय यह सप्ताह में एक दिन चलती है। यह विशेषरूप से केरल के लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जो रक्षा सेवाओं में कार्यरत हैं और पंजाब और जम्मू में रहते हैं।

किन्तु, केरल में इसके सीमित स्टाप होने के कारण इसकी उपयोगिता कुछ कम हो गई है। एर्नाकुलम के बाद यह केवल क्विलोन स्टेशन पर रुकती है और इस तरह तीन महत्वपूर्ण स्टेशन कोट्टायम, पाथनमथिट्टा और अल्लेप्पी स्टेशनों को छोड़ देती है। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अधिकतर संख्या में यात्री इन जिलों के ही होते हैं। अतः यह गाड़ी इन जिलों के यात्रियों के लिए अधिक लाभदायक नहीं रही है। रेलवे के लिए राजस्व और यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से इस गाड़ी को इन तीनों जिलों के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अवश्य रुकना चाहिए।

इस गाड़ी में होने वाली अत्यधिक भीड़-भाड़ की दृष्टि से भी इसे सप्ताह में कम से कम दो बार चलाया जाना चाहिए और इसमें खाने-पीने की सुविधाओं के लिए रसोई भण्डार कार होनी चाहिए जो सुविधा आजकल इसमें उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं सरकार से इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुदेश जारी करने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

(पांच) कर्मचारियों को बोनस की अदायगी के लिए 1600 रु॰ की सीमा को समाप्त करने की आवश्यकता

श्री के॰ एन॰ प्रधान (भोपाल) : उपाध्यक्ष महोदय, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत किसी भी कर्मचारी का वेतन अथवा मजदूरी 750 रुपये मासिक से अधिक हो, तो उस कर्मचारी को देय बोनस की गणना इस प्रकार की जाती है मानो कि उसका वेतन अथवा मजदूरी 750

रुपये मासिक है। अब सीमा को बढ़ाकर 1600 रुपये प्रतिमास करने का सरकार का प्रस्ताव है।

परन्तु बोनस अधिनियम के अनुसार बोनस पाने की पात्रता का रेंज 1600 रुपए माहवार है, जबकि 1965 के मुकाबले मंहगाई काफी बढ़ चुकी है और रुपये की कीमत बहुत कम हो गई है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सभी कर्मचारियों के साथ न्याय हो सके, इसके लिए यह जरूरी है कि बोनस की सीमा बढ़ाने के साथ पात्रता का रेंज जो 1600 रुपये है, उसे समाप्त करके सभी को बोनस के लिए पात्र कर दिया जाये।

(छः) पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बेरोजगार लोगों को वहां पर स्थापित आई० टी० आई० में रोजगार देने की मांग

श्री बीप नारायण बन (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनपद गोंडा सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जहां के लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि वे अपने परिवार के लोगों का लालन-पालन करने में बड़ी ही कठिनाई महसूस करते हैं और यहां पर हजारों व्यक्ति बेकार हैं। फलस्वरूप यह क्षेत्र दिनों-दिन पिछड़ता जा रहा है। इसके पिछड़ेपन को ही ध्यान में रखकर गोंडा जनपद के मनकापुर नामक स्थान पर आई० टी० आई० कारखाना स्थापित करने का सरकार ने निर्णय लिया और अब फैक्टरी बनकर तैयार ही होने वाली है। लेकिन गोंडा की जनता को अभी तक इसका कोई लाभ नहीं मिल सका है। इस कारखाने में बाहर के लोगों को रख लिया गया और गोंडा जनपद की जनता सिवा उद्वासित होने के कोई लाभ नहीं उठा सकी। सरकार उद्वासित लोगों को उनकी जमीन व मकान का मुआवजा तो देती ही है साथ ही जो लोग जिस कारखाने की स्थापना से उद्वासित होते हैं उनको या उनके परिवार के एक सदस्य को उस कारखाने में नौकरी भी देती है किन्तु इस कारखाने से उद्वासित व्यक्ति इसका भी लाभ नहीं पा सके हैं। यहां तक कि कुल नियुक्ति का लगभग 20 प्रतिशत ही गोंडा जनपद के निवासी हैं।

अतः मैं संचार मन्त्री जी का ध्यान गोंडा जनपद के निवासियों को नौकरी में वरीयता देने की ओर आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि भविष्य में जो भी भर्ती हो केवल गोंडा जनपद के लोगों को ही भर्ती किया जाये, जिससे इस कारखाने का उद्देश्य पूरा हो सके।

[अनुवाद]

(सात) कोलार स्वर्ण खानें

* **डा० बी० वेंकटेश** (कोलार) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत चिन्ता का विषय है कि कोलार सोना क्षेत्रों में स्थित सोने की खानों में पिछले कई वर्षों से घाटा हो रहा है। सोने की ये खानें जो संसार की सबसे गहरी सोना खानों में से हैं कुप्रबन्ध और सरकार द्वारा बहुत कम मूल्य पर सोना खरीदने के कारण घाटे में चल रही हैं। इन खानों में होने वाले अत्यधिक घाटे के फलस्वरूप इन खानों के बन्द होने की सम्भावना है। यह खानें सरकारी उपक्रम, भारत सोना खान लिमिटेड (बी० जी० एम० एल०)

* कन्नड़ में दिए गये मूलभाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[डा० वी० वेंकटेश]

द्वारा चलाई जा रही हैं। इन खानों में कार्य करके एक लाख के लगभग कार्यकर्त्ता अपनी आजीविका कमाते हैं। इन खानों के बन्द हो जाने से ये सभी बेरोजगार हो जायेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि इन खानों के कार्यकरण तथा प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार किया जाए। सरकार की नीति किसी भी कीमत पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है। इसलिए, इन खानों के ठीक रूप से कार्य करने के लिए सरकार को शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है। कोलार सोना खानों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और सभी आवश्यक मूल सुविधाएं शीघ्र प्रदान की जानी चाहिएं।

भारतीय सोना खान लिमिटेड से और अधिक मात्रा में सोना प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए। सोने के लिए दिये जाने वाले वर्तमान मूल्यों की दरों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि भारतीय सोना खान लिमिटेड को इस कारण घाटा न उठाना पड़े। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस सम्बन्ध में शीघ्र कदम उठाए और खानों को बन्द होने से बचाएं।

12.27 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कृषि तथा ग्रामीण मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 1 से 8 पर विचार विमर्श करेगी और मतदान करेगी। इसके लिए 8 घंटे नियत किये गये हैं।

सभा में उपस्थित वे माननीय सदस्य, जिनके अनुदानों की मागों के लिए कटौती प्रस्ताव परिचालित किये गये हैं, यदि अपने कटौती प्रस्तावों को पेश करना चाहते हैं, तो पेश किये जाने वाले अपने कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या पर्ची में लिखकर 15 मिनट के भीतर सभा पटल को भेज दें। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को पेश किया हुआ माना जायेगा।

पेश किये गये कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या को दर्शाते हुए एक सूची जल्दी ही सूचना पट्ट पर लगा दी जावेगी।

यदि किसी सदस्य को सूची में किसी विसंगति का पता चले तो वह कृपया इस बात को बिना विलम्ब किये सभा पटल अधिकारी के ध्यान में लाएं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 1 से 8 के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक लेखानुदान राशियां संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगें, 1985-86

मांग संख्या	मांग का नाम	25 मार्च, 1985 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालय					
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	78,57,000	...	3,92,85,000	...
2.	कृषि	41,38,40,000	371,00,43,000	2,07,77,02,000	18,36,49,17,000
3.	मीन उद्योग	4,47,80,000	1,64,01,000	22,39,04,000	8,20,09,000
4.	पशु पालन और डेरी विकास	22,71,77,000	7,89,01,000	1,13,71,84,000	39,45,06,000
5.	सहकारिता	2,41,80,000	38,98,67,000	13,93,00,000	196,88,33,000
6.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	14,81,000	...	74,10,000	...
7.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अदायगियां	23,73,19,000	...	1,23,65,97,000	...
8.	ग्रामीण विकास विभाग	1,88,22,14,000	7,52,000	7,49,67,73,000	37,63,000

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नालगोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि प्रत्येक व्यक्ति का विषय है। हमारे देश के 70 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का 42 प्रतिशत कृषि उत्पाद पर निर्भर करता है। परन्तु दुर्भाग्य से केन्द्रीय बजट का केवल 5 प्रतिशत भाग ही कृषि के लिए नियत किया गया है। इससे पता चलता है कि वे कृषि को और कृषि तथा ग्रामीण विकास विभाग को कितना महत्व दे रहे हैं।

भूमि, जल तथा अन्य चीजें जैसे खाद बीज आदि कृषि के विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। भूमि के बारे में जिक्र करते हुए मैं कहूंगा कि, आजादी के 38 वर्षों के पश्चात भी, वे न तो भू संरक्षण उपाय और न ही जल ग्रहण क्षेत्र का सर्वेक्षण कर सके हैं और न ही प्राकृतिक परियोजनाओं के रूप में नदी घाटी योजनाओं का निर्माण कर सके हैं।

पहले भू संरक्षण परियोजनाओं के लिए 75 प्रतिशत तक राज सहायता दी जाती थी। लेकिन अब यह राज सहायता केवल 25 प्रतिशत तक दी जाती है। बाकी का 75 प्रतिशत किसानों द्वारा वहन किया जाता है। किसानों के लिए यह कहां तक सम्भव है कि वे इन दिनों इतनी भारी धनराशि का भार स्वयं वहन करें ? आप कई परियोजनाएं तथा नीतियां बना रहे हैं। लेकिन ये परियोजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बनाई गई हैं। केंद्रीय सरकार को इन परियोजनाओं तथा नीतियों को जलग्रहण क्षेत्रों तथा नदी घाटी क्षेत्रों में प्रारम्भ करना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्य से केंद्रीय सरकार इन सब बातों को राज्य सरकारों पर छोड़ रही हैं। केंद्र सरकार इन सब बातों को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं ले रही है। सरकार राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में सड़कों, ताप बिजली परियोजाओं तथा कृषि परियोजनाओं का निर्माण कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में जलग्रहण क्षेत्र के जल भण्डार पर आधारित भू संरक्षण के कार्य को शुरू किया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले पर विचार करें और किसानों की समस्या का समाधान करें। इससे जल स्तर ऊपर आएगा और जल धारण क्षमता में भी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त जहां तक सम्भव हो सभी रिसने वाले टैंकों की मरम्मत का काम राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। राज्य सरकारों के पास सीमित साधन होने के कारण वे इस समय इन परियोजनाओं को आरम्भ करने की स्थिति में नहीं है।

सरकार का इस वर्ष 151.5 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन करने का लक्ष्य है, यह आशा से अधिक है। यदि उचित सावधानी बरती जाए तो हमारी 60 मिलियन हेक्टेयर सिंचित भूमि केवल 300 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन कर सकती है सरकार कृषकों तथा कृषि की ओर उचित ध्यान नहीं दे रही है। सरकार केवल उद्योगों का ध्यान रख रही है। लेकिन कृषि पर आधारित उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। आज भी कृषि उपकरणों के संबंध में कोई अनुसंधान नहीं किया जा रहा है। किसानों के लिए केवल कुछ पावर टिलरों तथा फर्टिसीड़ टिलरों और ट्रैक्टरों का ही निर्माण किया गया है। कृषि उपकरणों के सम्बन्ध में अधिक अनुसंधान नहीं किए गए हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिये अधिक महत्व रखते हैं।

अब जीवन निर्वाह लागत बहुत बढ़ गई है किसान श्रमिकों को मजदूरी देने की स्थिति में नहीं

हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करें।

दालों का उत्पादन बहुत कम हुआ है। हमें दालों का अधिक उत्पादन करने और बारानी खेती करने की आवश्यकता है। दाल का औसत उत्पादन आशा से कहीं अधिक कम है। 1960-61 में दालों का कुल उत्पादन 12.7 मिलियन टन था। अब 1984-85 में उत्पादन लक्ष्य 12.5 मिलियन टन रखा है। यह 1960 के उत्पादन से बहुत कम है। 24 वर्षों के पश्चात यह हमारी उपलब्धि है। औसतन एक व्यक्ति को रोजाना 75 ग्राम दाल की आवश्यकता होती है। हम 30 से 35 ग्राम तक भी दाल देने की स्थिति में नहीं हैं। दुर्भाग्य से भारत सरकार ने इस वर्ष बजट में किसानों के लाभ के लिए केवल 3 करोड रुपए की धनराशि की व्यवस्था की है। इतनी कम धनराशि से दालों के उत्पादन में अपेक्षित मात्रा में वृद्धि करना सम्भव नहीं है।

हम तिलहन का आयात कर रहे हैं। मंत्री महोदय विवादास्पद आंकड़े दे रहे हैं। खाद्य तथा पूर्ति मंत्री कुछ आंकड़े देते हैं तो कृषि मन्त्री कुछ दूसरे ही आंकड़े देते हैं। मैं इन पर बाद में प्रकाश डालूंगा।

1950-51 के दौरान मूंगफली की औसत पैदावार 775 किलोग्राम थी तथा 1964-65 के दौरान यह पैदावार 814 किलोग्राम थी और 1982-83 के दौरान यह केवल 732 किलोग्राम थी। यह उत्पादन प्रति हेक्टेयर है न कि प्रति एकड़। दालों के उत्पादन में यह गिरावट ही हमारी उपलब्धि है। जिसका अधिकांशतया उत्पादन बारानी खेती वाले इलाकों में होता है।

बारानी खेती का जिक्र करते हुए मैं कहूंगा कि इस खेती के लिए अनुसंधान कार्य बुरी तरह से विफल रहा है। अनुसंधान से होने वाले लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। किया गया सारा अनुसंधान कार्य केवल कागजों पर ही सीमित है। इससे कृषकों को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी। इससे समस्या का रत्ती भर भी हल नहीं निकलेगा। इस सारे अनुसंधान कार्य से किसानों की समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। इसके अलावा सभी अनुसंधान कार्य केवल शहरी क्षेत्रों जैसे दिल्ली तथा हैदराबाद के इर्द-गिर्द किये जा रहे हैं। एक ग्रामीण विषय है जो ग्रामीण जीवन पर आधारित है। कृषि जलवायु के विषय को आधार मान कर अनुसंधान कार्य किये जाने चाहिए। इस समय कृषि अनुसंधान संस्थान केवल शहरी क्षेत्रों में ही स्थित हैं जैसे दिल्ली में पूसा संस्थान, हैदराबाद में राजेन्द्र नगर संस्थान तथा कुछ अन्य नगरों में। तिलहनों के अनुसंधान के लिए आपने मेरे जिले नालगोंडा को नहीं चुना है जो कि अरण्डी का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है अथवा अदिलाबाद या रायल सीमा को नहीं चुना है जो कि सूखा ग्रस्त इलाके हैं और न ही आपने राजस्थान का चयन किया है। इन अनुसंधान संस्थानों का निर्माण शहरों में किया गया है। केवल एक बात यह हो सकती है कि आपको वैज्ञानिकों को मकान उपलब्ध कराने में कठिनाई हो। जब आप एक अनुसंधान संस्थान का निर्माण कर रहे हैं तो आपको वैज्ञानिकों के लिए मकान भी बनाने चाहिए और उनको सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

आम कृषि का जिक्र करते हुए मैं कहूंगा कि जितना भी हम उत्पादन कर रहे हैं वह पर्याप्त नहीं है। हम उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर रहे हैं। जहां तक धान का संबंध है

[श्री एम० रघुमा रेड्डी]

हमारी औसत उपज 1450 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अन्य देशों की तुलना में यह बहुत कम है और जहां तक तिलहनों का संबध है। उसकी भी यही स्थिति है। दालों में हमारी औसत उपज 541 किलोग्राम है जबकि विश्व की औसत दर 676 किलोग्राम है जबकि कुछ देशों में यह उपज 3000 किलोग्राम तक भी है। आपने कृषि अनुसंधान के लिए केवल 149 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। मैं नहीं समझता कि इतनी कम धनराशि से आप कृषि अनुसंधान की समस्याओं का हल ढूंढ़ सकेंगे। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक अनुसंधान संस्थानो की स्थापना करनी होगी। जब हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है तो 149 करोड़ रुपए की इतनी कम धनराशि क्यों निर्धारित की गई है? आप कृषि अनुसंधान के लिए 200 से 300 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान क्यों नहीं करते जो कि हमारे एक बड़े भाग की आवश्यकताओं को पूरा करती है और हमारी अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है। अधिकांश व्यक्ति, जिनमें विधान सभा सदस्य और संसद विद् भी शामिल हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। संसद में आने के बाद वे गांवों से मुंह मोड़ लेते हैं और वे शहरी सुख-सुविधाओं के आदी हो जाते हैं।

मैं अनुरोध करता हूं कि कम से कम वर्तमान मन्त्री महोदय, जो कृषक परिवार से संबंध रखते हैं, कृषि के लिए कुछ न कुछ करें।

जहां तक तिलहन का संबंध है इस वर्ष इसके लिए केवल 29 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। इससे तिलहन की समस्या का समाधान कैसे होगा? एक मन्त्री महोदय के अनुसार आप 841 करोड़ रुपए के खाद्य तेलों का आयात कर रहे हैं और दूसरे मन्त्री जी के अनुसार यह राशि कुछ और ही है। वह 1329 करोड़ रुपए है। लेकिन मोटे तौर पर मैं समझता हूं कि प्रत्येक वर्ष हम 1000 करोड़ रुपए तक के खाद्य तेलों का आयात करते हैं इस वर्ष भी आपने खाद्य तेलों के लिए 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यदि आप पहले ही यह बता दें कि आप कितनी मात्रा में उत्पादन चाहते हैं और उसका लाभकारी मूल्य भी पहले ही से तय कर दें तो हमारे किसान आपकी आवश्यकतानुसार उत्पादन करने में समर्थ होंगे। वे निश्चित रूप से चुनौती का सामना करेंगे और अपेक्षित मात्रा में उत्पादन करेंगे। आप विदेशों से तेल आयात कर रहे हैं। आयातित तेल का 65 प्रतिशत भाग आप वनस्पति निर्माताओं को दे रहे हैं। चुनाव के दौरान आपने आयातित तेल का 95 प्रतिशत भाग वनस्पति निर्माताओं को दिया। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य था। लेकिन आप स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात तिलहनों का अपेक्षित मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं लेकिन आप उनको प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं और आप प्राइवेट डीलरों तथा निजी व्यापारियों के हाथ में खेल रहे हैं।

मैं आशा करता हूं कि कम से कम सरकार तथा मन्त्री महोदय अपनी आंखें खुली रखेंगे और इस मामले में गम्भीरता से विचार करेंगे।

फसल बीमा के लिए आपने केवल 4 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। इस 4 करोड़ रुपए से आप इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? जिस क्षेत्राधिकार का उन्होंने चयन किया है वह एक ताल्लुक है, जो एक इकाई के रूप में होगा। आप इसका औसत किस प्रकार

निकालेंगे ? मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यदि वह ग्राम विकास कार्यालय मंडल को एक इकाई के रूप में न माने तो गांव को एक इकाई के रूप में माना जाना चाहिए। ताल्लुक में उपजाऊ सूखा ग्रस्त और वह क्षेत्र भी हो सकते हैं और इस तरह आप औसत नहीं निकाल सकते हैं।

मेरा अनुरोध है कि यदि आप ग्राम विकास कार्यालय सर्किल को नहीं लेते एक गांव को एक इकाई तो माना जाना चाहिए अथवा दो या तीन ग्रामों को इकट्ठा किया जाना चाहिए। इन 4 करोड़ रुपयों से आप सभी फसलों का बीमा नहीं कर सकते। आपको आन्ध्र प्रदेश अथवा अन्य राज्यों के चुनींदा सूखा ग्रस्त अथवा तूफान से प्रभावित जिलों में यह योजना शुरू करनी चाहिए और इस कार्य के लिए थोड़ी-सी धनराशि निर्धारित की जाने के कारण आपको पहले केवल तिलहनों और दालों की फसलों के बीमे तक ही सीमित रहना चाहिए। बाद में आप अन्य फसलों का भी बीमा कर सकते हैं।

महोदय, सूखी भूमि वाली फसलों में सबसे अधिक अवहेलना बागवानी की जा रही है। लोग फल और सब्जियां चाहते हैं। हम फल और सब्जियों का निर्यात भी कर सकते हैं लेकिन इस दिशा में पर्याप्त अनुसंधान कार्य नहीं हो रहा है। अभी जो अनुसंधान कार्य किया जा रहा है वह भारत के किसानों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अपर्याप्त है। बागवानी बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस पर ध्यान दिया जाना है। इसके लिए अधिक से अधिक धन आबंटित किया जाना चाहिए। इसके लिए इस वर्ष केवल 5 करोड़ रुपयों की मामूली-सी धनराशि की व्यवस्था की गई है। मैं नहीं जानता कि कृषि मन्त्री महोदय इतना अधिक अनुभव होते हुए इससे कैसे लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। वस्तुतः कोई लक्ष्य है ही नहीं केवल काल्पनिक आंकड़े तैयार कर दिए जाएंगे आपको सही आंकड़े प्राप्त नहीं हो रहे हैं। कोई भी व्यक्ति सही जानकारी इकट्ठी करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाता। हमें बागवानी को प्राथमिकता देनी चाहिए। कई सह-उत्पाद हैं जिनका उत्पादन किया जाना चाहिए। कुछ हद तक इससे ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या भी हल हो जाएगी। यदि सरकार इस बारे में वास्तव में गम्भीर है तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सहायता देनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बागवानी की जाती है या नहीं।

अब, महोदय, बीज खेती के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। इस सम्बन्ध में भी पर्याप्त अनुसंधान नहीं किया गया है। पिछले साल मूंगफली के प्रमाणित बीज, जिन्हें आन्ध्र प्रदेश गुजरात बीज विकास निगम से प्राप्त करना है, घटिया थे। यह बीज बहुत ही घटिया किस्म का था। वास्तव में वे इस बीज को खुले बाजार से खरीद रहे हैं और उस पर प्रमाणित बीजों का लेबल लगा रहे हैं। किसी भी किसान को प्रमाणित बीज नहीं मिल रहा है। आप किसानों को धोखा दे रहें हैं। आप किसानों को उल्लू बना रहे हैं। वहां भ्रष्टाचार है। मैं नहीं जानता कि मन्त्री महोदय कैसे इसका विकास करेंगे। मैं समझता हूं कि प्रत्येक किसान को अच्छे बीज दिए जाने चाहिए। केवल तभी वह अच्छी फसल उगा सकता है कुछ अधिक उपज देने वाले बीज निकाले जा रहे हैं। लेकिन यह काफी नहीं है। कोई व्यक्ति इसकी सौदेबाजी कर रहा है। एक कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सरकार को इसे प्रतिष्ठा का मामला समझना चाहिए। उन्हें अब अपनी आंखें खोलनी चाहिए और अच्छे बीजों का उत्पादन करना चाहिए। शंकर बीजों का उत्पादन आशा के अनुरूप नहीं है।

[श्री एम० रघुमा रेड्डी]

मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। मैं यहां किसानों की श्रेणियों का वर्गीकरण नहीं करूंगा। लेकिन, बारानी खेती वाले क्षेत्रों के किसानों के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यदि आप एक परियोजना अथवा एक बांध का निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको प्रति हेक्टेयर 40 से50 हजार रुपए खर्च करने होंगे। जो पानी के संसाधनों पर निर्भर करेगा। बारानी भूमि वाले लोग अपने खुद के कुएं खोद रहे हैं। उन्हें बड़ी कठिनाई से बिजली मिल रही है। आप उन्हें बिजली की सप्लाई नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे एक बड़ा सीधा सा प्रश्न पूछ रहा हूं। आप 40 से 50 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं और आयाकट क्षेत्र के लोगों अथवा किसानों को एक हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए पानी दे रहे हैं। लेकिन आप बारानी भूमि के किसानों के लिए प्रति हेक्टेअर 30 रुपए भी खर्च नहीं कर रहे हैं यद्यपि वे कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश में श्री एन० टी० रामाराव ने एक साहसिक कदम उठाया है और उन्होंने किसानों को स्लैब प्रणाली पर 50 रुपए प्रति एच० पी० (हार्स पावर) पर बिजली दी है ? क्या भारत सरकार ऐसा नही कर सकती ? मैं केन्द्र सरकार से इस कार्य को हाथ में लेने का अनुरोध करता हूं। उन्हें इसे किसानों को सहायता करने के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में हाथ में लेना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने एक दूसरी योजना शुरू की है। इसे 'बेकार कुआं योजना' कहा जाता है। किसान सहकारी सोसायटियों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों आदि से ऋण लेते हैं। जब खोदे गए कुएं बेकार हो गए तब आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उन्हें प्रति कुआं 10,000 रुपए तक की राजसहायता देने का निर्णय लिया। भारत सरकार इस कार्य को क्यों नहीं कर सकती ? आपको कुओं की पूरी लागत के लिए राजसहायता देनी चाहिए। कुएं बेकार हो जाने की स्थिति में गरीब किसान उस ऋण की अदायगी कैसे कर सकते हैं ? सहकारी समितियां लोगों को बुरी तरह परेशान करती हैं। ये बारानी भूमि वाले लोगों की समस्याएं हैं। आपको किसानों की सहायता करने के लिए भूमि संरक्षण के उपाय,पानी के रोडों का निर्माण और अन्य प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। आपको वे कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से इस कार्य को गम्भीरता से शुरू करने के लिए अनुरोध करता हूं। राज्य सरकार अपने खुद के थोड़े से संसाधनों से इन सब कार्यों को नहीं कर सकती है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से इस कार्य को शुरू करने के लिए अनुरोध करता हूं। मैं यहां बैठे माननीय सदस्यों से अपनी इस दलील और तर्क का समर्थन करने के लिए अनुरोध करता हूं। केन्द्र सरकार को किसानों की समस्या का हल ढूंढने के लिए इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करना चाहिए।

मूल्यों का जिक्र करते हुए मेरा कहना है हम कृषि वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं लेकिन उनके मूल्य कौन निर्धारित कर रहा है ? वातानुकूलित कमरे में बैठा व्यक्ति, भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई वरिष्ठ अधिकारी अथवा कोई तकनीकी विज्ञ चावल का मल्य निर्धारित कर रहा है। मूल्य निर्धारित करते समय आपको प्रत्येक राज्य से किसानों का एक प्रतिनिधि रखना चाहिए, आपको मूल्य निर्धारित करने से पहले उससे परामर्श करना चाहिए। दिल्ली में बैठा आदमी मूल्य क्यों निर्धारित करे ? वह किसी ग्रामीण क्षेत्र का नहीं है। आपके पास कोई आंकड़े नहीं होते हैं। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि जब आप दर निर्धारित करें उस समय आपको प्रत्येक राज्य से किसानों का एक प्रतिनिधि लेना चाहिए। हम उत्पादन करते हैं; लेकिन वे मूल्य निर्धारित

करते हैं। उद्योगों में क्या स्थिति है ? वे वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और वे ही दरें निर्धारित करते हैं। वे यह कार्य कर रहे हैं। लेकिन कृषि के मामले में यह बात नहीं हैं कृषि की लागत का बड़ी अच्छी प्रकार हिसाब लगाया जाता है। वे कहते हैं कि वे श्रम, किराए के श्रम, बेकार श्रम आदि लागत का हिसाब लगाते हैं। वे कहते हैं कि वे एक हेक्टेयर की खेती को आधार मानकर गणना करते हैं। वे कहते हैं कि इतने श्रम की आवश्यकता होती है और इतनी बैलगाड़ियों की आवश्यकता होती है। लेकिन वे प्रतिकूल परिस्थितियों पर विचार नहीं करते। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है ? दरें निर्धारित करने वाले ये अधिकारी केवल सड़क के पास वाले क्षेत्रों और गांवों में जाते हैं, वे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाते। मैंने काफी लोगों को यह कहते सुना है। ये अधिकारी केवल सड़क के पास वाले गांवों में जाते हैं। वे केवल थोड़े से लोगों से पूछताछ करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लोगों ने गरीबी की रेखा पार कर ली है। वे अपने आपको संतुष्ट पाते हैं और वापस आ जाते हैं, मेरा कहना यह है कि योजना बनाने वालों और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित व्यक्तियों और मूल्य निर्धारित करने वाले व्यक्तियों को दूरस्त गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाहिए। उन्हें वहां कृषकों से बात करनी चाहिए और केवल तभी कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए और मूल्य निर्धारित करना चाहिए। आपको भूमि के उपजाऊपन और क्षेत्र के पिछड़ेपन को भी ध्यान में रखना है। मूल्य निर्धारित करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

महोदय, कृषि में कीटनाशक दवाएं आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण आदानों का उपयोग किया जाता है। मैं यह नहीं जानता कि किसानों को किस किस्म का उर्वरक सप्लाई किया जाता है। उन्हें सप्लाई किए जाने वाले उर्वरक की हालत खराब है। कभी-कभी आप यह पाएंगे कि उर्वरकों के हवा में उड़ने से हानि होती है और कभी-कभी दूसरे किस्म की हानियां भी होती हैं। लेकिन उर्वरकों में होने वाली इन हानियों का कोई भी व्यक्ति निरीक्षण नहीं करता है। भूमि के गुण विशेष को बनाए रखने के लिये हमें कार्बनिक हरे खाद तथा बायो उर्वरकों का विकास करना है। महोदय, ऐसी ही बात कीटनाशी दवाओं के मामले में भी है, बाजार में नकली कीटनाशी दवाएं आ गई हैं। किसानों को इस तथ्य की जानकारी नहीं है। बाजार में नकली कीटनाशी दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए एक कानून बनाकर कठोर कदम उठाया जाना चाहिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बारे में चिन्ता नहीं करता है।

महोदय, नकली कीटनाशी दवाओं की बिक्री सम्बन्धी कदाचारों में कई उद्योगपति शामिल हैं। वे इस ढंग से काफी धन एकत्र कर रहे हैं। सरकार को यह जानकारी होनी चाहिए कि कौन-सी कम्पनी वस्तुओं का उत्पादन कर रही है, कौन-सी कम्पनी उत्पादों की बिक्री की एजेन्सी ले रही है और अपनी वस्तुओं के लिए वे क्या मूल्य निर्धारित कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता चला है कि सरकार का इन कम्पनियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। न ही वे इस कदाचार को रोकने में कोई रुचि लेते हैं। महोदय, नकली कीटनाशी दवाओं का उपयोग मनुष्यों और पौधों दोनों के लिये खतरनाक सिद्ध होगा। हमें इस मामले पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना है। बाजार में बेची जाने वाली कीटनाशी दवाओं का परीक्षण करने के लिये अधिक प्रयोगशालाओं और अधिक कर्मचारियों की व्यवस्था होनी चाहिए। देश में प्रयोगशालाओं की संख्या कम है और प्रयोगशालाओं में किये गये परीक्षणों से

[श्री एम० रघुमा रेड्डी]

समस्या हल नहीं होगी। महोदय, कीटनाशी दवाओं का अधिक से अधिक उपयोग किसानों, पशुओं और पौधों तथा पर्यावरण के लिये नुकसानदायक है जहां पारिस्थितिक समस्याएं हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वे यह देखें कि पारिस्थितिक सन्तुलन बनाए रखने के लिए कीट-नाशी दवाओं का अन्धाधुन्ध उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हमें भूवैज्ञानिक नियंत्रण उपायों का विकास करना है। हमें शिकारी कीटों का विकास करना है जो परजीवी हों।

महोदय, अब मैं सहकारी ऋण प्रणाली का जिक्र करूंगा, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की सहायता के लिए एक कानून लागू करके कृषि तथा ग्रामीण विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय कृषि बैंक की स्थापना की है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का साधन बन गया है। अब कृषि तथा ग्रामीण विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय कृषि बैंक ग्रामीण लोगों को ऋण देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से धन ले रहा है। वे यह धनराशि 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर प्राप्त कर रहे हैं और यह धनराशि ब्याज की दर में 4 प्रतिशत की वृद्धि का शीर्षस्थ बैंकों को ऋण के रूप में दी जाती है। इस प्रकार ब्याज की कुल दर 8 प्रतिशत बैठती हैं। पुनः शीर्षस्थ बैंक उस धन को 2 प्रतिशत ब्याज की दर पर जिला सहकारी समितियों को देते हैं। जिला सहकारी समितियां उस धन को प्राथमिक सह-कारी समितियों को देते समय 2 प्रतिशत ब्याज वसूल करती हैं। अन्त में प्राथमिक सहकारी समितियां किसानों से 1 प्रतिशत ब्याज की दर वसूल करती हैं। इसलिए, किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल ब्याज की दर 13 प्रतिशत बैठती है। कृषि तथा ग्रामीण विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय कृषि बैंक द्वारा 4 प्रतिशत ब्याज की दर वसूल करना बिल्कुल अनुचित है। इसी प्रकार अन्य अभिकरणों को भी ब्याज वसूल नहीं करना चाहिए। जब यह धन 4 प्रतिशत ब्याज पर किसानों को दिया जाता हैं तो इससे उन्हें करोड़ों रुपए मिल जाते हैं जिससे वे भवन बना रहे हैं और किसानों के मूल्य पर अपने अधि-कारियों को सभी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। ब्याज की अधिकतम दर 6 प्रतिशत अथवा 7 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जो ब्याज की दर वसूल की जाती है वह 13 प्रतिशत बैठती है।

महोदय, देश में पशुओं की संख्या के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संख्या बढ़ रही है। मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि बात इससे ठीक उल्टी है। पशुओं की संख्या प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, बाढ़, चारे की कमी, आदि के कारण वर्ष-दर-वर्ष घटती जा रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार के कुछ जिम्मेदार व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे-छोटे गांवों का समय-समय पर दौरा करें और पशुओं की संख्या के बारे में आंकड़े एकत्र करें। केवल तभी पशुओं की संख्या की सही स्थिति का पता चलेगा। यहां दिल्ली में बैठे रहने तथा ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति के बारे में विवरण तैयार करने का कोई लाभ नहीं है। चारे के विकास सम्बन्धी अनुसंधान बुरी तरह असफल रहे हैं।

दुग्ध योजना के बारे में, सरकार क्या करती है ? वे दुग्ध चूर्ण और दुग्ध उत्पाद संघनित रूप में प्राप्त करते हैं, उन्हें दूध की थोड़ी सी मात्रा के साथ मिला देते हैं और इसे लोगों को वितरित कर देते हैं। इस प्रकार आप परिणाम दिखाते हैं। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों के विकास के नाम से काफी

धनराशि खर्च कर रही है। लेकिन वे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब किसानों के लिये बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। यह सब कागज पर है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी विभिन्न योजनाओ पर खर्च की जाने वाली धनराशि उनके पास बिल्कुल नहीं पहुंच रही है। मैं यह सुझाव दूंगा कि आपको योजनाएं शुरू करनी चाहिए और उन्हें ग्रामीण स्तर पर, तालुका स्तर पर सीधे अपने कर्मचारियों की देखरेख में कार्यान्वित करना चाहिए। आपको ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु धनराशि निर्धारित करनी चाहिए और उन्हें ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार कड़ी निगरानी में कार्यान्वित करना चाहिए।

योजनायें दिल्ली में न बनाकर गांवों में बनाई जानी चाहिए और तभी आप इन क्षेत्रों का विकास कर सकेंगे तथा ग्रामीण लोगों की सहायता कर सकेंगे जो आज भी भूखों मर रहे हैं। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत न हों किन्तु मैं आपको अपने तालुक तथा अपने चुनाव क्षेत्र में अभाव ग्रस्त ग्रामीण दिखा सकता हूं।

मैं सरकार से एक बार फिर कृषि संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देने, शुष्क भूमि परियोजना को समर्थ बनाने तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुरोध करता हूं। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि आप दुग्ध तथा इससे बनाये गये पदार्थों की सप्लाई को बढ़ायें। कृषकों को अधिक सहायता पहुंचाने के लिए कृषि पर आधारित उद्योगों को विकसित किया जाना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री महोदय से विनती करता हूं कि इसके लिए अधिक से अधिक राशि प्रदान करें क्योंकि कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और हमारे देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। मैं सोचता हूं कि निर्धारित 5 प्रतिशत राशि बहुत कम है। मैं प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री से प्रार्थना करता हूं कि कुल बजट का 10 प्रतिशत कृषि विभाग के लिए आबंटित कर दें जिससे किसानों को तथा गरीब लोगों को सहायता मिलेगी। सरकार को ऐसे प्रयास करने चाहिए जिनसे कृषकों को बल मिले। यदि कृषक बलशाली होंगे तो भारत भी शक्तिशाली होगा और यदि हमारे ग्रामीण भाई कमजोर होंगे तो भारत भी कमजोर होगा। श्रीमान् यह मेरा निष्कर्ष है तथा मैं मांग का विरोध करता हूं।

कटौती प्रस्ताव

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव (विजयवाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि कृषि और सहकारिता विभाग के अन्तर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया किया जाये।"

(किसानों को कम ब्याज दर पर आवश्यक ऋण उपलब्ध कराने में असफलता) (1)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया किया जाये।"

(उर्वरकों में मिलावट को रोकने में असफलता।) (2)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटा कर 1 रुपया किया जाये।"

(8.5 प्रतिशत वसूली वाले गन्ने के लिए 160 रुपए प्रति टन की सिफारिश, 1984-85 के मौसम में लिए कृषि मूल्य आयोग द्वारा की गई है, स्वीकार करने में असफलता।) (5)

[श्री बी० सोमनाद्रीसवरा राव]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया किया जाये।"

(दालों तथा खाद्य तेलों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ाने में असफलता।) (16)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग घटाकर 1 रुपया किया जाये।"

(धान, गन्ना, कपास, मूंगफली, मक्का तथा बाजरा के लाभप्रद मूल्य निर्धारित करने में असफलता।) (17)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया किया जाये।"

(फसल बीमा योजना को कार्यान्वित करने में असफलता, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को मानसून की अनिश्चितता तथा प्राकृतिक आपदाओं के प्रकोप के कारण प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों की फसलों की हानि उठानी पड़ती है।) (18)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया किया जाये।"

(कृषि उत्पादन बढ़ाने में असफलता) (19)

"कि कृषि शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

(उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए कृषि मूल्य आयोग को और अधिक अर्थ पूर्णबनाने की आवश्यकता) (25)

"कि कृषि शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

(कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता) (26)

"कि कृषि शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(ऊंची किस्म के बीजों को प्रचुर मात्रा में बढ़ाने तथा उनका उचित वितरण करने की आवश्यकता।) (27)

"कि कृषि शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(खाद तथा उर्वरक कार्यक्रम का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करने की आवश्यकता) (28)

"कि कृषि शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं।"

(अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम में दालों और तिलहनों को शामिल करने की आवश्यकता।) (29)

"कि कृषि शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(बदलती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए केन्द्रीय कृषि फार्मों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता) (30)

"कि कृषि शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(पौधों का रोगों से बचाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता जैसा कि केरल में गेहूं और नारियल में करनाल बन्त रोग के फैलने से पता चला है।) (31)

"कि कृषि शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि न होने की समस्या को हल करने के लिए पग उठाने की आवश्यकता) (32)

"कि कृषि शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्र विकास कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता) (33)

"कि कृषि शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(सरकारी क्षेत्र में कृषि फार्मों के कुप्रबन्ध को रोकने की आवश्यकता।) (34)

"कि कृषि शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(राष्ट्रीय बीज निगम के कुप्रबन्ध को रोकने की आवश्यकता।) (35)

"कि कृषि शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

(बायो उर्वरकों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता।) (36)

"कि कृषि शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं।"

(कार्बनिक खाद विकास कार्यक्रम में सुधार करने की आवश्यकता।) (37)

"कि कृषि शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(दाल विकास कार्यक्रम में सुधार करने की आवश्यकता।) (38)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(अपमिश्रण के व्यापक खतरे पर काबू पाने हेतु उर्वरकों के कारगर किस्म नियन्त्रण की आवश्यकता।) (39)

"कि कृषि शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(कीटनाशक दवाइयों के कारगर किस्म नियंत्रण की आवश्यकता) (40)

[श्री बी० सोमनाद्रीसवरा राव]

"कि कृषि शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए राष्ट्रीय कृषि उद्योग निगम के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता।) (41)

"कि कृषि शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(कृषि विकास योजनाओं के लिए विदेशी सरकारों से प्राप्त सहायता का और अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता।) (42)

"कि कृषि शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(यथार्थवादी भूमि तथा जल संरक्षण कार्यक्रमों में प्रभावी ढंग से सुधार करने की आवश्यकता।) (48)

"कि मीन उद्योग के अंतर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया कम किया जाए।"

(यन्त्रों-रहित नौकाओं से मछली पकड़ने के कार्यों में लगे मछुओं के हितों को संरक्षण देने में असफलता) (56)

"कि पशुपालन तथा डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया किया जाए।"

(दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ाने में असफलता) (74)

"कि पशुपालन तथा डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटाकर एक रुपया किया जाए।"

(पाद तथा मुख रोग टीका उत्पादन के लिए स्वदेशी जानकारी तथा प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने में असफलता) (75)

"कि पशुपालन तथा डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम किया जाए।"

(प्रभावकारी तथा आर्थिक कार्यकरण के लिए ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान, आनन्द को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के साथ मिलाकर, उन दोनों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन लाने की आवश्यकता।) (90)

"कि पशुपालन तथा डेरी विकास शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपया कम किया जाए।"

(श्वेत क्रान्ति के एक और दो कार्यक्रमों द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ाने तथा दुग्धपदार्थों के उपहार के रूप में आयात का बन्द करने में आने वाली बाधाओं तथा रुकावटों को दूर करने की आवश्यकता।) (91)

"कि पशुपालन तथा डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम किया जाए।"

(बहुराष्ट्रीय हितों वाले वर्तमान डेरी विकास कार्यक्रमों में सुधार लाने की आवश्यकता।)

(92)

"कि सहकारिता शीर्षक के अंतर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया किया जाए।"

(किसानों को कृषि में और अधिक पूंजी लगाने तथा प्रति हेक्टेयर अधिक पैदावार करने हेतु मंजूर किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा को बढ़ाने में असफलता) (93)

"कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया किया जाए।"

(शुष्क भूमि में खेती करने वाले किसानों को कीटनाशक दवाइयों तथा उर्वरकों का इस्तेमाल करके दालों की पैदावार बढ़ाने संबंधी जानकारी देने में असफलता) (99)

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अदायगियों शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए।"

(अनुसंधान संस्थाओं द्वारा विकसित खेती के नवीनतम वैज्ञानिक तरीकों को गांवों तक पहुंचाने में असफलता) (103)

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अदायगियां शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(आंध्र प्रदेश में देशी मुर्गियों के संरक्षण और सुधार के लिए एक केन्द्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता) (110)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया किया जाए।"

(गांवों में सम्पर्क रोड बनाने, ताकि लगभग तीन लाख ऐसे गांवों को जो किसी भी प्रकार की सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं, सड़कों से जोड़ा जा सके, में असफलता।) (113)

श्री रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि तथा सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

(किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक एवं कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।) (3)

"कि कृषि तथा सहकारिता विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(राज्यों को उर्वरकों के आवंटन में की गई कटौती को बहाल करने की आवश्यकता।) (4)

"कि कृषि विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[श्री राम चन्द्र रेड्डी]

(किसानों को लाभकारी मूल्य देने की आवश्यकता।) (20)

"कि कृषि विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।"

(मूंगफली के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता।) (21)

"कि कृषि विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(उर्वरकों की रियायती दरों पर सप्लाई करने की आवश्यकता।) (22)

"कि कृषि विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(कृषि के विकास के लिए पर्याप्त धन का नियतन करने की आवश्यकता।) (23)

"कि कृषि विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(कृषि संबंधी ऋणों के लिए और अधिक धन का नियतन करने की आवश्यकता।) (24)

"कि पशुपालन तथा डेरी विकास शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(आन्ध्र प्रदेश में कादिरी में दूध को ठंडा करने के लिए एक केन्द्र खोलने की आवश्यकता।) (76)

"कि पशुपालन और डेरी विकास शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।"

(आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में पशुओं के वध की रोकथाम के लिए चारे तथा पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता।) (77)

"कि पशु पालन और डेरी विकास शीषक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(दूध उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफलता।) (78)

"कि पशु पालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कार्यकरण पर प्रभावी निगरानी करने में भारतीय डेरी निगम की असफलता।) (79)

"कि सहकारिता विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(नैफेड तथा अन्य सरकारी संस्थाओं के कार्यकरण में सुधार लाने तथा उसे सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता।)

"कि सहकारिता विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(ऋण देने वाली सहकारी संस्थाओं के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता।) 95)

"कि सहकारिता विभाग शीर्षक के अंतर्गत माग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए उपभोक्ता सहकारी सस्थाओं को पुनर्गठित करने की आवश्यकता।) (96)

"कि सहकारिता विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(कमजोर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विशेष ऋण सहकारी योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता।) (97)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया किया जाए।"

(ग्रामीण जीवन में, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के, वास्तविक सुधार करने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रभावी बनाने हेतु उसमें सुधार करने में असफलता।) (111)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया किया जाये।"

(ग्रामीण जीवन में सुधार करते हेतु विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का पुनर्गठन करने तथा उनमें सुधार करने में असफलता।) (112)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(आंध्र प्रदेश में रायल सीमा जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी का स्थायी रूप से उन्मूलन करने के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित करने की आवश्यकता।) (114)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।"

(आंध्र प्रदेश में रायल सीमा और अनन्तपुर में सूखा ग्रस्त लोगों के लिए राहतकार्य शुरू करने के लिए और निधियां उपलब्ध कराने की आवश्यकता) (115)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(आन्ध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले में सूखा से बचने के लिए गहरे कुंएं खोदने के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित करने की आवश्यकता) (117)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुसंधान और विकास व्यवस्था के पुनर्गठन की आवश्यकता।) (117)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(ऋण सहकारी संस्थाओं के कार्यकरण में सुधार की आवश्यकता) (118)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[श्री राम चन्द्र रेड्डी]

(गुण प्रकार नियन्त्रण और ग्रेडिंग सेवा के कार्यकरण को सुचारू बनाने की आवश्यकता।)

(119)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(कृषि में सुधार करने हेतु भूमि सुधार नियमों के कार्यकरण की समीक्षा की आवश्यकता।)

(120)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(प्राय: सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों के कुप्रचालन को रोकने की आवश्यकता)

(121)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में अफ्रीकी तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता) (122)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(समग्र विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं को और प्रभावी बनाने के लिए विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता) (123)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य स्तरों में गिरावट को रोकने हेतु प्रयुक्त पोषण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता) (124)

"कि ग्रामीण विकास शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(पूर्ण रोजगार देने के लिए ग्रामीण निर्माण कार्य कार्यक्रमों के विस्तार की आवश्यकता।)

(125)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(ग्रामीण विकास तथा गारंटीशुदा रोजगार हेतु परियोजनाओं की आवश्यकता) (126)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(कृषि उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के लाभ हेतु कृषि उपज के लिए ग्रामीण गोदामों का राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित करने की आवश्यकता) (127)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(सूखा से प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सूखा बहुल क्षेत्रों के कार्यक्रमों को मजबूत बनाने की आवश्यकता) (128)

"कि कृषि शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(किसानों को उनके कृषि उत्पादों का लाभप्रद मूल्य देने की आवश्यकता) (129)

"कि कृषि शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(उर्वरकों के मूल्यों में कमी करने की आवश्यकता) (130)

"कि कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(किसानों को अच्छी किस्म के बीज सप्लाई करने की आवश्यकता) (131)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने हेतु पर्याप्त धन आबंटित करने की आवश्यकता) (132)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने हेतु और अधिक धन आबंटित करने की आवश्यकता) (133)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने हेतु कारगर कदम उठाने की आवश्यकता) (134)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(ग्रामीण निर्धनों के उत्थान हेतु और अधिक धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता।) (135)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों संबंधी कार्यक्रम को कारगर ढंग से लागू करने हेतु पर्याप्त धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता) (136)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने की आवश्यकता) (137)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[श्री राम चन्द्र रेड्डी]

(प्राय: सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अकाल के निवारणार्थ स्थायी उपाय करने की आवश्यकता) (138)

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(रायलसीमा में जो एक निरन्तर सूखे की संभावना वाला क्षेत्र है, सूखे का मुकाबला करने हेतु एक व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता) (139)

श्री राम बहादुर सिंह (छपरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि तथा सहकारिता विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक देने की आवश्यकता) (5)

"कि कृषि तथा सहकारिता विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(यूरिया का मूल्य कम करने की आवश्यकता।) (6)

"कि कृषि तथा सहकारिता विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(देश में, विशेषकर उत्तर बिहार के सारन जिले में, पशुओं की नस्लों को सुधारने हेतु गहन कार्यक्रम आरम्भ करने की आवश्यकता।) (7)

"कि कृषि तथा सहकारिता विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(देश में, विशेषकर उत्तर बिहार के सारन जिले में, मुर्गी पालन के विकास हेतु गहन कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए और अधिक धन देने की आवश्यकता।) (8)

"कि कृषि तथा सहकारिता विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

(देश में, विशेषकर उत्तर बिहार के सारन जिले में, मछली उद्योग के विकास हेतु गहन कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए और अधिक धन देने की आवश्यकता।) (9)

"कि कृषि तथा सहकारिता विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

(देश में, विशेषकर उत्तर बिहार के सारन जिले में, गन्ने के विकास हेतु गहन कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए और अधिक धन देने की आवश्यकता।) (10)

"कि कृषि तथा सहकारिता विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

(किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने की आवश्यकता।) (11)

"कि कृषि तथा सहकारिता विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

(बिहार के सारन जिले में छपरा के निकट पशुओं की हड्डियों पर आधारित एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता।) (12)

श्री एम० रघुमा रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(लघु तथा सीमान्त किसानों तथा कृषि कर्मकारों के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार करने की आवश्यकता।) (13)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रभावी विस्तार करने की आवश्यकता।) (44)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

(पुराने ट्रैक्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता।) (45)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(वर्तमान कृषि आर्थिक तथा सांख्यकी व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता ताकि ये किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।) (46)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

(नैफेड के कुप्रबन्ध को दूर करने की आवश्यकता।) (47)

"कि पशु पालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

(दुग्ध पदार्थों का उपहार के रूप में आयात को बंद करने तथा दूध के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता) (83)

"कि पशु पालन और डेरी विकास शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(ढोरों तथा भैंसों की देशी नस्लों का विकास करने की आवश्यकता) (84)

"कि पशुपालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

श्वेत क्रांति के एक और दो कार्यक्रमों तथा उनके अंतर्गत परियोजनाओं को प्रभावकारी रूप से कार्यान्वित करने की आवश्यकता) (85)

"कि पशुपालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

(ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान, आनन्द के कार्यकरण की समीक्षा करने की आवश्यकता) (86)

"कि पशुपालन और डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[श्री एम० रघुमा रेड्डी]

(दिल्ली और कलकत्ता में दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेरी के कार्यकरण की समीक्षा करने कि आवश्यकता) (87)

"कि पशुपालन तथा डेरी विकास शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(श्वेत क्रांति के एक और दो कार्यक्रमों के अन्तर्गत दूध उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता) (88)

"कि पशुपालन तथा डेरी विकास शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

(स्वदेशी डेरी उपकरण का प्रयोग करने की आवश्यकता) (89)

"कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम किया जाए।"

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यकरण को प्रभावी ढंग से देखरेख करने, निगरानी करने और समन्वित करने की आवश्यकता) (100)

"कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम किया जाए।"

(कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में अफ्रीकी देशों जापान और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को दृढ़ करने की आवश्यकता।) (101)

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अदायगियां शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाए।"

(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शिक्षण, अनुसंधान और विकास कार्यों में आमूल परिवर्तन करने और उसे पुनर्गठित करने में असफलता) (102)

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अदायगियां शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(डेरी अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थानों के कुसंचालन को रोकने की आवश्यकता।) (104)

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अदायगियां शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(मीन-पालन संस्थानों के कार्यकरण में समन्वय स्थापित करने हेतु उनके कार्यचालन को सुचारू बनाने की आवश्यकता।) (105)

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अदायगियां शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

(देश की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा में सुधार करने और उसका नवीकरण करने की आवश्यकता) (106)

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अदायगियां शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

(उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपकर निधियों का उपयोग करने की आवश्यकता) (107)

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अदायगियां शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

(क्षेत्र-वार समस्याओं को हल करने के लिए केन्द्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के कार्यकरण को सुचारू बनाने और उसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता) (108)

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अदायगियां शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

(पशु-पालन की अनुसंधान और शैक्षिक योजनाओं को पुनर्गठित करने तथा मजबूत बनाने की आवश्यकता) (109)

डा० वी० वेंकटेश (कोलार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटा कर 1 रुपया किया जाये।"

(कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटिड के कार्यकरण को सुधारने में असफलता) (157)

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटा कर 1 रुपया किया जाये।"

(कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड द्वारा कोयला उठायी-धरायी संयंत्र के बारे में अपना आदेश रद्द किए जाने पर डायनाक्राफ्ट मशीन कम्पनी लिमिटेड, बम्बई को पर्याप्त प्रतिकर देने में असफलता) (158)

[हिन्दी]

श्री बीरेन्द्र सिंह (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि से संबंधित मांग पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। आज देश हरित क्रांति की तरफ और हरित क्रांति रूरल डेवलपमैन्ट की तरफ बढ़ रही है लेकिन अभी भी सारे देश में जो 329 मिलियन हेक्टर भूमि कृषि-योग्य है, उसमें से 43 प्रतिशत जमीन पर ही हम खेती कर रहे हैं। और 1983-84 के जो आंकड़े हमें उपलब्ध हैं, उसके मुताबिक हमारे देश की पैदावार 151 मिलियन टन है। मैं सिर्फ दो-तीन बिन्दुओं पर चर्चा करना चाहूंगा कि कौन से ऐसे वजहात हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कृषि की उपज, जिस रफ्तार से हमारे अर्थ-शास्त्री और हमारे कृषि वैज्ञानिक बढ़ाने की चेष्टा रखते हैं, उस रफ्तार से वह नहीं बढ़ रही है।

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

12.59 म० प०

(श्री चक्रम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए)

अभी अपनी बजट स्पीच में वित्त मन्त्री जी ने एक बहुत अच्छी फसल-बीमा की स्कीम एनाउन्स की है, जिसका सारे देश के किसानों में स्वागत हुआ है, लेकिन उस स्कीम की डिटेल्स अभी विचाराधीन हैं और कृषि मन्त्री जी बतायेंगे कि कब तक उसकी डिटेल्स को तैयार करके स्कीम को कार्यान्वित करेंगे। इस बारे में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि अभी तक कुछ क्षेत्रों के अन्दर, कुछ ब्लाक-लेविल पर इंश्योरेन्स की स्कीम लागू की गई है और इंश्योरेन्स कम्पनी से मिलकर उस स्कीम को तय किया गया है जिसमें कुछ ऐसी फसलें है जो बीमा योजना की तहत कवर होती हैं।

1.00 म० प०

इस स्कीम में जैसा कि वित्त मन्त्री महोदय ने कहा है कि जो किसान क्राप लोन लेंगे और अगर फसल खराब होने की स्थिति में होती है, तो उस क्रॉप लोन का 150 प्रतिशत पैसा बीमा कम्पनी से मिलेगा। इस बारे में मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि इन्श्योरैंस कम्पनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स पर दबाव डाल रही है कि तहसील को एक यूनिट मानकर नुकसान को निर्धारित करेंगे। हो सकता है कि तहसील को एक यूनिट न मानें और बीमा कम्पनी को मना लें तो वह ब्लाक को एक यूनिट मानें। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक ब्लाक के अन्दर सौ गांव हैं और प्राकृतिक आपदा से किसी फसल में 50 प्रतिशत नुकसान हो तो ही बीमा कम्पनी इस बात को तय करेगी कि नुकसान की हद 50 प्रतिशत से ज्यादा है या कम, जो हम किसानों को देना चाहते हैं। मैं माननीय महोदय से प्रार्थना करूंगा कि अगर आप ब्लाक को एक यूनिट मानकर नुकसान को आंकेंगे तो कभी किसान को उसका फायदा नहीं हो सकता है। फर्ज कीजिए—नेचुरस कलैमिटी में जैसे बाढ़ आई, अगर सौ गांवों में से बीस गांवों में बाढ़ आती है, तो बीस गांवों में ही उसका नुकसान होगा, 80 गांव तो बाढ़ की चपेट से बच जायेंगे। लेकिन अब कृषि विभाग या बीमा कम्पनी के लोग नुकसान को कैलकुलेट करेंगे तो वह नुकसान 50 प्रतिशत से कम रह जाएगा। क्योंकि बीस गांवों में ही नुकसान हुआ है, 80 गांवों में नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि अगर वे इन्श्योरेन्स स्कीम को सही मायनों में लागू करना चाहते हैं, किसानों के हित में, तो एक किसान को एक इंडिविज्युअल यूनिट मानकर उसके नुकसान को तय किया जाए। अगर इंडिविज्युअल का यूनिट नहीं माना जाता, तो किसान को काफी नुकसान होगा। इस बात पर बीमा कम्पनी यह दलील देती है कि हमारे पास इंडिविज्युअल का कोई रिकार्ड नहीं है कि उसकी प्रोड्यूस का एवरेज कितना है। मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि गांव को यूनिट मानकर नुकसान को तय किया जाएगा तो किसान को फायदा होगा। यदि ओलावृष्टि होती है, हो सकता है कि गांव के एक हिस्से में हो और दूसरा हिस्सा बच जाए। इस स्थिति में यदि आप कैलकुलेट करेंगे गांव को यूनिट मानकर तो किसान को बीमा कम्पनी से जरूर कुछ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आपने सिर्फ उन्हीं किसानों को राहत दी है, जो किसी को-आपरेटिव बैंक से कर्जा लेंगे और उसमें भी जो सबसे बढ़िया जमीन है, जैसे पंजाब में लुधियाना और हरियाणा में कुरुक्षेत्र, उनको

950 रु० प्रति एकड़ के हिसाब से देंगे। इसमें एक बात यह भी है कि किसान की क्रैडिट लिमिट 15 हजार से ऊपर नहीं है लेकिन को-आपरेटिव बैंक उनको दस हजार से ऊपर नहीं दे रहे हैं। मेरे कहने का अभिप्राय: यह है कि एक किसान जो 18 एकड़ जमीन में एक लाख रुपए की फसल उठाता है, उसका इन्टरेस्ट बीमा कम्पनी के हिसाब से सिर्फ 15 और 7.5 या 22.5 हजार रुपये का कवर हुआ है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें वही किसान शामिल नहीं होने चाहिए जो सिर्फ बैंकों से फसल का कर्जा लेते हैं, बल्कि कोई भी किसान जो इस बीमा से फायदा उठा सके। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां तक रिस्क कवर करने की बात है, 150 परसेन्ट तक रिस्क कवर करना बहुत कम है। इसका मतलब यह हुआ कि किसान को केवल वह पैसा मिल रहा है जो उस ने खाद, अच्छे बीज या बिजली पर खर्च किया है। लेकिन, सभापति महोदय, इन तीनों चीजों के अलावा कुछ दूसरी चीजें भी हैं, जैसे किसान की अपनी खुद की मेहनत, अन्य साधन जिन्हें वह जुटाता है, जैसे बैल, उसका सारा परिवार उसके साथ लग कर काम करता है – इन सबको भी इसके साथ जोड़ना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसको 150 परसेन्ट के बजाय कम से कम 250 परसेन्ट किया जाय ताकि उसको जो पैसा मिले उससे वह अपनी अगली फसल की तैयारी कर सके और जो नुकसान उसको हुआ है उसकी पूर्ति कर सके।

अब कुछ शब्द मैं प्राइस पालिसी के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। चण्डीगढ़ में कृषि मन्त्री जी ने एक ब्यान दिया था कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को समाप्त करके वह कमीशन फार एग्रीकल्चरल कास्ट्स एण्ड प्राइसेज की स्थापना करने जा रहे हैं। इस सम्बन्ध मे उन्होंने यह भी कहा था कि इस कमीशन में 7 मेम्बर होगे, जिनमें तीन मेम्बर वे होंगे जो कृषक होंगे, जिनको कृषि के बारे में प्रैक्टीकल नालिज होगा, जिन्होंने कृषि में अपने हाथों से काम किया होगा। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो गाइड-लाइन्ज, आप ने एग्रीकल्चर प्राइसेज कमीशन की निर्धारित की थी, यदि उन्हीं गाइड-लाइन्ज पर यह कमीशन भी काम करने जा रहा है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। वह तो सिर्फ नाम बदलने वाली बात होगी। जैसाकि इन्होंने लिखा है –

[अनुवाद]

मूल्य निर्धारित करते समय वह इस बात को ध्यान में रखेगा कि मूल्य नीति का शेष अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, आप मुझे यह बतलाइए—यदि बाटा अपने जूतों का मूल्य बढ़ाता है तो क्या कन्ज्यूमर का हित सामने रखता है ? क्या टाटा जब अपने ट्रक का मूल्य बढ़ाता है तो क्या उसमें जो चीजें एक जगह से दूसरी जगह कन्ज्यूमर को जायगी, उनका ख्याल रखता है ? मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो गाइड-लाइन्ज पहले से तय की हुई हैं उन पर पुनर्विचार करें तथा ऐसी गाइड-लाइन्ज तय करें जिनसे किसानों को उनकी उपज का रिम्यूनरेटिव प्राइस मिल सके।

श्री राम पूजन पटेल (फूलपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने मुझे कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांगों पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। अब मैं आपके

[श्री राम पूजन पटेल]

माध्यम से देश के बहुसंख्यक किसानों के सम्बन्ध में, जो केवल कृषि पर निर्भर रहने वाले लोग हैं, कुछ सुझाव माननीय कृषि मन्त्री जी के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है, देश की लगभग 7 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी रूप में कृषि के द्वारा अपना जीवनयापन कर रही है। कृषि आज देश की अर्थ-व्यवस्था की रीढ है और स्वयं वित्त मन्त्री जी ने भी अपने भाषण में इसको स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है—"मुद्रास्फीति का नियंत्रण, निर्धनता के स्तरों में कमी, रोजगार में वृद्धि और हमारे भुगतान-शेष में सुधार ऐसे लक्ष्य हैं जो कृषि में हमारी सफलता के साथ जुड़े हुए हैं।" इसलिए कृषि उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन ही हमारे देश की उन्नति का आधार है। इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नतशील बीज, उर्वरक, पानी और कीटाणु नाशक दवाओं की आवश्यकता होती है। हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों ने उन्नतशील बीज, कीटाणु-नाशक दवाओं, उर्वरक आदि के क्षेत्रों में काफी सफलता प्राप्त की है, जिसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन जहां तक पानी की बात है किसानों को आज भी सही रूप में पानी नहीं मिल पाता है। जब फसल पकने लगती है तो पानी नहीं मिलता है पानी के नलकूप बिजली से चलते हैं, बिजली समय पर न मिलने के कारण किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है।

मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि कृषकों की स्थिति को ठीक करने के लिए नियमित रूप से विद्युत की आपूर्ति होनी चाहिए और नहरों में समय पर पानी आना चाहिए। सीपेज से किसानों के खेत खराब हो रहे हैं और उनकी बहुत सी खेती नष्ट हो जाती है। इस ओर भी मैं मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों को आई० आर०डी० पी० पद्धति के अन्तर्गत ऋण दिया जाता है, जिसमें लगभग 50 प्रतिशत छूट दी जाती है परन्तु खेद यह है कि कृषकों को सही रूप से सहायता नहीं दी जाती और उन्हें भ्रष्टाचार का शिकार बनना पड़ता है। उनसे रुपया लेकर ही ऋण दिया जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि ऋण वितरण में कम से कम कर्मचारियों का हस्तक्षेप होना चाहिए और उनके चंगुल से उनको बचाना चाहिए। किसान अगर मजबूत होंगे, तो देश हमारा मजबूत होगा।

मैं आपका ध्यान कुछ प्रमुख परेशानियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। किसान अनाज पैदा करता है लेकिन बाजारों में ले जाकर बेच नहीं सकता। अभी हमारे मन्त्री ने घोषणा की है कि किसान गेहूं कहीं भी ले जाकर बेच सकता है। मैंने 3-5-1984 को खाद्य और रसद मन्त्री जी से एक प्रश्न किया था और उन्होंने जवाब में कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ को छोड़कर राज्य में चावल और गेहूं के संचलन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि जब एक किसान एक ही जिले में एक बाजार से दूसरे बाजार में गेहूं ले जाता है, तो पुलिस और आपके खाद्य विभाग के लोग किसान को पकड़ कर परेशान करते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। पैसा न मिलने पर किसान या छोटे व्यापारी का चालान किया जाता है। इसलिए स्पष्ट निर्देश होने चाहिए कि किसान को कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं आपका ध्यान इलाहाबाद की ओर ले जाना चाहता हूं।

फाफामाऊ बाजार इलाहाबाद में है। वहां दो बार किसान को पकड़कर बन्द कर दिया गया और उसका गेहूं रख लिया गया और आज वह गेहूं सड़ रहा है। इस तरह से ये तमाम अनियमितताएं बर्ती जा रही हैं।

इसके साथ-साथ किसान धान पैदा कर सकता है परन्तु वह उसकी कुटाई नहीं कर सकता क्योंकि चावल बनने के बाद किसान को अधिक दाम मिलता है। सरकार ने उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और केवल छोटे-छोटे हलर द्वारा ही वह धान की कुटाई कर सकता है जो एक बार में केवल 50 किलो कूट सकता है और एक पंचांग मास के केवल दो क्विंटल धान ही वह कूट कर अपने उपयोग में ला सकता है। इससे स्पष्ट है कि बड़े-बड़े पूंजीपति सरकार के ऊपर दबाव डालकर ऐसे नियम बनवा लेते हैं जिनसे किसान चावल बनाकर न बेच सके। इस तरह से उनको सस्ते दाम पर अपना धान बेचना पड़ता है। मन्त्री जी एक अनुभवी व्यक्ति हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि किसानों को अधिक से अधिक सहायता पहुंचाने के लिए वे ऐसे नियम बनाएं कि किसान जो पैदा करता है, उसका सही रूप में उसको दाम मिल सके और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

मैं आपका ध्यान वन विभाग की ओर भी ले जाना चाहता हूं। ईंधन की समस्या हमारे देश में एक जटिल समस्या बनी हुई है और बिना लकड़ी के किसान का काम नहीं चल सकता है। मैंने इस मामले को राज्य सभा में भी उठाया था और मंत्री जी ने जवाब दिया था कि जलावन लकड़ी को काटने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है लेकिन आज तक कोई परिभाषा सरकार ने नहीं की है कि जलावन लकड़ी में कौन-कौन सी लकड़ी आती है, कौन-कौन से पेड़ आते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि स्पष्ट निर्देश होने चाहिए कि फलांफलां पेड़ों की लकड़ी किसान अपनी आवश्यकतानुसार काट सकता है अन्यथा पुलिस का उसे शिकार बनना पड़ता है और वन विभाग के अधिकारी भी उससे रुपया वसूल करते हैं। लकड़ी मकान बनाने में और कृषि यंत्र बनाने में और हर जगह काम में आती है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार करके किसानों के हित में ऐसा कार्य करेंगे, जिससे उनको किसी तरह के भ्रष्टाचार में न फंसना पड़े।

माननीय मन्त्री महोदय सदन में मौजूद हैं। मैंने इनसे मार्च में बात की थी जबकि आलू का भाव 25-30 रुपये कुन्टल हो गया था। माननीय मन्त्री जी ने लिखित उत्तर द्वारा मुझे सूचित किया था कि 50 रुपये कुन्टल हमारी सरकार आलू खरीदेगी लेकिन मन्त्री जी को मालूम है कि कहीं भी क्रय केन्द्र नहीं खोले गए हैं और किसान का आलू बाजार में केवल 25-30 रुपये कुन्टल बिका और जब वह किसानों के घर से निकल गया, तो आज आलू का दाम 50-60 और 70 रुपये कुन्टल हो गया है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि स्टार्च बनाने का एक कारखाना इलाहाबाद में खोलना चाहिए और एक फरूखाबाद में खोलना चाहिए क्योंकि आलू का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र यही है। मुझे आशा है कि आप इस पर विचार करेंगे।

मैं फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं। मैं समझता हूं कि आलू का उत्पादन करने वाला यह क्षेत्र हिन्दुस्तान में दूसरे नम्बर पर है। वहां बहुत अधिक आलू का उत्पादन होता है। पहले नम्बर पर फरूखाबाद है और दूसरे नम्बर पर फूलपुर है वहां के आलू उत्पादकों के लिए आप ऐसी व्यवस्था

[श्री राम पूजन पटेल]

करें जिससे कि उनके आलू के उचित दाम वहां के आलू उत्पादकों को मिले। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

फूलपुर में एक सोडा ऐश का कारखाना लगाने की माननीय स्वर्गीय प्रधानमन्त्री जी की उपस्थिति में माननीय कृषि मन्त्री जी ने 30 नवम्बर, 1981 को घोषणा की थी। इसके लिए माननीय मन्त्री जी ने राज्य सभा में आश्वासन भी दिया था लेकिन इसके बावजूद आज तक वहां पर यह कारखाना नहीं लग सका है और न इसको लगाने के बारे में अभी तक कोई कार्यवाही की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन-सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण यह कारखाना वहां नहीं लग पा रहा है। मुझे ज्ञात हुआ है कि इफको के महाप्रबन्धक ने उसके स्थान पर वहां एक दूसरा कारखाना खोलने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा। केन्द्र सरकार उस पर विचार कर वहां तुरन्त कारखाना स्थापित करे जिससे की वहां की जनता की आर्थिक उन्नति हो सके।

साथ ही साथ इस क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वहां अच्छे नस्ल की गायों और भैंसों का होना बहुत जरूरी है जिनसे कि किसान अधिक से अधिक मात्रा में दूध निकाल सके और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 30-40 हजार एकड़ जमीन हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। मैं निवेदन करूंगा कि उस पर भी आप ध्यान दें। वहां पर मुबारकपुर से सीताकुण्ड तक बांध बांधने का सन् 1971-72 में सर्वे हुआ था। लेकिन उस पर अभी तक काम आगे नहीं बढ़ सका है। इसी तरह से फूलपुर तहसील के अन्तर्गत लीलापुर गांव है जो कि गंगा नदी के किनारे पर है। जब हमारे वित्त मन्त्री जी वहां के संसद सदस्य थे तो उन्होंने उसके लिए 42 लाख रुपये मंजूर किए थे लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं हो सका। मैं निवेदन करूंगा कि इन सब बातों की ओर ध्यान देकर किसानों के हित में ऐसे स्पष्ट नियम बनने चाहिएं जिससे कि कर्मचारी और अधिकारी उनका अहित न कर सकें और उनकी आर्थिक उन्नति हो सके और वे अपना उत्पादन भी बढ़ा सकें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देता हुआ उनसे आशा करता हूं कि वे मेरी बातों पर कार्यवाही करेंगे।

[अनुवाद]

**श्री जायनल आबेदिन (जंगीपुर) : महोदय, कृषि भारतीय अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगो पर विचार करते समय इस मुख्य बात पर ध्यान दिया जाना जरूरी है कि क्या हम अपनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मजबूत करने में समर्थ हुए हैं, ताकि वह मजबूत और सीधी रहे और क्या अपनी कृषि व्यवस्था की नींव मजबूत बनाने में समर्थ हुए हैं।

महोदय, वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण, आर्थिक सर्वेक्षण 1984-85, तथा इस मंत्रालय

** बांग्ला में दिये गए मूल भाषण के अंग्रजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

की वार्षिक रिपोर्ट में हमेशा की तरह यही दावा किया गया है कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को भारी सफलता प्राप्त हुई है। वर्ष 1983-84 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने खाद्यान्न की पैदावार में वृद्धि के संदर्भ में अपने बजट भाषण में कहा था कि, "यह हमारी कृषि नीति की परिपक्वता का विश्वसनीय प्रमाण है।" वर्तमान वित्त मंत्री महोदय ने भी इस वर्ष बजट भाषण में अपने पूर्ववर्ती की बात को दुहराई है, "हमारा पिछला रिकार्ड अच्छा है और इससे हमारी कृषि नीति की परिपक्वता का ही सबूत मिलता है।" मैं मंत्री महोदय से सबसे पहले यही जानना चाहता हूं कि सफलता को आंकने के लिए उनका मापदंड क्या है ? यदि दुःख, विपदा, भूख, अभाव, गरीबी तथा कृषि से सीधे सम्बद्ध हमारे लाखों ग्रामीणों की बेरोजगारी में वृद्धि किया जाना ही उनकी कृषि नीति है तो हमें यह मानना ही होगा कि उन्हें शत प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई है। सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों से भी यही सिद्ध होता है।

यदि हम पिछले कुछ वर्षों में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में उसके मूल्य निर्धारण नीति, खाद्यान्नों के वितरण, खेतिहर मजदूरों को अदा की जाने वाली मजदूरी, बटाईदारों के अधिकारों की रक्षा और इसके अलावा भूमिहीनों में अतिरिक्त भूमि के वितरण, और यहां तक कि मत्स्य-पालन, पशु-पालन, वानिकी और जो भी कृषि मंत्रालय के अधीन हो उन पर ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि कृषि के क्षेत्र में सरकार द्वारा किया गया दावा कितना काल्पनिक और खोखला है। कृषि नीति की सफलता या असफलता को किसी एक वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि या कमी से नहीं आंका जा सकता। और जब सरकार खाद्यान्न उत्पादन में भारी सफलता का दावा कर रही है तब भी हम देखते हैं कि खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति दैनिक औसत उपलब्धि धीरे-धीरे कम ही होती जा रही है। वर्ष 1965 में खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति दैनिक औसत उपलब्धता 480.2 ग्राम थी जबकि 1984 में यह घटकर 438.1 ग्राम हो गई।

वर्ष 1970-74 के दौरान 5 वर्ष की अवधि में खाद्यान्न की प्रतिव्यक्ति दैनिक औसत उपलब्धता 450.5 ग्राम थी। अगले 5 वर्षों में अर्थात् 1975-79 के दौरान खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति दैनिक औसत उपलब्धता 440.8 ग्राम हो गई थी। वर्ष 1980-84 अर्थात अगले 5 वर्षों में खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति दैनिक औसत उपलब्धता 438.1 ग्राम हो गई। केवल खाद्यान्न के मामले में ही प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम नहीं हुई वरन् अन्य कृषि उत्पादनों के मामले भी यही कमी आई है। कृषि मंत्रालय की 1983-84 की वार्षिक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि "कपास की सभी किस्मों के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होने के कारण 1979-80 से आयात वास्तव में समाप्त हो हो गया है। वर्ष 1982-83 के दौरान 7.6 लाख गांठों का निर्यात किया गया।" किंतु हम देखते हैं कि सूती कपड़े की प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति उपलब्धता में लगातार कमी आती जा रही है।

वर्ष 1978-79 में यह 10.2 मीटर थी, 1979-80 में आयात समाप्त करने पर 10.1 मीटर थी। वर्ष 1982-83 में 7.6 लाख गाठों का निर्यात किया गया था तब यह 9.9 मीटर तक घट गई। कपास का उत्पादन 1982-83 में 75.3 लाख गांठें था जबकि 1983-84 में यह घटकर 65.8 लाख गांठें हो गया जिसका मतलब है सूती कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में और कमी।

वर्ष 1982-83 में गन्ने की पैदावार 1895 लाख टन थी जो अभूतपूर्व थी। किंतु चीनी की

[श्री जायनल अबेदिन]

प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धता घट ही गई क्योंकि 1977-78 में यह 9.7 किलो ग्राम थी और 1982-83 में यह 9.2 किलो ग्राम ही रह गई। वर्ष 1983-84 में गन्ने की पैदावार 1895 लाख टन से घटकर 1770.2 लाख टन रह गई। अतएव चीनी की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता तो कम होनी ही थी।

खाद्य तेल - खाद्य तेलों की 1981-82 में प्रति व्यक्ति उपलब्धता 4.8 किलोग्राम थी जो 1982-83 में घटकर 4.3 किलोग्राम हो गई। इसीलिए हम देखते हैं कि किसान जितना ज्यादा खाद्यान्नों, गन्ने, कपास, तिलहन आदि की पैदावार बढ़ाते हैं खपत के लिए उसे उतना ही कम मिलता है। सरकार जो उपलब्धि का दावा कर रही है वह खाद्यान्न की पैदावार के आधार पर है। किंतु आइए हम वहां भी स्थिति की जांच करें। वर्ष 1983-84 के अलावा उससे पहले अनेक वर्षों तक पैदावार वस्तुतः एक जैसी ही रही है। वर्ष 1978-79 में खाद्यान्न की पैदावार 1319 लाख टन थी। वर्ष 1979-80 और 1980-81 में लगातार दो वर्षों तक पैदावार में कमी आई। वर्ष 1981-82 में इसमें थोड़ा-बहुत सुधार हुआ वर्ष 1982-83 में यह फिर घटकर 1295·2 लाख टन हो गई। इसका अभिप्राय है कि यदि 1978-79 को केन्द्र माना जाए तो पैदावार में उतार चढ़ाव आता रहा है।

अन्य कृषि फसलों की पैदावार की भी यही प्रवृत्ति रही है जैसाकि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :—

	1977-78	1983-84
गन्ना	1760.7 लाख टन	1770.2 लाख टन
कपास	72.4 लाख गांठें	65.8 लाख गांठें
मेस्ता	17.9 लाख गांठें	13.6 लाख गांठें
पटसन	64.7 लाख गांठें	60.4 लाख गांठें

उपर्युक्त फसलों का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन लगातार निम्नलिखित रूप में रहा है :

वर्ष 1980-81 में गन्ने की पैदावार 57844 किलोग्राम थी जो वर्ष 1983-84 में घट कर 55904 किलोग्राम रह गई।

कपास—1977-78 में यह 157 किलोग्राम था किंतु 1983-84 में यह 144 किलोग्राम हो गया।

मेस्ता—1977-78 में 883 किलोग्राम जो 1983-84 में घट कर 850 किलोग्राम रह गया।

पटसन—1981-82 में यह 1480 किलोग्राम था जो 1983-84 में घटकर 1470 किलोग्राम रह गया।

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने यह सिफारिश की थी कि दूध की प्रति व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकता

201 ग्राम हैं। इस समय केवल 137 ग्राम ही उपलब्ध है। दैनिक 201 ग्राम की आवश्यकता के आधार पर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आवश्यकता 73 किलोग्राम की होगी। अर्थात् पूरे देश के लिए वार्षिक आवश्यकता 511 लाख टन होगी। हमारी दुग्ध-क्रांति की यह तो स्थिति है। किंतु राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और भारतीय डेरी निगम ने यह दावा किया है दुग्ध-उत्पादन के क्षेत्र में हम आत्म-निर्भर हो गए हैं। अभी तक हम वसा रहित दूध के पाउडर की उतनी मात्रा का आयात कर रहे हैं जितना कि हम तथाकथित दुग्ध क्रांति से पहले करते थे। अंडे, मछली और मांस की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता की स्थिति तो और भी बदतर है। इसीलिए क्या वास्तव में सरकार की कोई कृषि संबंधी नीति है ? यदि है, तो यह मात्र उतार चढ़ाव की नीति है जिसे हम पेंडुलम नीति कह सकते हैं। अर्थात् पिछले 8-10 वर्षों में उत्पादन के क्षेत्र में यह कभी दायीं ओर जाती है कभी बाईं ओर जाती है और मूल स्थिति में ही आ जाती है।

कैलोरी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के संदर्भ में भी भारत की स्थिति श्री लंका से भी बदतर है। यहां तक कि भारत में प्रति व्यक्ति कैलोरी की उपलब्धता अन्य कम आय वाले देशों के औसत से भी कम है।

श्री लंका में यह 2238 कैलोरी है। कम आय वाले देशों की औसत कैलोरी उपलब्धता 2218 है। किंतु भारत में यह केवल 1880 ही है। वर्ष 1979-80 में उर्वरक की खपत 52.6 लाख टन थी। वर्ष 1984-85 में बढ़कर 84 लाख टन हो गई थी। इसका अर्थ है कि छठी योजना में उर्वरक खपत की दर 60% थी। जहां तक 1979-80 में अर्थात् छठी योजना से एक वर्ष पूर्व सिंचित भूमि का संबंध है कुल सिंचित भूमि 565 लाख हेक्टेयर थी। वर्ष 1984-85 में यह बढ़कर 680 लाख हेक्टेयर हो गई। अर्थात् छठी योजना के दौरान अनुमानित वृद्धि 20% थी।

वर्ष 1979-80 में ज्यादा फसलों की किस्मों वाला क्षेत्र 384 लाख हेक्टेयर था। वर्ष 1984-85 में यह बढ़कर 560 लाख हेक्टेयर हो गया अर्थात् वृद्धि की दर 40% थी।

प्रमाणित बीजों का वितरण 1979-80 में 14 लाख क्विंटल था यह मात्रा 1984-85 में बढ़कर 70.4 लाख क्विंटल हो गई। अर्थात् 5 गुना तक वृद्धि हो गई।

किंतु कितनी बार पैदावार में वृद्धि हुई है ? हम बड़े पैमाने पर सभी प्रकार के निवेशों में वृद्धि के बाद भी कृषि की फसलों के उत्पादन में समग्र वृद्धि करने में असमर्थ रहे हैं। हम उत्पादन का वह स्तर बनाये रखने की लगातार कोशिश कर रहे हैं जो कि कई वर्ष पहले था।

यदि हमने सिंचित क्षेत्र को इतना अधिक न बढ़ाया होता, यदि हमने अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के कृषि क्षेत्र को न बढ़ाया होता, यदि हमने उर्वरकों के उपयोग को न बढ़ाया होता, यदि हमने प्रमाणित बीजों का उपयोग न बढ़ाया होता तो उत्पादन को भारी क्षति पहुंचती। लेकिन वे कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट उत्पादन होने का दावा कर रहे हैं। कृषि और ग्रामीण विकास के माननीय मंत्री महोदय ने 2-2-85 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 24वें दीक्षान्त समारोह की बैठक में अपने भाषण में बहुत ही निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत की। मंत्री महोदय ने जो कुछ वहां कहा वह मैं 3-2-1985 के 'बिजनेस स्टेन्डर्ड' से उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा, बाजरा, ज्वार, जौ और दालों

[श्री जायबल अबेदिन]

चना और दालों के मामले में उत्पादन वृद्धि दर घटी है। बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, तारा (मोरा (रेप सीड) सरसों सभी प्रकार की तिलहन, पटसन और गन्ने के मामले में उत्पादकता की वृद्धि दर बहुत धीमी अर्थात् 1 प्रतिशत से भी कम थी। सरकार की सफलता की यह तस्वीर है।

महोदय, हमारे देश में सिंचाई के अंतर्गत भूमिक्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है। हम सिंचाई प्रयोजनों के लिये अपनी जल सम्पदा का अधिकाधिक उपयोग कर रहे हैं। इसराइल ने सिंचाई प्रयोजनों के लिये 1980 में जल की उसी मात्रा का उपयोग किया जिसका उपयोग उन्होंने 1956 में किया था। लेकिन 1980 में उनका उत्पादन 1956 के उत्पादन से तीन गुणा अधिक था। जापान सिंचाई प्रयोजनों के लिये हमारे द्वारा उपयुक्त जल का केवल एक तिहाई उपयोग करता है। लेकिन उनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन हमारे उत्पादन से कई गुणा अधिक है। चीन में उपलब्ध कृषि भूमि हमारे देश की भूमि की तुलना में कम है और सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र हमारे सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र से कम है। 1983 में हमारे देश की सिंचित भूमि 6.56 करोड़ हेक्टेयर थी। उस समय चीन का सिंचित क्षेत्र केवल 4.46 करोड़ हेक्टेयर था। लेकिन उस वर्ष हमारा खाद्य उत्पादन 15i0.4 लाख टन था जबकि उसी वर्ष के दौरान चीन का उत्पादन 3870 लाख टन था। विशेषज्ञों के अनुसार सिंचित भूमि के प्रत्येक हेक्टेयर में प्रति वर्ष कम से कम से 4 टन उत्पादन होना चाहिये। लेकिन हमारे देश में वर्तमान उत्पादन उसके आधे से भी कम है। यदि हम सिंचित भूमि के प्रत्येक हेक्टेयर में 4 टन खाद्यान्न उत्पादन करने में सक्षम रहते हैं तो इसमें से कुछ भूमि अन्य नकदी फसलों के लिये रख लेने के बाद भी हम अपने देश में इस समय उपलब्ध सिंचित क्षेत्र में 25 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन कर सकेंगे जो वर्ष 2000 ई० के दौरान खाद्यान्न की हमारी अनुमानित मांग है।

महोदय हमारे देश के प्रयोगात्मक और अनुसंधान कार्यों में प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 8.5 टन है। लेकिन किसानों के खेतों में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन प्रतिवर्ष 1.5 टन से कम है जिसका अर्थ है कि प्रयोगशाला से भूमि तक का नारा केवल मात्र एक नारा रह गया है। हम प्रायोगिक कृषि के आधुनिक अनुसंधानों के परिणाम वास्तविक किसानों तक पहुंचाने में असमर्थ रहे हैं। इसका एक कारण है उनको लागू करने के लिए हमारे किसानों की मानसिक और आर्थिक क्षमता की कमी। लेकिन ऐसा क्यों है और अवरोध कहां है? जमीन के प्रत्येक टुकड़े में उत्पादन के अन्तर्राष्ट्रीय मानक स्तर पहुंचाने के लिए हमें अपने किसानों द्वारा अपनी भूमि में अधिक धनराशि का निवेश करने की क्षमता में वृद्धि करने के प्रश्न पर गम्भीरता से सोचना होगा। क्या कारण है कि किसान अपनी भूमि में अधिक धनराशि निवेश करने में असमर्थ हैं? किसानों को अपने उत्पादों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ बाजार से उसे जो कुछ भी खरीदना पड़ता है उसके भाव आसमान चढ़ गए हैं। किसान एक ही समय में एक उत्पादक और एक उपभोक्ता भी है। एक उपभोक्ता के रूप में उसे जो खर्च करना पड़ता है वह धनराशि उसे एक उत्पादक के रूप में नहीं मिलती। उसे अपने उत्पाद को कम मूल्य पर बेचना पड़ता है और उसी उत्पाद को अपनी खपत हेतु अधिक मूल्य पर खरीदना पड़ता है। सरकार दावा करती है कि उसने कृषि उत्पाद के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। और उर्वरकों के मूल्य में कटौती की है 1980-84 तक गेहूं के समर्थन मूल्य वृद्धि का 117 रुपये से 157 रुपये प्रति

क्विंटल कर दिया गया है। अर्थात् समर्थन मूल्य में 34% वृद्धि की गई है परन्तु उसी अवधि में उर्वरकों के मूल्य में 48% वृद्धि हुई है और डीजल के मूल्य में 200% वृद्धि हुई है। सबसे बढ़कर सरकार आमतौर पर समर्थन मूल्य में वृद्धि करने के साथ साथ जारी करने के मूल्य में भी वृद्धि करती है। इस तरह 1983-84 के दौरान चावल, गेहूं, चीनी और मिट्टी के तेल आदि के मूल्यों में वृद्धि की गई। यह अत्यधिक क्षोभ का विषय है कि सरकार यह सुनिश्चित करने में पूरी तरह असफल रही है कि किसानों को कम से कम कथित समर्थन मूल्य तो मिले। उचित समय पर सरकारी खरीद केन्द्रों या एजेंसियों की पर्याप्त संख्या में कमी आई, उनकी उदासीनता के कारण, किसानों को अपना उत्पाद मजबूर होकर कम मूल्य पर बिचौलियों को बेचना पड़ता है। किसानों के लिए समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए इन बिचौलियों को बाजार से हटाना पड़ेगा। सरकार को एकाधिकार अधिग्रहण करने का उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई उपाय करने के लिए तैयार है ?

विश्व के कई भागों में यह पद्धति प्रचलित है कि किसानों को उनके उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्य मिलते रहे। और उपभोक्ता को खाद्यान्न की सप्लाई कम मूल्य पर मिल जाती है। जापान में सरकार किसानों से चावल 850 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदती है और उपभोक्ता को 650 रुपये प्रति क्विंटल बेचती है इसका अर्थ है सरकार प्रति क्विंटल 200 रुपये की राजसहायता देती है। हम लम्बी अवधि से यह मांग करते आ रहे हैं कि सरकार को लोगों के प्रतिदिन उपयोग की 14 अनिवार्य जिन्सों की सप्लाई सहायता प्राप्त मूल्य पर करने का उत्तरदायित्व लेना चाहिए। लेकिन सरकार हमारी बात को अनसुना कर रही है।

किसान वास्तव में खेत जोतते हैं लेकिन भूमि के स्वामी नहीं हैं—दूसरी तरफ वे लोग जिनके पैर भी कभी जमीन पर नहीं पड़ते भूमि के स्वामी हैं। यह पद्धति अभी तक विद्यमान है। छठी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में यह कहा गया था कि अधिकतम सीमा से अधिक भूमि के अधिग्रहण और वितरण का कार्यक्रम दो वर्ष की अवधि के भीतर अर्थात 1982-83 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 1984 के आरम्भ में माननीय कृषि मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को परामर्श दिया गया है कि वे अतिरिक्त भूमि का पूरा वितरण मार्च 1985 तक कर दें। वह समयावधि भी गुजर गई है। क्या भूमि वितरण का कार्य पूरा हो गया है ? जमीदारी प्रथा और सामन्ती शोषण प्रथा को बरकार रखकर अपेक्षित और आवश्यक ऊंचे स्तर के उत्पादन तक पहुंच पाना कभी संभव नहीं है। भूमि सुधार के मामले में कोई प्रगति क्यों नहीं हुई ? सरकार इसके लिए कचहरी से मामले शुरू हो जाता स्टे आदेश आदि जैसे अनेक कारण और बहाने बताती है लेकिन मुख्य कारण 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया है। उसने कहा --"अप्रभावी क्रियान्वयन के पीछे मूल कारण राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी है।" यदि यह राजनैतिक इच्छा शक्ति हो तो अनेक अवरोध पार किए जा सकते है। इसका पर्याप्त प्रमाण पश्चिम बंगाल में मिल गया है। यदि राजनैतिक इच्छाशक्ति होती तो पश्चिम बंगाल दूसरा भूमि सुधार विधेयक" 1981 से केन्द्र सरकार के पास पड़ा राष्ट्रपति की सम्मति पाने का इन्तजार न कर रहा होता। हमारे देश की कुल भूमि के एक बड़े भाग के विभिन्न क्षेत्रों में 30% से

[श्री जायनल अबेदिन]

50% तक की खेती बर्गदारों या बंटाइदार काश्तकारों द्वारा की जाती है उस बटाई काश्तकार को निरन्तर यह डर लगा रहता है कि वह भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा या उखाड़ दिया जाएगा तो वह खेती करने के लिए महंगी आधुनिक प्रणालियों का उपयोग करने और उन्हें लागू करने की मानसिकता कैसे विकसित कर सकेगा। उत्पादन बढ़ाने के हित में और कृषि में आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति विस्तृत तब से लागू करने की मानसिकता का विकास करने के लिए किसान का नाम बंटाई काश्तकार के रूप में रिकार्ड में दर्ज करना पड़ेगा ताकि उसके लिए भूमि पर खेती करने का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके। परन्तु इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार की भूमिका क्या है? पिछले 30 वर्षों में कितने बंटाईदार काश्तकारों के नाम रिकार्ड में दर्ज किए गए हैं? ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? इन प्रश्नों के उत्तर में वही बात कहनी पड़ती है अर्थात राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी है।

महोदय, हमारी ग्रामीण जनसंख्या का अधिसंख्या भाग खेतीहर मजदूर है। सरकार की कृषि नीति के कारण अधिक से अधिक सीमान्त किसान भूमिहीन बन रहे हैं और खेतीहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। जनसंख्या की रिपोर्ट के अनुसार खेतीहर मजदूरों की संख्या इस प्रकार थी—

1961 में	3.15 करोड़
1971 में	4.75 करोड़
1981 में	646.2 लाख

ये वह लोग हैं जिनका जीवन अत्यधिक दयनीय है। वर्ष में लम्बी अवधि तक वे बेकार रहते हैं और जब कभी उन्हें कोई काम भी मिलता है तो न्यायोचित मजदूरी नहीं मिलती फिलहाल विभिन्न राज्यों में लागू न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत उनके लिए नियत मजदूरी वर्तमान मूल्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त और नगण्य है। लेकिन गरीब खेतीहर मजदूरों को वास्तव में इतना भी नहीं मिलता। यह इस सम्बन्ध में किए गए विभिन्न सर्वेक्षण द्वारा प्रकाश में आया है।

1975 में लागू प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम में कहा गया था कि "खेतीहर मजदूरों की न्यूतम मजदूरी की समीक्षा करें और उसे प्रभावी रूप से सुनिश्चित करें" क्या मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि खेतीहर मजदूरों की मजदूरी की कितनी समीक्षा हो चुकी है और वह कितनी सुनिश्चित की जा चुकी है।

महोदय भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने तमिलनाडु, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में सर्वेक्षण किए थे। इस सर्वेक्षण में यह पाया गया कि अधिकत्तर खेतीहर मजदूर गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। केवल यही नहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सबंधित कृषि मजदूरों के 50 प्रतिशत की मासिक आय 50 रुपये से भी कम है। वे ज्वार बाजरे का पानी दिन में केवल एक बार पीकर जीवित रहते हैं। क्या मंत्री महोदय जांच करेंगे कि कोई केन्द्रीय अल्पतम मजदूरी अधिनियम अधिनियमित किया जा सकता है और इसे सारे देश में लागू किया जा सकता है?

महोदय मेरा आखिरी प्रश्न ग्रामीण विकास के विषय में है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी हटाने के लिए और ग्रामीण विकास के लिए बहुत से तरीके और रास्ते है। बहुत बार प्रकाशित 20 सूत्री कार्यक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जैसे अनेक तरीके हैं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि जैसे कार्यक्रम भी हैं। यदि इन कार्यक्रमों का ईमानदारी से और उचित क्रियान्वयन किया जाता तो ग्रामीण निर्धनों के एक बड़े वर्ग को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जा सकता था। लेकिन पिछले 7 वर्षों में उनमें से केवल 3 प्रतिशत को ही गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया और वह भी अस्थायी रूप से बाढ़, सूखा आदि जैसी प्राकृतिक आपदाएं किसी समय भी उन्हें गरीबी की रेखा से नीचे धकेल सकती हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह यह देखें कि इन स्कीमों की कमियां दूर की जाएं, और निर्धन ग्रामीण जनसंख्या के लिए उचित कार्यवाही की जायें। और इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री जगन्नाथ चौधरी (बलिया) : माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कृषि जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए मुझे मौका दिया है। माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत कृषि विभाग के अनुदानों का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

कृषि विभाग हमारे देश का एक बड़ा महत्त्वपूर्ण विभाग है और हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की 80 फीसदी जनता खेती पर मुनहसिर करती है और खेती से ही हमारे देश के लोगों का जीवनयापन चलता था। आजादी के पहले हमारे देश में कोई कल-कारखाना नहीं था, सारे लोग खेती में ही लगे हुए थे, लेकिन हमारे देश की स्थिति ऐसी दयनीय थी कि हम साल भर खाने के लिए भरपूर अन्न पैदा नहीं कर पाते थे।

आजादी के बाद 37 वर्षों में हमारी सरकार ने खेती की पैदावार को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास किए हैं और हमें इसमें पूरी सफलता भी मिली है। जो यह कहते हैं कि इसमें सफलता दिखलाई नहीं देती, मुझे आश्चर्य है कि उनकी आंख की रोशनी कहां चली गई है जो उन्हें खेती की प्रगति दिखलाई नहीं देती है ? इसके अलावा और शब्द मैं कहना उचित नहीं समझता हूं।

आज मैं यह कहना चाहता हूं कि आजादी के पहले हमारा देश अन्न के मामले में काफी कमजोर था। जब कभी भी हमारे देश में अकाल पड़ा है तो हमें अमेरिका आस्ट्रेलिया की तरफ अपना हाथ फैलाना पड़ा है, लेकिन आजादी के बाद 37 वर्षों में हमारी भारत सरकार ने खेती के मामले में चाहें सिंचाई हो, खाद हो, अच्छे बीज हों, औजार हों, इन सबमें इस तरह की व्यवस्था की है, जिनके माध्यम से आज जीता-जागता सबूत है कि आज हम अमेरिका और आस्ट्रेलिया की तरफ हाथ न फैलाकर दूसरे मुल्कों को गल्ला देने की हैशियत में आ गए हैं। यही एक बड़ा सबूत है कि हमारा देश खेती के मामले में आगे बढ़ा है इससे यह कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि हम खेती के मामले में बहुत पीछे चले गये हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार अन्न के मामले में काफी आगे बढ़ी है।

[श्री जगन्नाथ चौधरी]

यह मैं कहने के लिए तैयार हूं कि कुछ कमियां और खामियां हैं, जिनमें हमें सुधार करना होगा। इसके लिए रूलिंग पार्टी का मैम्बर होते हुए भी हमारा फर्ज होता है कि हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर के सामने अपने सुझाव रखें है।

मेरा सुझाव है कि आप जितनी सुविधा किसानों को दे रहे हैं, पानी बिजली और खाद के माध्यम से, और किसान मेहनत से गल्ला पैदा कर रहा है, उसकी जो लागत उपज पर आती है उसके मुकाबले में आप जो मूल्य उसे दे रहे हैं, उससे किसान को खेती में लाभ दिखलाई नही पड़ रहा है।

यह बात मैं कैसे कह रहा हूं ? मैं स्वयं किसान हूं और जनप्रतिनिधि होने के नाते गांव-गांव मे घूमता हूं, किसानों से बात करता हूं। जब पूछता हूं कि आपने कितना गल्ला पैदा किया, बेचने के बाद क्या मिला तो किसान बहुत दुखित होकर कहता है कि चौधरी साहब मैं घाटे में जा रहा हूं, लेकिन हमारे सामने मजबूरी है कि भगवान ने हमको धरती दिया है, उस धरती को छोड़कर हम कहां जाएं चाहे घाटे में हो, मुनाफे में हों हमें खेती करनी ही होगी। एक तरफ कल कारखाने का मालिक है, जब वह एक लाख खर्चा करता है तो सवा लाख निश्चित तौर पर पैदा करता है, यदि सवा लाख नहीं होता है तो अपना कारखाना बन्द कर देता है लेकिन हमारे किसानों के सामने मजबूरी है कि यदि हम खेती बन्द कर देंगे तो क्या करेंगे, इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करें और ऐसे लोगों को गल्ले का रेट निर्धारित करते समय रखें जिनको खेती का सही ज्ञान हो। यदि सही ज्ञान नहीं है, वास्तव में वे एयर-कंडीशन में बैठकर बनाने वालों में से हैं वह लागत का सही अनुमान नहीं लगा सकते। इससे किसान घाटे में जाता है जिससे वह दुखी होता है। मैं चाहूंगा कि इस पर आप विशेष ध्यान दें।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि यदि हम गल्ले की कीमत बढ़ा देते हैं तो कल कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को महंगा खरीदना पड़ता है। इसमें मेरा सुझाव है कि यदि कल कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के साथ आपकी रहमदिली है तो जो कारखानों में सामान तैयार होता है उसकी कीमत आप घटा दें, उसी अनुपात से जिस अनुपात से गल्ले की कीमत रखते हैं, जैसे आप खाद, बिजली और पानी हम को महंगा देते हैं। जितनी भी आवश्यक चीजें हैं लोहा सीमेंट आदि वह सब हमको महंगा देते हैं। यदि गल्ला सस्ता लेना चाहते हैं तो किसान की आवश्यक चीजों की कीमत उसी अनुपात से घटा दें, उसमें किसान को कोई आपत्ति नहीं होगी।

गल्ला जहां तक पैदा होता है इसके सम्बंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सारे देश में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां सिंचाई के साधन भरपूर मात्रा हो चुके हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है। वहां 90 प्रतिशत सिंचाई के साधन हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर में मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलन्दशहर और अलीगढ़ में 80 फीसदी सिंचाई के साधन प्राप्त हो चुके हैं, किन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर में पूर्वांचल में बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया जिलों में अभी 20 प्रतिशत से अधिक सिंचाई के साधन प्राप्त नहीं हो सके हैं। यदि वहां भी 80-90 प्रतिशत तक सिंचाई के साधन दे सकें तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जैसे बलिया और

पूर्वांचल का किसान गल्ला पैदा कर सकता है और आपके हाथ मजबूत कर सकता है। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि पूर्वांचल में जो सिंचाई की स्थिति दयनीय है वहां सिंचाई के साधन भरपूर देकर वहां के किसानों के हाथ को आप मजबूत करें।

खास तौर से मैं बलिया के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। बलिया में एक छोटी सी केनाल सवा 700 क्यूसेक की केनाल है। वहां की शारदा केनाल के पानी का आज से 10 वर्ष पहले सिंचाई मंत्री ने शिलान्यास किया था, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि शारदा केनाल का पानी आज 10 वर्ष हो गए बलिया में नहीं पहुंच सका जिससे बलिया के लोगों को सिंचाई के लिए तरसना पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा कि आप शारदा केनाल का वहां पानी पहुंचायें जिससे किसानों को राहत मिल सके।

बलिया जिले में एक बहुत बड़ा सुरहा ताल है। उसको गहरा करके बरसाती पानी इकट्ठा करके किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जा सकता है। यदि आप इस पर ध्यान दें तो सुरहा ताल से पानी इकट्ठा करके किसानों को पानी दिया जा सकता है और इससे काफी किसान लाभान्वित हो सकते हैं।

मान्यवर, किसानों के उत्थान के लिए, किसानों की जानकारी के लिए जगह-जगह पर कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की आपने व्यवस्था की है। मुझे मालूम है कि भारत सरकार ने 80-90 जगहों में कृषि केन्द्र खोलने की व्यवस्था की है। यह जानकार बड़ी प्रसन्नता हुई कि इससे किसानों को काफी लाभ होगा।

मेरी मांग है कि बलिया जैसे पिछड़े जिले में कृषि वैज्ञानिक केन्द्र खोलकर किसानों को सहूलियत देने की व्यवस्था की जाए। इस सम्बन्ध मैंने मन्त्री महोदय के पास दरख्वास्त भी भेज रखी है। वहां पर सिंचाई के साधन न होने के कारण, यद्यपि वहां पर शुगर फैक्टरी है परन्तु उसके लिए भरपूर गन्ना पैदा नहीं हो पाता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप वहां पर समुचित सिंचाई, खाद और अच्छे बीज के माध्यम से गन्ने की पैदावार बढ़ाने की व्यवस्था करें। इसके साथ-साथ मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि शुगर फैक्टरी रसड़ा में किसान जो गन्ना देते हैं उनको समय पर अपने गन्ने का दाम नहीं मिलता है। इस तरह की शिकायत पूर्वांचल के अन्य मिलों में भी है। मैं मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, उनकी तरक्की को ध्यान में रखते हुए तथा उनको प्रोत्साहन देने के लिए आप उनको समय पर गन्ने की कीमत दिलायें और यदि समय पर उनको गन्ने की कीमत न मिल सके तो बाद में ब्याज सहित उनको गन्ने की कीमत मिले।

आप किसानों के हित के लिए उनको बिजली सिंचाई के लिए देते हैं लेकिन आपने एक रेट फिक्स कर रखा है कि चाहे आप बिजली दें या न दें, किसान को उतना पैसा देना ही होगा। मैं समझता हूं सरकार किसानों के साथ यह ज्यादती कर रही है। मेरा सुझाव है कि किसान जो ट्यूबवेल लगाए उस पर आप मीटर लगा दीजिए और उसके हिसाब से जो पैसा बने वही लिया जाए। जबर्दस्ती किसान का गला दबाकर उससे पैसा वसूल नहीं किया जाना चाहिए। आप बिजली तो देते नहीं हैं लेकिन किसान से पैसा ले लेते हैं।

[श्री जगन्नाथ चौधरी]

मैंने संक्षेप में जो सुझाव मंत्री जी के समक्ष रखे हैं मुझे उम्मीद है वे उनपर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे तथा निश्चित रूप से उनपर कार्यवाही भी करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का हृदय से स्वागत करता हूं तथा समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

** श्री वी० कृष्ण राव (चिकबल्लापुर) : महोदय, मैं कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान की मांगों का पूरे दिल से समर्थन करता हूं। मैं इस अवसर पर कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी 70 प्रतिशत जनता की आजीविका कृषि पर निर्भर करती है। शेष 30 प्रतिशत लोग दूसरे कार्य करते हैं। यद्यपि खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं तथापि हम निर्यात की स्थिति में नहीं है। यदि आप अमरीका को देखें तो वहां केवल 10 से 12 प्रतिशत जनता कृषि कार्य करती है परन्तु देश की आवश्यकता को पूरा करने के बाद अमरीका विश्व के दूसरे देशों को खाद्यान्न का निर्यात करता है। यद्यपि हमारी 70 प्रतिशत जनता कृषि करती है तथापि हम निर्यात की स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं हालांकि हम इस दिशा में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। आप जापान का उदाहरण लीजिए जहां बहुत अधिक भूमि नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि जापान खाद्यान्न संबंधी अपनी आवश्यकता स्वयं पूरी कर रहा है। यह भी आश्चर्य की बात है कि जापान खाद्यान्न का निर्यात करता है। यह कैसे सम्भव हुआ ? उन्होंने समुद्र के ऊपर भूमि तैयार की है और वे उस पर खेती कर रहे हैं। मकानों की छतों पर वे न केवल खाद्यान्न उगाते हैं बल्कि वहां सब्जियां भी भारी मात्रा में पैदा की जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य के प्रयासों और प्रवीणता की कोई सीमा नहीं है।

हमारे पास 1300 लाख हैक्टेयर सिंचित भूमि है 1951 में हमारे पास 216 लाख हैक्टेयर सिंचित भूमि थी। 1980 में हमारे पास 523.1 लाख हैक्टेयर सिंचित भूमि थी। समस्त कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए इस गति से सौ वर्ष और लगेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जबकि जापान कृषि के लिए समुद्र के ऊपर भूमि तैयार कर रहा है और हम उपलब्ध भूमि पर भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और हमारे पास पानी पर्याप्त मात्रा में है। यह अनुमान लगाया गया है कि हम केवल 30 प्रतिशत उपलब्ध पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और शेष पानी बेकार समुद्र में चला जाता है। क्या हम कृषि के क्षेत्र में जापान से पिछड़े हुए नहीं हैं जिसका क्षेत्रफल हमारे सबसे छोटे राज्य से भी कम है। क्या हम कृषि के क्षेत्र में अमरीका से पिछड़े हुए नहीं है जिसकी केवल 10 प्रतिशत जनता कृषि करती है और फिर भी वह देश खाद्यान्न का निर्यात करता है जबकि हम खाद्यान्न के मामले में केवल आत्मनिर्भर हो हैं और हमारी 70 प्रतिशत जनता कृषि करती है। मुझे विश्वास है कि वास्तव में यह मामला समूचे देश के लिए भारी चिंता का विषय है।

* कन्नड़ में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

एक किसान जिसके चार बच्चे हैं उसे अपने बच्चों को स्कूल की बजाय खेतों में भेजना होगा क्योंकि कृषि उसके लिए अलाभकर व्यवसाय है। एक किसान जिसके पास 10 एकड़ जमीन है, वह झोपड़ी में एक बोरी पर सोता है क्योंकि उसे कृषि उत्पादों का लाभप्रद मूल्य नहीं मिलता। एक बीड़ी विक्रेता या सरकारी कार्यालय के चपरासी को लीजिए। उनकी स्थिति किसान से बहुत बेहतर है आनाज पैदा करने वाले व्यक्ति को दो समय की रोटी सुलभ नहीं है। वह अपने पुत्र को नहीं पढ़ा सकता हालांकि वह उन सबको खिला रहा है जो अपने बच्चे स्कूल भेजते हैं। उसे जीवन पर्यन्त आधा नंगा रहना पड़ता है हालांकि वह उन लोगों को अनाज मुहैया कराता है जो देश की समस्त जनता के लिए कपड़ा तैयार करते हैं। उसे अपने अनाज के लिए बाजार नहीं मिलता। लेकिन उसे 4 रु० प्रति किलो की दर से अपने लिए चावल खरीदना पड़ता है। यह है हमारे देश की वस्तु स्थिति। सरकार का यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि हमारे किसानों को लाभप्रद मूल्य प्राप्त हों। यह सुनिश्चित करना सरकार का बुनियादी कर्तव्य है कि हमारे किसान भुखमरी से छुटकारा पायें। किसानों से निरक्षरता को समाप्त करना सरकार का कर्तव्य है। किसानों के जीवन-स्तर को उठाने के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे। हमारे देश के गांवों में चिकित्सा की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए। महोदय, हमारे सिर शर्म से झुक जाते हैं कि हम किसानों को गरीबी से नहीं बचा पाये यद्यपि वे समूचे देश को धनवान बना रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि गांवों से निर्धनता को समाप्त करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किये जाने चाहिए।

मै अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं का उल्लेख करूंगा जो विगत 15-20 वर्षों से निर्माणाधीन हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि हम इन्हें निर्धारित समय में पूरा क्यों नहीं कर सकते। हमें इन्हें शीघ्रता से पूरा करना होगा। इसी प्रकार, हमने सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने के कई दशक बाद भी अल्प-दूरी की सिंचाई नहरों का निर्माण नहीं किया है। आप शुष्क भूमि और प्यासे किसानों से अनाज पैदा करने की आशा कैसे करते हैं?

मुझे यह देखकर भारी दुख होता है कि जिस कृषि कार्य से 70 प्रतिशत जनता को आजीविका मिलती है उसी क्षेत्र को बैंकों को मात्र 6000 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया है जबकि उद्योग को 21,000 करोड़ रुपये मूल्य का ऋण दिया गया है और इस क्षेत्र से केवल 10 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिल रहा है। वास्तव में कृषि के साथ यह भारी अन्याय है। कोई भी समझदार व्यक्ति कृषि के प्रति इस पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को माफ नहीं कर सकता। यदि सरकार कृषि संबंधी ऋण की नीति बदल दे तो हम इस मामले में अमरीका और जापान से भी ऊपर होंगे। भारतीय कृषक परिश्रमी है। भारतीय कृषि वैज्ञानिक और इंजीनियर भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त हैं। यह आवश्यक है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र को ऋण दिया जाए।

2.00 म० प०

आजादी के बाद से कर्नाटक में सिंचाई सुविधाएं 12% से बढ़ कर 20% हो गई है। पड़ोसी राज्यों, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में यह 60% तक पहुंच गई है। मैं यह मांग करता हूं कि सिंचाई परियोजना तैयार और क्रियान्वित करने के मामले में कर्नाटक की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

[श्री बी० कृष्ण राव]

गोरीबिदनवी कोआपरेटिव शूगर फैक्ट्री जिसमें 700 कर्मचारी काम करते हैं पिछले दो वर्षों से बन्द पड़ी है। इसके बन्द रहने का मुख्य कारण धन की कमी है। मैं कृषि मंत्री श्री बूटा सिंह से अनुरोध करता हूं कि वे इस कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री को पुनः चालू कराने की ओर विशेष ध्यान दें ताकि 700 कर्मचारियों तथा उनके परिवारों का गुजारा चल सके। गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं होता है। उन्हें कुएं की सुविधा प्राप्त नहीं है। गन्ना ले जाने के लिए उन्हें बैगन नहीं मिलते। चीनी मिल मालिक उन्हें गन्ने की पूरी कीमत नहीं देते। मैं मांग करता हूं कि उन्हें रियायती दरों पर उर्वरक सप्लाई किए जाने चाहिए। उन्हें ऐसे प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए जिससे वे अधिक गन्ना पैदा करें।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं अर्थात आई० आर० डी० पी०, डी० पी० ए० पी० और डी० पी० पी० का कार्यान्वयन मंद गति से हो रहा है। डी० पी० ए० पी० और डी० पी० पी० का कोई योजना लक्ष्य नहीं है। आई० आर० डी० पी० की क्रियान्वयन ऐजेन्सियों में अनेक पद रिक्त हैं। इन्हें भरना होगा ताकि इस कार्यक्रम को तेजी से लागू किया जा सके। महोदय, 1981-82 में पशुधन से 10,864 करोड रुपए की कुल प्राप्ति हुई जो 60,493 करोड़ रुपए के कुल कृषि उत्पादन का 18% है। इसमें माल ढोने वाले पशुओं से हुई 5000 करोड़ की आय शामिल नहीं है। हमने 1.5 करोड़ पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा है जबकि हमारे देश में लगभग 19 करोड़ पशु हैं। मैं चाहता हूं कि देश में बड़े पैमाने पर पशुओं का बीमा किया जाये। यदि हम कृषि के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं जुटा पाते हैं तो भारत विश्व का अन्न भण्डार बन जाएगा।

श्री एम० सुन्दराजन (शिवकाशी) : अपनी पार्टी, अखिल भारतीय अन्ना द्राविड मुन्नेत्र कज-गम की ओर से मैं कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं। हमारा कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की 75 प्रतिशत जनता कृषि करती है। 3290 लाख हेक्टेयर भूमि में से हम केवल लगभग 1733 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही खेती कर रहे हैं। इसमें से, गत 30 वर्षों में, हम देश की कुल कृषि योग्य भूमि के 25 प्रतिशत भाग में सिंचाई सुविधाएं मुहैया कर पाए हैं। शेष 75 प्रतिशत क्षेत्र असिंचित है। असिंचित भूमि पर खेती करने वाले किसान मानसून तथा दूसरी मौसमी वर्षा पर निर्भर करते हैं। खेती योग्य समूची भूमि में सिंचाई सुविधाओं में सुधार किए बिना ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता को दूर नहीं किया जा सकता।

गारलैण्ड कैनाल स्कीम को क्रियान्वित करने का विचार था, यदि हम इस स्कीम को क्रियान्वित कर दें तो देश की 90 प्रतिशत खेती योग्य भूमि में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। यदि इन सभी किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान कर दी जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति में स्वतः सुधार आएगा और बेरोजगारी और अल्प-रोजगार समाप्त हो जाएगा। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वे इस गारलड कैनाल स्कीम को यथाशीघ्र कार्यान्वित करें केवल तब ही हम ग्रामीण भारत से निर्धनता को पूर्णतया समाप्त कर पाएंगे। अन्यथा यह कार्य बहुत कठिन होगा। यद्यपि हम छोटे और सीमांत किसानों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं परन्तु उनसे हम देहाती क्षेत्रों से निर्धनता समाप्त नहीं कर सकते।

जहां तक उर्वरकों का संबंध है, भारत में इसका उत्पादन केवल 52 लाख टन है। परंतु मेरे विचार में 1984-85 में हमें लगभग 90 लाख टन उर्वरक की आवश्यकता होगी। इसलिए हमे 40 लाख टन उर्वरक का आयात करना होगा। इस पर भारी मात्रा में विदेशी-मुद्रा खर्च होगी। अतः इससे बचने के लिए भारत सरकार को किसानों की मांग को पूरा करने के लिए देश में उर्वरक उद्योग स्थापित करने चाहिएं।

असिंचित क्षेत्रों के हमारे किसानों पर सूखे और बाढ़ दोनों से बुरा प्रभाव पड़ता है सिंचित क्षेत्रों के किसानों पर सूखे का प्रभाव कभी-कभी पड़ता है लेकिन उन पर बाढ़ का असर पड़ता रहता है। उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारे बिना हम देश से बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे 75 प्रतिशत किसान असिंचित भूमि पर खेती करते हैं। इसके अतिरिक्त देश के 72 प्रतिशत भाग में प्रतिवर्ष केवल 127 से० मी० वर्षा होती है। अतः यहां सूखा पड़ेगा ही। कम वर्षा के कारण देश के अधिकांश किसानों को सूखे का सामना करना पड़ता है।

मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे असिंचित क्षेत्रों के किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर खरीदने वाले किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करें। हमारे किसान कृषि के आधुनिक उपकरणों को इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन उनके पास खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। यदि भारत सरकार ट्रैक्टर खरीदने वाले किसानों को आर्थिक सहायता दे तो यह बहुत बड़ा कदम होगा। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों की दशा सुधारने का संबंध है, उसके लिए हमने आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों द्वारा हम ग्रामीण जनता की दशा सुधार पा रहे हैं। इन सभी योजनाओं को लागू करने के बावजूद हम ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर नहीं कर पा रहे हैं। अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तमिलनाडु की भांति कोई आत्मनिर्भर योजना चालू करें, तमिलनाडु सरकार उस योजना द्वारा गावों में न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे सड़क, परिवहन, और पेयजल की सुविधाएं प्रदान की हैं।

भारत में 6 लाख गांव हैं। इनमें से हम केवल 1,29,000 गांवों में ही पेय जल उपलब्ध करा पाए हैं।

भारत में हम केवल दो-लाख 40 हजार गांवों के लिए ही बिजली की व्यवस्था कर पाए हैं, जो कि पर्याप्त नहीं है। सरकार को चाहिए कि ग्रामीण विकास के लिए और अधिक धन आवंटित कर ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार के और अधिक उपाय करें।

श्रीमती फूलरेणु गुहा (कन्टई) : मैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं। ग्रामीण विकास विभाग हालांकि काफी नया है फिर भी केन्द्रीय सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में से एक है।

भारत गांवों का देश है और जब तक कि गांवों में रहन-सहन के स्तर में सुधार नहीं होगा तब तक भारत में वास्तविक सुधार सम्भव नहीं है और हो भी नहीं सकता है।

[श्रीमती फूलरेणु गुहा]

आजादी के बाद जो भी हमारी उपलब्धियां हैं उन पर हमें गर्व है। जो देश 1947 में एक सुई तक तैयार नहीं कर सकता था, वह अब मानव को भी चंद्रमा पर भेज सकता है। खाद्य के मोर्चे पर भी हम आत्म-निर्भर हो गए हैं। आजादी से पहले गेहूं और चावल के लिए हमें आयात पर निर्भर करना पड़ता था, अब हम केवल अपनी आवश्यकता पूरी करने की स्थिति में ही नहीं हैं वरन् जरूरत मंद देशों में आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, चावल भेज भी सकते हैं।

किंतु विभिन्न क्षेत्रों में हुई देश की अभूतपूर्व सफलता का दुर्भाग्यवश अधिकांश गांवों पर असर नहीं पड़ा और गांवों में अभी भी जनता की हालत बहुत खराब है और वैसी ही है जैसी आजादी से पहले थी।

उदाहरण के लिए कन्टई को ही लीजिए। कन्टई पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले का एक सब डिवीजन है वहां गांवों में शायद ही कोई सड़क हो और इसीलिए ऐसे गांवों में बस या जीप से यात्रा की कोई सुविधा नहीं है, यहां तक कि कई गांवों में बैलगाड़ियां भी नहीं जा सकती हैं।

आर्थिक प्रशासनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से परिवहन का जो महत्व है उस पर जितना भी बल दिया जाए उतना ही कम है, परिवहन सुविधा की कमी के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादों की वसूली और बिक्री में काफी कठिनाई होती है। हालांकि लगभग पिछले तीन दशकों में परिवहन और संचार तथा रेलवे, सड़क आदि में काफी वृद्धि हुई है फिर भी इन गांवों में सड़क निर्माण की आवश्यकता पर खास ध्यान नहीं दिया गया है। यदि इन गांवों को रहने लायक बनाना है और गांव वासियों को उनकी मेहनत का उचित लाभ देना है तो इन गांवों में सड़कें बनानी ही होंगी और इस काम को समुचित महत्व देना ही होगा। इस बात को समझना ही होगा कि उत्कृष्ट मुख्य सड़कें जो सभी प्रकार के वाहनों के उपयुक्त में उनका होना किसानों के लिए इतना जरूरी नहीं है। उनके लिए मुख्य सड़क से उनके गांव तक और बाजार तक एक अच्छी सड़क का होना ज्यादा जरूरी है।

इसलिए मैं अनुरोध करती हूं कि मुख्य सड़कों के विकास की नीति को कार्यरूप देने के साथ-साथ ही उन गांवों को उनसे जोड़ना भी जरूरी है जो मुख्य सड़क पर नहीं हैं।

इसके अलावा सड़कें तो हैं ही नहीं साथ ही औषधालय भी नहीं है, अस्पताल की तो बात ही छोड़ दीजिए।

जहां अस्पताल हैं, वहां दवाएं नहीं हैं और कई स्थानों पर तो समुचित रूप से प्रशिक्षित कार्मिक भी नहीं हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग वहां जी कैसे रहे हैं। इसी प्रकार इन गांवों में लोग इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि वहां अधिक संख्या में विद्यालय नहीं हैं वरन इसलिए परेशान हैं क्योंकि वे विद्यालय प्रायः पेड़ों के नीचे ही चलाए जाते हैं क्योंकि वहां समुचित भवन नहीं हैं।

इन क्षेत्रों के लोगों के सामने एक और कठिनाई है—और वह है पेयजल की कमी। अनेक गांवों में मीठे या पेयजल है ही नहीं। यह बड़ी दयनीय स्थिति है कि 20वीं सदी में भी कुछ गांवों में

पेयजल तक की भी सुविधा नहीं है। इससे कौन पीड़ित है ? सबसे ज्यादा पीड़ित तो महिलाएं ही हैं, क्योंकि उन्हें बहुत-बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है।

सातवीं लोक सभा में वाद-विवाद के दौरान यह सिफारिश की गई थी कि प्रति पांच किलो-मीटर पर एक पेयजल का कुंआ होना ही चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं लगता कि उस सिफारिश को लागू किया गया है।

एक अन्य बात जिस पर मैं बल देना चाहती हूं, वह यह है कि जहां कहीं युवा-वर्ग कुछ कर सकने में समर्थ हो वहां उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और किसी अन्य बातों पर ध्यान देने के बजाय केवल योग्यता के आधार पर ही चयन किया जाए। इन गांवों में प्रौढ़-शिक्षा या कामचलाऊ साक्षरता के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। किंतु सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्राप्त धन वापिस कर दिया है। जब स्वयंसेवी संगठनों ने निधि के लिए आवेदन-पत्र पेश किया तो लग-भग सभी मामलों को नामंजूर कर दिया गया।

इसी प्रकार सरकारी रिकार्डों के अनुसार इसी सभा में पश्चिम बंगाल सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए आवंटित धनराशि में से 873 करोड़ रुपए वापस कर दिए थे। दूसरी ओर वह इसी प्रयोजन के लिए धन की कमी होने का तर्क देती है, ऐसा प्रतीत होता है। कि पश्चिम बंगाल में परिवार नियोजन कार्यक्रम ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि जहां भी जाओ गांवों में बच्चे भारी संख्या में नजर आते हैं। मिदनापुर में कुछ भागों में लोगों को यदि सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं तो वे चावल भारी मात्रा में पैदा कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 3 करोड़ 40 हजार रुपए की अनुमानित लागत वाली 'भगवानपुर नंदि ग्राम' नामक एक वृहत् योजना तैयार की थी और अनुमोदन के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजी थी। अभी तक यह केन्द्रीय सरकार और और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच घूम रही है। योजना को अविलम्ब अन्तिम रूप दिया जाए। बीसवीं सदी में जबकि भारत को अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व है, यह बड़े दुःख की बात है कि गांवों में लोग जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं की कमी को झेल रहें हैं। महिलाओं के दुःख तो बहुत अधिक हैं। उनके बच्चों को समु-चित शिक्षा के लिए सुविधाएं नहीं हैं और उन्हें चिकित्सा की भी समुचित सुविधा प्राप्त नही है। वहां बैलगाड़ियां भी नहीं हैं तथा महिलाओं और बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी केन्द्र नहीं हैं। इनमें से बहुत-सी कमियों को दूर करने के लिए गांवों को विकास करने पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। यह बिलकुल स्पष्ट है कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक हम अपने देश के विकास का दावा नहीं कर सकते। इस समय गांवों के विकास के लिए नई योजना तैयार करना जरूरी है। हमें यह देखना है कि गांवधासियों की न्यूनतम आवश्यकताएं अवश्य पूरी हों।

मैं आपके सामने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के विकास के बारे में एक गंभीर बात कहना चाहती हूं। वर्ष 1983-84 के बजट में 12.1.24 लाख रुपए आवंटित किए गए थे किंतु केवल 42.90 लाख रुपए खर्च किए गये, जिससे केवल 30,942 महिलाओं को ही लाभ मिला। वर्ष 1984 में 433.75 लाख रुपए आवंटित किए गये थे किंतु केवल 29,295 लाख रुपए ही खर्च किए गये तथा दिसम्बर, 1984 तक केवल 18,563 महिलाओं को ही इसका लाभ मिला था। मेरा खयाल है कि इस बार अब कुछ कहना जरूरी नहीं कि इतने धन के नियतन के बावजूद महिलाओं और बच्चों

[श्रीमती फूलरेणु गुहा]

के विकास की उपेक्षा की जाती रही है। अब सरकार हमें बताए कि इस बारे में वह क्या करने का विचार कर रही है।

अंत में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहती हूं कि महिलाओं और बच्चों संबंधी कार्य कलापों के लिए एक सेल स्थापित किया जाए। यदि महिलाओं का विकास संबंधी कार्य सामान्य वर्ग के साथ-साथ किया जाएगा तो ज्यादा सफलता नहीं मिल सकती है। खर्च के ब्यौरे से यह बात बिल्कुल साफ है। यह वर्ष राष्ट्रीय कांग्रेस का शताब्दी वर्ष है। मैं सुझाव देती हूं कि कृषि मन्त्री तथा निर्माण और आवास मंत्री मिलकर प्रत्येक गांव में खेती के लिए पानी की व्यवस्था करें। प्रत्येक गांव में पेयजल की सप्लाई की सुविधा भी होनी चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब तक हम गांववासियों को न्यूनतम सुविधाएं देनी शुरू नहीं करेंगे। तब तक वे प्रगति नहीं करेंगे और हम अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएंगे।

[हिन्दी]

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) : सभापति महोदय, कृषि सम्बन्धी मांगों पर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कृषि के क्षेत्र में हमारे देश ने पिछले पैंतीस सालों में काफी विकास किया है। रकबा, उत्पादन और सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा है। आजादी के समय हमारा देश अन्न के मामले में आत्म निर्भर नहीं था और दूसरी जगह से अन्न मंगाकर हमारी जनता को खिलाना पड़ता था, वह आज अपना सारा उत्पादन यहां करता है। वह इतना उत्पादन करता है कि अब हमारे देश की सारी जरूरतों को पूरा करके दूसरे देशों में भेजने की सक्षमता रखता है। परन्तु बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वह बातें मेरे अपने क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान सॉयल इरोजन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां नदियों की बहुतायत है और वह तीन-तीन या चार-चार भील पर स्थित हैं। जिस तरह का फ्लो उनमें है, उससे भूमि का कटाव बहुत ज्यादा होता है। मैंने पिछले तीस सालों में यह अनुभव किया है कि भूमि का उपयोग कृषि के लिए जिस तरह से किया जाना चाहिए, उस तरह से वह नहीं किया जा रहा है। जो भूमि जिस काम के लिए लेनी चाहिए थी, वह भूमि उस काम के लिए न लेकर कभी-कभी अनाधिकृत रूप से कृषि के लिए ले ली जाती है जिसकी वजह से भूमि का कटाव काफी बढ़ गया है। उस कटाव की वजह से पैदावार में भी कमी आई है। माननीय मंत्री जी और कृषि विभाग के अधिकारी यह जानते होंगे कि उनके द्वारा दिए गए आकड़ों के हिसाब से हमारे यहां कुल आबाद रकबा 266 मिलियन हैक्टेयर का बताया गया है जिसके ऊपर खेती होती है। उस रकबे में से 175 मिलियन हैक्टेयर रकबा ऐसा है जो कटाव ग्रसित है व जिस पर किसी तरह का कटाव होता रहता है और इस कटाव की वजह से पूरी तरह पैदावार नहीं हो पाती। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उस क्षेत्र में भूमि का कटाव बहुत ज्यादा है। राजस्थान के कोटा क्षेत्र से मैं यहां आया हूं और राजस्थान में जो कुल 12.5 लाख एकड़ भूमि रबीन के अन्दर आती है।

उस 12.5 लाख एकड़ रकबे में से 6.75 लाख एकड़ रकबा केवल कोटा डिवीजन में स्थित

है पूरे रबीन लैंड का 55 प्रतिशत हिस्सा कोटा क्षेत्र में आता है। इससे आप इस बात का अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहां जब इतना ज्यादा रबीन एरिया है वहां पर यदि कृषि भूमि का उपयोग सही ढंग से न किया जाए, साल-दर-साल अगर आप बिना किसी विचार के इसी भूमि पर एलाटमेंट करते चले जाएं, मार्जिन लैंड का एलाटमेंट करते जाएं, और उस लैंड से पेड़ उठाते जाएं, खेत की बाउन्डरी को खत्म करते जाएं, विलेज की बाउन्डरी को एलाट कर दें और भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में सही स्टैप्स न लें तो ऐसे क्षेत्र में, जहां पहले से काफी मात्रा में रबीन एरिया है, उसका पैदावार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, उससे कितना नुकसान हो सकता है, इसका आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं।

सभापति महोदय, हमारी राजस्थान सरकार ने रबीन एरिया को समतल करने के लिए कुछ समय पूर्व एक योजना बनाई थी औरचौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुछ रकबे को लेवलिंग किया भी गया था लेकिन वह प्रोग्राम इतना एक्सपैन्सिव था कि अधिक समय तक चल नहीं सका और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उस कार्यक्रम को ही छोड़ देना पड़ा। चौथी पंचवर्षीय योजना में 1368 एकड़ भूमि पर 27 लाख 21 हजार रुपये खर्च करके लेवलिंग का कार्य किया गया और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 1,044 एकड़ भूमि पर 21 लाख रुपये खर्च करके लेवलिंग की गई। लेकिन यह सारे का सारा एरिया, जो कि लेवलिंग किया गया था, बाद में उसकी उचित देखरेख न होने के कारण पुनः रबीन एरिया में बदल गया है। वहां फिर से रबीन हो गए हैं और वह एरिया बिगड़ने लग गया है। इसलिए मैं पहला प्रश्न आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि आप इस समस्या की ओर ज्यादा ध्यान दें, कृषि के मामले में भूमि कटाव की समस्या की रोक थाम के लिए उचित व्यवस्था करें और हमारे एरिया पर विशेष ध्यान देकर जमीन को कटाव से बचाने की कोशिश करें।

सभापति महोदय, वैसे तो मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता ने आपको बहुत कुछ बता दिया है कि कृषि क्षेत्र में उन्नति करने के बावजूद भी पर-एकड़ पैदावार के मामले में हमारा देश दूसरे देशों के मुकाबले बहुत पीछे है। आंकड़े बताते हैं कि जहां दूसरे देशों में प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार 4 या 5 टन मानी जाती है, हमारे देश में यही पैदावार 1.47 टन प्रति हैक्टेयर है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस कम पैदावार के पीछे भी कुछ कारण हैं और उनमें सबसे प्रमुख है भूमि कटाव, लैंड एण्ड वाटर मैनेजमेंट। इनकी व्यवस्था अच्छी न होने की वजह से हमारी फसलों की पैदावार घटती जा रही है मैं चाहता हूं कि सरकार को इस समस्या की रोकथाम के लिए उचित उपाय करने चाहिए।

दूसरा प्वाइंट, जिसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह है लैंड रिफार्म्स। इस विषय पर हमारे यहां बहुत बड़ी कन्ट्रोवर्सी है। आपने कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय से सम्बन्धित जो किताब हमें दी है उसके पृष्ठ 44 पर लैंड रिफार्म्स के बारे में आंकड़े दिए गए हैं। उसमें आपने कहा है कि पहले सीलिंग के सम्बन्ध में देश के अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग तरह के कानून बने थे और वे सारे डिफैक्टिव थे। उन कानूनों को एक जैसा बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 1972 में एक नेशनल पौलिसी बनाई तथा नेशनल डायरेक्टिव के अनुरूप दूसरा कानून बनाया गया और सारे देश में एक-समान सीलिंग का कानून वजूद में आया। जहां मैं एक-समान कानून लाने का स्वागत करता हूं कि पुराने कानूनों में जितनी कमियां थीं उनमें सुधार करके एक नया

[श्री जुझार सिंह]

कानून 1972 में बनाया और लागू किया गया, फिर भी इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिन कमियों को दूर करने के लिए आप नया कानून लाए, उनमें से कुछ कमियों को आपने नए कानून में उसी तरह रख दिया और नया कानून उन कमियों के रहते चलता रहा। नया कानून आने से हम जिस सुधार की अपेक्षा रखते थे, वह नहीं हो सका और उसका कोई मतलब नहीं रह गया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में 1972 में बना कानून ही लागू रखा जावे। पुराने कानून में कुछ तबदीलियां लाकर जो नया कानून, बना उसमें दो प्वाइंट्स मुख्य थे। एक तो सीलिंग के रकबे को नापने का आधार क्या हो और पहला कानून प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड था, मंत्री महोदय आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उस पहले कानून के मुताबिक तीन सौ मन तक पैदावार जिस खेत में होती हो तो ठीक है और उससे यदि ज्यादा होती हो, तो अतिरिक्त भूमि को वापिस ले लिया जाएगा, इस प्रकार का कानून था। अब आज की बाजार कीमत के ऊपर भी यदि आप 300 मन का मूल्य लगाएं तो 18 हजार रुपया होता है और कॉस्ट आफ प्रोडक्शन निकालने के बाद में अगर आप देखें तो एक परिवार को उस कानून के अनुसार सिर्फ 9 हजार रुपये मिलते हैं। उस कानून में परिवर्तन किया भी गया तथा नया कानून लाया गया, लेकिन नए कानून में परिवर्तन के बावजूद भी पुराना कानून लागू है आप स्वयं देखिए कि एक परिवार को जो किसान परिवार है, इस कानून के तहत सिर्फ 9 हजार रुपए मिलते हैं, जो कि एक चपरासी की तनख्वाह से भी कम रुपया बैठता है, इस तरह से ये जो भेद-भाव चलता है, यह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री वक्कम पुरुषोत्तमन) : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है। आप अब बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री जुझार सिंह : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि समय के अभाव के कारण मैं अपनी पूरी बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूं। प्रोडक्शन के बेस के ऊपर लगाया कानून गलत कानून है जिसके द्वारा आप काश्तकार को पैदावार सीमा में बांधना चाहते हैं जिसमें उसके परिवार का भरण-पोषण भी नहीं हो पाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप राज्य सरकार को आदेश दें कि राज्य में नया कानून ही एप्लीकेबल हो और पुराने कानून को समाप्त माना जाए।

[अनुवाद]

श्री के० मोहनदास (मुकुन्दपुरम) : सभापति महोदय, सभा में मेरा यह प्रथम भाषण है। मैं कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

बुनियादी तौर पर भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर आधारित है। गत 1½ दशक के दौरान, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भारी प्रगति हुई है। इसीलिए आज हम अनाज का निर्यात कर रहे हैं। स्मरणीय है कि आठवें दशक के मध्य में, हमें पी० एल० 480

के अन्तर्गत अमरीका से आयात किए गए अनाज पर निर्भर करना पड़ता था। परन्तु खेतों में हमारे किसानों द्वारा किए गए कठिन परिश्रम और प्रयोगशालाओं में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य तथा इससे भी अधिक हमारी सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता के परिणामस्वरूप आज हम 151 मिलियन टन से भी अधिक अनाज का उत्पादन कर रहे हैं इस संदर्भ में, मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि उत्पादन के इस स्तर को बनाये रखने के लिए भरसक प्रयास किया जाना चाहिए। किसानों को उनके उत्पाद का लाभप्रद मूल्य दिला कर उत्पादन के इस स्तर को कायम रखा जा सकता है। दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। निसन्देह, सरकार सदैव ही यह कहती रहती है कि सरकार की यह नीति है कि किसानों को लाभप्रद मूल्य दिया जाए। परन्तु कृषि मूल्य आयोग कृषि के लिए आवश्यक सामग्री के मूल्यों में हो रही भारी वृद्धि को कभी भी ध्यान में नहीं रखता। प्रत्येक बजट के बाद, कृषि आदानों का मूल्य बढ़ जाता है परन्तु उत्पादन लागत में हुई वृद्धि को संतुलित करने के लिए कृषि मूल्य आयोग द्वारा निश्चित किए गए मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है अब समय आ गया है कि सरकार को इस मामले की ओर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए। धान के मूल्य पर विचार हो रहा है। केरल के धान-उत्पादकों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है क्योंकि धान की खेती अत्यन्त अलाभप्रद हो गई है। उन्हें मिलने वाली कीमत से उत्पादन लागत भी पूरी नहीं होती। जैसा कि आपको मालूम है केरल में ऐसे बड़े किसान नहीं हैं जिनके पास एक हजार या दो हजार या पांच हजार एकड़ धान के खेत हों। वहां अधिकतर छोटे और सीमांत किसान हैं। वे आदानों की लागत में वृद्धि को सहन नहीं कर सकते। इसके परिणामस्वरूप केरल के किसान धीरे-धीरे धान की खेती करना बन्द कर रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि धान के मूल्य के बारे में एक वस्तुपरक नीति अपनाई जाए ताकि छोटे और मझौले किसानों के हितों की रक्षा हो सके। मुझे खुशी है कि सरकार कृषि मूल्य आयोग का पुनर्गठन कर उसमें किसानों के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ा रही है। यह एक स्वागत योग्य कदम है।

केरल में जिन धान उत्पादकों ने वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिए हैं, वे ऋण लौटाने में असमर्थ हैं। कृषि मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी को कम नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, उर्वरक और कीटनाशक दवाओं आदि के अधिक मूल्यों ने उन पर अत्यधिक भार डाल दिया है। इस सन्दर्भ में, मैं यह कहना चाहता हूं कि 1970-71 से केरल में कृषि उत्पादन नहीं बढ़ा है। यद्यपि भूमि सुधार को लागू करने वाला केरल पहला राज्य है तथा आंकड़ों से यह पता चलता है कि भूमि सुधार से कृषि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

वास्तव में उत्पादन में वृद्धि करने और केरल के किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए वर्तमान प्रणाली पूर्णतया असफल है राज्य की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि किसानों को विशेष सहायता दी जा सके। इसलिए केन्द्र को चाहिए कि वह उदारता से वित्तीय सहायता देकर राज्य की मदद करे।

इतना कहने के बाद, मैं सरकार का ध्यान नारियल की फसल सम्बन्धी समस्याओं की ओर दिलाता हूं। नारियल के पेड़ों पर एक घातक बीमारी से बहुत प्रभाव पड़ता है। यह बीमारी है जड़ का सूखना। इससे नारियल के बहुत से बाग तबाह हो गए हैं। क्वीलोन, एलप्पी, कोट्टायम, पथनामतिथा

[श्री के० मोहनदास]

इद्दुकी, एरणाकुलम जिलों में नारियल के पेड़ पूर्णतया तबाह हो रहे हैं। त्रिवेन्द्रम और त्रिचूर जिलों में यह तबाही आंशिक हैं। परिणामतः नारियल का उत्पादन एक तिहाई रह गया है। नारियल की किस्म में गिरावट के कारण गिरि हल्की हो गई है और उसमें तेल कम निकलता है, इस प्रकार नारियल के तेल का उत्पादन भी कम हुआ है। महोदय, एक अनुमान के अनुसार, त्रिवेन्द्रम से त्रिचूर के बीच 915 लाख पेड़ों में से 296 लाख पेड़ों को यह रोग है। यह अनुमान है कि इस वर्ष नारियल उत्पादन में 90 करोड़ 14 लाख की कमी होगी।

जैसा कि आपको मालूम है केरल के गरीब लोग अपने मकानों पर छप्पर बनाने के लिए नारियल के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। यदि पत्ते अच्छी किस्म के होते हैं तो साल में केवल एक बार छप्पर बनाना पड़ता है। लेकिन रोग के कारण नारियल के पत्तों की क्वालिटी भी घटिया हो गई है और लोगों को वर्ष में कम से कम दो बार अपने मकानों पर छप्पर बनाने पड़ते हैं।

राज्य सरकार भी किसानों को सहायता प्रदान करने का भरसक प्रयास कर रही है। परन्तु इसकी अपनी सीमाएं हैं। इन बीमारियों के कारणों का पता लगाने और उपचारात्मक उपाय ढूंढने के लिए व्यापक अनुसंधान करना होगा। केन्द्र सरकार को इस विषय में राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिये। बीमारी की रोकथाम बड़े प्रभावी ढंग से करनी होगी। इसी प्रकार, नारियल उत्पादकों को हर प्रकार की सहायता की आवश्यकता है जो कि घोर संकट में फंसे हैं।

इस सन्दर्भ में, मैं स्वयं सरकार द्वारा उत्पन्न की गई गम्भीर स्थिति से सभा को अवगत कराना चाहता हूं। गिरि और नारियल का तेल आयात करने का निर्णय किया गया है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, बीमारी और 1983 के सूखे के कारण, नारियल के पेड़ों की भारी तबाही हुई थी। लगभग 300 करोड़ रुपए की हानि का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, अब सरकार इन चीजों का आयात कर रही है। इससे मूल्यों में भारी गिरावट आई है। केवल पिछले एक महीने में ही, मूल्यों में लगभग 30 प्रतिशत की कमी आई है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, केरल की अर्थव्यवस्था नारियल पर आधारित है और नारियल के मूल्यों के घटने से वहां की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए सरकार का दायित्व है कि उत्पादकों की सहायता कर केरल की अर्थव्यवस्था को बिगड़ने से बचाएं। मेरा यह सुझाव है कि केन्द्र सरकार आयात के विषय में राज्य सरकार के साथ समुचित विचार-विमर्श के बाद ही अन्तिम निर्णय ले। नारियल विकास निगम, केंद्रीय बागान फसल अनुसंधान, केरल सरकार के कृषि विभाग आदि ने संयुक्त रूप से एक सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण से पता चलता है कि नारियल के उत्पादन में हुई कमी के कारण केरल को प्रतिवर्ष लगभग 300 करोड़ रुपए की हानि हो रही है।

मैं एक अन्य बात की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि केरल के किसान 1982-83 में पड़े भारी सूखे की मार से अभी पूर्णतया उभर नहीं पाये हैं, केन्द्र सरकार ने सूखा पीड़ितों को कुछ सहायता दी थी लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। इस संकट को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने

603 करोड़ रुपए की मांग की थी लेकिन सरकार ने इसके लिए केवल एक करोड़ रुपये मंजूर किये। सातवीं योजना के लिए केरल ने 3,300 करोड़ रुपए की मांग की है। परन्तु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसके लिये केवल 1,600 करोड़ रुपए दिये जाएंगे। हमें अपनी कई विकास योजनाओं में भारी कटौती करनी पड़ेगी। सूखा राहत कार्यों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। सूखे से क्षतिग्रस्त हुए पेड़ों के स्थान पर नए पेड़ उगाने में कम से कम 5-6 वर्ष लगेंगे। यदि धन नहीं दिया जाएगा तो यह कार्य नहीं हो पायेगा। बड़े दुख की बात है कि अन्य क्षेत्रों की भांति कृषि के क्षेत्र में भी केरल की उपेक्षा की जा रही है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सूखा राहत कार्यों के लिये नियत राशि में वृद्धि की जाये, केरल की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिये यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि राज्य की मांग को पूरा किया जाये और समुचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाये।

अन्य फसलों के अलावा केरल में रबड़, टैपियोका, कोको आदि का भी उत्पादन किया जाता है। इसलिये यहां कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने की बहुत गुंजाइश है। दुर्भाग्यवश, इस दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। भारत की 95 प्रतिशत प्राकृतिक रबड़ केरल में पैदा की जाती है। रबड़ पर आधारित अनेकानेक लघु एवं मंझोले केरल के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा सकते हैं। इसी प्रकार कोको परिष्करण एकक भी स्थापित किए जा सकते हैं जो लाभप्रद होगा। टैपियोका एक खाद्य फसल होती थी परन्तु अब खाद्य फसल के रूप में इसका इस्तेमाल कम हो गया है और इसे स्टार्च बनाने के लिए अधिक इस्तेमाल में लाया जा रहा है। अनुसंधान कार्य से अब यह सिद्ध हो गया है कि टेपियोका का इस्तेमाल पशुओं के चारे के रूप में किया जा सकता है। इससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा। इस पर आधारित उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। हमारे राज्य मे प्रत्येक फल पाया जाता है। केले, अनन्नास, आम, काजू, सेब आदि का रस निकाला जा सकता है। माडर्न फूड इंडस्ट्रीज लि० पहले से ही रस का कारोबार कर रही है। इस उपक्रम को केरल में फल का रस निकालने का संयंत्र लगाने के लिए कहा जा सकता है। इस प्रकार केरल में ऐसे उद्योग स्थापित करने की अत्यधिक गुंजाइश है। ऐसे उद्योग स्थापित होने से बेरोजगारी की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सकता है।

केरल में बेरोजगारी की समस्या अत्यन्त विकट है, इसका मुख्य कारण राज्य में उद्योगों का कम होना है। यहां केंद्र द्वारा लगाई गई पूंजी नगण्य है। यह राशि राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। इसलिए केन्द्र को केरल की ओर कुछ अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित किये जाएं तो हम अपने शिक्षित युवा-वर्ग के लिये रोजगार मुहैया कर पाएंगे। हमारे प्रधान मन्त्री युवा एवं कर्मठ हैं इसलिए हमें युवकों की समस्याओं की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी से युवकों का मनोबल गिरता है। इसलिए इस समस्या का युद्ध स्तर पर समाधान किया जाना चाहिए। इस समस्या का समाधान इस क्षेत्र में उद्योग लगाना ही है। सरकार को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी मेरी बातों की ओर कुछ ध्यान देंगे। इस आशा से, मैं एक बार फिर मांगों का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री राज मंगल पांडे (देवरिया) : महोदय, मैं कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मागों का समर्थन करता हूं। इस सभा का प्रत्येक सदस्य यह जानता है कि कृषि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आधार है। कृषि में जितना अधिक उत्पादन होगा हम उतनी ही अधिक विदेशी मुद्रा कमा सकेंगे और इससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन हम केवल पिछले 5-6 वर्षों से ही अधिक उत्पादन कर सके हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था का अभिशाप है। चौथी पंचवर्षीय योजना तक कृषि के विकास के लिए आवश्यकतानुरूप ध्यान नहीं दिया गया है। बाद में हमने कृषि उत्पादन को इतना बढ़ाया कि वर्ष 1983-84 में 1510 लाख टन की रिकार्ड पैदावार हुई। इस वर्ष 1984-85 में भी हम इतनी ही पैदावार की आशा रखते हैं।

हमारे कृषि ढांचे में समस्या यह है कि हमारे पास बहुत से अनुसंधान केंद्र नहीं हैं जिससे हम अपने किसानों और उत्पादकों को अनुसंधानों के परिणामों से लाभान्वित कर सकें। हमारे पास आवश्यकता के अनुसार प्रयोगशालायें नहीं है जहां पर मिट्टी का परीक्षण किया जा सके इसलिए किसानों को यह मालूम नहीं होता कि उनकी भूमि को किस प्रकार के उर्वरक की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप उर्वरकों का अविवेकपूर्ण प्रयोग होता है। हमारे वैज्ञानिको का कहना है कि एक या दो दशक पश्चात् ऐसा समय आएगा जब उर्वरकों के अविवेकपूर्ण प्रयोग के कारण हमारी भूमि का अधिकांश भाग बंजर हो जाएगा।

कृषि कार्यों की लागत इतनी अधिक हो चुकी है कि जब तक हमारे पास सेवा सहकारी संस्थाएं अथवा सेवा-केन्द्र न हों, जिनसे हम अपने किसानों को वित्तीय सेवा, ट्रेक्टर तथा ऋण इत्यादि दे सकें और अन्य सभी प्रकार की सहायता प्रदान कर सकें, हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो सकेगा।

इतनी अधिक उत्पादन लागत के बावजूद, हम इतना उत्पादन कर रहे हैं कि इस वर्ष संभवतः हम 100 लाख टन अनाज का निर्यात कर सकेंगे। यह संतोषजनक बात है और मंत्रालय को उनके प्रयासों पर और इस विभाग के कर्तव्य को चलाने पर बधाई देनी चाहिए।

ऋण देने वाली संस्थाओं का काम संतोषप्रद नहीं है। हमारी सहकारी संस्थाएं किसानों को ऋण देते समय कभी-कभी जाली बांड भर लेती हैं जिसके कारण उसे वसूल करना असंभव हो जाता है। ऐसा ही मामला उन संस्थाओं का भी है जो अनाज की लेवी वसूल करती हैं। भारतीय खाद्य निगम और सहकारी संस्थाएं जो लेवी वसूलती हैं किसानों को इतना धोखा देती हैं कि जबकि गेहूं का लेवी मूल्य प्रति क्विंटल 157 रुपये है, किसान को मुश्किल से 145 अथवा 147 रुपये प्रति क्विंटल ही मिल पाता है। माननीय मंत्री इस बात की ओर ध्यान दें और देखें कि इस प्रकार की धोखाधड़ी समाप्त हो।

यह आश्चर्य की बात है कि इस वर्ष इतनी भारी फसल के बावजूद हमें लगभग 1100 करोड़ रुपये अनाज पर अनुदान के रूप में और 182 करोड़ रुपये चीनी पर अनुदान के रूप में देने पड़े हैं। हमारी योजना इतनी खराब हैं कि जब कभी भी अच्छी फसल हुई कीमतें काफी गिर गई और किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं प्राप्त हो सका। अंत में किसान को ही भुगतना पड़ता है। गेहूं, चावल, आलू, जूट और रुई के मामले में यही स्थिति है। आप देखेंगे कि किसानों की तरफ इतना कम ध्यान दिया

जाता है कि उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता और वह अपना मूलधन भी गंवा बैठते हैं।

मुझे सूचना दी गई है कि इस वर्ष भारतीय खाद्य निगम इतना गेहूं नहीं खरीदेगा जितनी कि आशा की जा रही थी, क्योंकि उनके पास इतना अतिरिक्त गेहूं है कि गोदामों में और अनाज रखने की जगह नहीं है। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे अनुदेश दिए हैं कि कम से कम गेहूं खरीदा जाए। यदि ऐसा होता है तो इससे हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे, उन्हें उत्पादन लागत भी नहीं मिल सकेगी, जो कि 150 या 151 रुपये के लगभग है।

विभाग ने ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने का कार्यक्रम बनाया था। परंतु यह संतोषजनक रूप से काम नहीं कर रहा है। 20 वर्षों में मुश्किल से 5 प्रतिशत भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है और उस भूमि से भी इतनी आय नहीं हो रही जितना धन उसे कृषि योग्य बनाने में लग गया। इसलिए हमें निरंतर अनुसंधान द्वारा ऐसा कोई दूसरा रास्ता ढूंढना है ताकि अधिक ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सके और वह गरीब लोगों में बांटी जा सके।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऋण भी जरूरतमंद लोगों को नहीं दिए जाते। अतः इससे निर्धन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठाया जा सका है और उनकी हालत वैसी ही है क्योंकि ऋण का वितरण ठीक प्रकार नहीं हो रहा है। जरूरतमंद व्यक्तियों को ऋण नहीं मिल रहा है, अपितु वही पुराने लोग अपने लिए किसी प्रकार ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं कि लाभ उन्हें ही हो और जिन लोगों के लिए यह व्यवस्था की गई है वह इससे वंचित रह जाते हैं।

फसलों में बीमारी लगने पर कई बार विभाग बहुत लापरवाही बरतता है। बीमारी का पता लगाने और उसका इलाज करने में इतना लम्बा समय लग जाता है कि इस अंतराल में फसल ही समाप्त हो जाती है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों की गेहूं की फसल पायरिल्ला नामक बीमारी से ग्रस्त है और इससे लगभग 70 प्रतिशत फसल प्रभावित हुई है। एक माह से अधिक समय हो गया है और अभी तक दवा का छिड़काव नहीं किया गया और इसका परिणाम यह होगा कि इस वर्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जितने उत्पादन की हम आशा करते हैं उसके एक बड़े भाग से वंचित रह जायेंगे।

यह बात सन्तोषप्रद है कि वर्ष 1983-84 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 1515.40 लाख टन हुआ है जो कि वर्ष 1981-82 में हुए 1333 लाख टन से 182.40 लाख टन अधिक है। इस वृद्धि में खरीफ तथा रबी दोनों फसलों का योगदान है जबकि अधिकांश वृद्धि खरीफ फसल के कारण हुई है। यह भी सन्तोष की बात है कि वर्ष 1983-84 में खरीफ के खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले वर्ष से 192 लाख टन अधिक हुआ और रबी की फसल का 28.2 लाख टन अधिक हुआ। पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रों का इस वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान है।

अंत में मैं कृषि मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह यथासम्भव अधिक अनुसंधान केन्द्र बनाएं ताकि किसान उनका लाभ उठा सकें और अपनी भूमि पर वो फसल उगा सकें जिसके लिए उनकी भूमि सही हो। उनमें फसलों के बारे में जागरूकता पैदा करनी होगी और उसके लिए उन्हें कृषि सम्बन्धी शिक्षा

[श्री राज मंगल पांडे]

प्रदान करनी होगी ताकि उन्हें यह मालूम हो कि उनकी भूमि के लिए किस प्रकार उर्वरक की आवश्यकता है। जब तक यह नहीं किया जाता हम अधिकाधिक उत्पादन नहीं कर सकते। जापान, चीन और थाइलैंड जैसे देश हमारे देश से कम भूमि में हमारे उत्पादन से दो गुना और कभी-कभी तिगुना उत्पादन कर रहे हैं, 35 वर्षों में हम मुश्किल से 22 प्रतिशत भूमि को सिंचाई वाले क्षेत्र के अन्तर्गत ला सके है हमें इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। इन बातों के साथ मैं कृषि मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का): महोदय, मैं कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। निसंदेह मुद्रा स्फीति की निम्न दर खाद्यान्नों तथा खाद्य तेलों में आत्म-निर्भरता विकास तथा मजबूती के लक्षण हैं। वर्ष 1983-84 के दौरान 1515 लाख टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन बहुत बड़ी उपलब्धि है।

हमारे देश के 3290 लाख हेक्टेयर के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से केवल 1403 लाख हेक्टेयर के लगभग कृषि के लिए उपलब्ध है अर्थात भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 53 प्रतिशत। इस शदी के अन्त तक जनसंख्या विस्फोट के कारण हमें 2400 लाख टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी और हमारा खेती करने का तरीका अमेरिका की तरह नहीं है। अमरीका विस्तृत खेती है जबकि भारत में भूमि की कमी के कारण सघन खेती होती है। इन परिस्थितियों में हमें यह देखना चाहिए कि उत्पादन किस प्रकार बढ़े। इसके लिए आदानों का प्रबंध व्यवस्थित हो, सिंचाई के लिए जल की निश्चित सप्लाई हो और कृषि उत्पादन का निश्चित क्रय मूल्य प्राप्त होना चाहिए। सरकार भी अधिकतम से किसानों के लिए कृषि उत्पादों का बेचा जाना भी निरापद होना चाहिए तथा उनका निश्चित मूल्य मिलना चाहिए।

महोदय, हरित क्रांति में बीजों की नई किस्मों के विकास का निश्चित योगदान है। प्रजनक तथा मूल बीज और प्रमाणित बीजों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। यह सही है कि इस पर रोक लगा दी गई है परन्तु यह रोक शत-प्रतिशत होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रजनक तथा मूल बीज विभिन्न राज्यों को दिए जाएं और उत्पादकों को केवल प्रमाणित बीज ही दिए जाएं।

महोदय, जहां तक ऋण सुविधा का प्रश्न है, जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा होगा। यह ठीक है कि सरकार ने योजनाएं बनाई हैं और राज्यों को सहायता दी जाती है, लेकिन यह सहायता राज्यों तक समय पर नहीं पहुंचती और गांवों में किसानों तक तो कभी भी समय पर नहीं पहुंचती। किसानों को देने के लिए जो ऋण होता है वह उन तक समय पर कभी नहीं पहुंचता। अतः इसका अधिक उत्पादन के लिए सदुपयोग कम और दुरुपयोग अधिक होता है। उर्वरकों के मामले में भी यही स्थिति है। विभिन्न राज्यों को उर्वरक समय पर दिए जाने चाहिएं। जब तक किसानों को उर्वरक, तकनीकी जानकारी, बीज और सिंचाई के लिए पानी समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता यह कार्यक्रम कार्यान्वयन के अभाव में असफल होता रहेगा और उत्पादन जो कि और भी बढ़ चुका होता, कम हो गया है। किसान को इन आदानों का समय प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है।

2.59 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसी प्रकार शुष्क खेती के लिए पानी के शैड अथवा सिंचाई के लिए छोटे टैंक अत्यन्त सहायक होते हैं और इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के भू-परिक्षण विभागों को करोड़ों रुपए दिए गए हैं। मैं भारत सरकार के प्रति कृतज्ञ हूं कि उन्होंने वर्ष 1983-84 में 6 करोड़ रुपए उड़ीसा को दिए हैं, इन छोटे टैंकों से कृषक लाभान्वित हुए हैं और इससे शुष्क खेती में बहुत सहायता मिली है। अतः इस कार्यक्रम को महत्व दिया जाना जाहिए।

3.00 म० प०

जहां तक ग्रामीण विकास का सम्बन्ध, छोटे किसानों, सीमान्त किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों की सहायता के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण श्रमिक रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, डी० डी० पी० तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जैसी योजनाएं हैं। ग्रामीण व्यक्तियों की आय बढ़ाने तथा गरीबी की रेखा को पार करने के लिए विभिन्न खण्डों तथा सम्पूर्ण देश के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

लेकिन हमने यह पाया है कि कार्यान्वयन के समय बैंक गरीब लोगों की सहायता करने के लिए तहे दिल से आगे नहीं आते हैं। उनका यह उद्देश्य होता है कि वे दिए गए ऋण को कैसे वसूल कर सकते हैं। सरकार द्वारा राजसहायता की धनराशि दी जाती है; लेकिन बैंक सरकार द्वारा दी गई इस धनराशि का उपयोग कर रहे हैं, लाभ कमाने के लिए महीनों तक अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग करते हैं। वे लाभानुभोगियों को धनराशि उधार देने के हित में नहीं होते हैं। दूसरी ओर, वे खुद इस राज सहायता की धनराशि में से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। उसकी जांच की जानी चाहिए। कौन लाभानुभोगी होना चाहिए, यह कहने वाले वे कौन होते हैं। लाभानुभोगी सरकार के अधिकारियों तथा अन्य अभिकरणों द्वारा खण्ड स्तर पर चुने हुए होते हैं। बैंक लाभानुभोगियों को समय पर धनराशि का भुगतान नहीं करते हैं। क्या होता है कि आय उत्पन्न करने की बजाय इससे केवल घृणा पैदा होती है। यह एक महत्त्वपूर्ण कारण है जिस पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। हमें सप्लाई की गई मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में यही बात कही गई है। मैं वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 11 से पढ़ रहा हूं। इसमें कहा गया है कि :—

> "कृषि और ग्रामीण विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय कृषि बैंक द्वारा किए गये अध्ययन से पता चलता है कि इस कार्यक्रम से 47 प्रतिशत लाभानुभोगियों को गरीबी की रेखा पार करने में मदद मिली थी और लाभानुभोगियों की औसत आय में 82 प्रतिशत तक वृद्धि करने में भी सहायता मिली थी। भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन से पता चलता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई सहायता के फलस्वरूप 51 प्रतिशत लाभानुभोगियों तथा 17 प्रतिशत गरीबी की रेखा पार करने वालों की ग्रामीण आय में प्रगामी वृद्धि हुई है,

[श्री सोमनाथ रथ]

कुछ लाभानुभोगियों का गलत पता लगाए जाने को छोड़कर अधिकांश मामलों में ऋण मंजूर किये जाने से पहले और उसके बाद के सम्पर्क पर्याप्त नहीं पाए गए हैं।"

इन योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु कर्मचारियों के लिये ईमानदारी, सत्य निष्ठा, समर्पण की भावना की आवश्यकता है तथा लाभानुभोगियों के बीच यह जागरूकता होने की आवश्यकता है कि लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति वही है। हमने यह पाया है कि ये लाभ गरीब लोगों को मिलने की बजाए अमीर लोग ही लाभ प्राप्त कर लेते हैं। यह बात नहीं है कि इस बारे में कोई उपलब्धि नहीं है। इस बारे में अच्छी उपलब्धि हुई है लेकिन उपलब्धि तभी अच्छी होगी यदि इन खामियों को दूर कर दिया जाए। इस कार्य को करने वाले अधिकारी व्यक्तियों अथवा लाभानुभोगियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में पूरी तरह समझा नहीं पाते। इस बारे में पर्यवेक्षण का अभाव है कि क्या लाभानुभोगियों को दिए जाने वाले ऋण अथवा राज सहायता का ठीक ढंग से उपयोग होता है अथवा नहीं, अथवा इसे राज सहायता लेने वाली योजना तक कम कर दिया जाएगा जब तक इन ऋणों तथा राज-सहायताओं का उस उद्देश्य जिसके लिए उन्हें दिया जाता है, के लिए उपयोग नहीं किया जाता है तब तक लोग गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ सकते। खण्डों में उपयुक्त बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं जो कि योजनाओं को कार्यान्वित करने का सबसे निचला स्तर है। गांवों में अधिक आय पैदा करने के लिए भूमिहीन व्यक्तियों की कुटीर उद्योगों तथा कई अन्य धन्धों के माध्यम से सहायता की जानी है। स्वःरोजगार पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अनाज की सप्लाई से जुड़ा है। कार्यक्रम के अनुसार दिन का काम करने के बाद श्रमिकों को धनराशि के साथ अनाज दिया जाना होता है। लेकिन, मैं यह बताना चाहूंगा कि अनाज कार्य स्थल पर दिया जाना चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत काम पर लगाए गए श्रमिकों को अपना अनाज लेने के लिए मीलों जाना पड़ता है। यह प्रथा समाप्त करनी होगी।

जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है 1984-85 में अनाज के उत्पादन में कोई कम उपलब्धि नहीं हुई है। अनाज का उत्पादन 70 लाख मी० टन तक पहुंच गया है। उड़ीसा में पानी का जमाव खेती के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए, पानी के जमाव को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। जब तक सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा काफी मात्रा में वित्त पोषित नहीं किया जाता। तब तक उड़ीसा में बेहतर सिंचाई नहीं हो सकती है। इस सभा में, मेरे से पहले वक्ता ने नारियल के पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले भयंकर रोग का जिक्र किया था। मैं कृषि मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे उड़ीसा का दौरा करें और यह देखें कि नारियल की 'साखीगोपाल' किस्म किस प्रकार इस रोग से ग्रस्त है और वे इसे सभी राज्यों में उगाना शुरू करें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विश्वविद्यालयों के कार्य को देखती है, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश के सामान्य विश्वविद्यालयों के काम को देखता है कृषि विश्वविद्यालय केवल तभी कृषि कालेजों को प्रारम्भ करता है जब वे सरकार द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। उड़ीसा के गंजम जिले में एक कृषि कालेज की भारी मांग है जो या तो सरकार द्वारा शुरू किया जाए अथवा निजी प्रबन्ध

द्वारा उनकी मांग वास्तविक है। गंजम जिले के कृषक उड़ीसा राज्य के कृषकों में सबसे पिछड़ा कृषक हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को इस कार्य में मदद करनी चाहिए। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर स्थित कृषि विश्वविद्यालय गंजम में बड़े स्तर पर एक कृषि कालेज शुरू करने वाला है। कृषक जहां कहीं भी प्राइवेट कृषि कालेज खोलना चाहें उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि जब उनके पूर्ववर्ती मन्त्री महोदय ने उड़ीसा का दौरा किया था उस समय उन्होंने के०वी०के० केन्द्र मंजूर करने का वायदा किया था। उड़ीसा राज्य सरकार ने गंजम जिले में भुवनेश्वर के पास जमीन भी दे दी है और निरीक्षण दल ने भी अपनी सिफारिश दे दी है और इस प्रकार, भुवनेश्वर के पास के०वी०के० केन्द्र स्थापित किया जाए। सातवीं योजना के दौरान उड़ीसा के गंजम जिले में ऋषिकुल सिंचाई प्रणाली में एक नए कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाए। उड़ीसा ने पहले ही काफी जमीन उपलब्ध कराई है और यह राज्य एक अनुसंधान केन्द्र खोलने के लिए काफी बड़ी मात्रा में सभी प्रकार की सहायता देने के लिए तैयार है। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय उड़ीसा राज्य में विभिन्न कृषि योजनाएं शुरू करेंगे। उड़ीसा एक कृषि प्रधान राज्य होने के कारण केन्द्र द्वारा दी गई सहायता से अधिक उत्पादन करेगा।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी) : कृषि मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए मुझे यह कहने का गर्व है कि मैं एक भारतीय हूं, क्योंकि हमने स्वतंत्रता के बाद कृषि के क्षेत्र में जो प्रगति की है वह जबरदस्त, चमत्कारिक तथा सराहनीय है। मैं आज विशेष रूप से इस बात से गर्वित हूं क्योंकि अभी हाल में किए गए भारत-सोवियत व्यापार प्रोटोकोल में हम सोवियत रूस को 5 लाख मीटरी टन गेहूं का निर्यात करने के लिए सहमत हुए हैं और यह भी निर्णय लिया गया है कि अफ्रीका के कुछ अकालग्रस्त देशों को सहायता के रूप में एक लाख मीटरी टन गेहूं सप्लाई किया जाए।

महोदय, स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय हम 500 लाख मी० टन अनाज का भी उत्पादन नहीं कर पाते थे और आज हम 15 करोड़ मी० टन से भी अधिक अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। सोवियत रूस का आकार भारत के आकार से सात गुना बड़ा है और इसकी जनसंख्या हमारी जनसंख्या का एक तिहाई है। लेकिन फिर भी हम सोवियत रूस को गेहूं का निर्यात कर रहे हैं। क्या मैं विपक्ष में बैठे अपने इन मित्रों से यह पूछ सकता हूं जो हमेशा यह पूछते हैं कि स्वतन्त्रता के बाद कांग्रेस शासन में हमारी क्या उपलब्धियां हैं क्या यह उपलब्धियां नहीं है? मुझे यह कहने का गर्व है कि यह एक उपलब्धि है और यह एक क्रांतिकारी प्रगति है जो हमने देश में कृषि के क्षेत्र में की है।

एक माननीय सदस्य : चीन के बारे में आपके क्या विचार हैं?

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : मैं उसका भी जिक्र करूंगा। पिछली कांग्रेस सरकारों को बधाई देते हुए मैं डा० स्वामीनाथन जैसे भारत के महान वैज्ञानिकों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इस देश में हरित क्रान्ति लाने के लिए काफी बड़ा योगदान दिया है।

महोदय, हम अभी भी बेहतर जीवन के लिए अधिक अर्जन करने हेतु कृषकों के लिए कृषि क्षेत्र में काफी कुछ और कर सकते हैं। भारत जैसे देश में विशेषरूप से मेरे राज्य में, जहां भूमि सुधार सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है, अधिक भूमि पर खेती करने की कोई, गुंजाइश नहीं है क्योंकि

[श्री वक्कम पुरुषोतमन]

वहां पर ऐसी भूमि बाकी नहीं बची है जिस पर खेती न की गई हो। इसलिए किसानों के लिए अधिक आय अर्जित करने के लिए एक ही रास्ता गहन खेती करने को अपनाना है जिसमें वैज्ञानिक ढंग से खेती करना भी शामिल है। उसके लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारें दोनों को अभी काफी कुछ करना है। जैसे कि मेरे मित्र ने कहा है कि भारत में केवल 22.4 प्रतिशत कृषि क्षेत्र ही सिंचित किया जाता है। जब कई बड़े देशों के साथ इसकी तुलना की जाती है यह वास्तव में एक उपलब्धि है, क्योंकि चीन में (मेरे एक मित्र ने चीन के बारे में पूछा है) आज भी यह संख्या केवल 11 प्रतिशत है। सोवियत रूस में यह केवल 3.1 प्रतिशत और अमरीका में यह केवल 4.8 प्रतिशत है। इसलिए 22 प्रतिशत से अधिक एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि हमने काफी प्रगति की है। सम्पूर्ण देश में वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं दी जानी चाहिए। हमें (एक) भूमि की सिंचाई, (दो) उर्वरकों की सप्लाई (तीन) उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन (चार) अच्छी किस्म के बीजों की खरीद और (पांच) पौधों की सुरक्षा के उपाय अपनाने के लिए सहायता देने हेतु योजनाएं बनानी चाहिए।

महोदय, इस सरकार को फसल बीमे की एक व्यापक योजना शुरू करने के लिए निर्णय लेने के लिए बधाई देते हुए बहुत खुश हूं। यह हमारे किसानों की बहुत पुरानी मांग है।

अनाजों के बारे में, सरकार का सबसे कठिन कार्य किसानों के लिए उचित मूल्य तथा उपभोक्ता के लिए उपयुक्त मूल्य सुनिश्चित करना है। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार उत्पादन की लागत को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। मेरे राज्य में लोग धान के खेतों को नारियल के बागों में बदल रहे हैं, यद्यपि परिवर्तन को रोकने के लिए कानून विद्यमान है। हम लोगों से धान की खेती जारी रखने और उसके लिए एक कानून लागू करने के लिए कैसे कह सकते हैं जबकि वे इसकी खेती में भारी हानि उठा रहे हैं ? मेरे राज्य में जहां मजदूरी तुलनात्मक दृष्टि से काफी अधिक है किसानों को धान की खेती करना जारी रखने में काफी कठिनाई हो रही है। मेरे राज्य का अनाज का भण्डार कुट्टानाद मेरे चुनाव क्षेत्र में है और उस क्षेत्र की विशेषता के कारण वहां के किसान दयनीय जीवन जी रहे हैं। इसमें लगभग 1.5 लाख एकड़ भूमि है और समस्त क्षेत्र समुद्री तल से नीचे है। यही वहां की विशेषता है। कोई व्यक्ति और कहां समुद्री तल से नीचे 1.5 लाख एकड़ जमीन देख सकता है ?

इसके लिए पूरी खेती के दौरान पानी को लगातार पम्पों से निकालने की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि यह भी कहा जाता है कि यह घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है, वहां पीने का पानी और परिवहन सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए, समस्त क्षेत्र का विकास करने के लिए कुट्टानाद विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाना है। केन्द्रीय सहायता के बिना राज्य सरकार के लिए इस कार्य हेतु समस्त खर्चों को वहन करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए मेरा इस सरकार से अनुरोध है कि वह उस क्षेत्र के विशेष मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष मामले के रूप में काफी सहायता दें।

महोदय, केरल अपनी नकद फसल के लिए प्रसिद्ध है और हम उन उत्पादों का निर्यात करके काफी विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। सभी नकद फसलों में, मैं कहूंगा कि नारियल सामान्य आदमी

अथवा गरीब आदमी का उत्पाद है। भूमि सुधार लागू करने के कारण किसी की जमीन में झोपड़ी बनाकर रहने वाले गरीब लोग अब उन झोपड़ियों और आस-पास की जमीन के स्वामी बन गए हैं। उस गरीब व्यक्ति की झोंपड़ी के इर्द-गिर्द भी कुछ नारियल के पेड़ अवश्य होंगे। नारियल की कीमतों में गिरावट से केरल की समूची अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है तथा इससे गरीब व्यक्ति भी प्रभावित हैं। इसलिए, मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि नारियल का उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु सरकार शीघ्र कदम उठाये। माननीय कृषि मन्त्री जी ने विश्वास दिलाया है कि नारियल के तेल का आयात नहीं किया जायेगा। मैं भारत सरकार तथा मन्त्री महोदय के इस अनुकूल संकेत की प्रशंसा करता हूं। लेकिन मैं अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार गरीब किसानों की सहायता के लिए आगे आए तथा नारियल का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करे; अन्यथा, मुझे आशंका है कि कीमतों में और अधिक गिरावट आएगी क्योंकि बम्बई के व्यापारी तथा साबुन और अन्य तेल उत्पाद बनाने वाले बड़े व्यापारिक घराने उनका शोषण कर रहे हैं।

नारियल के पेड़ में बीमारियां लगना आम बात है और ये बीमारियां अब नये क्षेत्रों में फैल रही हैं। लेकिन अभी तक हम इनका उपचारात्मक उपाय नहीं कर पाये हैं। राज्य में नारियल की खेती के अन्तर्गत बीमारी ग्रस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया था और निम्न आवश्यकताओं के लिए 390 करोड़ रुपये का प्राक्कन तैयार किया गया था।

(1) प्रभावित तथा अन्य क्षेत्रों में बीमारी-ग्रस्त तथा अलाभकारी ताड़ (पाम) को हटाने के लिए क्षतिपूर्ति;

(2) फिर से बाग लगाने के लिए आदानों सम्बन्धी राजसहायता और

(3) सिंचाई एककों की स्थापना के लिए राजसहायता आदि।

शीघ्र ही राज्य सरकार इस बारे में औपचारिक परियोजना रिपोर्ट देने के लिए एक समिति का गठन करेगी। मैं अनुरोध करता हूं कि भारत सरकार इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए हमारी सहायता हेतु आगे आए।

किसानों के लिए अतिरिक्त आय पैदा करने हेतु, हमें डेरी विकास तथा मत्स्यपालन पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। इससे उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठने में मदद मिलेगी। 1984-85 के दौरान, हमने केवल मछलियों के निर्यात से 400 करोड़ रुपये की निवल विदेशी मुद्रा अर्जित की थी। आज भी, हम राष्ट्रमण्डलीय देशों में मछली के सबसे बड़े उत्पादक हैं। मछली उत्पादन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों में तेजी लाने के कारण, 1971-81 के दौरान 32% विकास दर रिकार्ड की गई थी। मछली उत्पादन को और बढ़ाने के लिए हमें बड़े पैमाने पर गहरे-समुद्र में मछलियां पकड़नी होंगी और इसके लिए अपेक्षित नौकाओं का निर्माण करना होगा।

केरल में, समुद्र तथा अन्तर्देशीय जलाशयों दोनों से मछली उत्पादन बढ़ाने की काफी सम्भावनाएं हैं। एल्लपी एक सुगम स्थान है जिसका मछली पकड़ने वाली बन्दरगाह के रूप में विकास किया जा सकता है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन]

एल्लपी को कम-से-कम एक छोटी मछली पकड़ने वाली बन्दरगाह के रूप में विकसित करने के लिए कदम उठाये जाएं। मैं एक बार फिर इस मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिंदी]

श्री राम बहादुर सिंह (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने देश में कुल प्रतिवेदित भूमि करीब 32 करोड़ हैक्टेयर है, उसमें से 14.30 करोड़ हैक्टेयर भूमि पर शुद्ध खेती की जाती है और लगभग साढ़े 17 करोड़ हैक्टेयर भूमि पर एक से अधिक फसलें ली जाती हैं। इसके अलावा एक करोड़ 70 लाख हैक्टेयर भूमि परती पड़ी हुई है। खेती पर देश की लगभग तीन-चौथाई जनसंख्या का जीवन आधारित है और देश में जितने शारीरिक श्रम करने वाले लोग हैं, उनमें से 74 प्रतिशत लोगों को खेती से रोजगार मिलता है। सरकारी आय में भी 42 प्रतिशत कृषि का योगदान है। इन सब तथ्यों से सिद्ध होता है कि खेती हिन्दुस्तान के आर्थिक विकास की रीढ़ है। इसलिए जब तक हम खेती को अपने देश में सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं देंगे, सरकार खेती को उद्योग मानकर नहीं चलेगी तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। जिस क्षण या जिस समय सरकार यह मन बनाएगी कि खेती का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करना है, खेती को उद्योग मानकर विकसित करना है, तब उसी क्षण से इस देश की तरक्की की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी और जिस समय खेती का सम्पूर्ण विकास हो जाएगा उस दिन इस देश के अशिक्षित और शिक्षित करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। चाहे शारीरिक श्रम करने वाले लोग हों कलम चलाने वाले लोग हों, इंजीनियर हों, डाक्टर हों ओवर-सियर हों या तकनीशियन हों, उन सब को करोड़ों की संख्या में रोजगार मिलेगा।

खेती के विकास में सबसे पहली आवश्यकता पानी की है लेकिन आजादी के 37 वर्षों के बाद भी हम अपने देश की पूरी धरती को पानी नहीं दे पाये हैं। जहां 1950-51 में 2.5 करोड़ हैक्टेयर जमीन की सिंचाई होती थी, आज हम सिर्फ 5.75 करोड़ हैक्टेयर जमीन को ही सिंचाई उपलब्ध करा पाये हैं। इसका अर्थ हुआ कि आजादी के 35-36 साल बाद तक हमारी क्षमता में मात्र 3.24 करोड़ हैक्टेयर की वृद्धि हुई है। यदि इसी गति से सिंचाई का काम चलता रहा तो देश की सारी धरती को सौ सवा सौ सालों में कहीं जाकर पानी उपलब्ध हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले सरकार को योजना बनाकर पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। जब तक हम ऐसी योजना नहीं बनायेंगे कि आने वाले 5-7 सालों में देश की तमाम धरती को पानी पहुंच जाएगा, तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती।

जहां हमारे देश में सिंचाई की समस्या पहले से विद्यमान थी, अब एक नयी समस्या जल-जमाव की और पैदा हो गई है। मेरे इलाके में गंडक परियोजना चल रहा है और उसके कारण भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। जहां-जहां गंडक की नहरें बनी हैं, वे तमाम कच्ची हैं और उनसे जगह-जगह पानी रिसता है और इस सीपेज की वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है, और इस कारण वहां कोई फसल नहीं उग पाती है। जहां पानी का जमाव होता है, उसके कुछ समय बाद अगल-बगल की जमीन ऊसर हो जाती है, परती पड़ जाती है और इसका सबसे दुष्परिणाम यह रहा है कि अपने देश में दलहन की

खेती कम होती जा रही है, घटती जा रही है। जहां हमारे देश में कुल 24 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में दलहन की खेती होती है, वहीं उससे केवल 12.65 लाख टन ही पैदावार हमें मिलती है। जहां एक अनुमान के अनुसार, प्रत्येक आदमी को प्रतिदिन अपने प्रयोग के लिए लगभग 104 ग्राम दाल की आवश्यकता होती है, वहां हम सिर्फ 41 ग्राम दाल उपलब्ध करवा पाते हैं जो कि हमारे शाकाहारी स्वभाव एवं गरीबी के चलते बहुत कम है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कम-से-कम इतनी दाल प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य मिलनी चाहिए। इस कमी का कारण जल-जमाव की समस्या है और उससे मुक्ति पाने के लिए सरकार को युद्ध स्तर पर कार्य करने चाहिए। मेरे यहां खास कर ऐसे ताल एवं चंवर हैं—जैसे धुरदह चंवर और हरदिया चंवर—जहां जल निसरन की भारी समस्या है। इसके कारण अगल बगल में बसे हुए सैंकड़ों गांव प्रभावित होते हैं। यदि इस समस्या का अंत कर दिया जाए तो वहां की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, खाद के बारे में वैसे तो हमारे कई साथियों ने चर्चा कर दी है, लेकिन खाद की हालत भी बहुत खराब है। बीज का भी वही हाल है। जिस पन्त नगर पर आपको नाज है, देश को नाज है क्योंकि पन्त नगर एक ऐसी संस्था है जो देश को प्रामाणिक बीज देती है···

लेकिन पन्त नगर में भी अब घपला हो रहा है, वहां भी घटिया किस्म का बीज दिया जा रहा है और इतना ही नहीं पैसे मारने का काम भी पंतनगर में होता है। मेरे यहां की एक फर्म प्रगति एजेंसी ने गत वर्ष लाखों रुपया भेजा बीज के लिए, लेकिन न उसका पैसा मिला और न रबी का बीज मिला और जितने लोग उस एजेंसी से बीज लेने के लिए मन बनाए हुए थे, उन लोगों को भी समय पर बीज नहीं मिल पाया। मैंने आपको इस बारे में एक खत में भी लिखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, खेती के विकास में भूमि सुधार का भी बहुत बड़ा योगदान होगा और उसके लिए भूमि हद बंदी कानून का कार्यान्वयन अपने देश में जितनी जल्दी होगा, उतना ही ज्यादा लाभ होगा। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगा कि भूमि हदबंदी की समस्या सारे देश में एक चुनौती के रूप में खड़ी है। आज भी कांग्रेस पार्टी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने कब्जों में हजारों हजार एकड़ जमीन को दबा रखा है और ये लोग ऐसे भी हैं जो कई राज्य सरकारों में मंत्री भी हैं इसलिए आपको और इस चुनौती को स्वीकार करके आपको इसकी गति को आगे बढ़ाना चाहिए और इस भूमि हदबंदी के काम को गति देने में जो कोई भी अवरोध बन कर आए, चाहे वह आपका अपना हो, पराया हो, इस पक्ष का हो, चाहे उस पक्ष का हो, उसके साथ आपको मुरव्वत नहीं करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, तमाम कामों को करने के बाद भी यदि दाम बांधने का काम नहीं किया जाता है, और दाम बांधने के बाद भी किसानों को उनकी वस्तुओं का लाभकारी दाम नहीं दिया जाता है, तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। हिन्दुस्तान का किसान बड़ा ही विवश है, विवशता में खेती करता है, उसके पास कोई दूसरा रोजगार नहीं है, कोई दूसरा चारा नहीं है, मजबूरी में उसको खेती करनी पड़ती है। मजबूरी है उसके सामने इसलिए वह खेती में काम करता है। आज यदि उसके पास कोई

[श्री रामबहादुर सिंह]

दूसरा चारा हो, कोई दूसरा रास्ता दिखाई दे, तो वह खेत को सलाम करके उस दूसरे रास्ते को अख्तयार कर ले।

हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां का किसान सस्ता बेचकर मेहगा खरीदता है। जब किसान के खेत में फसल उगती है, तो फसल सस्ती हो जाती है। उस फसल को रोक कर रखने की उनकी क्षमता नहीं होती क्योंकि उसकी सारी समस्याएं मुंह बाए खड़ी रहती हैं, जैसे बेटे-बेटी की शादी, पढ़ाई-लिखाई, कपड़ा-लत्ता, दवादारू, माल गुजारी, महाजन आदि तमाम तरह की समस्याएं होती हैं, जिनसे उसे निपटना होता है। इसलिए किसान फसल को रोक नहीं पाता है। इसलिए उसे अपनी फसल सस्ती बेचनी पड़ती है, लेकिन वही फसल जब किसी सेठ, साहूकार के घर में चली जाती है और तब किसान को खरीदनी पड़ती है, तो मेंहगी खरीदनी पड़ती है। इतना ही नहीं, उसी फसल का रूप कारखाने में जाने के बाद बदल जाता है। किसान मक्का डेढ़ रुपया किलो बेच देता है और जब कोई उद्योगपति उसी मक्के का कार्नफ्लेक्स बनाकर बाजार में बेचता है, तो तीस रुपया किलो उसकी कीमत लेता है। इस प्रकार आप स्वयं देखें, डेढ़ रुपए किलो की मक्का कारखाने में जाने के बाद तीस रुपए किलो कार्नफ्लेक्स के रूप में बिकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृषि जन्य वस्तुओं का किसानों को लाभकारी मूल्य देने के साथ-साथ कृषिजन्य वस्तुओं और कारखाना-जन्य वस्तुओं की कीमत में तारतम्यता बैठाने का आप कष्ट करें और यह कृपा जरूर करें तब जाकर के खेती का सही विकास हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ ही साथ मैं आपके पशु-पालन विभाग के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पशु पालन विभाग की भी वही हालत है जो आपके कृषि विभाग की है। जो हालत ऐन की वही हालत गेन की। आपके पशु पालन विभाग में एक योजना आपरेशन फ्लड है। आपरेशन फ्लड का मतलब है पशुओं की नस्ल का सुधार हो, पशुओं को दुधारू बनाया जाए, लेकिन हमारे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पशु पालन विभाग के अफसरों को इस काम से परहेज है। पशु-पालन विभाग के अधिकारियों ने काम किया है, उन्होंने दूध इकट्ठा किया है, प्रोसेसिंग किया है, लेकिन पशुओं की नसल का काम, पशुओं को ज्यादा दुधारू बनाने का काम नहीं किया है, और बात भी ठीक है, जब उनका मंसूबा ही नहीं है, तो काम करने से फायदा भी क्या है। जब उनका मंसूबा होता और उनकी नीयत होती, तो काम करते। मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस योजना मद में वर्ष 1984-85 में इस काम के लिए जितना रुपया दिया गया था उसका 85 प्रतिशत रुपया ही आपने खर्च किया है। इसलिए आपको क्या आवश्यकता है कि आपको इस काम के लिए और पैसा दिया जाए। जब आपने पहले दिया हुआ पैसा ही पूरा खर्च नहीं किया, तो और पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं आधा मिनट लेकर आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां, यदि किसी परिवार का मालिक, परिवार को भूख से छटपटाते छोड़कर परिवार के पास जो पूंजी होती है, उसको अपने ऐशो-आराम में खर्च कर देता है या कभी-कभी कर्जा लेकर भी अपने

ऐशो-आराम के लिए इंतजाम करता है, तो हमारे यहां ऐसे आदमी को आवारा कहते हैं। ठीक यही हालत इस सरकार की है, इसलिए इस सरकार को एक पैसा देना भी मुनासिब नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं सरकार की मांगों का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

**श्री आर० जीवरत्नम (आर्कोनम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं।

1950 में हम केवल 500 लाख टन खाद्यान्नों का वार्षिक उत्पादन कर रहे थे। गत 34 वर्षों के दौरान हमने कृषि उत्पादन में तिगुनी वृद्धि की है। गत वर्ष हमारा खाद्यान्न उत्पादन 1500 लाख टन था। खाद्यान्न उत्पादन की वार्षिक वृद्धि 3.3% है जो जनसंख्या में होने वाली वृद्धि से अधिक है इसका स्वागत किया जाना चाहिए और वस्तुतः इसका सारा श्रेय हमारे देश के किसानों को जाता है। कृषि उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि उनके खून-पसीने से हुई है।

हमारी 80% जनसंख्या गांवों में रहती है और 75% लोग कृषि कार्य करते हैं। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि यह उपलब्धि उनकी मेहनत के कारण ही हुई है। यह आसानी से नहीं हो पाई। देश में उपलब्ध कुल सिंचित भूमि में से केवल 30% भूमि में ही सिंचाई होती है। हर साल बाढ़ में 800 करोड़ रु० मूल्य का खाद्यान्न नष्ट हो जाता है। दक्षिणी राज्यों में सूखे के कारण 400 करोड़ रु० मूल्य के खाद्यान्न नष्ट हो जाते हैं। 5.60 लाख गांवों में से 50% से अधिक गांवों में पेय जल, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं, रहने योग्य अच्छी स्थितियां, खाद्यान्नों के परिवहन के लिए पक्की सड़कें नहीं हैं। आधुनिक मशीनरी के बिना ही, हमारे किसानों ने पुरानी स्थिति में रहकर यह विशिष्ट प्रगति की है। केंद्र सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की ओर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देना चाहिए।

मैं 1985-86 के आम बजट में शुरू की गई फसल बीमा योजना का स्वागत करता हूं। देश में पैदा होने वाले 60,493 करोड़ रुपये मूल्य के खाद्यान्न में से 10,864 करोड़ रुपये मूल्य का खाद्यान्न पशु शक्ति से पैदा किया जाता है। हमें पशु पालन की ओर अधिक ध्यान देना होगा। 1985 में हमने केवल 161 लाख पशुओं का ही पशु बीमा किया है। मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, देश में 1910 लाख पशु हैं। कृषि उत्पादन के लिये हमें पशु बीमा की सुविधा देश के सभी पशुओं के लिए देनी होगी।

अनुमान है कि हर वर्ष 400 करोड़ रु० मूल्य की फसल चूहे खा जाते हैं। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश में चूहों की संख्या मनुष्यों की संख्या से कहीं अधिक है। हमें चूहों को मारने के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनानी चाहिये ताकि कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके।

** तमिल में दिये गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री आर० जीवरत्नम]

मेरे माननीय मित्र, श्री के० रामामूर्ति ने कुछ पहले, अर्थात् 26.4.1985 को तारांकित प्रश्न सं० 622 किया था जो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता के बारे में था। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता देता है जो कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे गरीब किसानों के लिए है लेकिन, दुर्भाग्य से, इस योजना के अंतर्गत दी गई सहायता का लाभ गरीबी की रेखा से ऊपर रह रहे तथा समृद्ध लोगों तक ही पहुंचा है। 15% लाभार्थी इस श्रेणी में आते हैं। अमीर, और अमीर होता जा रहा है तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है। सरकार द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी से इस बात की पुष्टि हो गई है।

देश के 450 जिलों में से, 280 जिलों में केवल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं हैं। 170 जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कोई शाखा नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन 170 जिलों के किसानों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं से वित्तीय सहायता नहीं मिली। रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्य बकों की कोई शाखा न खोली जाये। इससे किसानों की समस्याएं और बढ़ जाएंगी। मैं मांग करता हूं कि देश के सभी जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं होनी चाहिएं। तमिलनाडु में, केवल एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जिसके अंतर्गत केवल दो जिले आते हैं। तमिलनाडु में अधिकतर किसान कृषि करते हैं जो मानसून पर आश्रित हैं। आप जानते हैं कि ऐसे किसानों की समस्याएं उन किसानों से अपेक्षाकृत अधिक गम्भीर हैं जो सिंचाई से खेती करते हैं। मैं मांग करता हूं कि तमिलनाडु के सभी जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं होनी चाहिएं। मैं इस बात पर भी बल देना चाहूंगा कि उत्तरी अर्काट जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोला जाये।

मैं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, जो कि हमारे किसानों को वित्तीय सहायता देने वाली प्रमुख ऋण संस्थाएं हैं, कार्य चालन के बारे में भी कहना चाहूंगा। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऋण देने में वे समितियां भेदभाव बरत रही है। यद्यपि ये सीधे राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य कर रही हैं तथापि इनको वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक करता है। मैं मांग करता हूं कि इन ऋण समितियों के कार्य चालन की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाये तथा सुझाव देता हूं कि उनको सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाये जाएं। चूंकि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कृषि विकास के लिए ही की गई है, इसलिए मेरा यह सुझाव है कि यह कृषि मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में होना चाहिए ताकि किसानों को ऋण देने में बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके। महोदय, 'नेफेड' ने ही कृषि ऋणों के मामले पर विचार करने के लिए बहुत-सी समितियां गठित की हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन समितियों की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है। मैं यह भी चाहता हूं कि चर्चा के अंत में मंत्री महोदय इसका उत्तर दें।

सभा को यह मालूम होना चाहिये कि इस सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण हमारे किसानों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं में कितनी वृद्धि हुई है।

जैसा कि मैंने कहा है, हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि में संलग्न है और केवल कृषि ही रोजगार के अधिक अवसर पैदा कर सकती है। हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का अंशदान

40% है। लेकिन कृषि को देश में उपलब्ध कुल ऋण सुविधाओं का केवल 10 प्रतिशत ही मिल पाता है। कृषि के प्रति इस प्रकार का सौतेला व्यवहार अविलम्ब समाप्त किया जाना चाहिये और वास्तव में कुल ऋण सुविधाओं का 90 प्रतिशत कृषि को दिया जाना चाहिए। यदि कृषि अर्थ-व्यवस्था को बरकरार न रखा जाये तो राष्ट्र के सामान्य आर्थिक विकास में बाधा पड़ती है। इस बात को अवश्य ध्यान में रखा जाये और आवश्यक उपाय अवश्य किये जायें। गन्ना उत्पादकों और धान उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिलने चाहिए। शुष्क भूमि में खेती करने वाले किसानों को सिंचाई सुविधाओं वाले क्षेत्रों के किसानों की अपेक्षा बेहतर मूल्य मिलने चाहिए क्योंकि शुष्क भूमि खेती में कृषि संबंधी स्थितियां कठोर होती हैं। कृषि में लगे हुए व्यक्तियों को वे सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियो को दी जाती हैं। आर्कोनम संसदीय क्षेत्र का पल्ली पट्टू खंड चिरकाल से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मेरा सुझाव है कि इसके समन्वित विकास हेतु सार्वजनिक क्षेत्र का कोई बैंक इसे अपना ले। पल्ली पट्टू खण्ड के दलित लोगों का उत्थान करना आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

प्रो० एम० आर० हाल्दर (मथुरापुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मुझे कृषि और ग्रामीण विकास के बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर मिलने पर प्रसन्नता है। सबसे पहले मैं माननीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं और मैं इस माननीय सभा में प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करता हूं।

महोदय मैंने इस मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि बजट में कुछ कमियां हैं और मैं इस कमियों की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे उन सुझावों पर ध्यान दें जिन्हें मैं ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन किसानों और निर्धन व्यक्तियों की बेहतरी के लिए इस माननीय सभा में प्रस्तुत कर रहा हूं।

महोदय, मेरा पहला सुझाव है कि धान, पटसन, गेहूं और आलू उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिये जाने चाहिये। दूसरा गैर-सिंचित क्षेत्रों को निश्चित समय के भीतर सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत लाया जाये और ऐसा करते समय देश के क्षेत्रीय असंतुलनों को ध्यान में रखा जाये। विद्युत विभाग और कृषि विभाग के बीच परस्पर सम्बन्ध होना चाहिए क्योंकि यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों की बेहतरी करना चाहते हैं तो ग्रामीण विद्युतिकरण बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे ग्रामीण विद्युतिकरण के इस मामले को देखें और इस कार्यक्रम को तरजीह दी जाये और उपभोक्ताओं को, जो ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर किसान हैं, राज सहायता दी जाये।

मेरा चौथा सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण पाठशालाएं, संस्थान और महाविद्यालय स्थापित किये जायें।

मैंने बजट चर्चा के दौरान विपक्ष के सदस्यों के भाषण भी सुने हैं। पश्चिम बंगाल के मेरे दोस्तों ने हमारे देश के कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के कार्यकलापों की बहुत आलोचना की है। महोदय, मुझे यह जानकर यह आश्चर्य हुआ है कि पश्चिम बंगाल की वामपंथी मोर्चे की सरकार भारत सरकार से भारी मात्रा में धन राशि लेकर पिछले 8 वर्ष से क्या कर रही है। वे धन

[प्रो० एम० आर० हल्दर]

राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले वर्ष केन्द्र सरकार को 35 करोड़ रुपये की धनराशि लौटा दी गई थी क्योंकि वे इस धनराशि का उपयोग लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए नहीं कर सके थे। यह कार्यक्रम किसके लिए है ? यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के कृषकों के लिए है। लेकिन वे धनराशि लौटा रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस वामपंथी मोर्चे की सरकार ने पिछले 8 वर्ष के दौरान कुछ काम नहीं किया है। पूरे सम्मान सहित मैं यह कहूंगा कि वे ग्रामीण विद्युतिकरण और जल आपूर्ति के क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन वे इस दलील पर केन्द्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि केन्द्र उन्हें विकास कार्यों के लिए धनराशि नहीं दे रहा है। यह सच नहीं है। मेरे विचार से अब उन्हें इस बात पर गम्भीरता से सोचना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं।

मेरे माननीय मित्र ने मुझे न्यूनतम मजदूरी कार्यक्रम के विषय में बताया। जैसा कि आप जानते हैं यह सभी को मालूम है। वर्ष 1975 में हमारी स्वर्गीय आदरणीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस कार्यक्रम की घोषणा की जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम मजदूरी कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में क्या काम किया गया। क्या कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की गई है ? क्या उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिल रही है ? नहीं। लेकिन राज्य सरकार भारत सरकार पर दोष लगा रही है। (व्यवधान) मुझे बताने दीजिए।

आप सब जानते हैं कि ग्रामीण विकास जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम समितियों की सहायता से किया जाता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कौनसा राजनैतिक दल पश्चिम बंगाल में सत्ता में है। जिला परिषदों में उनका प्रभुत्व है। समस्त पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतें कांग्रेस पार्टी से सम्बन्धित हैं। इसलिए समितियों के साथ जिला परिषदों द्वारा भेदभाव बरता जाता है। यदि आप अपने विभाग से एक दल भेजें तो आपको मालूम होगा कि वहां किस प्रकार का भेदभाव बरता जा रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 8 वर्षों से यह सरकार केन्द्रीय सरकार से परामर्श लिए बगैर धनराशियों को एक विभाग से दूसरे विभाग में अन्तरित कर रही है। यदि एक दल वहां अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए वहां भेजा जाये तो यह हर एक को स्पष्ट हो जायेगा कि धनराशि किस प्रकार एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में डाली जाती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इस पर अगले विधान सभा चुनावों से पहले एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति यह जानना चाहेगा कि वास्तविक तथ्य क्या हैं।

अब मैं अपने चुनाव क्षेत्र, सुन्दरबनों के ग्रामीण क्षेत्रों और वहां के लोगों के सामने आ रही समस्याओं के विषय पर आता हूं। वह क्षेत्र स्वतंत्रता प्राप्ति से ही अविकसित और उपेक्षित रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार के आंकड़े यह बताते हैं कि इस क्षेत्र के 80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बावजूद राज्य सरकार इस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या काम कर रही है ? हर व्यक्ति यह जानना चाहता है। भारत सरकार को इस क्षेत्र के कृषकों की वास्तविक समस्याओं को देखना चाहिए और उनके लिए कुछ करना चाहिए।

वहां सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करने की भारी सम्भावनाएं हैं। इसके साथ ही वहां मत्स्यकी के विकास की काफी गुंजाइश है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे कृषकों और मछुआरों और अन्य लोगों की वास्तविक स्थिति जा ने के लिए वहां एक दल भेजें और मुझे आशा है कि उसकी रिपोर्ट के आधार पर मंत्री महोदय उस क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ काम करेंगे।

इस क्षेत्र में हजारों एकड़ भूमि पर अभी सिंचाई नहीं होती। वहां नदी के साथ-साथ फील्ड चैनल की सहायता से, बांध बनाकर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने की काफी गुंजाइश है। इसके परिणामस्वरूप वर्षा ऋतु के बाद जब फील्ड चैनल जल से भर जाएंगे तो जल का कृषि हेतु उपयोग किया जा सकता है जिससे क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा।

इसके अतिरिक्त, वहां उर्वरकों की कमी है और कृषकों को उर्वरकों की उचित सप्लाई नहीं हो पाती। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह वहां एक छोटा उर्वरक सन्यन्त्र स्थापित करे ताकि उस क्षेत्र के कृषकों को उर्वरक उचित दाम पर मिल सकें।

इन शब्दों के साथ मैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय से सम्बन्धित मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों के समर्थन में बोलूंगा।

यह सन्तोष का विषय है, जैसा कि अन्य सदस्यों ने भी कहा है कि हमने 15 करोड़ 10 लाख टन खाद्यान्न के उत्पादन स्तर को प्राप्त कर लिया है और 1981-82 के उत्पादन स्तर से काफी वृद्धि हुई है। इसे दूसरी हरित क्रांति की संज्ञा दी गई है यह संतोष का विषय है कि चालू वर्ष के दौरान हम इस कार्य को दोहराने की आशा कर रहे हैं हालांकि परिचालन लक्ष्य प्राप्त करने में जो 15 करोड़ 60 लाख टन नियत किया गया, उसमें कुछ कमी होगी।

मेरे मित्र श्री सोमनाथ रथ ने अपने भाषण में कहा है कि इस शताब्दी के अन्त में इस देश की जनसंख्या एक मिलियन (एक अरब) हो जायेगी और हमें अपनी जनसंख्या को खिलाने के लिए लग-भग 24 करोड़ टन खाद्यान्न की जरूरत होगी। हम उस उत्पादन को कैसे प्राप्त करेंगे ? मैं समझता हूं सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 18 करोड़ 50 लाख टन खाद्यान्न का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसका अर्थ है कि इस सम्बन्ध में प्रयास करने के लिए हमारे पास 10 वर्ष की अवधि बची है। हम और अधिक भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाकर अपने उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। जैसा कि श्री सोमनाथ रथ ने कहा कि फिलहाल 14 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि हो रही है। उस उत्पादन को प्राप्त करने के लिए 6 करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर कृषि करने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि हमें भूसंरक्षण करना चाहिए। हमारे भूसंरक्षण उपायों में वृद्धि करके कृषि के अन्तर्गत भूमि में वृद्धि करने की काफी सम्भावना है। भूसंरक्षण के खतरे का मुकाबला करने और निम्नकोटि की मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गहन प्रयास करने की आवश्यकता है।

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह]

दूसरे हमें शुष्क भूमि पर खेती करनी चाहिए। मेरे मित्र ने अभी कहा है कि जल विभाजन (वाटर शेड्स) क्षेत्रों में पता लगा लिया गया है और 100 लाख हेक्टेयर लक्ष्य निर्धारित किया गया है लेकिन मैं यह अनुभव करता हूं कि शुष्क भूमि में खेती का विस्तार करने की बड़ी सम्भावनाएं हैं। कुछ दिन पहले मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी थी कि दिल्ली का एक स्नातक राजस्थान गया और वहां उसने शुष्क भूमि पर खेती करनी आरम्भ कर दी। उसने मरुभूमि के 24 हेक्टेयर पर कृषि शुरू कर दी है जहां प्रतिवर्ष एक लाख रुपये मूल्य की फसल पैदा हो रही है। इससे हमारे सामने एक नया मार्ग खुल जाता है और मेरे विचार से यदि सरकार इन परियोजनाओं का विस्तार करती है तो हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे जिसकी हमें इस शताब्दी के अन्त तक एक मिलियन जनसंख्या को खिलाने के लिए आवश्यकता है। अत: मैं कहता हूं कि विस्तार सेवाओं में वृद्धि करनी पड़ेगी और उन्हें अधिक प्रभावी बनाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि कृषि के सम्बन्ध में भारत अमेरिका सहयोग हो रहा है। मेरा सुझाव है कि हम जिला मुख्यालयों में कृषि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय खोल और विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के विद्यार्थी 'प्रयोगशाला से भूमि तक' संदेश पहुंचाने के लिए दल बनाये क्योंकि गांव के स्तर का सेवक सामान्य किसान पर विश्वास नहीं जमा सकता और यदि हमारे पास केन्द्रीय रूप पर गठित कर्मचारी दल या दल होगा तो वे उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सुझाये उपायों में लोगों का विश्वास जमाने में सफल होंगे।

सब ओर से मैं संतोष प्रकट नहीं कर सकता क्योंकि एक तरफ उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कोई वृद्धि नहीं हुई। यह लगभग गतिहीन रहा है और हम खाद्य उत्पाद निर्यात करने के विषय में सोच रहे हैं। ऐसा क्यों है कि हमारा उत्पादन 15 करोड़ 20 लाख टन है और खाद्यान्न का भण्डार लगभग 25 करोड़ टन है।

अभी तक हम प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता बढ़ाने में समर्थ नहीं हैं। लोगों को अधिक अनाज नहीं मिल पा रहा; गोदामों में से अनाज निकालना धीरे-धीरे कम हो रहा है। इसकी जांच की जानी चाहिए। यह विरोधाभास है। एक ओर हम कृषि की समृद्धि का बात करते हैं और दूसरी ओर जो कुछ हमारे पास है, गरीब लोगों को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा और हम खाद्य उत्पादों के निर्यात के बारे में सोच रहे हैं। कल वाणिज्य मन्त्री जी ने खाद्य उत्पादों का निर्यात शुरू करने या बढ़ाने के लिए एक संस्था की स्थापना की घोषणा की। यदि आप केवल सब्जियों और फलों आदि का ही निर्यात करें तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, परन्तु आप खाद्यान्नों के निर्यात के बारे में सोच रहे हैं। इस मामले पर विचार किया जाना है। क्या हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हैं ? क्या आप यह कह सकते हैं ? आज प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन केवल 438 ग्राम खाद्य पदार्थ उपलब्ध होता है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। एक माननीय सदस्य ने सोवियत रूस के बारे में कहा कि सोवियत रूस में खराब वर्ष में भी 18 करोड़ टन अनाज उत्पन्न होता है और उनकी जनसंख्या 25 करोड़ है; परन्तु वे अपने लोगों के भरण-पोषण के लिए खाद्यान्न का आयात करते हैं। हमारी जनसंख्या 70 करोड़ अथवा लगभग 80 करोड़ है और हमारे यहां केवल 15 करोड़ 20 लाख टन अनाज उत्पन्न होता है; फिर भी हम खाद्यान्न निर्यात कर रहे हैं। हम यहां गरीब लोगों को उत्पादन का हिस्सा नहीं देते। यह विरोधाभास है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। और यह स्थिति तब तक नहीं

सुधर सकती जब तक हम गरीब लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ाते। इसके लिए, विभिन्न योजनाएं जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, आर० एल० ई० जी० पी० आदि शुरू की गई हैं ताकि गरीब लोगों को लाभ प्राप्त हो सके, गरीब लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा सके। परन्तु हमारी उपलब्धि क्या है? हमने इन कार्यक्रमों से 150 लाख लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया था। इस सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए योजना मंत्री ने बताया कि यह बिल्कुल ठीक है कि इन उपायों के क्रियान्वयन में गलतियां हुई हैं। इसलिए यह स्वीकार किया गया कि लक्षित वर्ग के लोगों को लाभ नहीं प्राप्त हुआ अपितु इन उपायों द्वारा दूसरे वर्ग के लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। आपने उन लोगों को इससे लाभ पहुंचाया जिन्हें इन योजनाओं द्वारा लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए था।

परिसम्पत्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में भी, बहुत अधिक गड़बड़ हुई है। उदाहरण के लिए, 3000 रुपये की भस प्रदान करने की योजना है परन्तु वास्तव में इसकी कीमत बहुत कम होती है। गांवों का दौरा करने के दौरान हमने पाया कि इस योजना का उचित रूप से क्रियान्वयन नहीं किया गया, गरीब, लक्षित वर्ग के लोगों को इस योजना से लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

इसलिए मैं सरकार से अपनी निगरानी प्रणाली को सुधारने का अनुरोध करना चाहूंगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन उपायों का उचित क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना आयोग के मूल्यांकन संगठन राज्यों का दौरा करता है और वे कहते हैं कि योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि इसमें काफी सुधार हुआ है। परन्तु यदि आप गांवों में जाएं तो आप क्या देखते हैं? गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं; उन्हें इन योजनाओं से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। वास्तव में दलाल अथवा मध्यस्थ वर्ग के लोग बीच में आ गए हैं और हर चीज का पूरा फायदा उन्हें प्राप्त हो रहा है।

4.00 म० प०

बिहार में एक योजना है जिसके अन्तर्गत एक एम० एल० ए० अथवा संसद सदस्य को एक लाख अथवा 150,000 रुपये प्रति वर्ष लोक कार्यों पर खर्च करने के लिए दिये जाते हैं। उस धन-राशि में से यदि आप 2,000 रुपये स्कूल की इमारत के लिए मंजूर करते हैं तो स्कूल के सचिव को वह 2,000 रुपये नहीं मिलते। उसमें से 300 रुपये कम कर दिए जाते हैं। मुझे यह सुनकर बहुत धक्का लगा। इस प्रकार की स्थिति में, क्या आप सोचते हैं कि आप उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप देश में समृद्धि ला रहे हैं? अतः मैं कहता हूं कि हमें अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय करने चाहिए और एक बार फिर मैं कहूंगा कि खाद्यान्नों का निर्यात करने के विचार से मैं बहुत खुश नहीं हूं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य अपेक्षाकृत कम हैं। आपको अपने निर्यात के लिए राजसहायता देनी होगी। इसका मतलब क्या है? आप निर्यात के लिए सहायता देकर विदेशियों का भरण-पोषण कर रहे हैं जबकि आपके देश के लोगों को यहां खाद्यान्नों का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। क्या यह भाग्य की विडम्बना नहीं है?

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह]

इसके बाद में कृषि मजदूरों और भूमि सुधारों पर आता हूं। भूमि सुधार बहुत मन्द गति से क्रियान्वित किए गए हैं। कृषि मजदूर अभी भी गरीबी में दम तोड़ रहा है। न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में, सी० पी० एम० दल के माननीय सदस्य ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी को लागू नहीं किया जा रहा जिसके परिणामस्वरूप ग्रामवासियों में बहुत अधिक रोष है। मैं नहीं जानता कि क्या मेरे माननीय मित्र और ग्रामीण विकास मंत्री महोदय जानते हैं कि हमारे गांवों में बहुत अधिक उत्तेजना है और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन न करने के कारण हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं। आप इस सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं ? यह कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है। यह पूर्णतया आर्थिक समस्या है और आपको देखना है कि न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में, जो प्रावधान किए गए हैं उनको उचित रूप से लागू किया जाए और जहां कहीं भी ऐसा हो रहा है उसके लिए आपको राज्य सरकार और वहां के अधिकारी जो कि स्थानीय स्तर पर इनको लागू करने के लिए जिम्मेवार हैं, उत्तरदायी ठहराना होगा क्योंकि एक बड़ी चुनौती है। आप यहां से इसे देखकर कह सकते हैं कि उपायों का क्रियान्वयन किया जा रहा है और "हमने राज्य सरकारों को ऐसा करने के लिए कहा है" और राज्य सरकारें कहेंगी कि "हमने अधिकारियों को ऐसा करने के लिए कहा है" और इसका परिणाम यह है कि ग्रामवासियों में बहुत असन्तोष और रोष है। इसलिए मेरा आपसे यह विनम्र निवेदन है कि आपको न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने सम्बन्धी अपने तंत्र में सुधार करना चाहिए ताकि जो लोग विशेष मजदूरी प्राप्त करने के अधिकारी हैं उन्हें इसका लाभ प्राप्त हो।

मैं उन लोगों में से हूं जो कृषि उत्पाद के लाभकारी मूल्य देने का समर्थन करते हैं। परन्तु इसके साथ इसी समय मुझे यह भी अवश्य कहना है कि निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का निर्धारित कृषि उत्पाद अथवा औद्योगिक उत्पाद के मूल्य के साथ कुछ सम्बन्ध अवश्य होना चाहिए। मूल्यों का एक समेकित ढांचा बनाया जाना चाहिए ताकि कृषि उत्पाद और निर्मित वस्तुओं में एक प्रकार की समता हो। जब तक आप ऐसा नहीं करते आपको इस प्रकार की शिकायतें मिलती रहेंगी। यदि आप कृषकों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो आपको मूल्यों का एक समेकित ढांचा अवश्य बनाना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति यह महसूस न करे कि वह अधिक मूल्य दे रहा है। सब लोग यह महसूस करें कि उन्हें उचित हिस्सा प्राप्त हो रहा है। मेरे मित्र ने यहां कहा है कि यदि वे किसी व्यवसाय में एक लाख रुपये लगाते हैं तो अगले वर्ष उन्हें 1,25,000 रुपये मिलते हैं ! परन्तु कृषक अपनी लागत की वापसी के बारे में निश्चित नहीं है।

सरकार द्वारा लिए गए फसल बीमा सम्बन्धी निर्णय का स्वागत है। बहुत समय पहले से हम इसकी मांग कर रहे थे। सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। आपको इसका इतना अधिक विस्तार करना चाहिए कि इसके अन्तर्गत यथा सम्भव अधिक से अधिक कृषक आ जाएं ताकि उन्हें किसी तरह के होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।

इन शब्दों के साथ ही मैं कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामप्रकाश (अम्बाला) : डिप्टी स्पीकर साहब, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पुराने साथी, मेरे भाई सरदार बूटा सिंह जी हमारे कृषि मंत्री हैं और उनकी डिमांड्स पर यहां पर चर्चा हो रही है। मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे कृषि मंत्री जी काफी अरसे पहले मेरे से भागकर चले गए थे, लेकिन इनको आज यहां पकड़ लिया है, यानी खेतों में पकड़ लिया है और उनसे मैं यह उम्मीद करता हूं कि वे इस क्षेत्र में काफी सुधार लाएंगे।

जहां तक एग्रीकल्चर का सम्बन्ध है, 70-80 प्रतिशत शेड्यूल्ड कास्ट के लोग इससे सम्बन्धित हैं। मैं सन् 1954 में जब पंजाब विधान सभा का मेम्बर था, उस व त भी हरिजनों को जमीन के मामले में बहुत तकलीफ होती थी, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल जी उस वक्त प्राइम-मिनिस्टर थे, उनके सामने हमने यह समस्या रखी कि हिन्दुस्तान को तो आजादी मिल गई, लेकिन आजादी के साथ-साथ उन करोड़ों बे-जमीन लोगों को रोजगार मिलना भी जरूरी है। इसके लिए आप क्या प्रबन्ध करेंगे ? हमने पंडित जी के सामने एक बात कही थी कि हमारे मुल्क के अन्दर अगर गरीबी को खत्म करना है तो गरीब आदमी को रोजगार देना होगा और उस वक्त यह नारा था "लैण्ड टू दी टिलर", जमीन उस आदमी के पास होनी चाहिए जो अपने हाथ से कास्त करे। वह नारा पंडित जी के वक्त तक चलता रहा और उस नारे ने काफी गरीब आदमियों, हरिजनों और मजदूरों को राहत दी। उसके बाद लैण्ड सीलिंग एक्ट, भूमि सुधार की बात आई तो मुख्तलिफ स्टेट्स ने सीलिंग कानून बनाए जमीन के मुत्तलिक। हरियाणा में कुछ, पंजाब में कुछ, यू० पी० में कुछ, यानी हर एक स्टेट ने अलहदा-अलहदा कानून बना लिए। सीलिंग हुई, लेकिन उन गरीबों को सीलिंग से कुछ फायदा नहीं हो सका। यह इसलिए हुआ क्योंकि जब भी बड़े-बड़े लैण्ड-लार्ड्स, जमीदारों से जमीन लेने की बात आई तो वह गरीब आदमियों में तकसीम नहीं कर सके। यह हमारे मुल्क की बदकिस्मती रही कि हर स्टेट में रेवेन्यू मिनिस्टर, जिन्हें यह कानून पास करना था, वे बड़े लैण्ड लार्ड थे, जमींदार थे। उन्होंने कानून के अन्दर कुछ ऐसी चीजें रख दीं, जिससे कानून का मकसद ही खत्म हो जाता है। उन्होंने क्या किया, जमीदारों ने अपने बेटे के नाम, अपनी बहू के नाम, अपने साले के नाम, अपनी साली के नाम, अपने पोते के नाम, अपने दोते के नाम, यहां तक कि अपने कुत्ते के नाम सारी की सारी जमीनें तकसीम कर दीं, तो गरीब आदमी के पास क्या बचा। अगर थोड़ी-बहुत जमीन गरीब आदमियों को मिल भी जाती है तो उन जमीनों का मुकदमा कोर्ट में कर दिया जाता है, उनके खिलाफ। छोटी अदालत से मुकदमा गरीब आदमी जीत भी जाता है तो बड़ी अदालत में जमींदार चला जाता है, हाई कोर्ट में चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। डिप्टी स्पीकर साहब, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के लिए गरीब आदमी को 20 हजार रुपये चाहिए। जिस मजदूर के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वह सुप्रीम कोर्ट में 20 हजार रुपया कहां खर्च कर सकता है। तो मैं आपके माध्यम से अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर; अपने भाई से निवेदन करूंगा कि अब वक्त आ गया है कुछ करने का। हमें खुशी है कि हमारे हिन्दुस्तान का आज जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वह एक पिछड़ी कम्युनिटी से है, एक शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है। अगर इस वक्त गरीब आदमियों का, हरिजनों का, मजदूरों का सुधार नहीं हो सका, इन्साफ उनको

[श्री रामप्रकाश]

नहीं मिल सका तो मैं समझता हूं कि कभी उनको इन्साफ नहीं मिलेगा।

तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी सीलिए एक्ट के तहत थोड़ी-थोड़ी जमीन तकसीम करें, जिससे गरीब आदमी अपना काम कर सके; अपना गुजारा कर सके। एक आदमी के पास पांच हजार एकड़ जमीन है जो कि बीस लाख बीघा के करीब बैठती है, वह तो एयर-कंडीशन में बैठकर एशो-आराम करेगा। लेकिन एक मजदूर जिसको सात-आठ रुपये मजदूरी के भी नहीं मिल पाते, वह कड़ी धूप में काम करता है और एक वक्त का खाना भी उसको नसीब नहीं होता है तो कहां का इन्साफ है। गरीबी और अमीरी में आज बहुत ज्यादा फर्क हो गया है। इसको आप कैसे कम करेंगे। गरीब आदमियों का स्तर ऊपर कीजिए और अमीरों का नीचे लाइए। यहां पर लैण्ड सुधार, प्रोडक्शन और सीलिंग की बातें की जाती हैं। गरीब जमींदारों के ऊपर सीलिंग लगी है लेकिन अमीरों पर नहीं लगी है। अनाज का जितना प्रोडक्शन होता है, जमीन को अगर "लैण्ड टू दी टीलर" चलाया जाता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में अनाज की पैदावार दुगुनी हो सकती है। हमारे मंत्री जी अम्बाला से ताल्लुक रखते थे। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां पर मार-कंडा, यमुना, डांगरी और घग्घर नदियां बहती हैं। सारी की सारी जमीन उससे कट जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस तरह भाखड़ा डैम का उद्घाटन किया, उसी तरह इन चारों नदियों पर भी डैम बना दिये जाएं तो उससे लाखों एकड़ जमीन गरीब आदमियों के पास जा सकती है और भूमि का कटाव कम हो सकता है। उससे पानी की समस्या भी हल हो सकती है। एग्रीकल्चर का दारोमदार पानी पर निर्भर करता है। अगर पानी नहीं मिलता तो पैदावार नहीं हो सकती। हमारे मुल्क के अन्दर आधे से ज्यादा हिस्से में सूखा पड़ा हुआ है क्योंकि वहां पर सिंचाई के साधन नहीं हैं। इस किस्म के अगर डैम बनाए जाएं तो इससे सूखाग्रस्त क्षेत्र कम हो सकते हैं और लाखों एकड़ जमीन गरीब आदमियों को दी जा सकती है। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में जब हिन्दुस्तान में गदर हुआ था तो वह मेरठ में हुआ था। वहां से कुछ परिवार उजड़कर परेड ग्राउन्ड अम्बाला कैन्ट में आ गए जिनकी करीब डेढ़ सौ घरों की आबादी है। अंग्रेजों ने उनको निकाल दिया था। इस किस्म के जो आदमी थे और जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी थी, जिनको स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं, उनको मिलिटरी वहां से उठाना चाहती है। उन आदमियों को अगर उठाना जरूरी है तो उनको आल्टरनेटिव जगह मिलनी चाहिए ताकि वे अपना जीवन अच्छी तरह गुजार सकें नहीं तो वे लोग रोयेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आखिर में अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूं और निवेदन करता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है उस पर गौर करें।

[अनुवाद]

** श्री पलास बर्मन (बलूरघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, इकानामिक सर्वे (1984-85) में गौरवपूर्ण ढंग से घोषणा की गई है कि 1983-84 में खाद्यान्न उत्पादन 151.54 मिलियन टन के

** बंगला में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

स्तर तक पहुंच गया जो कि 1981-82 में हुए 133.30 मिलियन टन के उत्पादन से 18.24 मिलियन टन अधिक है।

कृषि मंत्रालय ने इससे एक कदम और आगे बढ़कर कहा है कि "वर्ष 1983-84 को दूसरी हरित क्रान्ति कहा जा सकता है जिसमें उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई" इत्यादि।

इसके परिणामस्वरूप सरकार के पास इतनी अधिक मात्रा में अनाज एकत्र हो गया है कि उसके पास इसे संचित करने के लिए पर्याप्त गोदाम नहीं हैं। एक या दो महीनों में रबी की फसल आनी शुरू हो जाएगी और उस समय गोदामों की और अधिक कमी महसूस होगी। सरकारी अनुमानों के अनुसार जुलाई माह में खाद्यान्नों की मात्रा 300 लाख मीट्रिक टन के लगभग होगी। सरकारी गोदामों में इतना अधिक खाद्यान्न संचित करने की क्षमता नहीं है। अतः अनाज को खुले सामान्य लाइसेंस द्वारा निर्यात किया जाएगा। सरकार के वक्तव्य से यह स्पष्ट होता है कि भारत अब अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है और देश के सभी लोगों को दिन में न केवल दो वक्त का भरपेट भोजन मिल रहा है अपितु तीन-चार वक्त का पौष्टिक भोजन भी प्राप्त हो रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय भूखा नहीं रहता। परन्तु क्या यह सच है? इस समय देश की जनसंख्या 76 करोड़ के लगभग है। इतने अधिक लोगों के भरण-पोषण के लिए 17 करोड़ 50 लाख टन अनाज की आवश्यकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्पादन 15 करोड़ 15 लाख मीट्रिक टन है। इसका अर्थ है कि यदि सारा अनाज उचित रूप से वितरित कर दिया जाए तो भी वास्तव में 2 करोड़ 35 लाख मीट्रिक टन की कमी रहती है। परन्तु सरकार के पास 2 करोड़ 20 लाख टन अनाज बिना बिका हुआ पड़ा है। अतः केवल 12 करोड़ 95 लाख टन अनाज वास्तव में बांटा जा रहा है। 4 करोड़ 55 लाख मीट्रिक टन अनाज अभी बिना बिका पड़ा है जबकि देश में सभी की भूख मिटाने के लिए इसकी आवश्यकता है।

ऐसा क्यों है? इसके उत्तर के लिए किसी प्रकार के अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है। हम सब जानते हैं कि बहुत से लोग अनाज खरीद नहीं सकते। गरीबी के कारण यह लोग अनाज नहीं खरीद सकते यद्यपि उन्हें इसकी बहुत आवश्यकता है। उनमें से बहुत से लोग भूखे अथवा आधे भूखे रह जाते हैं। यह हमारी पहली और दूसरी हरित क्रान्ति की और अधिक अनाज का उत्पादन करने की सार्थकता है।

महोदय, हमें देखना है कि अनाज के बारे में हरित क्रान्ति हुई है चाहे यह पहली हरित क्रांति है या दूसरी। हमने केवल गेहूं के सम्बन्ध में क्रान्ति की है। दालों, तिलहन, गन्ना, कपास, जूट इत्यादि के उत्पादन के सम्बन्ध में कोई महत्त्वपूर्ण (विशेष) वृद्धि नहीं हुई है। यही कारण है कि आज भी हमें तिलहन, खाद्य तेल, चीनी, प्रटसन इत्यादि विदेशों से अधिक मूल्यों पर आयात करने पड़ते हैं। चावल और धान के सम्बन्ध में भी कोई क्रान्ति नहीं हुई है। 'इकनामिक सर्वेक्षण' में यह भी कहा गया है कि "हरित क्रान्ति मुख्य रूप से गेहूं के क्षेत्र में हुई है।"

तत्पश्चात हमें उन क्षेत्रों अथवा स्थानों का पता लगाना चाहिए जहां हरित क्रान्ति हो चुकी है। हरित क्रान्ति केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुई है। मैं पुनः आर्थिक सर्वेक्षण का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें कहा गया है कि "जब 1983-84 में पंजाब में प्रति हेक्टेयर औसत उपज 30.2 क्विंटल थी, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के बाहर यह केवल 13.8 क्विंटल प्रति

[श्री पलास बर्मन]

हेक्टेयर थी ।" यह आंकड़े गेहूं के सम्बन्ध में हैं।

धान के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है। 1970-71 से 1981-82 के दस वर्षों के दौरान उत्तरी क्षेत्र में धान के उत्पादन में 10.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पश्चिमी क्षेत्र में 2.02 प्रतिशत तथा पूर्वी क्षेत्र में 0.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिलाकर उत्तरी क्षेत्र बन गया है। पूर्वी क्षेत्र—पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम तथा उड़ीसा से मिलकर बना है। दक्षिणी क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल आते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में केवल आन्ध्र प्रदेश में और पूर्वी क्षेत्र में केवल पश्चिमी बंगाल में धान के उत्पादन में वृद्धि हुई है। अन्य क्षेत्रों में धान का उत्पादन वास्तव में घटा है।

अतः हम देखते हैं कि हरित क्रान्ति केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में ही हुई है, और वह भी एक खाद्यान्न के सम्बन्ध में यह है आपकी हरित क्रान्ति ! मुझे स्मरण आता है कि एक बार गुरुदेव टैगोर ने कहा था कि "यदि हम चेहरे पर ही ध्यान रखें और शरीर के सारे अंगों की उपेक्षा कर दें तो उसे एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं कहेंगे।" अतः केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में हुई वृद्धि को उत्पादन में हुई क्रान्ति नहीं माना जा सकता। मैं पहले ही कह चुका हूं कि देश में खाद्यान्न उपलब्ध होने के बावजूद भी और देश में इनकी अत्यधिक आवश्यकता होने पर भी हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग क्रय क्षमता न होने के कारण खाद्यान्न खरीदने में असमर्थ है। सरकारी अनुमान के अनुसार हमारे देश में करीबन 36 करोड़ व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। ये वह व्यक्ति हैं जो क्रय क्षमता के अभाव में भूखे अथवा अर्द्ध-भूखे रहते हैं। सरकार इस फालतू खाद्यान्न के भंडार की सहायता से देश की प्रगति और विकास के लिए काफी संख्या में उपलब्ध इस श्रमिक बल का उपयोग कर सकती है। यद्यपि ग्रामीण विकास विभाग के लिए 18 लाख टन खाद्यान्न की मांग की गई है लेकिन वर्तमान प्रशासनिक ढांचे के द्वारा इस मात्रा का 5 गुणा अथवा करीबन एक करोड़ टन के खाद्यान्न का आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। भंडारों की वर्तमान क्षमता को ध्यान में रखते हुए, एक करोड़ टन खाद्यान्न का संचय खुले में तिरपाल ढककर किया जायेगा जिसे चूहे, बंदर आदि खाएंगे और कीड़े खाद्यान्न को नष्ट करेंगे। इस खाद्यान्न को विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के द्वारा आधे भूखे लोगों के बीच वितरित कर दिया जाना चाहिए। इससे देश का विकास होगा। उदाहरण के तौर पर सरकारी अनुमान के अनुसार 1 लाख से अधिक गांवों में पेयजल की सुविधाएं नहीं हैं। 4½ लाख गांवों में सड़कें नहीं हैं। ऊपर बताए गये खाद्यान्न भंडार से कम से कम 400 करोड़ कार्यदिवस का सृजन किया जा सकता है। और भारी संख्या में बेरोजगार व्यक्तियों को रचनात्मक कार्यों, जैसे लघु सिंचाई परियोजनाएं, वृक्षारोपण, सड़कों का निर्माण, बंजर तथा दल-दली भूमि के सुधार आदि में लगाकर रोजगार दिया जा सकता है। मुझे संदेह है कि वर्तमान सरकार इस प्रकार की योजनाओं के आरम्भ करने का कोई इरादा रखती है। निम्नलिखित सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह देखा जा सकता है कि इस प्रकार की विकास योजनाओं के लिए खाद्यान्न का वितरण धीरे-धीरे कम हो गया है।

1981 में 2,74,000 मीट्रिक टन का वितरण किया गया था;

1982 में 88,000 मीट्रिक टन का वितरण किया गया था;

1983 में 2,46,000 मीट्रिक टन का वितरण किया गया था;

1984 में 1,71,000 मीट्रिक टन का वितरण किया गया था।

उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है कि हमारी सरकार चाहती है कि हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग बेरोजगार रहना चाहिए। इस तरह नौकरी के लिए एक दूसरे का गला काटेंगे और वे बहुत कम मजदूरी पर काम करने को तैयार हो जाएंगे। इससे औद्योगिक और कृषक पूंजीपतियों का लाभ बढ़ जाएगा। इसी उद्देश्य से सम्पूर्ण बजट को बनाया गया है। पर क्या उनके सपने पूरे होंगे ? शायद वे अस्थायी रूप से इसमें सफल हो जाएं। लेकिन इसके बाद क्या होगा ? इसके बाद कार्ल मार्क्स का यह संदेश कि "पूंजीपति अपनी कब्र अपने आप खोद रहे हैं" सत्य सिद्ध होगा। वे और उनके राजनैतिक प्रतिनिधि पूंजीवाद के गड्ढे में स्वयं अपनी कब्र खोदेंगे। अन्य स्थानों पर इतिहास ने इसे सिद्ध कर दिया है और यहां भी यह बात सिद्ध होगी।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय हमें अपने बहादुर किसानों का आभारी होना चाहिए। उनकी कड़ी मेहनत और साहस तथा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार द्वारा दिये गये प्रोत्साहनों के जरिए हमने खाद्यान्न के 5 करोड़ 40 लाख टन के लक्ष्य को प्राप्त किया है। यह वास्तव में एक उपलब्धि है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। हम अपने असंख्य किसानों को किसी किस्म का महंगाई भत्ता नहीं दे रहे हैं। हम यह महंगाई भत्ता जीवन निर्वाह सूचकांक के प्रत्येक बिन्दु के बढ़ने पर अपने केवल उन्हीं कर्मचारियों को दे रहे हैं जो संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। यद्यपि इस प्रकार की सुविधाएं हम अपने किसानों को नहीं दे रहे हैं फिर भी सरकार ने किसानों को खाद, बीज आदि में रियायत और अन्य प्रकार की सहायता दी है जिससे किसानों ने 5 करोड़ 40 लाख टन के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त किया है और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

महोदय, पहली बार हमारे प्रधान मंत्री ने पंजाब में गेहूं के उत्पादकों के लिए बोनस की योजना प्रस्तुत की है और इससे किसान वर्ग प्रोत्साहित हुआ है। मुझे आशा है कि बोनस के रूप में यह प्रोत्साहन उन सभी किसानों को दिया जा सकता है जो चावल, तिलहनों, दालों तथा अन्न आदि के उत्पादन में लगे हुए हैं ताकि खेती करने वाला समुदाय यह समझे कि हमारी सरकार उनकी मदद करना चाहती है और उन्हें बोनस के रूप में कुछ प्रोत्साहन दे रही है।

हमारे अन्न भंडार इस समय भरे हुए हैं। यदि मैं सही कह रहा हूं तो हमारे पास तकरीबन 2 करोड़ 19 लाख टन खाद्यान्न का बफर स्टाक है। रबी फसल में गेहूं की वसूली का मौसम इस समय चल रहा है। मैं समझता हूं कि शायद दो-तीन महीनों में केवल गेहूं का ही 2 करोड़ टन स्टाक हो जाएगा और इस अतिरिक्त उत्पादन से हमारे गोदामों में कुल खाद्यान्न का स्टाक 3 करोड़ 30 लाख टन हो जाएगा। अतः सरकार ने गेहूं के निर्यात के बारे में खुला सामान्य लाइसेंस देने की पद्धति के बारे में सोचा। सरकार अपने आप भी करीब 50 लाख टन गेहूं का निर्यात करने के बारे में सोच रही है। लेकिन महोदय, आप जानते हैं कि इस निर्यात में भी रियायत देनी होगी। कल ही हमारे

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री ने सभा में यह स्वीकार किया है कि बजट के प्रस्तुत करने के बाद बाजार में कीमतों में तेजी आई है। हमने बजट में जो प्रावधान किये हैं उनके कारण यह तेजी नहीं आई है बल्कि यह तेजी देश में व्यापारियों की मुनाफाखोरी की वजह से आई है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कीमतें बढ़ रही हैं और जहां तक हमारी वित्तीय स्थिति का सम्बन्ध है संसाधन सीमित हैं, हमें 3 करोड़ 30 लाख टन से अधिक के खाद्यान्न के इस भंडार का बेहतर ढंग से इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए ? मैं समझता हूं कि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे को बढ़ा सकते हैं क्योंकि इस देश के बहुत से क्षेत्र सूखे से ग्रस्त हैं। अतः हम गेहूं और खाद्यान्न के इस संचित स्टाक का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार कर सकते हैं। हम अधिक संख्या में लोगों को अर्थात ग्रामीण व्यक्तियों को, गांव के दस्तकारों को, भूमिहीन मजदूरों को और कृषि श्रमिकों को इस प्रणाली के अन्तर्गत ला सकते हैं हम इस प्रणाली के अन्तर्गत अधिक से अधिक लोगों को ला सकते हैं ताकि हमारे पास खाद्यान्न का जो स्टाक है उसका अत्यधिक अच्छा उपयोग हो सके।

दूसरे 1985-86 के बजट से मैं देखता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के कार्यक्रमों के प्रावधान में कमी आई है। इसलिए हम खाद्यान्न के इस संचित स्टाक का उपयोग क्यों नहीं करें, क्योंकि हम कई कार्यक्रमों को आरम्भ कर चुके हैं ? हम समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आरम्भ कर चुके हैं। विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपने राज्यों में गरीबी को दूर करने के लिए अपने कार्यक्रम शुरू किए हैं। गांवों के गरीब व्यक्तियों को वस्तु के रूप में मजदूरी का भुगतान करके रोजगार उत्पन्न करने के कार्यक्रम का विस्तार क्यों नहीं किया जाता ? वस्तु के रूप में मजदूरी का भुगतान करके बाजार में मूल्यों पर रोक लगाने में आप हमारी मदद करेंगे।

1947 में जब हमें आजादी मिली तो भारत की कुल कृषि योग्य भूमि 35 करोड़ एकड़ थी। उन दिनों जनसंख्या 35 करोड़ थी। इसका अर्थ यह हुआ कि भूमि---जनसंख्या का अनुपात ठीक-ठीक 1:1 था। अब हमारी जनसंख्या 73 करोड़ 50 लाख है और शायद इस शताब्दी के अन्त तक यह जनसंख्या 1 अरब हो जाएगी। अतः हमारे पास सबसे अच्छा रास्ता यही है कि : हमने भूमि सुधार उपायों को अपना लिया है। लेकिन आठवीं सूची में शामिल करने के पश्चात और अन्य उपायों को अपनाने के बाद भी इसमें हमें पूर्णरूप से सफलता नहीं मिली है। अतः हम ऐसे उपाय क्यों नहीं करते हैं जिससे देश के भूमिधारी किसान भूमि का बेहतर उपयोग करें ताकि भूमि के प्रत्येक एकड़ का पूरा उपयोग हो सके जैसा कि अधिकतम उत्पादन के लिए जापान में किया जा रहा है। इससे सभी के लिए भोजन और सभी के लिए रोजगार का कार्यक्रम भूमिधारी किसानों की इतनी बड़ी संख्या द्वारा पूर्ण हो सकता है। इस कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम उनको सभी प्रकार के प्रोत्साहन दे सकते हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस देश के सम्मुख महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम यह रखा था कि हमें देश के गरीब व्यक्तियों के दुखों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। वे सम्भवतः जीवन

भर ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का उन्मूलन करने की ही सोचती रही। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी है। मैं इन कार्यक्रमों के इतिहास में नहीं जाना चाहता। किन्तु मेरी राय है कि उनकी इस राजनैतिक इच्छा और कामना के कारण ही इस कार्यक्रम को छठी योजना में प्राथमिकता दी गई कि देश के गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जाए। छठी योजना में 155 लाख लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य रखा गया था। मुझे आशा है कि छठी योजना के दौरान हमने निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वितों को लगभग 3000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण दिए गए। छठी योजना के लिए यही लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लगभग 1,500 करोड़ रुपये की राजसहायता प्रदान की गई। बजट में हम यह देख सकते हैं कि यह लक्ष्य भी पूरा कर लिया गया था।

मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है। किन्तु हमें अपने अनुभव को भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं भी अपने चुनाव क्षेत्र का दौरा करता रहता हूं तथा इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में जो त्रुटियां हैं वे मेरी नजर में आई हैं। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक तथा अन्य बैंकों ने इन कार्यक्रमों की भारी सफलता के मूल्यांकन के लिए अपनी-अपनी समितियां गठित की हैं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि 7वीं योजना के दौरान जब हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो हमें राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक तथा अन्य बैंकों की समितियों द्वारा प्रस्तुत सम्बन्धित विभिन्न मूल्यांकन रिपोर्टों का अध्ययन करना चाहिए। हमें एक विशेषज्ञों से युक्त समिति गठित करनी चाहिए जो इन सभी मूल्यांकन रिपोर्टों का अध्ययन करे और जिन श्रमिकों का उसमें उल्लेख किया गया है उसे हम दूर करें क्योंकि यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिसे हम बिल्कुल त्रुटिहीन बनाना चाहते हैं। उसमें किसी भी प्रकार कोई दोष न रहने पाए।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने सर्वेक्षण किया है। अन्य बैंक जिन्होंने विभिन्न राज्यों में सर्वेक्षण किए हैं उन्हें पता चला है कि स्वीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब के रूप में जिन्हें वर्गीकृत किया गया था उनमें से 15 प्रतिशत का वर्गीकरण गलत रूप में हुआ है। यह तो होना ही था क्योंकि हमने निश्चित अवधि में 156 लाख लोगों के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरा करना था।

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद ने 1983 में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का सर्वेक्षण किया था। उसने यह पता चला कि दुधारू पशुओं, भेड़, बकरी और बैलों के लिए ऋण प्राप्त करने वालों में से 32 प्रतिशत ऐसे थे जिन्हें ऋण नहीं दिया जाना चाहिए था। इन लोगों ने अपने विद्यमान पशुओं आदि को नयी खरीद के रूप में दिखाकर राज सहायता प्राप्त कर ली है।

लघु सिंचाई के लिए ऋण लिए जाने के मामलों में से 50 प्रतिशत मामले ऐसे थे जिनमें यह ऋण उक्त प्रयोजन पर या तो खर्च नहीं हुआ और हुआ भी तो नाम मात्र के लिए। कुएं की कहीं तो खुदाई ही नहीं की गई और जहां की भी गई वहां छोटा-सा गड्ढा खोद कर राज सहायता प्राप्त कर ली गई।

इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य यह देखना है कि लोगों को रोजगार मिले और गरीब जनता को परिसम्पत्तियां प्राप्त हों और इन परिसम्पत्तियों का वे उत्पादक रूप में इस्तेमाल कर सकें।

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]

किन्तु अनेक मामलों में मैंने खुद देखा है कि ऋण प्राप्त कर्ताओं ने ये परिसम्पत्तियां एक साल के बाद बेच दी हैं। इसीलिए इस देश के लिए जो भी हम अच्छे लक्ष्य निर्धारित करें वे उपयोगी नहीं हो पाएंगे जब तक कि हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश नहीं करेंगे कि वह कार्यक्रम लागू हो रहा है या नहीं। हमें यह भी देखना चाहिए कि निर्धारित धनराशि या उसका कोई भी भाग अपात्र के हाथ न पड़ने पाए। हम उन्हें पैसे दे देते हैं और यह पैसा काला-बाजार में चला जाता है, जिससे मूल्यों में और वृद्धि हो जाती है।

यदि हम अपनी गरीब जनता को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमें उन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे जहां लोग गरीब हैं। इसीलिए मेरा विचार है कि इस वर्तमान प्रक्रिया में राज सहायता के लिए अनैतिकता की सीमा तक होड़ सी लगी हुई है और प्रत्येक व्यक्ति इस राज सहायता में अपना हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा है। कभी-कभी बैंकों में लाभान्वितों को दी जाने वाली राज सहायता की यह दिखाने के लिए कटौती की जाती है कि ऋण का भुगतान संतोषजनक रूप में हुआ है, जबकि यह सच नहीं है। अतः यह कमियां हैं जिनका अनेक सर्वेक्षणों में पता चला है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी यह सुनिश्चित करने में काफी रुचि लेते हैं कि ये सभी योजनाएं सफल हों हम भी यही चाहते हैं— वे इन सभी कमियों की जांच करें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें।

मैंने पहले भी सुझाव दिया था और मैं एक बार फिर माननीय मंत्री को सुझाव दे रहा हूं कि इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत जो भी ऋण दिया जाए उसे ब्याज मुक्त रखा जाए या राज सहायता के लिए प्राप्त राशि से श्रमिक प्रधान निर्माण कार्य शुरू किए जाएं जहां काम करने योग्य गरीब लोग मूल मजदूरी सहित नियमित रोजगार प्राप्त कर सकें। स्वयं सेवी संगठनों को जन-साधारण से सम्बद्ध किया जाए ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें और राज सहायता के लिए भाग-दौड़ करने और दिक्कतों का सामना करने के बजाए खुद ही कमा सकें। इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और ग्रामीण बाजारों के विकास में सहायता मिलेगी। इसीलिए जहां तक इस राज सहायता का सम्बन्ध है— यह विवादास्पद मामला हो गया है और इससे भ्रष्टाचार फैल रहा है—हमें इसके बारे में बड़ी गम्भीरता से विचार करना होगा और यह देखना होगा कि उस दिशा में कुछ सुधार अवश्य हो जाए।

हम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को अधिकाधिक धन क्यों नहीं देते ? मुझे खुशी है कि सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू कर दी है और उसमें सुधार होता जा रहा है।

राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इतने वर्ष पूर्व निर्धारित मानकों में संशोधन किया जाए, क्योंकि इन वर्षों में रुपये की कीमत बहुत ज्यादा घट गयी है।

मैं एक बार फिर सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों का समर्थन करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं और जो भी कमियां हैं उन्हें हमें दूर करना ही है।

श्री एस० कृष्ण कुमार (क्विलोन) : इन मांगों का समर्थन करते हुए मैं सभा और सरकार का ध्यान एक ऐसे क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं जो आजादी से अब तक के राष्ट्रीय विकास के

परिदृश्य में सबसे उपेक्षित रहा है—वह है देश में मत्स्य-पालन विकास द्वारा समुद्र-तट 6,500 किलो मीटर है तथा 1977 में तट से 350 किलो मीटर तक की दूरी पूरी तरह से आर्थिक क्षेत्र घोषित हो जाने के बाद से जिस समुद्री भाग में खोज बीन आदि की जाती है वह देश के कुल भू-भाग का दो-तिहाई है। किन्तु पिछला दशक मत्स्य-पालन के क्षेत्र में अवसर खोने का ही दशक माना जाएगा। हमारा वार्षिक उत्पादन पिछले 14 वर्षों से औसतन एक सा ही अर्थात् 13 लाख टन ही बना हुआ है जो कि पूरे संसार के मछली उत्पादन का केवल 3 प्रतिशत ही है।

माननीय मंत्री श्री बूटा सिंह ने हाल ही में मत्स्य-पालन विभाग अपने हाथ में लिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विभाग पिछले दशक में उत्पादन में कुछ भी विकास न करने का अद्वितीय श्रेय ले पाया है। क्या यह ऐसे देश में क्षम्य है जहां 3500 लाख लोग कुपोषण के शिकार हैं 820 लाख बच्चे प्रोटीन की कमी के कारण बहुत धीमी गति से विकसित हो रहे हैं? यह जानकर हमारे राष्ट्रीय गौरव को ठेस लगती है कि इसी अवधि में थाईलैंड ने अपना मत्स्य उत्पादन चौगुना, तंजानिया ने तिगुना, इंडोनेशिया ने दुगुना कर लिया है और हमारे पड़ोसी श्रीलंका ने इसमें 50 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि की है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि वे मत्स्य-पालन विभाग को जड़ता, कल्पना हीनता, और उपेक्षा एवं अकुशलता की प्रवृत्ति से बाहर निकालें। मैं इस विभाग को निम्नलिखित वक्तव्य से चुनौती देता हूं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि बहस के दौरान उत्तर देते समय इसका भी उत्तर दें।

हमारे गणतंत्र के अड़तीसवें वर्ष में भी हमारे पास ऐसा जलयान नहीं है जो गहरे समुद्र में जाकर मछली पकड़ सके। आपने जिस सूची का ब्यौरा दिया है उसमें रूसी नौकाएं लम्बाई में 24 मीटर से कम ही हैं और वे तट पर मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर ही हैं। यहां तक कि अब भी विदेशी जलयान प्रति वर्ष 5 लाख टन मछलियां हमारे गहन समुद्री क्षेत्र से पकड़ कर ले जाते हैं। क्या आप इस बात से इंकार कर सकते हैं कि चार्टर सम्बन्धी आपकी नीति तुलनात्मक दृष्टि से बिल्कुल असफल रही है? जिन सौ चार्टरों का आपने उल्लेख किया है वे शायद ही अब काम करने की हालत में हों और केवल गहन समुद्र से पकड़ी गई मछलियां कुल का केवल .2 प्रतिशत ही हैं। यह कहा जाता है कि यदि हिन्द महासागर में 10,000 मछलियां हैं तो उसमें से भारतीय मछुआरे केवल एक ही पकड़ पाते हैं और बाकी 9,999 अपनी उम्र पूरी कर मर जाती हैं। इसे मैं एक शोध लेख से उद्धृत कर रहा हूं: यदि हिन्द महासागर में मछलियों का कुल भंडार 10,000 है तो उनमें से एक ही पकड़ी जाती है और इस्तेमाल में लाई जाती है।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि गहन समुद्र में मछली पकड़ने की सम्भावना को बढ़ाने के लिए आरम्भिक स्तर पर प्रोत्साहन की व्यवस्था करने के लिए उस सिफारिश को लागू करें जिसके लिए अनेक मंचों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि 'नेचुरल द्वीप की फिशरीज़ कारपोरेशन' का गठन किया जाए ताकि यथापेक्षित संयुक्त अभियान से देश में गहन समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जहाजी बेड़ा तैयार किया जा सके।

बहुत लम्बे समय से मछली पकड़ाई के लिए बंदरगाह सम्बन्धी योजना खटाई में पड़ी हुई है। जिस योजना को शत प्रतिशत केन्द्र की ओर से प्रायोजित होना था उसे अब 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता ही प्रदान की गयी हैं। आज देश में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए अलग से एक भी

[श्री एस० कृष्ण कुमार]

बंदरगाह नहीं है जो कि समुचित गहन समुद्र में जाकर मछली पकड़ने वाले जहाजों को स्थान दे सकें। भारत में केरल समुद्र के निकटतम राज्यों में से प्रमुख हैं। यह राज्य देश में कुल का 35 प्रतिशत मछलियां पकड़ता है और राष्ट्र का 9 प्रतिशत समुद्र तट उसके क्षेत्र में होने के बावजूद कुल निर्यात से हुए अर्जन का आधा भाग वहीं अर्जित करता है।

केरल में विजिंगाम मत्स्य पत्तन में 12 वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा है। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इसे शीघ्र ही पूरा किया जाए। केरल में विजिंगाम, नींडकारा तथा बेपुर बंदरगाह आदि मत्स्य पत्तन परियोजनाएं जारी हैं। इन मत्स्य-पत्तनों और क्षंकास्सरे में 'ब्रेक वाटर' परियोजना जिसे जांच के बाद मंजूरी दे दी गयी थी और जो 15000 पारम्परिक मछुआरों तथा उनके जलयानों के लिए सुरक्षित स्वर्ग होगी। अतः इस कार्य को सातवीं योजनावधि में उन्हें कार्यान्वित किया जाए।

परम्परागत मछुआरों के लिए अति शीघ्र लागू हुई सर्वश्रेष्ठ योजना है परम्परागत नावों में मोटर लगाना आउट बोर्ड इंजन सहित इससे उनके अर्जन में काफी वृद्धि हुई है। केरल में अब सभी परम्परागत नौकाओं में से लगभग 12 प्रतिशत में आउट बोर्ड इंजन हैं। माननीय मंत्री को मेरा सुझाव है कि देश की 1,50,000 परम्परा गत नौकाओं में आउट बोर्ड इंजन लगाने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाए।

वास्तव में यह मंत्री महोदय द्वारा पारम्परिक मछुआरों को दी जा सकने वाली सबसे बड़ी मदद होगी। उन्हें मिट्टी का तेल भी प्राथमिकता के आधार पर दिया जाना चाहिए और राज्य सरकारों के माध्यम से सहायता दी जानी चाहिए।

जैसा कि आप जानते हैं कि एक अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया वह है जलचर पालन और विशेष रूप से खारे पानी में झींगा मछली का पालन। ताईवान में एक हैक्टेयर खारे पानी में 7.5 टन झींगा मछली पैदा होती है और हमारे देश में यह दर प्रति हैक्टेयर 1 टन है। यदि 1 टन प्रति हैक्टेयर की दर से हम खारे पानी के लगभग 10 प्रतिशत हिस्से में से झींगा मछली निकालें तो झींगा मछली का उत्पादन और निर्यात तीन गुना बढ़ा सकेंगे।

हमें दूध के उत्पादन तथा वितरण के क्षेत्र में 'ऑपरेशनफ्लड' की भांति देश में 'ऑपरेशन जलचर पालन' आयोजित करना चाहिए। स्वदेशी बाजार की व्यवस्था एक समेकित मत्स्य विपणन बाजार के रूप में की जानी चाहिए जिसमें रेफ्रिजरेटिड ट्रक शीतागार और स्वास्थ्य की दृष्टि से हानि रहित निकासी की आधारभूत सुविधाएं हों और गैर-सरकारी उद्यमियों को समुचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

हमें भी इंडोनेशिया में ली गई व्यवस्था के अनुरूप, समर्थन मूल्य देना होगा और अवतरण केन्द्रों पर खाद्य पदार्थों की मंडियों से विनियमित करना होगा।

पारम्परिक मछुआरों की समस्या संस्थान संबंधी तथा तकनीकी दोनों प्रकार की हैं मैं सारे देश में केरल की भांति काम करने की सिफारिश करता हूं। केरल में मत्स्य पालन का काम करने वाले प्रत्येक गांव के लिए सांविधिक तौर पर सहकारी संस्थाएं बनाई गई हैं। ये संस्थाएं गांव के वयस्क

मछुआरों द्वारा निर्वाचित की जाती हैं और ऋण, उत्पादन, बिक्री तथा आधारभूत सुविधाओं और कल्याण के लिए जिम्मेदार होती है।

4.39 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

भारत में एक मछुआरे को औसतन 1500 रुपये से कम ऋण मिलता है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मछुआरों को अधिक ऋण दिया जाए जो कि हमारे समाज का सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं और कुछ स्कैंडिनेवियाई देशों की भांति मछली पालन बैंकों की व्यवस्था की जाए।

सन् 1897 का भारतीय मत्स्य पालन अधिनियम बहुत पुराना हो गया है। इसमें मछली पकड़ने वाले जहाजों को भी मान्यता नहीं दी गई है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 297 और सातवीं अनुसूची की प्रविष्टियों के साथ पठित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम देश में मत्स्य पालन स्रोतों और उनके उपयोग का पूरा अधिकार केन्द्रीय सरकार के पास है। महोदय, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा देश में शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाई जा रही है और इसे व्यवसायिक बनाया जा रहा है। वह देश के समुद्री भागों और अन्तर्देशीय जल क्षेत्रों में मत्स्य पालन तकनीकी स्कूल खोलने मछुआरों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने तथा मछली पकड़ने का काम शुरू करने के लिए सुअवसर है।

क्विलोन भारत-नार्वे परियोजना का केन्द्र है जहां पर भारत के मछुआरों को पहली बार मशीनीकरण के नए युग से परिचित कराया गया था। यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। यही मछली पालन कौशल का केन्द्र है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे यहां पर मछली पालन के लिए बड़ा केन्द्र अथवा राष्ट्रीय संस्थान खोलने पर विचार करें। वह राष्ट्रीय मात्सिकी नीति बनायें और उसकी घोषणा करें जिसमें मात्सिकी स्रोतों के, इष्टतम उपयोग तथा उनके परिरक्षण, मछुआरों के कल्याण, मछलियों के विपणन तथा ग्रामीणों के लिए प्रोटीन युक्त भोजन आदि बातों पर जोर दिया जाये।

महोदय, हमारी इस पौराणिक धरती पर संरक्षण देवता विष्णु का पहला अवतार एक मत्स्य के रूप में था। इस देश में मात्सिकी जीवन की रक्षा करने वाला उद्योग होना चाहिए। 21वीं शताब्दी तक यह उद्योग देश को शक्तिशाली बनाने वाला होना चाहिए। महोदय मात्सिकी विभाग के साथ कृषि मंत्रालय द्वारा सौतेला व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। मंत्रालय स्तर पर पर्याप्त ध्यान देने के लिए इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। सरकार के सचिव पद के व्यक्ति को मात्सिकी विभाग का प्रभारी होना चाहिए। आने वाले पन्द्रह वर्षों में भारत को समुद्री जहाज और मात्सिकी के क्षेत्र में सबसे आगे आना चाहिए। हमारा देश और हमारे लोग इस स्थान के अधिकारी हैं।

सभापति महोदय : सत्तारूढ़ दल के 70 माननीय सदस्य बोलने वालों की सूची में हैं। अतः मैं उनसे संक्षिप्त भाषण करने का अनुरोध करता हूं। अब श्री के० एन० प्रधान बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : सभापति जी, मैं कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और इस सदन के अपने साथियों की राय से पूरी तरह सहमत हूं कि कृषि के क्षेत्र में हमने ठोस सफलतायें प्राप्त की हैं, जिनमें 1983-84 का वर्ष निश्चित रूप से बड़ा उल्लेखनीय रहा है। हमने फसलों का बीमा, बोनस, सामाजिक सुरक्षा के क्रान्तिकारी कदम उठा कर किसान और मजदूरों में आत्मविश्वास पैदा करने का प्रयास किया है। हमने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० योजनाओं के माध्यम से जहां एक ओर रोजगार बढ़ाने की कोशिश की है, वहीं गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। लेकिन मैं एक बात आप से कहना चाहता हूं—हम जब योजनाओं का कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उनको प्राप्त करने के लिये जो प्रयास होते हैं, उनमें आज भी आत्मविश्वास की भारी कमी है। इसके दो प्रमुख कारण हैं—एक तो यह है कि हमारी जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई है जिससे पिछले वर्षों में हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम हमेशा डांवाडोल रहे हैं। दूसरे—छठी पंचवर्षीय योजनाओं के लागू करने के बाद भी सही आंकड़े हमारे सामने नहीं आ सके हैं। आप सब जानते हैं किसी भी प्रगति के लिये योजना को बनाने तथा लक्ष्य निर्धारित करने के लिये यह बहुत आवश्यक है कि ताजे आंकड़े, पर्याप्त आंकड़े और विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध हों। इनकी आज भी हमारे देश में कमी है। हमारे पूरे देश में, सभी प्रदेशों में, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग केवल स्केलटन (ढांचा) है। स्टेट में विभाग तो फंक्शन करता है, लेकिन नीचे के लेवल पर केवल एक-दो कर्मचारियों को रख कर हम आंकड़े प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिनमें निश्चित रूप से हमें सफलता नहीं मिलती है। इसका नतीजा यह होता है कि हमें जो सही ढंग से अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, वे नहीं कर पाते हैं। वास्तविकता यह है कि योजना वह सफल होती है जो नीचे से बनाई जाय, लेकिन आज भी हम डिस्ट्रिक्ट डवलेपमेन्ट प्लान नहीं बनाते हैं, बल्कि विभागीय योजनाएं तैयार करते हैं और वे भी स्टेट लेवल पर तैयार करते हैं। जिसका परिणाम यह हुआ है कि पूरा प्रशासन 'यूटिलाइजेशन माइण्डेड' हो गया है। उसकी नजर में सिर्फ इतनी बात रहती है कि हमें जितना एलोकेशन मिला है उसको यूटिलाइज्ड शो कर दें, इससे हमने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। यह चीज करप्शन को जन्म देती है। पूरे देश के अन्दर, सभी राज्यों के अन्दर ऐसा हो रहा है जो करप्शन को जन्म दे रहा है। मैं दो-तीन उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, जहां पर हम इसकी वजह से असफल रहे हैं। आर० एल० ई० जी० पी० का 1983-84 का लक्ष्य रखा था—3 हजार लाख मानव-दिवस रोजगार उत्पन्न करना, लेकिन 28 फरवरी 1985 तक हम केवल 1538.85 लाख मानव दिवस का रोजगार प्राप्त कर सके। इस क्षेत्र में हम असफल हुए हैं और यह जितना लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है, वह यूटीलाइजेशन की बेसिस पर है। स्टेट बैंक आफ़ इण्डिया की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसमें से मैं दो तीन बातें रखना चाहता हूं। उसमें बताया गया है कि एक ब्लाक के अन्दर सिंचाई के कुओं के लिए केस तैयार किए गए, जहां पर बिजली के पम्प सेट लगने थे। कुएं बन चुके हैं और पम्पसेट खरीदे जा चुके हैं लेकिन उसके बाद पता चला कि लाइन लोड नहीं ले सकती। इसी प्रकार से दुधारू पशुओं के लिए एक ब्लाक में केस बना। वेटेरीनरी डिपार्टमेंट ने बताया कि दुधारू पशु एवेलएबिल नहीं हैं। मेरे अपने क्षेत्र में, जब मैं 1980 से 1985 तक विधान सभा का सदस्य था, वहां एक ब्लाक के लिए बकरियों का केस बनाया गया। एक यूनिट में 10 बकरी और एक बकरा लिया जाता है। बकरियां तो बड़ी मुश्किल से मिल गई लेकिन बकरा नहीं

मिला और एक साल तक बकरी का यूनिट बगैर बकरे के रखा। कितना दूध पैदा हुआ होगा और कितने बच्चे पैदा हुए होंगे और किस प्रकार से यह वायएबिल यूनिट बना रहा होगा, इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। इसी प्रकार से आई० आर० डी० की योजना है। उसमें ट्राईसेम से बहुत काम लेते हैं लेकिन ट्राईसेम की योजना विश्वसनीय नहीं है। हम लोग प्रशिक्षक को पैसा देते हैं और जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उनको भी पैसा देते हैं लेकिन निश्चित रूप से उसका पूरा सदुपयोग नहीं हो पाता है और वास्तव में प्रशिक्षण नहीं हो पाता। इसलिए मेरा निवेदन यह था कि आई० टी० आई० की जो योजना थी, जोकि उद्योगों में प्रशिक्षित व्यक्ति देने के लिए चालू की गई थी, उसको ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाना चाहिए।

इसी प्रकार से एन० आर० ई० पी० की योजना काफी महत्त्वपूर्ण है। मेरी समझ में नहीं आता कि हम यहां बैठे हुए कैसे तय कर लेते हैं कि जो काम एन० आर० ई० पी० के अन्तर्गत किये जाने थे जैसे भवन बनाना, कुएं बनाना और सड़कें बनाना, उसमें 50 परसेन्ट वेज कम्पोनेन्ट होगा। मेरा दावा है कि 50 परसेन्ट वेज कम्पोनेन्ट की शर्त के साथ कोई काम पूरा नहीं हो सकता। नान-वेज कम्पोनेन्ट ज्यादा होता है।

एक आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बड़ा सूखा पड़ा हुआ है और इसको स्टेट गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज से फेस नहीं कर सकती। इसमें मदद देने की जरूरत है।

श्री बनवारी लाल बेरवा (टोंक) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस डिमांड पर मुझे बोलने का समय दिया। समय बहुत कम है और विषय बहुत बड़ा है, इसलिए मैं बहुत सीमित करके अपनी बात कहूंगा।

सन् 1947 से लेकर अब तक इस देश के अन्दर कृषि क्षेत्र में जबर्दस्त क्रान्तिकारी तरक्की हुई है। सन् 1947 में हमारे देश के अन्दर ढाई करोड़ टन अनाज पैदा होता था और पिछले साल के जो स्टेटिस्टिक्स हैं, उनके अनुसार 15 करोड़ 20 लाख टन अनाज पैदा हुआ है। इसका मतलब यह है कि हमने इस क्षेत्र में काफी तरक्की की है और हम आगे बढ़े हैं। यह जो तरक्की हुई है, इसके पीछे मुख्य बात यह रही है कि सिंचाई के साधन पैदा किए गए और खेती की उपज के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं, वे उपलब्ध कराई गईं।

मैं एक चीज यह अर्ज करना चाहता था कि खेती के लिए जरूरी है कि लोगों को तालीम मिले। राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है, जिसके अन्दर कृषि विश्वविद्यालय का नितान्त अभाव है। पहले एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी लेकिन अब वह मल्टी-परपज विश्वविद्यालय हो गया है। लिहाजा मेरा सुझाव यह है कि जोबनेर जो एक कृषि कालेज है और बहुत पुराना कालेज है और आजादी के पहले का कालेज है, उसको विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया जाए।

मैं अब अपने क्षेत्र की बात रखना चाहता हूं। कृषि बेमाइने हो जाती है अगर पानी न हो। मेरा क्षेत्र ऐसा है कि वहां पर कोई बहुत बड़ा बांध या तालाब नहीं है। बीसरपुर बांध की जो योजना है, उसको यहां से जल्दी से जल्दी मंजूर करा कर भेजा जाए ताकि वहां के लोगों को सिंचाई के साधन मिल सकें।

[श्री बनवारी लाल बेरवा]

श्रीमन् एक बात मैं और कहना चाहता हूं। काश्तकारों को सहकारिता के माध्यम से बड़ा लाभ हुआ है लेकिन इसमें बहुत भारी कमियां भी दिखाई देती हैं जिनको कि दूर किया जाना चाहिए। आप काश्तकार को कोआप्रेटिव क्षेत्र में रखिए। काश्तकार के खेत में हल से लेकर उसकी उपज के विपणन तक और उसके रहने तक इन तमाम चीजों को सहकारिता के अंदर आना चाहिए और इसके लिए सहकारिता को पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

श्रीमन् जो बड़े काश्तकार होते हैं उन्हें तो तमाम चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। छोटे काश्तकार को बड़ी दिक्कतें होती हैं। उसको सहकारी सोसायटी से ऋण नहीं मिल पाता जिससे कि वह पानी के लिए अपना कुआं नहीं खोद पाता है। छोटे और मार्जिनल फार्मर्स के साथ यह बड़ी दिक्कत है। मैं चाहूंगा कि जो जमीनें हरिजनों और गिरिजनों के पास हैं उनके लिए सरकार की तरफ से ट्यूबवेल की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार ट्यूबवेल खुदवाकर उन्हें दे और उसकी रकम उनसे किस्तों में वसूल करे।

जनता पार्टी के शासन में कोआप्रेटिव सोसायटी के व्यवस्थापक को बड़े अधिकार मिले थे। कोआप्रेटिव सोसायटी के व्यवस्थापक लोग ही सब पैसा लेकर आते थे और वे जिसे चाहें पैसा देते थे, जिसे चाहें नहीं देते थे। बहुत-सी फर्जी कार्यवाही भी की जाती थी। गांव में हरिजन और गिरिजन खास तौर पर पढ़े-लिखे नहीं होते। उनमें से बहुतों को पैसा नहीं मिला था लेकिन आज भी किसी के नाम दस हजार का कर्जा बकाया है, किसी के नाम पन्द्रह हजार का कर्जा बकाया है। सरकार को इसके बारे में कोई-न-कोई ऐसा हल खोजना चाहिए जिससे कि वे गरीब लोग इस फर्जी कर्जे से मुक्त हो सकें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। आप 33 परसेंट सब्सीडी हरिजनों को देते हैं और 50 परसेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स् को देते हैं। इन दोनों की हैसियत एक-सी है, इनको सबसीडी देने में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोनों जातियों को 50 परसेंट की सब्सीडी मिलनी चाहिए।

आई० आर० डी० पी० के अन्तर्गत आपने ऊंटगाड़ी और बैलगाड़ी के लिए पैसा निश्चित कर रखा है कि किसी को भी पांच हजार रुपये का कर्जा दिया जाएगा। आजकल के जमाने में पांच हजार रुपये पर्याप्त राशि नहीं है। आप इसके लिए यूनिट तय कर दीजिए कि इस यूनिट के लिए जितना उस पर पैसा लगता हो, उतना कर्जा मिलेगा। पांच हजार रुपये देने की आपने जो व्यवस्था कर रखी है उससे आपका प्रोग्राम सफल नहीं हो पाता है। इसलिए आप मेरे सुझाव पर ध्यान देने की कृपा करें।

हमारे यहां जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको अपना धन्धा चलाने के लिए बैंकों से जो कर्ज मिलता है उसके लिए जो कमेटी बनी थी उसमें पहले जिला प्रमुख भी होता था लेकिन अब उस कमेटी में कोई जनप्रतिनिधि नहीं रहा है जिससे कि शिक्षित बेरोजगारों के साथ न्याय नहीं हो पाता है। लिहाजा उस कमेटी में कोई जनप्रतिनिधि भी रहना चाहिए।

5.00 म० प०

[अनुवाद]

** श्री जी० एस० बसवराजू (तुमकुर) : सभापति महोदय, मैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। अनुदानों की मांगों पर बोलते हुए मैं देश के किसानों के सामने आने वाली महत्त्वपूर्ण समस्याओं को माननीय मंत्री श्री बूटा सिंह जी के सामने रखूंगा।

हमारे देश की 70 से 72 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और खेती करना इनका मुख्य धन्धा है। तकनीक, बीजों की गुणवत्ता, आर्गेनिक खाद और कृत्रिम उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, औजार, सिंचाई और ऋण कृषि के मुख्य आदान हैं।

कृषि तथा इसके उत्पादन में आधुनिक तकनीक की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। पिछले 35 वर्षों तक हम ग्रामीण युवकों को आधुनिक तकनीक के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करा सके। ग्रामीण युवकों का सदा गांव छोड़कर पास के किसी नगर में बसने का इरादा होता है। ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा के अभाव के कारण होता है। यह खेद का विषय है कि आज भी ग्रामीण युवक कृषि में मशीनीकरण से अनभिज्ञ हैं। ग्रामसेवक भी अपना काम नहीं करते। एक बार हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इन ग्रामसेवकों को समुद्र में फेंक देना चाहिए। इसलिए गांवों में स्थिति को बदलना अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्येक गांव में ऐसे स्कूल खोले जाने चाहिएं जहां पर ग्रामीण युवकों को कृषि की आधुनिक तकनीक के बारे में प्रशिक्षण दिया जा सके। यदि शीघ्र ही यह उपाय नहीं किया गया तो यह निश्चित है कि निकट भविष्य में कृषि नष्ट हो जाएगी।

किसानों को उत्तम किस्म के बीज नहीं दिए जाते। मुझे ऐसा कहते हुए दुःख हो रहा है क्योंकि कृषि उत्पादक बीज पर ही निर्भर करता है। यह सही है कि हमारी सरकार ने कुछ अच्छी योजनाएं बनाई हैं लेकिन दुर्भाग्यवश इन योजनाओं से जुड़े हुए अधिकारी तथा अन्य व्यक्ति अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग कर रहे हैं। हम हर जगह बीजों में मिलावट के बारे में सुनते हैं। पिछले वर्ष मुझे ऐसे बीजों के कारण एक कड़वा अनुभव हुआ। मैं मक्का की सौ बोरी पैदावार की आशा कर रहा था जबकि मुझे एक बोरी भी नहीं मिल सकी। ऐसे खराब बीज मुझे दिए गए थे।

आर्गेनिक खाद और कृत्रिम उर्वरक भी हरित क्रांति में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वार्षिक कृषि प्रतिवेदन के कवर पृष्ठ पर उर्वरक की एक बोरी दिखाई गई है। मुझे समझ नहीं आता कि इन उर्वरकों को इतना महत्त्व क्यों दिया जाता है और आर्गेनिक खाद पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। हमारे देश में है :

19.1 करोड़	पशु
6.9 करोड़	भसें

** कन्नड में दिये गये मूल भाषण में अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री जी० एस० बसवराजू]

13.8 करोड़	भेड़-बकरियां
1.0 करोड़	सुअर
19.3 करोड़	चूजे (मुर्गी के)
1.0 करोड़	अन्य

इन सबके अतिरिक्त 70 करोड़ व्यक्ति हैं। हम कम्पोस्ट खाद क्यों नहीं बनाते ? व्यक्तियों और पशुओं के मल का क्या किया जा रहा है ? अधिकांश पशुओं के मल की खाद को जला दिया जाता है। गोबर तो दिल्ली में भी जलाया जा रहा है। इसे बड़ी मात्रा में बेकार गंवाया जा रहा है। बारह हजार पांच सौ करोड़ रुपयों की खाद प्रति वर्ष बेकार की जा रही है। मैं जब छोटा था तबसे मुझे मालूम है कि गोबर जलाया जाता है। आज भी वही प्रक्रिया जारी है। यदि यह प्रवृत्ति बनी रहती है तो किसानों की किस्मत अनिश्चित बनी रहेगी। मैं यह नहीं कह सकता कि कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग बिल्कुल न किया जाए। लेकिन उन्हें इतना महत्त्व क्यों दिया जाए जबकि इनका बाहर से आयात करना पड़ता है और इससे केवल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ही लाभ पहुंचता है। हमारे पास आर्गेनिक खाद का ही अधिकतम उपयोग करने का विकल्प बनता है। उन अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी जानी चाहिए जो किसानों को आर्गेनिक खाद प्रयोग करने पर राजी करने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें इस काम में मेहनत करनी होगी और वह अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। मैं इन अधिकारियों से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास हमारे देश में उपलब्ध हरी खाद की मात्रा का कोई हिसाब-किताब है। चीन में भूमि के सुधार के कई उपाय किए जाते हैं। मैंने रूस में भी ऐसा ही देखा है। वह मानव और पशुओं के मल को मिट्टी में मिलाकर इसकी किस्म में सुधार लाते हैं। इसके अतिरिक्त वह हमें उर्वरक निर्यात कर रहे हैं। इस दिशा में जर्मनी और जापान भी समुचित प्रगति कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहां भारत में हम इसे जला रहे हैं। यदि अगले दस से बीस वर्षों तक यह प्रथा जारी रही तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी और वहां केवल बंजर भूमि ही होगी, और पुनः हमें आयातों पर निर्भर रहना पड़ेगा। गाय का गोबर, सूखी पत्तियां, पशुओं का मल आदि का कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए सही उपयोग किया जाना चाहिए। इस बारे में सम्बन्धित अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। हमारी सरकार के पास कई अच्छे कार्यक्रम हैं लेकिन यह अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वे उन्हें पूर्णतया सफल बनाएं।

सिंचाई, कृषि का मुख्य आधार है। आजकल आप हमारे किसानों को सभी आवश्यक सुविधाएं नहीं देते आप सामान्य रूप से उन्हें पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं प्रदान करें। बाकी चीजों की वे खुद व्यवस्था कर सकते हैं। आज हमारे देश में 25 प्रतिशत भी सिंचित भूमि नहीं है। भारी मात्रा में पानी समुद्र में बह जाता है। बड़ी योजनाओं तथा बड़े उद्योगों की ओर जाने की बजाए हम सिंचाई पर अपना ध्यान केन्द्रित क्यों नहीं करते। वर्षा होनी बहुत कम हो गई है। यह सही समय है जबकि हम सिंचाई को उच्च प्राथमिकता दें। केवल यही सुविधा किसानों को उनके दुःखों से उभारेगी।

सहकारी सोसायटियां ऋण दिलाने में किसानों की सहायता नहीं कर रही हैं। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक 4 प्रतिशत की दर से ऋण दे रहा है। जबकि किसानों को सहकारी

समितियों को 14 प्रतिशत की दर से भुगतान करना पड़ता है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस मामले की जांच करें और कम दरों पर ऋण दिलाने में किसानों की मदद करें।

किसान कृषि में सुधार लाने के लिए उपयुक्त उपकरण न मिलने के कारण अपंग हैं। कृषि उद्योग किसानों की सहायता करने में ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं। यदि कोई किसान किराए पर ट्रैक्टर लेता है तो उसे कम से कम तीन सौ रुपये देने पड़ते हैं। किसानों को सस्ती दरों पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के लिए तुरन्त प्रबन्ध किए जाने चाहिए। किसान कृषि मूल्य आयोग से लाभप्रद मूल्य प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इस आयोग में किसानों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। किसानों के कृषि उत्पाद और धान आदि कम दरों पर खरीदा जाता है।

इसी प्रकार किसानों द्वारा उगाई गई रुई 5 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी जाती है। लेकिन धोती, जिसका वजन एक किलो होता है के लिए ग्राहक को 100 रुपये से ज्यादा का भुगतान करना पड़ता है। लाभानुभोगी कौन है ? इसका लाभ न तो उत्पादक को मिलता है और न ही ग्राहक को, बल्कि बिचौलिए को मिलता है। आज किसान की स्थिति दयनीय है। यदि गांधी जी जिन्दा होते तो उन्होंने इस संसद के समक्ष फांसी खा ली होती।

अधिकारा (8 प्रतिशत), व्यापारी (3 प्रतिशत), कारखाना कर्मचारी (6 प्रतिशत) तथा अन्य इस देश के सभी लाभों का आनन्द ले रहे हैं। लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि किसानों को लेवी प्रणाली के आधार पर सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्हें औजार और उर्वरक भी लेवी प्रणाली के आधार पर प्रदान किये जाने चाहिए। उन्हें चिकित्सा सम्बन्धी तथा अन्य सुविधाएं भी मिलनी चाहिएं। यदि किसानों को ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो वे देश की तस्वीर को बदल सकते हैं। वे शहरों के लोगों को गांवों की ओर आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। केवल तभी हमारे 'महात्मा' का स्वप्न सच होगा।

कृषि के क्षेत्र में बागवानी एक महत्त्वपूर्ण पहलू है जिसे सभी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता है। हमारे देश में सभी प्रकार के फल उगाए जा सकते हैं। विश्व भर में हमारे देश की जलवायु सबसे उत्तम है। फव्वारे द्वारा सिंचाई को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह शर्म की बात है कि कर्नाटक में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को बागवानी विभाग का निदेशक बनाया गया है। क्या उन्हें ऐसे पदों के लिए विशेषज्ञ किसान नहीं मिल सकते हैं ? हर जगह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियुक्त करने का पागलपन क्यों किया जाता है ? बागवानी के सभी कार्यक्रमों में किसानों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर में कम से कम फल का एक वृक्ष उगाया जाना चाहिए। फलदार पौधे और फूलदार पौधे उगाए जाने चाहिए। वृक्षारोपण कार्यक्रम बड़ी तेजी से शुरू किया जाना चाहिए। मत्स्य पालन को अधिकतम मात्रा में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा ऐसे अन्य कार्यक्रम किसानों के लिए वरदान हैं। मैं स्वर्गीय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी का उनके अनूठे 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए आभारी हूं। हमारे युवा प्रधान मंत्री भी किसानों की सभी प्रकार से सहायता करने के लिए उत्सुक है। लेकिन सरकार की आशा के अनुरूप अधिकारी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ राज्य भी 20 सूत्री कार्यक्रम को ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ठेकेदारों तथा कुछ

[श्री जी० एस० बसवराजू]

ग्रामीण अधिकारियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसे ठीक प्रकार चलाया जाना चाहिए और धन का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाए गरीब किसानों की सहायता की जानी चाहिए। केवल तभी हमारा राष्ट्र अमीर बन सकता है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में बिचौलिया, किसानों को भेड़, पशु, भैंस आदि देते समय लाभ प्राप्त कर रहा है। इसके बजाए, किसानों को पम्प सट तथा अन्य सिंचाई सुविधाएं प्राप्त करानी चाहिए। ग्रामीण श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम में भी बिचौलिया किसानों का शोषण कर रहे हैं।

किसानों का जीवन अधिक सुखी बनाने के लिए मैं अपने प्रिय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी तथा कृषि मंत्री श्री बूटा सिंह जी को निम्नलिखित सुझाव दे रहा हूं :—

1. सभी किसानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा;
2. सभी सुविधाएं किसानों के घर तक पहुंचनी चाहिए;
3. किसानों को वे सभी लाभ मिलने चाहिएं जो सरकारी कर्मचारियों को मिल रहे हैं;
4. कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारित करते समय कृषि को उद्योग के रूप में लिया जाना चाहिए;
5. सभी गांवों का शहरों की तरह विकास किया जाना चाहिए। गांवों को आवास सुविधाएं, सामान्य बायो-गैस संयंत्र आदि तुरन्त प्रदान किए जाने चाहिएं।

इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : माननीय सभापति जी, सैंतीस वर्षों के बाद आज हम एग्रीकल्चर और रूरल डवलपमेंट पर बात कर रहे हैं। मेरे से पहले जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह आवेश और आन्दोलन से किसान मर रहा है। किसान की हालत देश में कैसी है और किसान को किस तरह से लूटा जा रहा है।

चाहे उन्होंने हिन्दी में न देकर, अपना भाषण मलयालम या कन्नड़ में दिया··· (व्यवधान)··· तिवारी जी, आपको तो समझ में आ गया होगा··· (व्यवधान)···बहरहाल, उन्होंने अपने भाषण में किसानों का ही रोना रोया किसानों की समस्याओं की चर्चा की··· (व्यवधान)···मैं तो हिन्दी में ही बोल रहा हूं। लेकिन जितने यहां कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने भाषण में बजट का तो समर्थन किया मगर किसानों के बारे में चर्चा की। हम में और उनमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि उधर बैठने वाले लोग बजट का समर्थन करते हैं लेकिन सरकार की निन्दा करते हैं और इधर बैठने वाले लोग बजट का विरोध करते हैं और सरकार की भी निन्दा करते हैं···।

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : नहीं समर्थन करते हैं।

श्री० सी जंगा रेड्डी : आपने इस मंत्रालय से सम्बन्धित जो किताब हमें दी है, उसमें बताया गया है कि पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष 150 मिलियन टन गल्ला अधिक पैदा हुआ है। लेकिन इस दफ़ोत्तरी के लिए किसको धन्यवाद देना चाहिए, किसको बधाई देनी चाहिए, क्या सरकार को, बिल्कुल

नहीं, उसका हकदार किसान है, जिसने मेहनत करके पैदावार बढ़ाई है··· (व्यवधान) बी० जे० पी० को देने की जरूरत नहीं है··· (व्यवधान) ···आपका यह कहना बिल्कुल अर्थहीन है कि सरकार की नीतियों की वजह से पैदावार में वृद्धि हुई। यदि सरकार की नीतियों की वजह से पैदावार बढ़ती है तो जिस साल बारिश नहीं होती, ड्रौट की स्थिति पैदा हो जाती है, अकाल पड़ जाता है, उस साल सरकार की नीतियों की वजह से फसल अच्छी क्यों नहीं होती। इस वृद्धि का कारण अच्छा बारिश होना है, प्रकृति की कृपा का होना है और क्लाइमेटिक कण्डीशन्स का अच्छा होना है। क्योंकि जिस साल अकाल पड़ जाता है, या पानी नहीं बरसता, तो सरकार कहती है कि हम क्या करें, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया इसीलिए पैदावार अच्छी नहीं हुई, धान की पैदावार अच्छी नहीं हुई। यदि कोई अच्छी बात हो जाती है तो सरकार उसका क्रैडिट अपने ऊपर लेने की कोशिश करती है और कोई अप्रिय घटना होने पर उसका दोष प्रकृति, बारिश या किसी दूसरी चीज पर डालने का प्रयत्न करती है। जिस तरह सरकार अपने आपको बहुत बड़ा समझती है, यह दुर्भाग्य की बात है। हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि चाहे बारिश हो या न हो, पानी हो या न हो, हमारी फसलों की पैदावार किसी भी सूरत में कम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं, क्या इंतजाम किया है, उसका कोई विवरण नहीं है··· (व्यवधान) ···

श्री बूटा सिंह : सभापति जी, अभी माननीय सदस्य ने तीन कण्डीशन्स का जिक्र किया, बारिश हो तो प्रभु को, बारिश न हो तो किसान को···

श्री सी० अंगा रेड्डी : जिस वक्त बारिश होती है तो उसके पानी को बांध बनाकर प्रयोग में लाना चाहिए···

श्री बूटा सिंह : आप जिस प्रान्त से आते हैं, उनका कहना है कि वहां तीन साल से लगातार बारिश नहीं हुआ, उसके बावजूद भी फसलों की पैदावार, उत्पादन बढ़ रही है।

श्री सी० अंगा रेड्डी : उसका कारण यही है कि हमने पानी को बांध कर रखा है बड़े-बड़े बांध बना रखे हैं।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उनको कांग्रेस सरकार ने बनवाया था।

श्री सी० अंगा रेड्डी : कांग्रेस सरकार ने बनवाया होगा, लेकिन जनता के पैसे से इसलिए मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि सरकार को ज्यादा-से-ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। यह फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री है जब आप कहते हैं कि मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट या मंत्री महोदय के वहां जाने से ज्यादा पैदावार हो गया। आप बताइये कि आपने सिंचाई का प्रबन्ध कितना बढ़ाया, किसान को कितनी कम कीमत पर फर्टीलाइजर सप्लाई किया। आप सिर्फ किसानों ने जो मेहनत की होती है, उसको यहां लाकर पार्लियामेंट में बता देते हैं और कह देते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है जब कि सारा श्रेय देश के किसानों और जनता को जाता है। आप बताइये आपने पिछले साल के मुकाबले सिंचाई के प्रबन्ध कितने बढ़ाये। (व्यवधान) अभी एक वक्ता ने बताया···

इस प्रकार सिंचाई का प्रबन्ध होना चाहिए। एग्रीकल्चर में किसान को हमने क्या साधन दिए हैं ? (व्यवधान) ···ये लोग तो देना चाहते हैं। गवर्नमेन्ट के हिसाब से कर्जा 13, 14 परसेन्ट इंटरेस्ट पर मिलता है, पानी समय पर नहीं मिलता, फिर भी किसान कुएं खोदकर पानी की व्यवस्था करता

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

है। कुएं से पानी निकालने के लिए पम्प यदि वह लगाए, तो बिजली नहीं मिलती, किन्तु फिर भी किसान ट्यूब वैल से पानी निकाल कर अपनी खेती को उगाता है। इतनी मुश्किल से पैडी और गेहूं का उत्पादन करता है फिर भी उसका शोषण होता है। बड़े-बड़े व्यापारी गल्ला खरीदते हैं सस्ते दामों पर किसान से, मगर फिर भी उपभोक्ता को कम दाम में नहीं मिलता।

एक माननीय सदस्य : आप यहां पर किसान की वकालत कर रहे हैं या उपभोक्ता की ?

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं किसान की बात ही कर रहा हूं। इसका कारण क्या है, हम जानते हैं··· (**व्यवधान**)···मैं, तो किसान की पैरवी कर रहा हूं। भारत सरकार जिस दाम पर खरीदती है उस दाम पर कंजूमर को नहीं देती। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि रेम्युनरेटिव प्राइस पर किसान को देना चाहिए।

पिछले दो साल से गन्ने का भाव कम होने के कारण हमको चीनी बाहर के देशों से मंगानी पड़ रही है। गन्ने के दाम बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया ? (**व्यवधान**)···हम तो जानते हैं, कांग्रेस वाले पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं··· (**व्यवधान**)···इसलिए चीनी का भाव दो रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए कर दिया··· (**व्यवधान**)···सभापति जी, कांग्रेस में इतनी इंडिसिप्लिन है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर मैं तेलुगु भाषी, हिन्दी में बोल रहा हूं, तो उसको आप सुनने की कोशिश करें।

एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में केवल डिग्री कोर्स है। उसमें दो साल का डिप्लोमा कोर्स बनाना चाहिए और एग्रीकल्चर असिस्टेंट और बी० डी० ओ० के बीच में कोई अधिकारी नहीं है। गांव-गांव में जाकर एग्रीकल्चर के बारे में प्रचार करने के लिए, सुझाव देने के लिए, जो एग्रीकल्चर ग्रेज्युएट्स हैं। उनके बीच में एक आदमी को डिप्लोमाधारी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दो साल का डिप्लोमा कोर्स बनाना चाहिए।

हमको बैंक्स से लोन मिलता है और उसका इंटरेस्ट हमसे 4 परसेन्ट लेते हैं, लेकिन किसान को लोन 13,14 और 18 परसेन्ट पर लोन मिलता है। कामर्शियल बैंक्स तो 18 परसेण्ट से कम पर लोन नहीं देती। कोआपरेटिव सेक्टर में कई बैंक्स हैं जिनसे हमको कई तरह के लोन्स मिलते हैं। लेकिन ये लोन्स हमको समय पर नहीं मिलते। इसलिए मेरा निवेदन है कि समय पर लोन दिलाने के लिए एक प्लान होना चाहिए और उसके मुताबिक किसी एक बैंक द्वारा कम-से-कम 6 परसेण्ट पर किसान को लोन मिलना चाहिए। ट्रैक्टर के लिए लोन जल्दी मिलता है, लेकिन क्रॉप लोन मिलना बहुत मुश्किल होता है। ट्रैक्टर को लोन इसलिए जल्दी मिल जाता है क्योंकि ट्रैक्टर बनाने वाले बैंकों से मिल जाते हैं और उनको बता देते हैं कि हमारे पास ट्रैक्टर बहुत हैं, इसलिए आप लोन जल्दी सैंक्शन कर दें, इसके लिए वे बैंक वालों को रिश्वत भी देते हैं जिससे ट्रैक्टर लोन जल्दी-जल्दी स्वीकृत करें।

इंडस्ट्रियलिस्ट, बैंक जो पैसा देते हैं, उनको मैनेज कर के डाक्टरों को जल्दी लोन देते हैं परन्तु जहां पर मिलना चाहिये, उनको नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जल्द-से-जल्द कम सूद पर किसानों को लोन मिलना चाहिए।

रूरल डैवलपमेंट के बारे में दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूं। एन० आर० ई० पी०, एल० आर० ई० जी० पी० और एम० एन० पी० ये पूरे डवलपमेंट के लिए हैं। कई हमारे भाइयों ने बताया

कि उनको डायरेक्ट अनाज मिलना चाहिए चाहे जनता सरकार में हों चाहे इस सरकार में, लेकिन किसी सूरत में लेबर को डायरेक्ट अनाज नहीं मिलता।

हम जानते हैं मस्टर रोल बनाते हैं, 10 लोग काम करते हैं तो सुपरवाइजर 15 लोगों की हाजिरी डालकर 10 को पैसा देते हैं। रूरल डेवलपमेंट के जो प्रोगाम हैं चाहे सड़क बनाने के लिए हों, हास्पिटल, स्कूल, प्राइमरी स्कूल बनाने के हों उनको एक ही रूप में देना चाहिए और वह कांट्रेक्टर के द्वारा देना चाहिए। जितना भी पैसा सरकारी बाबूओं की जेब में जा रहा है, आप एक मर्तबा कमेटी बनाइये।

हमने आंध्र प्रदेश की सरकार को बताया कि एन० और इ० पी० एम० आर० ई० जी० पी० और एम० एन० पी० का जितना भी पैसा है उसमें से 50 प्रतिशत बड़े-बड़े लोगों और सरकारी नौकरोंजेब की में जा रहा है इसलिए इसको उचित व्यवस्था बनाकर देना चाहिए।

श्री शांति पारीवाल (कोटा) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए अपने माननीय मंत्री श्री बूटा सिंह जी को हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूं क्योंकि जब से उन्होंने कृषि मंत्री का पद संभाला है, अनाज का एक्सपोर्ट उन्होंने चालू कर दिया है। कई बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोली हैं, लेकिन क्योंकि मुझे 2 मिनट का समय दिया गया है, इसलिए मैं दो तीन योजनाओं पर ही बोलना चाहता हूं।

एन० आर० ई० पी० का मूल उद्देश्य श्रमिकों को रोजगार के अवसर देना तथा ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने हेतु टिकाऊ स्वरूप की सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है, लेकिन बड़े दुःख की बात है कि रोजगार तो हम उपलब्ध कराते हैं लेकिन उन मजदूरों को मिनिमम वेजेज हम उपलब्ध नहीं करा पाते। मस्टर रोल में 10 आदमी काम करते हैं तो उसमें 15 के नाम जोड़ दिये जाते हैं। जूनियर इंजीनियर और सरपंच का झगड़ा इसी पर चलता रहता है। एन० आर० ई० पी० के तहत देखने में आया है कि 50 परसेंट लेबर कम्पोनेन्ट का और 50 परसेंट मैटीरियल कम्पोनेन्ट का झगड़ा है। जो मजदूरी वहां पर आंकी जाती है वह 2 रुपये और ढाई रुपये प्रति मजदूर पड़ती है। इसको देखा जाना चाहिए। एक तरफ सरकार मिनिमम वेजेज दिलाना चाहती है और दूसरी तरफ सरकार ही अपनी तरफ से 2, ढाई रुपये देती है।

टिकाऊ स्वरूप की परिसम्पत्तियां इस योजना से नहीं बन पाती हैं क्योंकि धन के अभाव के कारण 50 परसेंट लेबर कम्पोनेन्ट को देना पड़ता है और 50 परसेंट मैटारियल कम्पोनेन्ट को देना पड़ता है। इससे एस्सेट्स जैनरेट नहीं की जा सकतीं, जब कि इस प्रोजना का मुख्य लक्ष्य है कि एस्सेट्स जैनरेट करना और रोजगार दिलाना। इनकी पूर्ति के लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए।

एन० आर० ई० पी० में एलोकेशन आफ फंड्ज का जो आधार है, मार्जिनल फारमर और एग्रीकल्चर लेबर की संख्या का 75 परसेंट और 25 परसेंट निर्धनता के प्रभाव पर दिया जाता है, वह गलत है। इस प्रकार के एलोकेशन से रीजनल डिस्पेरिटी बढ़ती है। यह प्रोग्राम कहीं नहीं बताता कि सरप्लस लेबर को कैपिटल फार्मेशन में हमें काम में लगाना है। मेरा निवेदन है कि डिस्ट्रिक्ट लेबर पर प्लानिंग बाडीज बननी चाहियें जो कि जिले के लिए पूरी प्लान करें, वही मंजूरी दें, तब योजना में सुधार आ सकता है।

[श्री शांति पारीवाल]

सरकार के पास खाद्यान्न का भंडार भरा पड़ा है, उसे काम में लाने के लिए श्रमिकों को पूरी मजदूरी का अनाज देकर तथा मैटीरियल कम्पोनेन्ट को भारत सरकार से मिलने वाली 50 प्रतिशत की राशि से पूरा करना चाहिए।

तथा मेनन्टीनेंस के लिए राज्य सरकार को धन जुटाना चाहिए। आज 50 प्रतिशत भारत सरकार और 50 प्रतिशत राज्य सरकार देती है। परन्तु यह बराबर अंशदान का आधार बदलना चाहिए क्योंकि राज्यों के पास धन का अभाव है जिससे वह इसको अच्छी तरह से इम्पलीमेंट नहीं कर सकते, इसलिए एक हद तक इसको हमें बदलना पड़ेगा।

एक ट्राइजम योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलायी जाती है। उनके लिए निवेदन है कि जिन लोगों को हम हजारों रुपया खर्च करके ट्रेनिंग देते हैं वह फिर बेरोजगारों की तरह घूमते हैं। न बैंक से लोन मिलता है, न डी० आर० डी० ए० आगे मदद करते हैं। हम उनसे वायदा करते हैं कि ट्रेनिंग ले लो, धंधा खोल देंगे, उसके बाद वह दर-दर घूमते हैं। इसके लिए बैंकों को निर्देश होना चाहिए और पाबंदी होनी चाहिए कि अमुक आदमी को इतना लोन दिया जायेगा।

सातवें प्लान में आर०एल०ई०जी०पी० और एन०आर०ई०पी० के लिए 10500 करोड़ का प्रावधान है परन्तु इनफ्लेशनरी प्रेशर जो कि इसके द्वारा क्रियेट होगा, का ध्यान नहीं रखा गया है।

छठी पंचवर्षीय योजना में 1500 से ऊपर की जनसंख्या वाले सभी गांव व 1000 से 1500 के बीच की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को 1990 तक सभी मौसमों में काम आने वाली सड़कों से जोड़ने की परिकल्पना की गई थी, परन्तु जिस रफ्तार से यह काम चला उससे यह संभव प्रतीत नहीं हो सका। आजादी के 37 वर्ष बाद भी आज हजारों गांव सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। 1990 तक अर्थात् सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक 500 की जनसंख्या वाले हर गांव को सम्पर्क सड़क से जोड़ा जाना चाहिए।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : सभापति महोदय, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुदानों के समर्थन के सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आजादी के बाद जहां देश की बहुत आबादी बढ़ी, उसके साथ-साथ खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, परन्तु विषमता दोनों में है और हमारे देश में प्रतिवर्ष सवा दो करोड़ की आबादी बढ़ती है, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। यह नितांत आवश्यक है कि हमारे देश का खाद्यान्न उत्पादन बढ़े। यह सही है कि आपने खाद्यान्नों का निर्यात करने की घोषणा की है, लेकिन इसके पूर्व इस पर विचार करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा न हो कि हम विदेशी मुद्रा कमाने के लालच से अपने देशवासियों को खाद्यान्न न दे सकें। उत्पादन बढ़ाने के लिए दो ही तरीके हैं जो हमारे देश के अन्दर आज लाखों एकड़ बीहड़ ऊसर बंजर भूमि परती पड़ी है उसके लिए युद्ध स्तर पर एक भूमि सेना का निर्माण करें जिससे देश के अन्दर पांच वर्षों के दौरान एक भी इंच भूमि परती न रहे।

साथ-साथ इस बात की आवश्यकता है कि जो सघन खेती है उसमें अच्छा बीज, पानी और खाद उचित मात्रा में दें ताकि लोग उत्पादन बढ़ा सकें।

एक बात जिस को सभी ने कहा है कि आज किसान जो चीजें उत्पादित करता है उसका

उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है। आज खेती की लागत बहुत बढ़ गई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लागत बढ़ती जा रही है। आज उद्योगपति है वह अपनी चीज बनाते हैं, उसका मूल्य खुद निश्चित करते हैं लेकिन कितनी विडम्बना है कि किसान जो पैदा करता है उसका दाम आज व्यापारी तय करते हैं, उपभोक्ता तय करता है। उसकी वजह से आज किसानों में बड़ी निराशा फैली है।

महोदय, कभी-कभी आलू ज्यादा पैदा होता है, कभी गन्ना ज्यादा पैदा होता है जिससे वह किसान परेशान हो जाता है, उसको वितरण का बाजार में उचित मूल्य नहीं मिलता है। इस बात को भी मंत्री जी देखें। आलू के 50 रुपये प्रति क्विन्टल दाम तय किये हैं परन्तु क्रय केन्द्र नहीं खोले हैं। इसलिए आवश्यक है कि उनको आप देखें।

आपने गांवों की बेकारी दूर करने के लिए योजनायें बनायी हैं जैसे ग्रामीण विकास योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम गरीब किसानों और भूमिहीनों तक नहीं पहुंच पाते। उनको लाभ न होकर बीच के लोग लाभ उठाते हैं।

बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक ही जगह से कर्ज लेते हैं इसकी आप व्यवस्था करें। रिजर्व बैंक ने भी इस बात को कहा है कि हर किसान की पास-बुक होनी चाहिए। कुछ राज्यों ने तो इसको किया है।

इसके साथ-ही-साथ मैं मत्स्य विभाग के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। इस सम्बन्ध में अभी हमारे मित्र ने काफी कह भी दिया है। हमारे जो मछुवारे हैं वे समुद्र में मछलियां पकड़ते हैं जहां पर बड़े आदमियों के जहाज पड़े हैं लेकिन उसमें 70 प्रतिशत कंट्रिब्यूशन मछुआरों का ही है, बड़े आदमियों का कंट्रिब्यूशन केवल 30 प्रतिशत ही है लेकिन फिर भी उन बेचारों को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। हमारे यहां गांवों में भी तालाब और नदियां हैं और मल्लाह भी वहां रहते हैं लेकिन उनको लाभ पहुंचाने के लिए कोई योजना नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी जी ने मछुवा कल्याण बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की है परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम स्पष्ट नहीं हुआ है। मेरा अनुरोध है कि मछुओं का कल्याण करने के लिए पग उठाए जाने चाहिएं ताकि उनकी स्थिति सुधर सके।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, 1983-84 में हमारे देश में 15 करोड़ 15 लाख मी० टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ जो कि भारत के लिए अद्वितीय उपलब्धि है। इस उपलब्धि के लिए हमारे देश के किसान तथा हमारे कृषि वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। हमने अपने देश में खाद्यान्न का उत्पादन तो बढ़ा लिया लेकिन वैज्ञानिक बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों के उपयोग से जो अनाज एवं साग-सब्जियां पैदा होती हैं उनकी क्वालिटी में बहुत अन्तर आ गया है, उनकी क्वालिटी बहुत इंफीरियर हो गई है। तीस वर्ष पहले जब रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होता था तब खाद्यान्न और सब्जियों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी लेकिन अब क्वालिटी खराब होती जा रही है। अब स्थिति यह हो गई है कि बाजरे में कोई स्वाद और पौष्टिकता नहीं रह गई है। इसी प्रकार से पोटेटो में भी कोई पौष्टिकता नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जिस प्रकार से हम वैज्ञानिक उपलब्धियों की ओर बढ़ रहे हैं हमें खाद के लिए गोबर गैस प्लान्ट्स पर अधिक-से-अधिक

[श्री बुद्धि चन्द्र जैन]

ध्यान देना चाहिए। गोबर-गैस प्लान्ट्स बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आजकल अधिकतर गोबर जलाने के काम में लाया जाता है, लकड़ी की कमी के कारण, तो इसको बन्द करना चाहिए।

इसी प्रकार से हमारे देश में तिलहन बहुत कम पैदा हो रहा है। हमारे क्षेत्र बाड़मेर और जालौर जिले में इसका भाव 345 रुपए क्विंटल है जबकि सरकार द्वारा समर्थन मूल्य 385 रुपए है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की ओर से जालौर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट्स में कोई पर्चेज नहीं की जा रही है जबकि कुछ अन्य जिलों में हो रही हैं। सरकार को इसका प्रबन्ध वहां करना चाहिए।

हमारे जोधपुर में जो अनुसंधान कार्य करने के लिए इंस्टीट्यूशन हैं उसका लाभ किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। सैंड-ड्यूल्स को स्टैबलाइज करने के लिए अनुसंधान किए गए हैं तथा वेर भी उन्होंने निकाले हैं लेकिन डेजर्ट एरियाज में किसानों तक उसका कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है।

सभापति महोदय, रूरल डेवलपमेंट का जितना भी कार्य है वह गांव पंचायत तथा समितियों के द्वारा होता है परन्तु बहुत से प्रदेशों में गांव पंचायत समितियों के चुनाव नहीं हुए हैं और यह संस्थायें डिफंक्ट हैं इसलिए रूरल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम हैं वह वहां पर कार्यान्वित नहीं हो पाते हैं। असेम्बलीज और पार्लियामेंट के चुनाव तो समय पर होते हैं उसी प्रकार से इन गांव पंचायतों एवं पंचायत समितियां के चुनावों की भी स्थायी व्यवस्था भी होनी चाहिए।

विशेष तौर से मैं एक बात कहना चाहता हूं, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हमारे 21 डिस्ट्रिक्ट्स और हैं और केन्द्रीय सरकार की ओर से 50 प्रतिशत कन्ट्रीब्यूशन दिया जाता है। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 10 प्रतिशत ग्रांट एवं दस प्रतिशत लोन मिलता है। हिल एरिया से ज्यादा हमारे डैजर्ट डेवलपमेंट की स्थिति खराब है। स्थिति के अनुरूप ही केन्द्रीय सरकार को सहायता देनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत वे प्लानिंग कमीशन में कोशिश करें, जिससे अधिक-से-अधिक राहत हम को मिल सके। हमारे यहां अकाल की स्थिति भी बहुत भयंकर है। अकाल की स्थिति को मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से जो टीम निरीक्षण करने के लिए जाती है, उसकी रिपोर्ट आने में दो-दो महीने लग जाते हैं और सहायता समय पर नहीं मिलती है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारे क्षेत्र को राहत पहुंचाने के लिए समय पर अधिक-से-अधिक रिलीफ पहुंचाने की ओर कदम उठाने चाहिएं।

इन शब्दों के साथ मैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

**श्री हरिहर सोरन (क्योंझर) : मैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत की कुल जनसंख्या का दो तिहाई हिस्सा अपनी जीविका कृषि से कमाता है। इसलिए कृषि पर अधिक बल दिया जाना आवश्यक है। हम अपनी

** उड़िया में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आधी राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त करते हैं। छठी योजना में और 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि को उच्चतम प्राथमिकता दी गई थी। मुझे खुशी है कि वर्ष 1985-86 के बजट में भी इसे अपेक्षित महत्त्व दिया गया है।

कुछ दशकों पहले देश में अनाज की कमी थी। लेकिन अब हम अनाजों में न केवल आत्म-निर्भर हो गए हैं बल्कि हम निर्यात भी कर रहे हैं।

महोदय, यह बड़े खेद की बात है कि अभी भी अनाजों के उत्पादन में कुछ क्षेत्रीय असंतुलन मौजूद हैं। पूर्वी क्षेत्र परम्परा से अनाज का भंडार समझा जाता रहा है। लेकिन अब यह क्षेत्र कृषि उत्पादन में पिछड़ रहा है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे पूर्वी क्षेत्र के किसानों को आवश्यक सहायता दें ताकि वे अनाज का अपना उत्पादन बढ़ा सकें। उसके साथ-साथ दूध, अण्डे, समुद्री उत्पादों, फलों और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए। रुई, चाय, कहवा, तम्बाकू, काजू, पटसन तथा मसालों के उत्पादन मे भी वृद्धि करना आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में मेरे सुझाव को नोट करेगी।

अब मैं मंत्री महोदय के ध्यान में उड़ीसा के किसानों की कठिनाइयों को लाना चाहूंगा। महोदय, उड़ीसा एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की कुल आय का दो-तिहाई भाग कृषि से आता है। परन्तु यह खेद की बात है कि उस राज्य में अनाज के उत्पादन में कोई बढोतरी नहीं हुई है। इसका मुख्य कारण वहां के लोगों द्वारा खेती के पुराने तरीके अपनाया जाना है, किसानों को खेती के आधुनिक तरीके अपनाने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया है। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों मे सिंचाई सुविधा प्रदान नहीं की गई है। किसान खेती के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं।

महोदय, उड़ीसा में चावल मुख्य फसल है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे उड़ीसा राज्य को चावल की फसल का विकास करने के लिए पर्याप्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करें। अधिक उपज देने वाली फसलें काफी भूमि पर बोई जाना चाहिए।

चावल के बाद गेहूं उड़ीसा की दूसरी महत्त्वपूर्ण फसल है। राज्य सरकार गेहूं की गहन खेती के लिए एक पायलट परियोजना शुरू कर रही है। भारत सरकार को उस पायलट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।

उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्र का जलवायु दालों, बाजरा और तिलहनों की खेती के लिए बहुत अनुकूल है। यदि खेती के विद्यमान तरीके का विविधिकरण कर दिया जाए और अधिक पहाड़ी भूमि दालों, मोटे अनाजों तथा तिलहनों की खेती की जाए तो उन फसलों से उड़ीसा के लोगों की आय कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए इन फसलों के पर्याप्त विकास के लिए योजनाएं कार्यान्वित की जानी चाहिए।

कृषि के विकास के लिए मूल आदान अच्छा खाद, उन्नत किस्म के बीज और सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के विकास के लिए ये मूल चीजें प्रदान करने हेतु आवश्यक प्रबन्ध किए जाने चाहिए। पौधों पर महामारी तथा कीटों का आक्रमण होने से पहले पौधों के संरक्षण सम्बन्धी पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिएं। अधिक गांवों में कृषि विस्तार योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। उड़ीसा राज्य में अधिक संख्या में कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी कालेज खोले जाने

[श्री हरिहर सोरन]

चाहिए। अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को यह सलाह दी जानी चाहिए कि वे किसानों को खेती का आधुनिक तरीका अपनाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु गांवों में जाएं।

महोदय, उड़ीसा राज्य को लगभग प्रतिवर्ष अकाल, तूफान तथा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ और तूफान ने उड़ीसा में काफी संख्या में जानें ली हैं और खाद्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। उड़ीसा को अभूतपूर्व बाढ़ों से बचाने के लिए कानपुर, अपर कोसलाब और इंद्रावती जैसी परियोजनाएं शीघ्र पूरी की जानी चाहिए। उड़ीसा राज्य को समुद्री तट पर वृक्षारोपण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। सर्दियों में वर्षा न होने के कारण उड़ीसा के कई क्षेत्र अब भयंकर अकाल की चपेट में हैं। मेरी यह मांग है कि भारत सरकार द्वारा अकाल पीड़ित क्षेत्रों मे राहत कार्यों के लिए पर्याप्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

भूमि के कटाव के कारण उड़ीसा के किसानों के बीच भारी चिन्ता पैदा हो गई है। राज्य के 13 जिलों में से 9 जिले एक या अन्य प्रकार के भूमि कटाव से ग्रस्त हैं। प्रतिवर्ष खेती योग्य भूमि का काफी क्षेत्र इस कारण से नष्ट तथा खराब हो जाता है। इसके अलावा, राज्य की काफी भूमि में अधिक आयोडिन होने के कारण कम उत्पादन होता है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे उड़ीसा राज्य को भू-संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न उपायों को कार्यान्वित करने के लिए सौ प्रतिशत सहायता प्रदान करें।

महोदय, पहाड़ी क्षेत्रों का काफी क्षेत्र झूमिया खेती से प्रभावित है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में झूमिया खेती पर नियंत्रण करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं।

राज्य में उपलब्ध विपणन तथा भण्डारण सुविधाएं अपर्याप्त हैं। अतएव, उड़ीसा और अन्य पिछड़े राज्यों में अधिक संख्या में गांवों में गोदामों का निर्माण किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त विपणन सुविधाएं सृजित की जानी चाहिएं ताकि किसान अपने उत्पादों को उचित मूल्य पर बेच सकें।

महोदय, उड़ीसा के 480 किलोमीटर लम्बे समुद्री क्षेत्र में तथा राज्य के भीतर के पानी और खारा पानी में भी मत्स्य-पालन के विकास के लिए काफी गुंजाइश है। केन्द्र सरकार को उड़ीसा राज्य को मत्स्य-पालन विकास के लिए सभी सम्भव मदद देनी चाहिए।

महोदय, मुझे खुशी है कि छठी योजनावधि में बागवानी के विकास के लिए अपेक्षित ध्यान दिया गया है। कई राज्यों में बागवानी विभाग को कृषि से अलग कर दिया गया है। उड़ीसा में भी बागवानी के लिए एक अलग निदेशालय बनाया गया है। लेकिन बागवानी का विकास करने के लिए अलग से बागवानी निदेशालय बनाना ही पर्याप्त नहीं है। भारत सरकार को ऐसी योजनाएं शुरू करनी चाहिए और पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक से अधिक संख्या में आम और अनानास के पेड़ लगाए जाने चाहिएं। तटीय क्षेत्रों म केले और नारियल के वृक्षारोपण को तेज किया जाना चाहिए। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे ऐसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त धन दें।

महोदय, मैं इस बात के लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया और इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामसमुझावन (सैदपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। माननीय कृषि मंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री जी ने जो बजट 1984-85 का सदन में पेश किया है, मैं उसके पक्ष में बोलना चाहता हूं।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, यह सबको विदित है कि देश की आजादी के पहले हमारे देश में खेती कम होती थी। यहां के लोगों को खाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं मिलता था। लेकिन देश की आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा हमारे देश ने कृषि में कितनी प्रगति की है कि आज यह देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ दूसरे देशों को भी गल्ला दे रहा है। लेकिन साथ ही मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे देश में कृषि पर जितने लोग आधारित हैं सबके पास खेती नहीं है। उनमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो मजदूर के रूप में खेती में काम करते हैं लेकिन उनको भरपेट खाना भी नहीं मिलता है। इसका कारण यह है कि सरकार का ध्यान इस बात की ओर नहीं गया है कि गांवों में जो जमींदार लोग हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन है, वे गरीबों को मजदूरी देकर काम कराते हैं। वे चाहते हैं कि मजदूरों से काम तो लिया जाए, लेकिन उनको इतना पैसा न दिया जाए जिससे उनका पेट भर सके। आज हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की यही समस्या है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिन भर परिश्रम के बाद केवल एक किलो अन्न उनको दिया जाता है जिससे वे गरीब अपना पेट भरते हैं। बहुत से गरीब तो ऐसे हैं जो वहां के अत्याचारों से ऊब कर बड़े शहरों में चले जाते हैं, जहां वे रिक्शा खींचते हैं या अन्य प्रकार के मजदूरी के काम करते हैं और गांव में कभी-कभी आते हैं। मैं सरकार से इस बात के लिए आग्रह करूंगा—आज आवश्यकता इस बात की है कि खेती पर निर्भर 80 प्रतिशत लोग जो गांवों में रहते हैं, जिनमें से अधिकांश के पास जमीनें नहीं हैं, उनको जमीनें देकर मजदूरी के काम से छुटकारा दिलाने की कोशिश की जानी चाहिए।

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर गरीबों को जमीनें दी गई थीं लेकिन वे ऐसी जमीनें हैं जो खेती करने के लायक नहीं हैं, या तो नदी के किनारे हैं या गड्ढे वाली जमीनें हैं जिनमें खेती नहीं कर सकते हैं। यदि उनको खेती करने के लिए बाध्य करना है तो आवश्यकता इस बात की है कि देश के सभी प्रान्तों में जो सीलिंग की जमीन निकली है, वह उन गरीबों को दी जाए। जैसा कि मेरे पूर्ववक्ता ने बताया है ऐसे भी लोग हैं, जिनके पास कई हजार एकड़ जमीन पड़ी हुई है और वह जमीन उन्होंने अपने बेटे-बेटी, पोते-पोती और यहां तक कुत्तों के नाम पर कर रखी है लेकिन जो गरीब आदमी है, उसको जमीन नहीं मिली। आवश्यकता इस बात की है कि सीलिंग की व्यवस्था कराकर ऐसे लोगों को जमीन दी जाए, जो खेती पर निर्भर हैं और जिनके पास जमीन नहीं है। अगर आप सचमुच में गांवों को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो गांवों में स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, स्कूल हों और सड़कें हों और गांवों में जो कार्य कराए जाएं, वे सच्चाई के साथ कराए जाएं। आज तो यह देखा जाता है कि आज जो योजनाएं चल रही हैं, उनमें अधिकांश रुपया, 50 परसेन्ट रुपया सरकारी अधिकारियों और बड़े-बड़े लोगों की जेबों में चला जाता है, जिससे देश का विकास नहीं होता। ज्यादातर पैसा उन लोगों की जेबों में चला जाता है, जो भ्रष्टाचारी हैं। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि देश का विकास तेजी से हो सके।

[श्री रामसमुझावन]

कृषि की फसल बीमा योजना जो बनाई गई है, उसका मैं स्वागत करता हूं और साथ-साथ यह चाहता हूं कि पशु बीमा योजना भी बनाई जानी चाहिए।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी भी गांव में मुसहर जाति के लोग रहते हैं, जो आज भी पेड़ के नीचे और झोंपड़ों में रहते हैं, और पत्तल और लकड़ी से अपना जीवन-यापन करते हैं। उनके पास न तो रहने की कोई जगह है और न खत हैं। सरकार को चाहिए कि उस जाति की तरफ विशेष ध्यान देकर कोई ऐसी योजना बनाए जिससे उनको रोजी-रोजगार मिल सके और वे अपना जीवन-यापन कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

**श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : सभापति महोदय कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांगों के बारे में बोलते हुए मैं यह कहूंगा कि मुझे बहुत निराशा हुई है। मुझे विशेष रूप से निराशा इसलिए हुई है कि हमारे माननीय मंत्री महोदय कृषक परिवार से हैं वे हमारे किसानों की कठिनाइयों को भी जानते हैं। चूंकि वे किसानों की रग-रग से वाकिफ थे इसलिए मुझे आशा थी कि वे कृषक समुदाय के साथ न्याय करेंगे मुझे आशा थी कि यह बजट पहले वाले बजट से अलग होगा। मुझे इस बजट में बहुत से ऐसे परिवर्तनों की आशा थी। जिनसे कृषि क्षेत्र में क्रान्ति आ जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से, महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरी सभी आशाओं को झूठा साबित कर दिया है। दुबारा वही पुराने ढर्रे पर चला आ रहा बजट हमारे सामने है इससे कोई नई बात नहीं है इसमें किसानों के लाभ के लिए कोई नई योजना नहीं है। यह बजट सरकार की आमूल चूल परिवर्तन करने की नई सोच नहीं दर्शाता जो इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र को जड़ता से उबारने के लिए अनिवार्य है। इसमें कोई ठोस बात नहीं है। यह प्राणहीन है। यह निर्जीव सा है। यह केवल औपचारिकता मात्र है। मेरी आत्मा इन मांगों का समर्थन करने की गवाही नहीं देती।

महोदय किसान जिन लोगों की इन अनुदानों की मांगों से आशा कर सकते हैं वो इसमें बिल्कुल नहीं हैं। अभी-अभी जब श्री जंगा रेड्डी बोल रहे थे तो माननीय मंत्री जी ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए दावा किया था कि गत वर्ष इस देश के किसानों ने 150 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन किया है। यह बहुत अच्छी बात है। हमने अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन किया है। इस बात पर हर व्यक्ति को गर्व है। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह रिकार्ड उत्पादन करने वाले कौन लोग हैं? उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है? उनको उनकी मेहनत का कैसे और कितना लाभ दिया गया है। क्या आपने उनके तथा उनकी तकलीफों के बारे में कभी सोचा है?

महोदय, ये ही लोग सारा साल प्राकृतिक विपदाओं का बहादुरी से मुकाबला करते हुए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमारे लिए अधिक से अधिक भोजन पैदा किया जा सके। फिर भी उनकी दशा बड़ी दयनीय है। उनके पास अपना कुछ भी नहीं है। वे लगातार भुखमरी के कारण सूखकर कांटा हो गये हैं। उनके पास रहने को झोपड़ी भी नहीं हैं। वे कर्ज में दबते जा रहे हैं। क्या किसी ने

**तेलुगु में दिये गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उनकी तकलीफ के बारे में सोचा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि किसान को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। उनको इस हद तक वंचित किया गया है कि अपनी फसल वहां बेचने की बात भी नहीं सोच सकता जहां वह उसका अच्छा मूल्य प्राप्त कर सके। उसे इतनी आजादी नहीं है कि वह अपनी फसल बाजार में ले जा सके जहां वह उचित लाभ की आशा कर सकता है। आपने अनाज के लाने-ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिये हैं। किसान अपने राज्यों, अपने जिलों तथा तालुकों में ही अपनी फसल बेच रहे हैं। आज ऐसी स्थिति है किसानों को अपनी फसल आसानी से ले जाने से वंचित करने के लिए कृत्रिम सीमाएं बना दी जाती हैं। महोदय, ये प्रतिबंध केवल खाद्यान्न ले जाने तक ही सीमित नहीं है अब किसानों को इतनी आजादी नहीं है कि जो अपनी मर्जी की फसल बो सकें। उनको बताया जा रहा है कि क्या बोना है और क्या नहीं बोना है। वे अपनी पैदावार अपनी मर्जी के मूल्य पर नहीं बेच सकते। उनको आपके अन्तहीन प्रतिबन्धों को सहना है। एक-एक करके आपने उनके सभी अधिकार छीन लिए। यह सब महाभारत की याद दिलाता है कौरवों की सभा में जहां वयोवृद्ध और बुद्धिमान व्यक्ति उपस्थित थे, द्रौपदी का चीर हरण हुआ था। पर सब चुप बैठे रहे। वहां द्रौपदी के बहुत से सम्बंधी तथा अन्य लोग भी थे लेकिन उसको बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। इसी प्रकार इस सभा में कृषक परिवारों के बहुत से लोग उपस्थित हैं। श्री एन०जी०रंगा भी यहां हैं। वे "रैयत बान्धव" के रूप में जाने जाते हैं। और भी कई व्यक्ति हैं। जितने भी व्यक्ति इस सदन में आते हैं वे किसानों से अपने पिछले रिश्ते भूल जाते हैं। वे किसानों के हितों तथा अधिकारों को भूल जाते हैं। जबकि किसानों के अधिकारों को छीनने के प्रयास किये जा रहे हैं, वे इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वे किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ये ही लोग**...व्यवधान वह बात भूल गये हैं कि वे किसानों केप्रतिनिधि हैं वे ऐश्वर्य में यह बात भूल जाते हैं कि वे किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए यहां आए हैं। वे इतनी विलासिता में डूब जाते हैं कि इन्हें किसानों के हित याद ही नहीं रहते। किसानों को उनके यहां होने का कोई लाभ नहीं है। वे हमारे गरीब किसानों की दुर्दशा को भूलते जा रहे हैं। महोदय, सर्वप्रथम किसी किसान की किसी कर्मचारी से तुलना कीजिए। चाहे कर्मचारी मांग करें या ना करें सरकार एक दो तीन बार और ऐसे ही महंगाई भत्ते की किश्तें देती है। लेकिन किसान की हालत क्या है ? उसे मुश्किल से दिन में एक बार भोजन मिल पाता है।

(व्यवधान)

इस प्रकार आपने किसानों के सभी अधिकार छीन लिये हैं

श्री अजय मुशरान (जबलपुर): ऐसा लगता है कि संसार में केवल वे ही गए मात्र कृषक हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो शब्द इस्तेमाल किया है, वह बहुत ही आपत्तिजनक है। उसे प्रोसिडिंग्स में से निकाल दिया जाये और उन्हें हिदायत दी जाये कि वह ऐसी बात सदन में न कहें।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

श्री वी० कृष्ण राव : मैं माननीय के० रामचन्द्र रेड्डी को बताना चाहता हूं कि हमें भी किसानों के हितों का उतना ही ख्याल है।

सभापति महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा। यदि उसमें कोई आपत्तिजनक बात है तो मैं उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा।

श्री वी० कृष्ण राव : हम किसानों के प्रति अधिक से अधिक सहानुभूति दिखा रहे हैं। हम भी कृषक समुदाय से हैं यहां हम एक किसान की हैसियत से बैठे हैं। हम कुछ भी नहीं भूले हैं। यह बात आपकी जानकारी के लिए है। सरकार पर आरोप मत लगाइये। हमारे दिल में भी ऐसी भावनाएं हैं।

(व्यवधान)

आप रामाराव से पूछिये, हमसे नहीं।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : केवल किसानों की दुर्दशा की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि अब इस बारे में काफी जागरूकता है। प्रत्येक सदस्य को चाहे वह किसी भी दल का हो, उसे इसका समर्थन करना चाहिये तथा किसानों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। सभी के लिए किसानों का हित सर्वोपरि होना चाहिए। मेरा यही आशय है। इसी आशय से मुझे कुछ कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे प्रत्येक सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुंची।

महोदय, बहुत मेहनत करने पर भी किसान की अपनी पैदावार का मूल्य निर्धारित करने में कोई सुनवाई नहीं। एयर कंडीशंड, बहुमंजिली इमारतों, बड़ी-बड़ी इमारतों में बैठने वाला कोई अन्य व्यक्ति कृषि उत्पादन का मूल्य निर्धारित करता है। यह एक त्रासदी है। श्री श्री, जो एक विख्यात कवि तथा जो देश विख्यात कवियों में से हैं, का कहना है कि विश्व में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पसीने का मूल्य आंक सके। इस प्रकार, महोदय, देश के किसान को प्राप्त सभी अधिकार एक-एक करके छीने जा रहे हैं। उनके लिये कोई सुविधा नहीं है। उनके लिये पीने का पानी तक नहीं है, चावल के ग्रास की तो बात ही छोड़ दीजिये। उनके लिये बिजली नहीं है। यद्यपि वे बिजली के कनेक्शनों के लिये बहुत बार अनुरोध करते हैं। उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। यहां, दिल्ली में, हम देखते हैं कि 50 मंजिली इमारतों के अन्तिम फ्लट तक पीने का पानी पहुंचाया जाता है। दूसरी तस्वीर हमारे निर्धनता से ग्रस्त गांवों को दर्शाती है, जो इसके बिल्कुल ही उलटी है। दिल्ली में, आप देखेंगे कि हर 10 गज पर स्ट्रीट लाइट है जो रात को दिन बना देती है और किसानों के लिये न केवल रात अंधेरी है बल्कि दिन में भी अंधेरा है। बिजली के कनेक्शन देने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता है। हमारे ग्रामीण तथा शहरी भारत के बीच यह उलटी स्थिति है। महोदय यही कारण है कि मैं गरीब किसानों को बचाने की बात कहता हूं। उनके उद्धार के लिये समेकित प्रयास किये जाने चाहिएं। इसमें राजनीतिक संबंधों का कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक सदस्य को अपने राजनीतिक संबंधों को भूलकर आगे आना चाहिये तथा किसानों के कल्याण के लिए मेहनत करनी चाहिये। उनके अधिकार छीनने के हर प्रयास के खिलाफ हमें मिलकर मुकाबला करना चाहिए। हमें भूखे रह रहे किसानों के लिये

आवाज उठानी चाहिये। सरकारी कर्मचारी मंहगाई भत्ते की किस्तें लेते हैं चाहे वे इसकी मांग करते या नहीं। लेकिन इन किसानों को कुछ भी नहीं दिया जाता, यद्यपि वे दिन-रात पसीना बहाते हैं।

(व्यवधान)

महोदय, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दी गई राशि भी कम कर दी गई है। इस संबंध में मैं एक महत्वपूर्ण बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। महोदय, कृषि के विकास में, ऋण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वित्तीय संस्थाओं ने 297 करोड़ रु० के ऋण दिये हैं। लेकिन इस वर्ष यह राशि कम होकर केवल 155 करोड़ रु० रह गई है। क्या यह देश के किसानों के लिये सहायक सिद्ध होगी ? कृपया इस पर विचार करें। नियतन कम करने से उर्वरकों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। गत वर्ष रासायनिक उर्वरकों के लिये 452 करोड़ रु० की राशि रखी गई थी। इस वर्ष यह कम होकर 255 करोड़ रु० रह गई है। क्या इससे हमारे किसानों को मदद मिलेगी ? मैं यह पूछता हूं। कृपया इस पर विचार करें।

महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी निवारण के लिये बहुत सी योजनाएं तथा कार्यक्रम शुरू किये गये थे। लेकिन क्या इनसे किसानों को कोई लाभ भी हुआ ? आज भी इनकी हालत वही है। ग्रामीण विकास के लिये आबंटित राशि बिचौलियों, स्वार्थी तथा छोटे राजनीतिज्ञों और कर्मचारियों द्वारा हड़प ली जाती है। केवल ये ही लोग अमीर बन रहे हैं। किसानों को इन कार्यक्रमों का कोई लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि धनराशि उन तक नहीं पहुंच पा रही। किसानों की दशा वैसी ही है जैसी पहले थी।

महोदय, मुझे अवसर देने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं तथा इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, हमें सभा का समय तीन घंटे बढ़ाना चाहिए।

श्री एस० एम० गुरड्डी (बीजापुर) : आप चार घण्टे ले लीजिए लेकिन आज नहीं परसों लीजिए।

श्री गुलाम नबी आजाद : 2, 3, और 4 मई को कई विषयों पर विचार-विमर्श किया जाना है। इसलिए अब समय नहीं बचा है।

श्री एस० एम० गुरड्डी : महोदय यह कृषि मन्त्रालय से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अनुदान मांगें हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : इसीलिए हम सभा का समय बढ़ाना चाहते हैं। अन्यथा आप अन्य मन्त्रालयों से संबंधित मांगों पर विचार-विमर्श करने से वंचित रह जाएंगे इसलिए सभा का समय बढ़ाकर हम अब इस पर विचार-विमर्श करना चाहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आज हमारे पास कुछ निश्चित कार्यक्रम हैं। इसे 2 मई को हम जारी रखेंगे।

श्री वी० सोमनाद्रीसवरा राव (विजयवाड़ा) : 2 तारीख को हम कुछ अधिक समय के लिए बैठेंगे।

श्री गुलाम नबी आजाद : यदि हम अभी समय बढ़ा भी दें तो भी 2 तारीख को हमें देर तक बैठना पड़ेगा। इसलिए अब हम कम से कम दो घण्टे का समय बढ़ाते हैं।

श्री मूल चन्द डागा : हमें निमंत्रण दिया गया है·····

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कृषि मन्त्रालय संबंधी अनुदान मांगों पर सरकार ज्यादा रुचि नहीं दिखा रही।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अतः मुझे आशा है कि सदन सभा की कार्यवाही दो घण्टे बढ़ाने के लिए सहमत है।

अब माननीय राज्य मंत्री बोलेंगे।

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चंद्राकर) : सभापति महोदय, आज के वाद-विवाद में लगभग 47 सदस्यों ने भाग लिया हैऔर 40 अतिरिक्त सदस्य अभी इंतजार कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि सदस्य इस मन्त्रालय संबंधी अनुदान मांगों पर उत्सुकता से रुचि ले रहे हैं। उन्होंने अनेक सुझाव भी दिए हैं। वे बहुमूल्य हैं और निर्णयों तक पहुंचने से पहले उन पर विचार किया जायेगा।

महोदय ग्रामीण विकास मूल रूप से कुछ वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ। 20 सूत्री कार्यक्रम विशेष रूप से गरीबी हटाने के लिए है। गरीबी की रेखा के नीचे असंख्य लोग हैं। उनकी प्रतिशतता चाहे कुछ भी हो लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना में सुस्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि गरीबी हटाने के कार्यक्रम के द्वारा गरीब जनता की प्रतिशतता घटाकर 10 प्रतिशत कर दी जाएगी। गरीबी हटाना कार्यक्रम का अर्थ है कि गरीबी की रेखा के नीचे देश के लोगों की प्रतिशता चाहे कुछ भी रही हो यह प्रतिशतता 1994-95 तक घटाकर 10 प्रतिशत कर दी जाएगी। इसीलिए यह एक विशाल कार्यक्रम है, यह इस प्रकार का कार्यक्रम है कि विश्व के किसी जनतांत्रिक देश ने इतने व्यापक स्तर पर कोई और ऐसा कार्यक्रम नहीं किया और इसका श्रेय हमारी स्वर्गीय प्रधानमन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी को जाता है जो 20 सूत्री कार्यक्रम के आरम्भ से ही देश के ग्रामीण इलाकों, जहां हमारी 80 प्रतिशत जनसंख्या रहती है, के विकास पर जोर देती रही थी।

6.00 म० प०

यह इतना व्यापक कार्यक्रम है। जैसा कि आप सब जानते हैं छठी पंचवर्षीय योजना के समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत एक करोड़ पचास लाख परिवारों, जो लाभग्राही होंगे, शामिल करने का लक्ष्य था। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमने लक्ष्य को पार कर लिया है और इस कायक्रम से लगभग एक करोड़ 60 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं यह एक व्यापक कार्यक्रम है इसलिए यह कोई आसान काम नहीं है। जहां तहां कुछ कमियां हो सकती हैं।

सबसे पहली बात, ग्रामीण लोगों, पंचायतों तथा स्थानीय विधान सभा सदस्यों और संसद सदस्यों को इसमें शामिल करना है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : कहां ?

चन्दूलाल चन्द्राकर : उस विषय पर मैं आऊंगा। प्रत्येक जिले में एक ग्रामीण विकास एजेंसी है जिसमें संसद के संबंधित सदस्य हैं और उनसे यह आशा की जाती है कि वे जिलों के कार्यक्रम तैयार करे, इनका कार्यान्वियन करें और उन पर निगरानी रखें। लेकिन इसके साथ-साथ इससे असंख्य लोगों और पंचायतें सम्बद्ध हैं, जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है, ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां वर्षों से पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। इसको ध्यान में रखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री श्री बूटा सिंह ने एक महीने पहले समस्त राज्यों को एक पत्र लिखा जिसमें यह कहा गया कि जहां कहीं भी पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं वहां वे शीघ्रता से चुनाव करायें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हमने पंचायत पद्धति अपनाई है। सारे देश में पंचायतें हैं। लेकिन उनके वित्तीय संसाधन बहुत कम हैं। इसलिये पत्र में सुस्पष्ट रूप से कहा गया है कि पंचायतों के संसाधनों को बढ़ाया जाये ताकि वे ग्रामीण विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों में अधिक प्रभावी रूप से भाग ले सकें। 31 मार्च को समाप्त छठी पंचवर्षीय योजना में 1994-95 तक गरीबी की रेखा के नीचे वाली जनसंख्या को 10 प्रतिशत से कम तक लाने का लक्ष्य है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में इसी लक्ष्य को दोहराया गया है। इस लक्ष्य के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता सुदृढ़ और अपरिवर्तनीय है। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की इच्छा शक्ति विद्यमान है।

आप जानते हैं कि यह कार्यक्रम प्रारम्भ में 300 खण्डों में शुरू किया गया था। लेकिन बाद में 1981 से यह पूरे देश के 5092 खण्डों में क्रियान्वित किया जा रहा है प्रत्येक खण्ड में 600 व्यक्तियों अर्थात् लाभ ग्राहियों को चयन करना आसान काम नहीं है। उनके चयन में कुछ कमी रह सकती है। लेकिन सभी राज्यों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि यह निर्णय ग्राम पंचायत लेगी कि प्रत्येक खण्ड के ग्रामीण इलाके में सर्वाधिक निर्धन कौन है। भारत सरकार के अनुदेश हैं कि जब वे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत निर्धनतम व्यक्ति का चयन करें तो उनका नाम बोर्ड पर एक सूची में लगाया जाये ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि वे कौन हैं। यह बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। कुछ राज्यों ने हो सकता है कर दिया हो और कुछ राज्यों ने न किया हो। हमें शिकायत प्राप्त हुई हैं कि कुछ राज्य ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम राज्य सरकारों के ध्यान में बार-बार लाते रहे हैं कि यह सही बात होगी कि लाभग्राहियों का उचित रूप से चयन किया जाये। इस विषय में कोई गलती नहीं होनी चाहिये। लेकिन यहां वहां कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि लोगों का चयन उचित रूप से नहीं

[श्री चन्दूलाल चन्द्राकर]

हुआ। कई बार हमें पत्र प्राप्त हुए हैं कि चयन करने में कुछ कमियां रह गई हैं। हम इन मुख्य कमियों से अवगत हैं।

ये कमियां हैं, लाभ ग्राहियों का अनुपयुक्त चयन, प्रति परिवार निवेश का नीचा स्तर, किसी योजना को चलाने के लिए परिवार की क्षमता और इच्छा को देखे बगैर किसी विशेष प्रकार के निवेश का आधिक्य, गरीबी की रेखा से ऊपर उठने में लाभग्राहियों की ऊंची असफलता की दर, सामान्य अवसंरचना से लाभग्राहियों के कार्यकलापों के लिए समर्थन की कमी, कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कमजोर प्रशासनिक अवसंरचना, लाभ प्राप्त कर्ताओं के अतिरिक्त लाभग्राही समूहों का योगदान न होना तथा अन्तिम कदाचार तथा अपव्यय।

कुछ ऐसी कमियां हैं जिनसे हम पहले ही अवगत हैं। अब उन कमियों को जान लेने के पश्चात हमें उनके समाधान निश्चित ही पता लगाने हैं। इसलिए हम वर्तमान कार्यप्रणाली में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। कार्यक्रम के विचाराधीन एक परिवर्तन यह है कि गरीबी के प्रभाव के आधार पर धनराशियों का आवंटन किया जाएगा न कि प्रति खण्ड के लिए एक नियत दर की धनराशि के रूप में। दूसरे ऐसे परिवार जिनसे पहले अपर्याप्त रूप से सहायता की गई थी के लिए अतिरिक्त धनराशि की सहायता दी जाएगी।

तीसरे कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि अपर्याप्त प्रारम्भिक निवेश के परिणामस्वरूप आय में अपर्याप्त वृद्धि होती है और अन्त में लाभग्राही सम्पत्ति पर स्वामित्व नहीं जमा पाता। इसलिए नये परिवारों को दी जाने वाली सहायता से वृद्धि करने का प्रस्ताव है ताकि वे गरीबी की रेखा पार करने के लिए अपनी आय में पर्याप्त वृद्धि करने में सक्षम हो सकें।

छठी योजना के दौरान अनेक लाभग्राहियों को संस्थागत सहायता प्राप्त नहीं थी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभग्राहियों को आवश्यक संस्थागत सहायता देने के लिए विभिन्न विभाग आगे आयें। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित धनराशियों का एक अंश अवसंरचनात्मक समर्थन में पर्याप्त संतुलन प्रदान करने के लिए अलग रखा जायेगा।

लाभग्राही व्यक्तिगत तौर पर बाजार की शक्तियों से मुकाबला करने में बड़ी कठिनाई अनुभव करेंगे। इसलिये एक सामूहिक प्रयास और मिला जुला कार्यक्रम आरम्भ किया जायेगा ताकि ग्रामीण निर्धनों को बाजार के प्रतिकूल शक्तियों के दमन से बचाया जा सके चाहे वह दमन आदानों की सप्लाई के बारे में हो या उनके उत्पाद की बिक्री के बारे में हो।

अन्त में यह सुझाव दिया जाता है कि इतने व्यापक स्वरूप का कोई भी कार्यक्रम भावी लाभग्राहियों के संगठनात्मक प्रयासों के बगैर गुणात्मक रूप से महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। लाभग्राहियों में जागरूकता पैदा करने के लिये और उनकी सौदा करने की शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें संगठित करने का विचार है. जितना अधिक हमें इसमें सफलता मिलेगी उतनी ही अपव्यय और कदाचार संबंधी आरोपों में कमी आयेगी।

हम जानते हैं कि हमें अपने लोगों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने की बहुत जरूरत है। जिस राज्य में अधिक जागरूकता है उसमें यह कार्यक्रम अधिक सफल रहा है और कुछ राज्यों में उन लाभग्राहियों की प्रतिशतता जिन्होंने गरीबी की रेखा पार कर ली है 50, 60 या 65 भी है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां उन लाभग्राहियों की प्रतिशतता जिन्होंने गरीबी की रेखा पार कर ली कम है अर्थात् 30 या 40 प्रतिशत है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम लोगों में जागरूकता पैदा करें उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के प्रति और बताएं कि वे कदाचार कैसे रोक सकते हैं। उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए·····

(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : इस सभा का प्रत्येक सदस्य आपके कार्यक्रम का समर्थन करता है···

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मेरे विचार से आप उस समय यहां नहीं थे जब मैंने कहा था कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां बनाई गई हैं। संसद के सभी सदस्य, विधान सभा के सभी सदस्य इसके सदस्य हैं वे ही कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करती हैं और इस पर निगरानी रखती हैं हमारे परिपत्र परिचालित होते हैं और यह बार-बार उनकी जानकारी में लाया जाता है।

(व्यवधान)

नहीं नहीं !

श्री जी० एस० बसवराजू : संसद सदस्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से सम्बद्ध हैं।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : नहीं। नहीं। हमने यह बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है। विभिन्न राज्यों को पत्र, एक या दो बार नहीं बल्कि तीन बार भेजे गये। क्या आप जानते हैं। जिला ग्रामीण विकास अधिकरण के सदस्य कौन कौन होते हैं। इसका अध्यक्ष कलेक्टर होता है। इसमें राज्य सरकार, केन्द्रीय सहकारी बैंक और भूमि विकास खण्ड के प्रतिनिधि होते हैं। जिला परिषदों के अध्यक्ष, लीड बैंकों के वरिष्ठतम अधिकारी जिला औद्योगिक केन्द्र के महाप्रबन्धक भी इसके प्रतिनिधि होते हैं। कमजोर वर्गों के दो प्रतिनिधि होते हैं। इनमें से एक अनुसूचित जाति से तथा दूसरा अनुसूचित जनजाति से होता है। ग्रामीण महिलाओं की एक प्रतिनिधि होती है और इसमें संसद सदस्य, विधान सभा के सदस्य और परियोजना अधिकारी होते हैं। ये सब डी० आर० डी० ए० के सदस्य होते हैं।

(व्यवधान)

अभी मैं यह कह रहा था कि ग्रामीण लोगों में सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करना अत्यन्त अनिवार्य है। इसे आपके ध्यान में लाना मैंने आवश्यक समझा। इसलिए यह मैं बता रहा हूं और यदि यह नहीं हो सका तो हम दुबारा पत्र लिखेंगे। हम अवश्य ही राज्य सरकारों को दोबारा पत्र लिखेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : प्रत्येक सदस्य को सम्बन्धित जिला कलैक्टर को पत्र लिखना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मैं आपको बताता हूं कि संसद सदस्य को क्यों नहीं बनाया जाना चाहिये। यदि आप संसद सदस्य को अध्यक्ष बना देंगे तो इसकी बैठक कभी नहीं होगी। अनेक लोग बैठक में उपस्थित नहीं होंगे। ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं।

(व्यवधान)

मैं इसे आपके ध्यान में ले आया हूं। आप अपने अधिकारों का उपयोग कीजिए।

श्री जी० एस० बसवराजू : लोक सभा सदस्यों को विकास समिति का अध्यक्ष अवश्य बनाया जाये।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या संसद सदस्यों को खण्ड स्तरीय समितियों में शामिल किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता सकता हूं। मेरे विचार से सभापति महोदय ने एक उचित प्रश्न उठाया है जो आपके दिमाग में है। खण्ड स्तर पर यह निश्चित रूप से संभव नहीं है। जिला स्तर पर पूरी आयोजना की जाती है।

(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : चेयरमैन का तो सवाल ही नहीं उठता। वह चेयरमैन नहीं हो सकता दो सदस्य बहुत कुछ कर सकते हैं।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : इसीलिए आप जिला स्तर की बात कर रहे हैं? ब्लाक स्तर पर, आप पहले ही जानते हैं—कि 5,092 ब्लाक हैं मुझे विश्वास है कि ब्लाक स्तर की बैठकों में अधिकतर सदस्य शामिल नहीं हो सकेंगे। (व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मन्त्री महोदय ने जो कुछ कहा है उसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रत्येक संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में से एक ब्लाक का चयन कर सकता है। आन्ध्र प्रदेश में ऐसे ही हो रहा है इसलिए सदस्य परेशान क्यों होते हैं? मुझे इसका कारण समझ में नहीं आता। यदि उन्हें सूचना नहीं दी गई है। तो ये हमारा कर्त्तव्य है कि हम सम्बद्ध जिलाधीश को लिखें और उनसे पूछें कि उन्हें सूचना क्यों नहीं दी गई।

एक माननीय सदस्य : जब हम ब्लाक स्तर पर नहीं होते हैं तो हमें निमंत्रित कैसे किया जाएगा? (व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : प्रत्येक सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र में से एक ब्लाक का चयन करने की अनुमति होती है। **(व्यवधान)**

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : अब हमें आगे की कार्यवाही करनी चाहिए। इस पर हमने बहुत समय ले लिया है। **(व्यवधान)**

मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण विकास सम्बन्धी सभी गतिविधियों के लिए जिला स्तर पर योजनाएं बनाई जाती हैं और आप न केवल एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम बल्कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के भी सदस्य हैं; जिले में जो भी ग्रामीण विकास होता है, आप उसके प्रभारी हैं—ताकि आप जिले के देख-रेख कर सकें···

(व्यवधान)

श्री सी० अंगा रेड्डी : राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के लिए निधियां जिला परिषद स्तर पर निर्भर करती हैं। इसके लिए अलग बोर्ड नहीं है। किन्तु एकीकृत ग्रामीण विकास बोर्ड नाम का एक बोर्ड है जिसके बारे में आपने पढ़ा। आपने योजना अधिकारी आदि के बारे में चर्चा की। किन्तु वे जल्दी-जल्दी बैठकों का प्रायः आयोजन नहीं करते। आप उन्हें आदेश दें कि वे जल्दी-जल्दी बैठक बुलाएं।

[हिन्दी]

तीन महीने में एक बार मीटिंग बुलाने की सूचना दीजिए।

[अनुवाद]

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर : इसे जिला ग्रामीण विकास एजेंसी कहा जाता है यह जिले के सभी कार्यक्रमों को देखता है। यदि जिलाधीश को पीठासीन अधिकारी नहीं बनाया जाता ··· **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : यह चुने गए सदस्यों के लिए शर्म की बात है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : यदि संसद सदस्यों को जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का चेयरमैन बनाया जाता है तो मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूं कि बैठक महीनों तक नहीं हो सकेगी। इस विषय में राज्य सरकारों से भी बात होनी चाहिए। हमें इसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बना दिया जाना चाहिए। हमें कार्यक्रम को कार्यान्वित करना है इसलिए यह सुझाव दिया गया है··· **(व्यवधान)**

श्री एडुआर्डो फैलीरो : आपने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं किन्तु और भी किया जा सकता है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मैंने सिर्फ एक विषय को ही उठाया है। अन्य विषय भी हैं।

(व्यवधान)

श्री के०वी० शंकर गौडा माण्ड्या: मन्त्री जी को अपनी बात स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। इतना शोर हो रहा है कि कुछ भी समझा नहीं जा सकता। मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि मन्त्री महोदय को अपनी बात स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त समय दें उसके बाद हम अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करेंगे।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : किसी तरह का कोई शोर नहीं होना चाहिए। बात स्पष्ट होनी चाहिए। अत: ग्रामीण लोगों को जागरूक करने के लिए हम 10 या 15 या 20 मिनट की अवधिवाली लघु फिल्में तैयार करते हैं जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि के सम्बन्ध में हुई प्रगति को दिखाया गया है और ये फिल्में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ले जायी जानी चाहिए। आप जानते हैं प्रत्येक जिले में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी होते हैं।··· **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : एन० आई० ई० पी० और आर० एल० जी० ई० पी० के जो पैसे हैं वह सारे बड़े लोगों के हाथ में चले जाते हैं। **(व्यवधान)**

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : रेड्डी साहब आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आप खुद रेड्डी साहब हैं, रेडी रहते हैं' थोड़ा-थोड़ा मैं भी रेडी रहता हूं। **(व्यवधान)**

श्री सी० जंगा रेड्डी : यह गम्भीर मामला है सारा पैसा सुपरवाईजर के हाथ में जा रहा है।

[अनुवाद]

सुपरवाईजर स्वयं चेक की राशि निकलता है और एजेंट को देते हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : आपको इसीलिए डिस्ट्रिक्टस कमेटी का मैम्बर रखा है कि आप देखें कि कहीं करप्शन न हो। यह देखने के लिए आपको रखा गया है।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : गैर कांग्रेसी सदस्य 20 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। इससे बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मन्त्री महोदय जी प्लानिंग कमीशन वाले जो इसको चला रहे हैं वह बहुत गड़बड़ करते हैं। लेबर को डायरेक्ट पेमेंट देना चाहिए। जो 10 रुपये का काम होता है तो 30 रुपये··· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री सोमनाथ रथ) (आसका) : कृपया मन्त्री महोदय को भाषण समाप्त

करने दें। और तब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं हमें मन्त्री महोदय की बात सुनने दें।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० के जो पैसे है—यह बड़े लोगों के हाथ में जाते हैं। इससे लिए डायरेक्टर लेबर को पेमेंट होना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने यह पहले भी कहा है। उसी बात को दोहरा क्यों रहे हैं? आपने जो कहा है वह मन्त्री महोदय ने सुन लिया है।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : यह स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी के थ्रू होता है। इसके अलवा आप यह नहीं कह सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह उसको इम्प्लीमेंट करें। आप स्टेट गवर्नमेंट पर विश्वास न करें। तो हम क्या करें सेंट्रल गवर्नमेंट भी उतनी ही रिस्पांसिबल है; जितने हम लोक सभा के संसद सदस्य हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : शब्दशः परिचर्चा नहीं हो सकती।

[हिन्दी

श्री सी० जंगा रेड्डी : महोदय, हमको केन्द्रीय सरकार पर भरोसा है और राज्य सरकार पर भी भरोसा है। मगर वहां पर प्लानिंग कमीशन वाले बोल रहे हैं कि डायरेक्ट फूड ग्रेन्स लेबर को मिलना चाहिए।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : आप बैठिए, मैं आपको बताता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया मन्त्री जी की बात सुनें।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : एन० आर० ई० पी० फंड डायरेक्ट लेबर को देना चाहिए।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : एन० आर० ई० पी० के फंड किसको दें। स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले तो किसको भेजें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री आर० एस० माने (इचलकरांजी) : मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे सभी मुख्य मन्त्रियों को अनुदेश जारी करें कि वे संसद सदस्यों को शामिल करके अब से बिना किसी वाद-विवाद में पड़े बैठक बुलाएं, जब यह बात सच है कि इन सबमें संसद सदस्य सम्मिलित नहीं हैं अतः मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे सभी मुख्य मंत्रियों के लिए अनुदेश जारी करें कि आगे से संसद सदस्यों को विश्वास में लिया जाये।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मैंने आपको यह बता दिया है कि आप एक सदस्य हैं। हमने मुख्य मंत्रियों को तीन बार पत्र भेजे हैं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : यह ठीक नहीं है कि शब्दशः वाद-विवाद किया जाये।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : सातवीं योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से, तथा मन के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए बेहतर योजनायें बना कर कड़ी निगरानी तथा समुचित व्यवस्था द्वारा ग्रामीण रोजगार की संभावनायें पैदा करने पर मुख्य बल दिया जायेगा।

हम इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर अधिक बल दे रहे हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए विशेष प्रयास, सुग्राहयता का निश्चित स्तर तथा गरीब लोगों की समस्याओं के प्रति उत्तरदायित्व आदि की आवश्यकता है, हमारे कुछ अधिकारियों में जिनकी कमी है। परियोजना बनाने और परियोजना कार्यान्वयन तथा परियोजना मूल्यांकन को गरीबों के उत्थान के संदर्भ में देखा जाना चाहिये। इसलिए एन० आई० आर० डी० को सर्व-प्रमुख निकाय मानते हुए हम ग्रामीण विकास के राज्य स्तरीय संस्थानों को समर्थन देकर और राज्यों में विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों को समर्थ बनाकर प्रशिक्षण संस्थानों के पूर्ण संरचनात्मक ढांचे को विकसित कर रहे हैं। हम जिला संयुक्त ग्रामीण तकनीकी केन्द्रों को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए उत्कृष्ट केन्द्र होंगे और जो ग्रामीण क्षेत्रों को विज्ञान तथा तकनीकी के प्रसार के केन्द्र होंगे।

श्री जायनल अबेदीन ने पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक 1981 के बारे में बात उठाई थी। उन्होंने कहा कि यह भारत सरकार के पास लम्बित पड़ा है। महोदय, भारत सरकार ने विधेयक के कुछ पहलुओं पर कुछ कानूनी तथा अन्य मामले उठाये हैं जिनकी सूचना राज्य सरकार को भेज दी गई है। अतः विधेयक अब भी इसी कारण से राष्ट्रपति की स्वीकृत के लिये पड़ा हुआ है।

राजस्थान से एक माननीय सदस्य श्री जुझार सिंह ने राजस्थान भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों के विषय में बात उठाई। सरकार का ध्यान भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी दो कानूनों के एक साथ होने तक पुराने सीमा सम्बन्धी कानूनों के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग सीमायें निर्धारित करने के कथित अन्तर की ओर दिलाया गया। राजस्थान सरकार से इस

बारे में रिपोर्ट मंगाई गयी थी किन्तु अभी तक हमें उत्तर नहीं मिला।

राजस्थान से मेरे मित्र श्री बुद्धिचन्द्र जैन मरुस्थल विकास कार्यक्रम में बहुत अधिक रुचि दिखा रहे हैं। मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977-78 में आरम्भ करके पांचवी योजना के अन्त तक केन्द्र द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों के अन्तर्गत चलाया गया था। छठी योजना से कुल लागत का वहन राज्य तथा केन्द्र दोनों मिल कर कर रहे हैं।

राजस्थान सरकार ने आग्रह किया है कि थार मरुस्थल को पहाड़ी क्षेत्रों की भांति एक अलग भौगोलिक स्थान समझा जाना चाहिए और उन्होंने 560 करोड़ रुपए की एक योजना प्रस्तुत की है जिसका वित्त पोषण पूर्णतया केन्द्रीय सरकार द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के आधार पर किया जाए जैसाकि पर्वतीय क्षेत्र की विकास योजनाओं के मामले में किया जाता है। इस मामले पर योजना आयोग और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है। सातवीं योजना में केन्द्रीय योजनाओं और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं संबंधी प्रश्न तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा इन्हें दी जाने वाली सहायता की पद्धति पर अभी निर्णय लिया जाना है।

बहुत से मित्रों ने बहुत से प्रश्न उठाए हैं परन्तु सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमें अच्छी तरह से देख-रेख करनी है। इस कार्यक्रम से बहुत अधिक लोग सम्बद्ध हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम में 20,000 हजार लाख श्रम-दिवस उत्पन्न किए गए हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में 150 लाख श्रम-दिवस हैं। व्यक्ति द्वारा इन आंकड़ों को एकत्र किया जाना बहुत मुश्किल है। विभिन्न जिलों तथा राज्यों से बहुत अधिक संख्या में आंकड़े एकत्र किए गए हैं और केन्द्र सरकार के पास भेजे जा रहे हैं। यह बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त आंकड़े जो हमें विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त हो रहे हैं उन्हें स्वयं व्यक्तियों द्वारा निपटाया नहीं जा सकता। हाल में हमने प्रायोगिक आधार पर कुछ जिलों में कम्प्यूटर प्रणाली भी शुरू की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि विभिन्न कार्यक्रमों की निगरानी करने तथा आंकड़ा बनाने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर कम्प्यूटर प्रणाली शुरू करने के लिए किस प्रकार की यंत्रेतर सामग्री की आवश्यकता है। हाल में ही हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने एक बृहत योजना की घोषणा की है। 50 लाख हेक्टेयर भूमि को हरित क्षेत्र बनाया जाना चाहिए इसका अर्थ है कि 50 लाख हेक्टेयर भूमि में पेड़ लगाए जायें। यह उन योजनाओं में एक बहुत बड़ी योजना है जिन्हें हम शुरू करने जा रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : पहाड़ी क्षेत्र ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : यह बंजर भूमि है; इसे गुलजार करना है।

प्रो० एन० जी० रंगा : बहुत अच्छा।

एक माननीय सदस्य : केवल कुछ भागों को ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : समूचे देश को संसद सदस्यों और ग्राम पंचायतों की सहायता

[श्री चन्दूलाल चन्द्राकर]

तथा सहयोग से हम इस कार्यक्रम को प्रत्येक गांव में लागू करेंगे। हमें राज्य सरकारों, राजनीतिज्ञों संसद सदस्यों, प्रशासकों तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं से सहयोग मिलता रहेगा ताकि यह कार्यक्रम सफल हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत संख्या में स्वैच्छिक एजेन्सियों के कार्यकर्ता हैं। हमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। वास्तव में यह एक बहुत बड़ा कार्य है। शुरू में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में अब तक हम सामाजिक वानिकी के लिए 10 प्रतिशत राशि दे रहे थे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को दिए गए धन का 10 प्रतिशत भाग सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के लिए आबंटित किया गया था लेकिन अब, जब से हमारे प्रधानमन्त्री जी ने इस विशाल कार्यक्रम की घोषणा की है, 10 प्रतिशत के स्थान पर, हम सामाजिक वानिकी के लिए 20 प्रतिशत राशि देंगे। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में हमने अब तक वन लगाने तथा क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए धन आबंटित नहीं किया था। अब हमारे मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस धन राशि का 20% भाग क्षेत्र को हरा भरा करने तथा वन लगाने के लिए खर्च किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि इस वर्ष से ग्रामीण क्षेत्रों में हरित कार्यक्रम के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जायेंगे जिसमें प्रत्येक गांव, प्रत्येक खण्ड, प्रत्येक जिला शामिल है, जहां कहीं भी हम इसे कार्यान्वित कर सकते हैं। यह बहुत व्यापक कार्यक्रम है।

श्री जी० एस० बसवराजू : पेड़ों को लगाने के पश्चात् 3 वर्ष तक पानी इत्यादि देकर उनकी रक्षा की जानी चाहिए अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकेंगे।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : यहां सभी सदस्य हैं। प्राय: वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाते रहते हैं और वे इस समस्या के बारे में भली भांति जानते हैं। मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता।

एक माननीय सदस्य : सर्वप्रथम आपको कम से कम तीन वर्षों तक वर्तमान पेड़ों को संरक्षण प्रदान करना होगा।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : यही कारण है कि मैं इस बारे में अधिक चिन्तित हूं। यदि आप 100 पौधे लगाएंगे तो कम से कम 40 पेड़ उगेंगे यदि आप उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। इसलिए वर्तमान पेड़ों को बनाए रखने के लिए भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। कम से कम आगामी तीन वर्षों तक के लिए हमें विशेष संरक्षण उपाय ढूंढने होंगे। पहले हमें विद्यमान पेड़ों को बनाए रखने के लिए उनकी देखभाल करनी चाहिए। नए-नए पेड़ लगाए जाने का कोई लाभ नहीं है। इन पेड़ों को सम्प्रोषित करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों को उनके उपयोगी सुझावों के लिए धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत से सुझाव दिए हैं कि किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाए। हमारी स्वर्गीय प्रिय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने ग्रामों के गरीब लोगों के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए थे। हमारी सरकार ग्रामीण लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है, इस समय इसका जो भी प्रतिशत हो। यह आशा है कि 1994-95 तक केवल 10 प्रतिशत

लोग गरीब रह जाएंगे। हम नहीं जानते कि इस समय गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है। इसका पता लगाने के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन है जो पहले ही इसकी जांच कर रहा है। मेरे विचार में तत्सम्बन्धी विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी। रिपोर्ट प्राप्त होने पर हम उसके प्रत्येक पहलू पर विचार करेंगे ताकि यह मालूम हो सके कि कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं और किस क्षेत्र के लिए हमें और अधिक राशि आंबटित करनी है ताकि वह लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जा सके।

श्री एस० एम० गुरड्डी (बीजापुर) : सभापति महोदय, मैं कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदान मांगों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मैं इन मांगों का विरोध नहीं करूंगा। परन्तु मैं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री द्वारा अभी प्रस्तुत की गई मांगों की आलोचना करना चाहूंगा। मंत्री महोदय हरित क्रान्ति और वानिकी के बारे में बात कर रहे थे। मंत्री महोदय वानिकी के बारे में ऐसे बात कर थे जैसे यह एक नई योजना हो। महोदय, हमें श्री के० एम० मुन्शी से वन महोत्सव का महत्व पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुआ है। प्रतिवर्ष वन-महोत्सव मनाया जाता था मुझे प्रसन्नता होती यदि मंत्री महोदय केवल वन महोत्सव के फलस्वरूप उगाए गए पेड़ों सम्बन्धी कुछ आंकड़ों की जानकारी दे देते। यह इस सरकार की नई योजना नहीं है।

महोदय, हमें अपने कृषकों तथा कृषि वैज्ञानिकों पर गर्व होना चाहिए जो हमारे देश में हरित क्रान्ति लाए हैं, यह सरकार द्वारा नहीं लाई गई। हम अनाज के उत्पादन में विशेषरूप से गेहूं के उत्पादन में आत्म निर्भर हैं। हमें अनाज के लिए अमरीका से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि हम पहले करते थे। हम इसके लिए अपने कृषकों के आभारी हैं जिन्होंने इस असाधारण कार्य में सफलता प्राप्त की है। हम प्रचुर मात्रा में गेहूं, रागी, ज्वार और अन्य अनाज उगाते हैं। दुर्भाग्यवश हम तेल और चीनी का विदेशों से आयात करने के लिए विवश हैं। हमारे यहां खाद्य तेलों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए तिलहन का पर्याप्त उत्पादन नहीं हो रहा है। महोदय हमारी 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और 75 प्रतिशत लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। हमारे यहां प्रचुर मात्रा में गन्ना उत्पन्न होता है। गन्ना उत्पादकों को कम मूल्य दिए जाने के कारण उन्होंने गन्ने की खेती करनी कम कर दी है। इसलिए हम विदेशों से चीनी का आयात करने के लिए मजबूर हैं। इससे गन्ने की खेती में और अधिक कमी आएगी। हमें गन्ना उत्पादकों को अधिक मूल्य तथा अन्य प्रोत्साहन भी देने चाहिए ताकि वह गन्ने की खेती को महत्व दें। कपास के सम्बन्ध में भी यही बात है। कपास उगाने वाले कृषक सिंचित भूमि में 6000 रु० से 7000 रु० प्रति एकड़ खर्च करते हैं परन्तु उन्हें केवल 5000 हजार रु० मिलते हैं। इस प्रकार कुल 2000 रु० का घाटा होता है। यदि लगातार ऐसा होता रहा तो हमारे किसान कपास उगाना बन्द कर सकते हैं।

दूसरा कारण भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून है। हमने भूमि की अधिकतम सीमा 50 एकड़ निश्चित की है। शहरी क्षेत्रों में भूमि की कोई अधिकतम सीमा निश्चित नहीं है। इस तरीके से हम ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में समानता नहीं ला सकते। मैं इसे यह बात

[श्री एस० एम० गुरड्डी]

कहकर सिद्ध कर सकता हूं कि कृषि की अपेक्षा उद्योगों को अधिक धन राशि दी जाती है। योजना आयोग का भी उद्योगों आदि के विषय में पक्षपातपूर्ण रवैया है। हम कारों के निर्माण और अन्य सुख-सुविधाओं की वस्तुओं की ओर अधिक ध्यान देते हैं। परन्तु हमारे गांवों के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। उन्होंने भारत के सभी गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए भी कोई योजना नहीं बनाई है। हमारे गांवों में बुनियादी सुविधाएं जैसे पीने का पानी, मकान, शिक्षा की सुविधाएं, चिकित्सा की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। गांवों की वही पुरातन स्थिति है जैसी कि 30 साल पहले थी। हमें कृषकों और ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए योजना बनानी है। मंत्री जी ने एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का उल्लेख किया। यह योजनाएं बढ़ती हुई गरीबी से गांवों के गरीब लोगों को नहीं बचा पाई। इन योजनाओं का गांवों की आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में दिन-प्रतिदिन गरीबी बढ़ रही है। हमने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठाया। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई मूलभूत गलती है। छठी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में उन योजनाओं के क्रियान्वयन की कमियों के बारे में बताया गया है। मेरा सुझाव है कि भविष्य में इन योजनाओं के प्रभावी तथा शीघ्र क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्वतन्त्र संगठन स्थापित किया जाना चाहिए।

कर्नाटक सरकार ने पंचायती राज विधेयक पारित कर दिया और केन्द्र के अनुमोदन के लिए भेज दिया। केन्द्र ने उस पर अभी तक अपनी सहमति नहीं दी। कर्नाटक सरकार उत्सुक है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्रामीण लोग उत्साह पूर्वक तथा प्रभावी रूप से भाग लें। केवल तभी इन योजनाओं के लाभकारी परिणाम सामने आएंगे। उद्योगपति अपने उत्पाद का विक्रय मूल्य स्वयं निर्धारित करता है जबकि कृषक के पास कोई विकल्प नहीं है उसे मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित मूल्य पर निर्भर होना पड़ता है। जो वातानुकूलित कमरों में बैठते हैं और कृषि उत्पाद का मूल्य निश्चित करने का प्रयास करते हैं। स्वाभाविक रूप से इस कार्य का ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। कर्नाटक सरकार ग्रामीणों और शहरों के गरीब लोगों को घर बनाने के लिए जगह तथा घर देने में अधिक रुचि ले रही है। राज्य सरकार ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए काफी धन खर्च कर रही है।

महोदय, हमें ग्रामीण विकास को महत्व देना होगा। हमें ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बदलनी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की दशा अभी भी बहुत खराब है।

हमारी सरकार किसी भी प्रकार की जांच के लिए तैयार है। कर्नाटक सरकार ने 1983-85 के दौरान जो कुछ भी किया उससे हाल ही में हुए चुनावों में जनता पार्टी की सरकार दुबारा सत्ता में आई। कर्नाटक सरकार ने हमारे गांवों में पीने के पानी की सुविधाएं प्रदान की हैं। राज्य सरकार ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लोगों को गांवों के विकास में शामिल किया जा रहा है। प्रत्येक कार्य के लिए लोगों का सहयोग आवश्यक है।

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : मैं कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। मैं स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी, हमारे वैज्ञानिकों और किसानों को कृषि उत्पादन में अत्यधिक प्रोत्साहन देने के लिए बधाई देता हूं। जिसके बिना कुछ भी किया जा सकता था।

यदि हम अतीत काल अर्थात 1947 से पहले, अवलोकन करें, तो हम देखेंगे कि हमारी जनसंख्या 35 से 40 करोड़ थी और शुरू में हमारा उत्पादन 500 लाख टन था। आज हमें यह जानकर खुशी है—यह हमारे इतिहास में एक कीर्तिमान है—कि हम विदेशों को गेहूं निर्यात करते हैं। यह केवल इसी कारण से है कि हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और उससे पहले जवाहर लाल नेहरू ने कृषि के लिए आधार बनाया जैसे सिंचाई की बड़ी-बड़ी परियोजनाएं बनाई और अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान किए।

सर्वप्रथम, मैं कृषि से सम्बन्धित अन्य सम्बद्ध व्यवसायों पर बल देना चाहूंगा। जिन्हें इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा जा रहा—मैं ऐसा नहीं कहता की यह अपेक्षित है। सम्बद्ध व्यवसाय डेरी, मुर्गी-पालन, सूअर पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन और अन्य व्यवसाय हैं क्योंकि असिंचित कृषि क्षेत्र के लोग बहुत गरीब हैं और वहां उत्पादन भी बहुत कम है। इसलिए, असिंचित क्षेत्रों में कृषि कार्यों के स्थान पर हमने पहले ही यह योजना शुरू कर दी है, परन्तु यह सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से इन योजनाओं का पूरा लाभ वास्तविक लोगों को नहीं मिल पा रहा। अभी मंत्री महोदय और अन्य सदस्यों के बीच गर्मागर्म बहस हुई। उपायुक्त अथवा राज्य सरकारें इन कार्यक्रमों में जन-सामान्य को वास्तव में शामिल नहीं कर रहे हैं जैसा कि उन्हें करना चाहिये।

मुझे इससे खुशी नहीं हुई। कुछ अधिकारी चुने हुए सदस्यों, चाहे वह पंचायत का सदस्य हो अथवा कोई अन्य सदस्य, वह कोई भी हो, को उसमें शामिल किए बगैर ही इन्हें लागू कर रहे हैं। यह स्थिति बहुत ही खेदजनक है, क्योंकि वे इस देश के अभिन्न अंग हैं। वे हमारे अपने ही बंधु हैं। उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे उन्हें उचित प्रशिक्षण दें ताकि वे भी इस देश की उन्नति में भागीदार बन सकें।

दूसरे, कृषि संबंधी प्रशिक्षण को बहुत कम महत्व दिया जाता है। हमने गरीब, छोटे, सीमान्त किसानों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को सहायता दी है। हम यह सहायता अभी भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन कृषि के क्षेत्र में रोजगाररत लोगों की तुलना में कृषि संबंधी शिक्षा का अनुपात ठीक नहीं है। यह हमारी जनसंख्या के अनुपात में ठीक नहीं है, यह हमारे देश में कृषि पर निर्भर लोगों के अनुपात में उचित नहीं है। हम क्या शिक्षा देते हैं ? हमारे देश में मुश्किल से 23 कृषि विश्वविद्यालय हैं जबकि कृषि पर 80 प्रतिशत लोग निर्भर हैं। विशेष रूप से कर्नाटक में हमारे पास केवल एक कृषि कालेज तथा सात अन्य कालेज है। हमारे देश में 30 मेडिकल कालेज, सौ इंजीनियरी कालेज, हजारों अन्य तकनीकी

[श्री एस० बी सिदनाल]

कालेज हैं लेकिन कृषि के लिए शिक्षा कहां दी जाती है ? हम निवेशों नाशिकीटमार दवाइयों का कैसे उपयोग कर सकते हैं, और हम उनके बारे में कैसे जान सकते हैं ? किसानों को वैज्ञानिक बनना होगा और जमीन को प्रयोगशाला बनाया जाना है । तभी यह देश फल-फूल सकता है ।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे कृषकों को अवसर दें और उन्हें कृषि का डिप्लोमा, डिग्री तथा अन्य स्तर की शिक्षा देने का प्रयास करें । हमारे देश में मुश्किल से ही कोई व्यक्ति कृषि में प्रशिक्षित है ।

उदाहरण के तौर पर हम वनरोपण को ही लें । इसके लिए कार्यक्रम निर्धारित हैं, और हम प्रतिवर्ष धन खर्च कर रहे हैं, लेकिन इसका विकास नहीं हुआ है । स्थानीय एजेंसियों को पर्याप्त धन देने का क्या लाभ है जिसे वे खर्च नहीं करती हैं ? हम प्रति वर्ष वन-महोत्सव मनाते हैं । हम हर सांय उसी गड्ढे में पेड़ लगाया करते हैं । यह बड़े शर्म की बात है । हमें कार्यक्रम में सुधार लाना है । हमें पेड़ लगाने चाहिएं और प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिले, प्रत्येक खण्ड में यह कार्यक्रम शुरू करना है । हमें अपने वन-धन में सुधार करना है । हमने अभी तक इसका उपयुक्त रूप से उपयोग नहीं किया है । यह शर्म की बात है ।

मैं वर्तमान प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को उनके हर जगह हरियाली लाने के गतिशील विचार के लिए बधाई देता हूं । मेरे मित्र ने अभी-अभी यह कहा कि यह एक अच्छा विचार है । प्रत्येक समस्या, प्रत्येक मामले तथा प्रत्येक नीति की समीक्षा की जाती है और हमें अपेक्षित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए । हमें प्रत्येक बात को सामान्य मामला नहीं समझना चाहिए । (व्यवधान)

इसीलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे अधिक उत्पादन के लिए कृषकों को शिक्षित करने हेतु उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक खण्ड में कृषि डिप्लोमे तथा इंजीनियरी कालेज, हाई स्कूल खोलें । अन्यथा हम उनके लिए जो भी सुविधा देते हैं वे उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे । प्रतिदिन हमें किसानों की निरक्षरता के उदाहरण मिलते रहते हैं । इसीलिए कृषकों को उपयुक्त शिक्षा दिए बिना हम उन्नति नहीं कर सकते ।

एक अन्य उदाहरण मैं सिंचाई का दे सकता हूं । वे सिंचाई कैसे करते हैं ? प्रतिदिन बहुत-सा पानी बेकार जाता है । इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है । उपभोक्ता को पानी नहीं मिलता है । लेकिन पानी के संरक्षण पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है ।

हम जानते हैं कि इजराइल के लोगों ने क्या किया । वहां जो भी वस्तु उपलब्ध है उसे सारे देश में समुचित रूप से व्यवस्थित और वितरित करना होता है । उन्होंने केवल जड़ों पर छिड़काव के लिए जमीन के अन्दर फुहारे लगाए हुए हैं और उन्हीं से पानी का छिड़काव किया जाता है । उनके पास हमारी तुलना में बाजार भी अधिक हैं । इसलिए हमें कृषि-शिक्षा की समस्या को काफी गम्भीरता से लेना है । हम इसके प्रति लापरवाही नहीं बरत सकते । हमें इसके बारे में भली-भांति चर्चा करनी होगी और कार्यक्रम को तेजी से क्रियान्वित करना होगा । मेरे विचार में

अधिकांश अधिकारी 20-सूत्री कार्यक्रम पर ठीक तरह से कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। एक बैठक हुई थी जिसमें सारे देश से लोग आए थे और वह बैठक आधे दिन तक जारी रही थी लेकिन उपलब्धि कुछ अधिक नहीं हुई। इन कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिए दो दिन या एक सप्ताह भी कम है। हमें भविष्य में ऐसे कार्यों पर अधिक समय लगाना होगा। मैं मंत्री महोदय की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि वे लोगों के अन्दर सामाजिक जागरूकता पैदा करना चाहते हैं। जब तक उन्हें कुछ मिल नहीं जाता, जब तक उन्हें लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रम ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं किए जाते हैं, तब तक उनमें सामाजिक जागरूकता कैसे पैदा कर सकते हैं? गरीब लोग भूखे हैं; वे निरक्षर हैं और हरेक वस्तु सरकार से ही मांग रहे हैं। जब ठीक तरह कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, तब सरकार कहां तक उनकी मांग पूरी करेगी? मुझे उस समय बहुत बुरा लगता है। जब मुझे यह पता चलता है कि बहुत से 20 सूत्री कार्यक्रमों की उपेक्षा की गई है और उन्हें कुछ सरकारों जैसे कर्नाटक तथा पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा कार्यान्वित नहीं किया किया है। उनका खुद का तो कोई कार्यक्रम है नहीं और हम जो कार्यक्रम तैयार करते है उसकी वे केवल आलोचना ही करते रहते हैं। चुनावों में जीतना ही काफी नहीं है। उनका अपना कोई कार्यक्रम होना चाहिए अथवा जनसामान्य से सक्रिय सहयोग लेने के लिए विकल्प के रूप में उन्हें हमारे कार्यक्रम का अनुपालन करना चाहिए। यह देश के और समाज के विकास के लिए है। किसी दल अथवा राजनीति का हिस्सा नहीं है। मैं विपक्ष के लोगों से अनुरोध करूंगा कि वे विकास कार्यक्रम में राजनीति अथवा ऐसी ही कोई चीज का पुट न दें। हमें श्रीमती इन्दिरा गांधी का, 20 सूत्री कार्यक्रम देने के लिए आभारी होना चाहिए। यह उनकी धारणा थी और यह उनका स्वप्न था कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह कितना ही गरीब हो, देश का नागरिक है। उसकी स्थिति में 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य सुधार किया जाना है।

ट्रैक्टरों और मशीनरी के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि आपने भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून लागू किए हैं और जनसंख्या में वृद्धि हो जाने से खेती की जमीन के और भी छोटे-छोटे टुकड़े हो रहे हैं। वस्तुतः किसान अपने कृषि उत्पादन में सुधार लाने के लिए अपने खेतों में ट्रैक्टरों और मशीनरी से काम लेना चाहता है, लेकिन 10 से 15 हैक्टेयर भूमि वाला किसान इन मंहगे उपकरणों को उपयोग में नहीं ला सकता है। एक ट्रैक्टर की कीमत लगभग 50 हजार रुपये है। इसलिए गरीब किसान इसका उपयोग नहीं कर सकता है। सरकार को ये उपकरण रियायती दरों पर देने चाहिएं ताकि वे उन उपकरणों का उपयोग कर सकें। इसके अलावा वे कर-मुक्त भी होने चाहिए। ऐसी सोसायटी होनी चाहिए जो उन्हें कम दरों पर ऋण दे और उन्हें वे अन्य रियायतें तथा प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए जो उद्योगों को दिए जाते हैं। केवल इसी प्रक्रिया के द्वारा हम उन्हें इस योग्य बना सकते हैं कि वे इन ट्रैक्टरों और मशीनरी का उपयोग कर सकें।

यहां ऐसे विकास बैंक हैं जो कुएं खोदने के लिए ऋण देते हैं। बैंकों को दिखाए जाने के लिए समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का नियम है जिसके फलस्वरूप उन्हें बैंकरों के सामने पेश होना पड़ता है। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है और उससे उनके उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार को उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए

[श्री एस० बी० सिदनाल]

जहां पानी उपलब्ध है, इन्जीनियरों की एक समिति नियुक्त करनी चाहिए। दूसरे संगठन को वहां की व्यवहार्यता और वांछनीयता को ध्यान में रखते हुए या तो खुले हुए कुएं अथवा भूमि में छिद्र-नुमा कुएं अथवा ट्यूबवैल की खुदाई करनी चाहिए। उन्हें क्षेत्र के तहसीलदार या किसी अन्य सम्बन्धित प्राधिकारी को बुलाना चाहिए और उस भूमि की कुर्की करा के कुंआ खुदवाना चाहिए। यदि आज मुझे पानी मिल जाता है तो मैं कल से ही उत्पादन शुरू कर दूंगा। इसलिए पानी की प्रत्येक बूंद का उपयोग उत्पादन के किए किया जाना चाहिए।

अब मैं गोबर गैस का जिक्र करता हूं। इसकी प्रगति बहुत धीमी है। गोबर गैस संयंत्र से हम न केवल ईंधन की बचत करते है, बल्कि वनों की भी रक्षा करते हैं। तब खाना पकाने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार आता है।

7.00 म० प०

इसके अलावा इससे पर्याप्त गोबर खाद भी मिलती है। मैं अपने घर में तीन गोबर गैस संयंत्रों का इस्तेमाल कर रहा हूं और उनसे घर में ही खाद तैयार हो रही है जो तीन वर्षों तक काम आएगी जबकि कृत्रिम खाद जैसे उर्वरक केवल एक वर्ष तक काम आते हैं। जब हम इसे देश में ही बनाते हैं तो यह बहुत ही लाभदायक और लाभप्रद सिद्ध होती है। मैं इस बात के लिए सरकार का आभारी हूं और योजना बनाने वालों को बधाई देता हूं कि उन्होंने छोटे और सीमांत किसानों की सहायता लिए रियायत दी है और अभी भी इसके लिए रियायत देना आवश्यक है।

मेरी अन्तिम बात वृक्षारोपण के बारे में है। वृक्षारोपण का काम किया गया है और मैं प्रधानमन्त्री महोदय का आभारी हूं कि वे 5000 लाख एकड़ जमीन को हरा-भरा बनाने तथा इस पर धन खर्च करने में रुचि ले रहे हैं। यहां वन विभाग को तीन विभागों में बांटा जाना है, जिसमें एक विभाग केवल वृक्षारोपण के लिए एक देखभाल के लिए और गिराए गए पेड़ों तथा उनके प्रबंध के लिए हो। इस उद्देश्य के लिए खण्ड स्तर पर विशेष भर्ती की जानी है और बागवानी को व्यवसायिक ढर्रे पर सुव्यवस्थित तरीके से उन्नत बनाया जाना है जिसमें कृषकों और अन्य लोगों को इस देश में बागवानी-संस्कृति का प्रसार करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना है। जिससे इस देश की आधी खाद्य समस्या सुलझ जाएगी।

[अनुवाद]

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं। हमारी कृषि के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई है। कृषि क्षेत्र में अब हम निर्वाह मात्र के लिए ही खेती नहीं करते वरन् व्यवसायिक पैमाने पर खेती करने लगे हैं जिससे हमने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। यह उत्पादन 1950-51 में 510 लाख टन था जो 1983-84 में बढ़कर 1515 लाख टन हो गया। सातवीं योजना में इस लक्ष्य के 1850 लाख टन तक पहुंचने की संभावना है।

सातवीं योजना में सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र के लिये 4% वार्षिक विकास दर तथा खाद्यान्न क्षेत्र के लिये 5% विकास दर का प्रस्ताव किया गया है। गत 35 वर्षों में कृषि क्षेत्र की वार्षिक विकास

दर 2.6% को देखते हुये अगली योजनाओं के लिए प्रस्तावित विकास संबंधी लक्ष्य बहुत ही महत्वाकांक्षी लगते हैं और इसे प्राप्त करना वस्तुत: बहुत कठिन कार्य है। महोदय, इसके लिये हमें यह देखना होगा कि पूर्वी क्षेत्र जैसे कम उत्पादन वाले क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाये जिनकी ओर बहुत समय से ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि वहां बहुत विशाल क्षेत्र है जिसे हरित क्रान्ति का फल चखने के लिये अभी तक शामिल नहीं किया गया है। वर्ष 1990 तक सघन चावल की खेती कार्यक्रम को सभी खण्डों में शुरू किया जाये।

एक अन्य बात यह है कि छोटे तथा सीमान्त किसान की उत्पादकता दर बहुत कम है। चूंकि कुल भूमि के अधिकांश भाग पर छोटे तथा सीमान्त किसानों द्वारा खेती की जाती है अत: कुल उत्पादन में वृद्धि करने के लिये छोटी जोतों के उत्पादन में सुधार करना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक और बात कहूंगी कि कृषि उत्पादन करने वाले राज्य में कृषि संसाधन उद्योग लगाने संबंधी व्यापक कार्यक्रम पर बल दिया जाना चाहिये। वैकल्पिक रूप से जहां कृषि पर आधारित उद्योग लगाये गये हैं, उसके आस-पास के क्षेत्र में वही फसल बोई जानी चाहिये और इसे हजारों मील दूर से वहां नहीं लाया जाना चाहिये। इसके लिए उड़ीसा की स्पिनिंग मिलों के लिये गुजरात से कपास लाए जाने और उड़ीसा में पैदा किये गये तेल के बीजों को पिसाई और पिसाई के लिये अन्य राज्यों में ले जाये जाने जैसे उदाहरण दिए जा सकते हैं।

कृषि अनुसंधान को हमारी वास्तविक स्थानीय मांग को ध्यान में रखना चाहिये। उदाहरणार्थ धान की समुचित रूप से ज्यादा पैदावार करने, तेजी से बढ़ने तथा बाढ़ और खारापन रोधी बीजों की किस्म का अभी तक विकास नहीं किया गया है। जिन्हें उड़ीसा के खारे तथा बेकार इलाके में वहां बोया जाए कि जहां अक्सर सूखे के तुरन्त बाद बाढ़ का पानी खड़ा हो जाता है और भूमि खारी हो जाती है।

महोदय, चावल तथा गेहूं जैसे प्रमुख खाद्यानों का मूल्य कुल मिलाकर वही है जबकि कृषि आदान सहित अन्य सभी वस्तुओं के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है। वास्तव में उत्पादक को वही मिल रहा है जो वह दस साल पहले ले रहा था। इसमें जो भी थोड़ी बहुत वृद्धि हुई वह बिचौलिये हड़प कर जाते हैं। कृषि मूल्य निर्धारण संबंधी पूर्ण नीति का फिर से निर्धारण करने की जरूरत है। मैं अन्य फसलें, विशेषकर, दालों तिलहन, गन्ने तथा कपास के बारे में भी कहना चाहूंगी। ये फसलें विशेष रूप से मानसून पर निर्भर हैं। भारत का रिकार्ड अनिश्चित रहा है तथा विकास दर वास्तविक रही है। किसानों द्वारा कृषि पर आधारित खेती पर अधिक निर्भर रहना तथा कुछ राज्यों को छोड़कर किसानों द्वारा आधुनिक उपस्करों तथा कृषि संबंधी उन तकनीकों को अपनाने का अनिच्छुक होना जिसकी आज देश को सख्त जरूरत है, से यही स्पष्ट होता है कि इन आधारभूत वस्तुओं की पर्याप्त सप्लाई कभी-कभी सुनिश्चित नहीं की जा सकती। अत: हमारी नीति ऐसी होनी चाहिये जिससे ऐसी फसलों के उत्पादन में मदद मिले।

मैं मत्स्य उद्योग के बारे में कहना चाहूंगी क्योंकि इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मदद मिलती है। विश्व में भारत मछली उत्पादन करने वाला प्रमुख देश है तथा अंतर्देशीय क्षेत्र में मछली उत्पादकता की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है उड़ीसा में इसकी बहुत

[श्रीमती जयन्ती पटनायक]

सम्भावनाएं हैं और हम यह कहेंगे अब तक वहां कोई मत्स्य पत्तन स्थापित नहीं किया गया है जबकि पारादीप में मत्स्य पत्तन स्थापित करने के लिए कई बार इसी सभा सदन में मांग भी की गई है। इसी सभा में आश्वासन दिया गया था कि मछली मत्स्य पत्तन स्थापित किया जायेगा। लेकिन काफी लम्बा अरसा बीत गया है। मुझे बताया गया है कि स्थल का चुनाव कर लिया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि पारादीप में मत्स्य पत्तन स्थापित किया जाये तथा इसके लिये तत्काल कार्य शुरू किया जाना चाहिये।

मैं अब ग्रामीण विकास कार्यक्रम की चर्चा करूंगी इस बारे में मैं कुछ मुद्दे भी पेश कर रही हूं। ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा गरीबी-विरोधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज सहायता पूर्णतया समाप्त कर दी जाये। इसका दुरुपयोग होता है तथा इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसके लिये बिना ब्याज के ऋण देना और तत्काल ऋण की अदायगी करने पर ऋण का कुछ हिस्सा माफ करना ही सही उपाय है। ग्रामीण विकास संबंधी समग्र प्रक्रिया का नये सिरे से निर्धारण किया जाना चाहिये। इसके लिए सरकारी एजेंसियां अधिक कुछ नहीं कर सकती। अतः जनता तथा स्वैच्छिक एजेन्सियों के सहयोग पर बल देने की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास के लिए भिन्न प्रेरक हेतु तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता है। खण्ड विकास अधिकारी तथा प्रसार अधिकारी जैसे सभी अधिकारियों को कम-से-कम एक साल का ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबन्धी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये जिसके लिये प्रत्येक राज्य में सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

और, मैं महिला दशक में महिलाओं के कल्याण संबंधी मद का पहले ही उल्लेख कर चुकी हूं। निस्संदेह नियम 193 के अन्तर्गत जब गत सप्ताह चर्चा हुई थी तो इस पर भी बल दिया गया था। जब हम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परिसम्पत्तियां बनाएं तो ये परिसम्पत्तियां पति-पत्नी दोनों के नाम पर होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये परिसम्पत्तियां पति ही न उड़ा दे।

ऋण-कार्यक्रम के संबंध में, बैंकों को अपनी बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना चाहिए। किसी ग्रामीण शाखा में एक अधिकारी, एक या दो लिपिक और दो चपरासी उस स्थान में गरीबी-विरोधी संपूर्ण कार्यक्रम की देख-रेख नहीं कर सकते। यदि इन कार्यालयों में और अधिक कर्मचारी नियुक्त किए जायेंगे तभी उस पर अमल होगा तथा वसूली बढ़ेगी। अन्यथा बैंकों को जनता के शेष तथा वित्तीय संकट का भी सामना करना पड़ेगा।

महोदय, एक अपेक्षाकृत अधिक व्यापक निगरानी-कार्यक्रम की जरूरत है। प्रत्येक चुने गये लाभार्थी के संबंध में ऐसा ही किया जाना चाहिए। इसके लिए पहचान-व-निगरानी कार्ड बनाया गया है। प्रत्येक चुनिंदा लाभार्थी के बारे में जानकारी एकत्र की जानी चाहिये तथा इसकी एक प्रति लाभार्थी के पास ही रहनी चाहिये। दी गई सहायता के ब्यौरों की समय-समय पर इस पुस्तिका में प्रविष्टि की जानी चाहिये। सभी संबद्ध एजेंसियों को यह पुस्तक दी जानी चाहिये

ताकि हर स्तर पर लाभार्थी की प्रगति देखी जा सके । यह निगरानी तब तक रखी जानी चाहिये जब तक लाभार्थी वह योजना शुरू न कर ले ।

कभी-कभी कार्ड नहीं दिया जाता और यदि दिया भी जाता है तो उसमें अतिरिक्त उत्पादन, आय, नियोजन, विकास संबंधी समस्याएं, योजना का ठीक तरह से क्रियान्वयन सम्बन्धी समस्याओं, प्रशिक्षण आदि की प्रविष्टि नहीं की जाती है ।

अन्त में, मैं यह कहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के विकास के लिए 50 चुनिंदा पिछड़े जिलों में प्रायोजिक आधार पर एक नई योजना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंग के रूप में शुरू की गई थी । मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि वे यह देखें कि इस योजना का विस्तार और अधिक जिलों में किया जाये और सातवीं योजना में इसके लिए और अधिक धनराशि रखी जाए ।

इन शब्दों के साथ मैं कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय सम्बन्धी अनुदान की मांगों का समर्थन करती हूं ।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : सभापति महोदय, इस समय बुलाये जाने के लिये मैं आपका आभारी हूं । मेरी हार्दिक इच्छा थी कि प्रभारी-मन्त्री सभा में उपस्थित होते क्योंकि मुझे उनसे कुछ अनुरोध करना है । यह बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती कि उन्हें सही-सही बातें बताई जायेंगी या नहीं । मुझे अफसोस है कि वे यहां उपस्थित नहीं हैं ।

पहली बात मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे राज्य का जम्मू प्रभाग पूर्णतया अकाल की चपेट में है । वहां फसल बिलकुल नहीं हुई, वहां न तो चारा है और न ही पेय जल है । हमारे राज्य के उस हिस्से की अथवा हमारे देश के उस हिस्से ओर कृषि मन्त्री और उनके मन्त्रालय द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक है और इसके लिए तत्काल कुछ कदम उठाये जाने चाहिये, चाहे यह कदम 'काम के बदले अनाज' के अंतर्गत हो या इसी तरह के अन्य कोई कार्यक्रम हों ताकि लोगों को उस भयावह स्थिति से बचाया जा सके जोकि भविष्य में उनके आगे आने वाली है । उन्होंने पहले से ही अकाल की आशंका से तकलीफ महसूस करनी शुरू कर दी है ।

अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वह सहकारी समितियों के बारे में है । कृषि विकास के लिए सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है । सुचारू रूप से काम करने वाली सरकारी समितियों के बिना कृषि तथा उद्योग दोनों क्षेत्रों में भारत प्रगति नहीं कर सकता । लेकिन जहां तक सहकारी समितियों का सम्बन्ध है । ये निहित स्वार्थ वालों तथा भ्रष्ट लोगों से भरी पड़ी हैं । इन निहित स्वार्थ वालों तथा भ्रष्ट लोगों से छुटकारा पाने के लिए कृषि मन्त्री जी को विशेष कदम उठाने पड़ेंगे । जब तक वे ऐसा नहीं करते तब तक वे अपने मन्त्रालय या उन्हें सौंपे गए कार्य के प्रति न्याय नहीं कर पायेंगे ।

इनके पूर्व मन्त्री, श्री राव बीरेन्द्र सिंह के प्रयासों से पिछली लोक सभा द्वारा बहु राज्य सहकारी समितियां अधिनियम पारित किया गया था । यह बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है । इसे

[श्री गिरधारी लाल डोगरा]

शीघ्र प्रवृत्त किया जाना था। केन्द्रीय रजिस्ट्रार, सहकारी समिति ने इसके नियम तैयार किये थे। अपर सचिव, श्री कोहली ने इन्हें स्वीकृति दी थी जो कि बहुत सहृदय तथा योग्य अधिकारी थे। लेकिन उनके मन्त्रालय के कुछ लोग निहित स्वार्थ वालों के प्रभाव में आकर इस अधिनियम को दबाये बैठे हैं। वे इसे लागू नहीं कर रहे। उनका कहना है कि अभी नियम नहीं बने हैं। जबकि नियम तैयार हैं। लेकिन जैसे-तैसे, इस मामले में विलम्ब किया जा रहा है। मैं यह कहूंगा कि नियम बनाये जाने के बाद ही अधिनियम का लागू किया जाना अनिवार्य नहीं है, वरन उससे पहले भी लागू किया जा सकता है। दिल्ली कोआॅपरेटिव एक्ट को पहले प्रवृत्त किया गया था और नियम बाद में बनाये गये थे। मैं नहीं समझता कि पहले नियम बनाने के बाद अधिनियम का लागू किया जाना बहुत जरूरी है। यह बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे यह देखें कि यह अधिनियम लागू किया जाये। राव बीरेन्द्र सिंह समाज के उतने पिछड़े या दलित वर्ग से नहीं थे जितने पिछड़े वर्ग से हमारे वर्तमान मन्त्री महोदय हैं। मुझे हैरानी है कि वे इस अधिनियम को लागू करने में इतनी रुचि नहीं ले रहे जितनी की उन्हें लेनी चाहिये थी। उन्हें इसे लागू करना चाहिये।

अब मैं कृषि के बारे में चर्चा करूंगा। कृषि जगत में बहुत तरक्की हुई है। इसका कारण यह है कि हमारे यहां कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि महाविद्यालय हैं। अभी तक केवल उपजाऊ क्षेत्र में ही प्रगति हुई है, केवल सिंचित क्षेत्रों में ही प्रगति हुई हैं और केवल उन्हीं क्षेत्रों में प्रगति हुई है जहां प्रगति हो सकती थी। यह बहुत जरूरी है क्योंकि हमें खाद्यान्नों के मामले में आत्म-निर्भर होना है। इसलिए, मेरा यह कहना स्वभाविक है कि भारत सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाये हैं ताकि कृषि में प्रगति हो सके।

हमारे देश के बड़े भाग में कृषि योग्य भूमि है जिसमें या तो शुष्क भूमि है या पहाड़ी क्षेत्र है या ऐसा क्षेत्र है जहां केवल एक फसल होती है। हमें यह देखना है कि ऐसी भूमि पर भी विकास कार्य किये जायें। इसके साथ-साथ हमें यह भी देखना है कि सीमान्त किसान, छोटे किसान और कृषि मजदूरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। हमें उनकी ओर विशेष ध्यान देना है। हमारी प्रौद्योगिकी उनकी सहायता नहीं कर रही है। सहकारी समितियों से अमीर किसान को लाभ हो रहा है। यहां तक कि कृषि सम्बन्धी ऋण से भी ग्रामीण अमीर किसान को सहायता मिल रही है। लेकिन सीमान्त किसान, छोटे किसान और कृषि मजदूर को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जब तक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जो अपना अनुसंधान जारी रखे हुए हैं। समाज के निर्धन वर्गों की समस्याओं का समाधान करने की ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक देश के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों की समस्याओं, जो वर्षा पर निर्भरता के कारण कृषि की समृद्धि न हो सकने वाले क्षेत्रों की समस्याओं, छोटी जोतों वाले पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा और हम संतुलित विकास नहीं कर सकेंगे। जब हम जीवन के प्रत्येक वर्ग में बराबर-बराबर विकास करने के प्रति उपेक्षा कर रहे हैं तो पिछड़े हुए क्षेत्रों और ऐसे क्षेत्रों में जहां विकास होता जा रहा है में संघर्ष होकर रहेगा। किसी भी कीमत पर हमें पिछड़े हुए इलाकों का विकास करना

चाहिए । अन्यथा अमीर किसानों को लाभ होगा और गरीब किसानों को नहीं होगा । कृषि मन्त्रालय को इसे अवश्य देखना चाहिए । जब तक हम इस पर गौर नहीं करेंगे । तब तक हम लोगों को प्रसन्न और संतुष्ट नहीं रख सकेंगे ।

कृषि वैज्ञानिक अपनी भूमिका ठीक तरीके से अदा नहीं कर रहे हैं । वे छोटे और सीमान्त किसानों को यह सलाह नहीं दे रहे कि उन्हें क्या उपज करनी चाहिए । जब तक किसान पशुपालन, बागवानी और अन्य चीजों की ओर ध्यान नहीं देंगे वे अपनी आजीविका के लिए अपनी आय में वृद्धि नहीं कर सकते । फिलहाल किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं है ।

मैं अपने मित्र द्वारा दिये गये इस सुझाव से सहमत हूं कि देश के प्रत्येक ग्रामीण हाई स्कूल में कृषि पाठ्यक्रम होना चाहिए ।

मैं यह कहूंगा कि जहां तक कृषि पर आधारित उद्योगों का सम्बन्ध है उन पर भी ध्यान दिया जाये । देश के लोगों को संतुलित आहार उपलब्ध करने के लिए हमें किसानों को सोयाबीन जैसी चीजें पैदा कराने के लिए शिक्षित करना चाहिए । पशुओं को अच्छी किस्म का चारा दिया जाये । हमें यह भी देखना चाहिए कि मिट्टी का परीक्षण किया जाये और मिट्टी की सभी जरूरतों की पूर्ति की जाये । मिट्टी में क्या उगाया जाये, इसके विषय में किसानों का मार्गदर्शन किया जाये । मैं जानता हूं कि जब पंजाब का विभाजन हुआ था तो पूर्वी पंजाब की मिट्टी खारी थी । सरदार प्रतापसिंह कैरो ने उस मिट्टी पर किसानों को धान पैदा करने के लिए कहा और कुछ वर्षों के भीतर वह मिट्टी सामान्य मिट्टी बन गई तथा इस दौरान हमें धान का भरपूर उत्पादन भी मिला । इसलिए यदि वैज्ञानिक अपना समय लगायें तो वह देखेंगे कि विद्यमान स्थितियों में एक विशेष मिट्टी एक विशेष फसल पैदा कर सकती है और इससे मिट्टी में उन तत्वों की पूर्ति होगी जिसकी अन्य फसलों को उगाने हेतु मिट्टी की आवश्यकता होती है ।

एक बात और है जहां तक जीन का सम्बन्ध है यह एक महत्वपूर्ण चीज है, इससे कृषि में क्रान्ति आ जायेगी । इससे हमें नाइट्रोजन के जैविक संसाधनों के उपयोग की कुंजी मिलेगी और इससे हमें रोग मुक्त फसल पैदा करने में सहायता मिलेगी । अतः इस ओर ध्यान दिया जाये और हमारे अनुसंधान की दिशा इस ओर होनी चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

*श्री बी० एन० रेड्डी (मिरयालगुंडा) : सभापति महोदय, हमारा देश आज जिस सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती का सामना कर रहा है उसका नाम गरीबी है । देश की प्रगति गरीबों के उद्धार पर निर्भर करती है । यदि हम एक सम्पन्न ग्रामीण भारत देखना चाहते हैं तो गरीबी को उठा फैंकना होगा । गरीबी के उन्मूलन के लक्ष्य पर ही ग्रामीण विकास केन्द्रित होना चाहिए । फिर मंत्रालय का नाम ही कृषि और ग्रामीण विकास है । महोदय हमारे देश में 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे है । राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने यह बताया है । यह स्पष्ट है कि जब 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे है तो सरकार द्वारा

* तेलुगु भाषा में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

[श्री बी० एन० रेड्डी]

गरीबी के उन्मूलन के लिए अब तक किए गए सभी प्रयास असफल रहे हैं।

महोदय पहले सरकार ने भूमि सुधार करके और सब प्रकार के कार्यक्रमों में रोजगार प्रदान करके गरीबी का मुकाबला करने का प्रयत्न किया था। लेकिन यह कार्यक्रम बुरी तरह से असफल हुए हैं। उन असफलताओं को छुपाने के लिए सरकार ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि उत्पादन में वृद्धि होने से गरीबी मिट जाएगी। यह भी गलत है। हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री बूटा सिंह पंजाब से आए हैं जो अपने कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है। उस राज्य से ही पता चलता है कि यह नया मत कितना गलत है। उत्पादन बढ़ने के बाद भी निर्धनता समाप्त नहीं होती। 1963-64 में खाद्यान्न का प्रति व्यक्ति उत्पादन 346 कि० ग्राम था और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या की प्रतिशतता 39 थी। 1964-65 में प्रति व्यक्ति उत्पादन 422 कि० ग्रा० था और गरीबी की रेखा के नीचे चली गई। जनसंख्या की प्रतिशतता 49 थी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्पादन में वृद्धि हो जाने से गरीबी के प्रसार में कमी नहीं आएगी। महोदय इसीलिए मैं कहता हूं कि सरकार गरीबी के विरुद्ध लड़ाई में बुरी तरह से हार गई है। अनिवार्य जिन्सों के मूल्य चढ़ रहे हैं। करों का भार असहनीय हो रहा है। किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा। जीवन के हर क्षेत्र में हम अव्यवस्थित स्थिति में हैं। परिमाणतः गरीबी के प्रसार में वृद्धि हो रही है। यह सरकार द्वारा इसका मुकाबला करने में पूरी तरह से असफलता दर्शाती है। अनेक किसान धीरे-धीरे भूमि-हीन मजदूर बनते जा रहे हैं। हालांकि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम हैं लेकिन उनका कार्यान्वयन तरीके से नहीं किया जा रहा। 1981 में ग्रामीण भारत में परिवारों की संख्या 90.77 मिलियन थी। छठी योजना के दौरान समेकित ग्रामीण विकास परियोजना 15.5 से 16 मिलियन ग्रामीण परिवारों को कार्यक्रम में शामिल कर सकती थी। सरकार का कार्य-निष्पादन उतना प्रभावशाली नहीं रहा। जयपुर अध्ययन सर्वेक्षण के अनुसार ऋण प्राप्तकर्ताओं से से केवल 18% ही गरीबी की रेखा से ऊपर आ सके। यदि ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा देय राशि का हिसाब-किताब कर लिया जाए तो इस आय का यह अनुपात भी काफी गिर जाएगा। संक्षेप में कहा जाए तो समेकित ग्रामीण विकास का पूरा का पूरा कार्यक्रम विफल रहा है। अन्य कार्यक्रमों को भी सफलता नहीं मिली। ग्रामीण ऋण ग्रस्तता बुरी तरह से फैल रही है। सरकार के अनुसार, ऋण आवश्यकताओं के 40% की पूर्ति अभी भी साहूकारों द्वारा की जाती है। इसका अर्थ है कि आज भी हमारी 60% जनता खून चूसने वाले साहूकारों पर निर्भर है। 1950-51 में ग्रामीण ऋण ग्रस्तता लगभग 750 करोड़ रुपये थी लेकिन आज यह बढ़कर 13,750 करोड़ रुपये हो गई है।

महोदय, हमारे किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तम्बाकू बोर्ड ने प्रति टन 1,475 रुपये तम्बाकू की दर निर्धारित की है लेकिन किसानों को वास्तव में 700 से 1000 रुपये प्रति टन मिल रहा है। कपास के मूल्य में भारी गिरावट आई है। गत वर्ष के 1 लाख और 47 हजार टन उत्पादन की अपेक्षा इस वर्ष का उत्पादन केवल 97,000 टन है। उत्पादन की इस मात्रा को भी बाजार सुविधाएं दिलाने में सरकार बुरी तरह विफल रही है।

इससे पता लगता है कि सरकार कितनी सुस्त है।

महोदय, मालूम होता है कि सरकार को पता नहीं है कि कितनी अतिरिक्त भूमि वितरण के लिए उपलब्ध है। कभी वे कहते हैं कि यह 6 करोड़ एकड़ है और कभी कहते हैं कि केवल 60 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि है। अब स्थिति यह है कि सरकार को बिलकुल नहीं मालूम कि कितनी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है और वितरण हेतु उपलब्ध कराया जाना है। इस बजट में इस महत्वपूर्ण विषय का कोई उल्लेख नहीं है। महोदय 40 प्रतिशत स्वामियों के कब्जे में एक तिहाई कृष्य भूमि है। समय की कैसी विड़म्बना है कि हमारे लाखों किसान अधिक उत्पादन करसे के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी वे भूमिहीन रहते हैं और जिन्हें कृषि के बारे में कुछ भी नहीं मालूम वे भूमि का स्वामित्व भोग रहे हैं।

महोदय, अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं कार्यान्वयन हेतु सरकार को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। भूमि सुधार में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। शिक्षित और गैर-शिक्षित दोनों प्रकार के बेरोजगारों को काम उपलब्ध कराया जाए। सरकार को सिंचाई सुविधाएं अवश्य ही उपलब्ध करानी चाहिए। महोदय, इस सम्बन्ध में, मैं यह कहूंगा कि तेलुगू गंगा परियोजना को अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है। केन्द्र को इस योजना को तत्काल स्वीकृति दे देनी चाहिए। परियोजनाएं समय पर पूरी की जाएं। विलम्ब होने से निर्माण की लागत में भी वृद्धि हो जाती है। पोचमपद परियोजना के पुर्ण होने में 20 वर्ष लगे जिसके परिणामस्वरूप उसकी लागत लगभग 400 करोड़ रुपये बढ़ गई। महोदय ऐसा अन्य परियोजनाओं के मामले में नहीं होना चाहिए।

महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : सभापति जी, मैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभी सदस्यों ने एग्रीकल्चर पर चर्चा की। सारे भारत की आबादी का 80 प्रतिशत भाग देहात में रहता है, जो खेती के काम से अपनी गुजर कर रहा है। वैसे तो खेती की उपज हर साल बढ़ती चली गई और बीस सूत्री कार्यक्रम से भी गांवों का काफी विकास हुआ है। पहले बैंकों को नेशनलाइज किया गया और बैंकों के नेशनेलाइजेशन के बाद किसानों द्वारा ट्यूबवैल लगाए गए और ट्रैक्टर खरीदे गए, जिससे खेती की पैदावार में काफी बढ़ोत्तरी हुई। अच्छे बीज, अच्छी खाद और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराकर सारे भारत में अनाज की पैदावार को बढ़ाया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से किसानों ने लोन लेकर और खेती में मेहनत करके, खेती की पैदावार को बढ़ाया, वैसे ही अनाज के भाव कम हुए। इतने ज्यादा नहीं हैं, बहुत कम हैं। लेकिन इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि खेती के काम में आने वाले औजारों के भाव भी कम करने चाहिएं, जिससे किसानों को यह महसूस न हो कि हमारी पैदावार के रेट तो कम हैं, लेकिन औजारों के रेट इतने ज्यादा हैं। ट्यूबवैल, ट्रैक्टर और

[श्री भरत सिंह]

मशीनों व बिजली के रेट भी उनसे कम लिए जाने चाहिए।

किसान अपने खेत की पैदावार को बढ़ाता है, उस अनाज को जब वह मार्केट में लेकर जाता है, तो उसको उसके दाम कम मिलते हैं। आज जो सरकारी रेट है, उससे दस परसेंट कम दिल्ली में नरेला और नजफगढ़ मार्केट में मिल रहे हैं। व्यापारी लोग 140 रु० में खरीदकर सरकारी एजेंसियों को ज्यादा रेट में बेच रहे हैं। मेरे कहने का मकसद यह था कि जहां मार्केट्स हैं, वहां आप सरकार की तरफ से खरीदने वाले भेजिए, जिससे उन किसानों को कम से कम सरकार का भाव तो मिल जाए।

हर मार्केट में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी बनी हुई हैं जिनके पास किसानों की पैदावार से काफी पैसा इकट्ठा हो गया है। मैं चाहता हूं कि उस पैसे का इस्तेमाल किसानों की भलाई के लिए किया जाए। जैसे गेहूं में बीमारी लग जाती है उस पैसे का इस्तेमाल बीमारी की रोकथाम और दवाइयों पर किया जाए।

आप कहते हैं कि उपज बहुत बढ़िया हुई है, यह बात ठीक है। लेकिन सरकार की तरफ से जिस भूमि में ज्यादा पैदावार होती है उसको एक्वायर करके दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। आप दिल्ली के 14 गांवों के बीच में से एक ड्रेन निकाल रहे हैं जो 80 फुट चौड़ी और 40 फुट गहरी होगी। उसको झील की तरफ से ऊंचाई की तरफ ले जा रहे हैं जिससे किसान सिंचाई के लिए पानी को दूसरी तरफ नहीं ले जा सकेंगे। इस ड्रेन से किसानों को बहुत नुकसान होने वाला है, हमारे देहात तबाह हो जायेंगे, पैदावार कम हो जाएगी। इस पर आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस ड्रेन को बन्द किया जाए और इस पैसे को खेती के विकास के पर लगाया जाए।

किसान ने बहुत मेहनत करके अनाज की पैदावार को बढ़ाया है। मैं इस मौके पर अपने वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने बहुत अच्छे बीज निकाले, अच्छे किस्म की खाद और सिंचाई के साधन मुहिया किए। लेकिन किसान जिस वक्त मेहनत करके घर जाता है तो मच्छर रात भर उसे सोने नहीं देते और मलेरिया फैल रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार तुरन्त इस तरफ ध्यान दे और गांवों में मलेरिया को फैलने से रोके।

बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत दिल्ली की ग्राम पंचायतों ने एक-एक एकड़ जमीन भूमिहीनों को मुफ्त दी है। उस जमीन में सरकार की तरफ से ट्यूब-वैल लगाए गए हैं जिससे उन गरीब लोगों के लिए एक साल का खाने का अनाज हो जाता है। यह बहुत अच्छा काम किया गया है।

आपने देहातों में एक हैक्टेयर जमीन वालों को तरह-तरह की सुविधाएं दी हुई हैं। उनको ग्रान्ट दी जाती है, ब्याज में छूट दी जाती है और कई तरह की सुविधायें दी जाती हैं। मैं चाहता हूं कि ये सुविधायें दो हैक्टेयर वालों को भी दी जानी चाहिए। इस सीमा को बढ़ा कर दो हैक्टेयर कर दिया जाये, जिससे दिल्ली के गरीब किसान ज्यादा खुशहाल हो सकेंगे। उनको सड़क, पानी तथा यातायात की सुविधायें भी दी जायें जिससे देहात वालों को मालूम हो सके कि सरकार उनकी

तरफ ध्यान दे रही है ।

मैं मंत्री जी से फिर धन्यवाद करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है, इससे हमारे किसान ज्यादा खुशहाल हो सकेंगे ।

श्री लच्छी राम (जालौन) : माननीय सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं आपने मुझे बोलने का मौका दिया है । मैं पांच क्षेत्रों से चुन कर यहां आया हूं, इस तरह से एक-एक क्षेत्र के लिए एक-एक मिनट में क्या कह सकूंगा, फिर भी कुछ बातें कहने का प्रयास करता हूं ।

हमारे साथियों ने इस बात की बडी खुशी जाहिर की है कि हमारे किसान भाइयों ने अधिक अन्न उपजाया है और हम आत्मनिर्भर हुए हैं । लेकिन सभी साथियों ने यह स्वीकार किया है कि हमारे देश की जो आर्थिक उन्नति है उसकी आधारशिला कृषि है । उन्होंने यह भी कहा—विशेष रूप से दो देशों के नाम बतलाये-जहां केवल 12 प्रतिशत लोग खेती करते हैं और उससे पूरे देश को खिलाते हैं, साथ ही बाहर भी भेजते हैं । जबकि हमारे यहां 80 प्रतिशत आदमी खेती पर काम करते हैं, तब जाकर हम आत्मनिर्भर हुए हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं—जब कृषि हमारे देश की आर्थिक उन्नति की आधारशिला है तो हमें इसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए, इससे हमारे देश के 80 प्रतिशत लोगों की हालत सुधर सकती है । हमारे सामने पंजाब का उदाहरण है । जहां हरित क्रान्ति के जरिये अनाज की पैदावार में बहुत वृद्धि हुई है । वहां के लोगों की हालत में बहुत सुधार हुआ है, इसी तरह से यदि देश के दूसरे भागों में काम भी किया जाय, उनको भी वही सुविधायें दी जाएं तो उनका उत्पादन भी बढ़ सकता है और उनकी आर्थिक हालत भी सुधर सकती है ।

मैं यहां बुन्देलखण्ड के क्षेत्र से चुनकर आया हूं । हमारे यहां ऐसी भूमि है जो बहुत अधिक अन्न दे सकती है, लेकिन पानी के अभाव के कारण वहां जितना अन्न पैदा होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा है । मैं कुछ आंकड़े आपको देना चाहता हूं । हमारे जिले में कोई बड़ा नेता नहीं है, जो हमें साधन दिला सके । हम आठ नदियों के बीच में रहते हैं लेकिन फिर भी हमारी हालत बड़ी खराब है । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मेरठ में 63% जमीन सिंचित है, मुजफ्फर नगर में 54%, आजमगढ में 41%, मथुरा में 37%, और जिस जिले में 8 नदियां हैं यानी जालौन में, वहां 22% है । इसी तरह से दोहरी खेती मेरठमें 39% है, मुजफ्फरनगर में 31% है, आजमगढ़ में 25% है, मथुरा में 20% है और जालौन में केवल 8% है । हमारे जनपद में पानी इतना गहरा है कि वहां पर ट्यूबवैल काम नहीं करते हैं । इसलिए वहां पर लिफ्ट सिंचाई की योजना होनी चाहिए । इससे वहां सिंचाई हो सकती है ।

उद्योगों के सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जो राज्य मन्त्री बैठे हैं उन्होंने भारतीय ज्ञानवर्द्धन संस्था में बायो गैस और गोबर गैस के द्वारा गांव के लेबिल पर उद्योग देने की बात कही थी । अगर वह मिल जाए, तो हमारे यहां के नवयुवक काम पर लग सकते हैं ।

[अनुवाद]

श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : श्रीमान, अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रालय की मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए मैं इस देश के कृषकों को बधाई देता हूं जिन्होंने वास्तव में प्रशंसनीय कार्य किया । वे प्रकृति की सभी स्थितियों का सामना कर रहे हैं और इसके बावजूद भी वे निरन्तर अधिकाधिक उत्पादन कर रहे हैं ।

इस सभा के सभी लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इतना महत्वपूर्ण योगदान देने के बाद भी वे स्वयं को उपेक्षित समझते है । सरकार का यह प्रयास होना चाहिए कि किसान देश की रीढ़ हैं, के दिमाग से, जो देश के हित में अवेहलना किए जाने की भावना को दूर करे । समय की कमी के कारण मैं लम्बा भाषण न देकर विश्लेषणात्मक भाषण दूंगा । माननीय मंत्री जी के विचारार्थ मैं कुछ मुद्दे तथा सुझाव सामने रखूंगा ।

कृषक सदैव यह अनुभव करते हैं कि उन्हें अपने कृषि उत्पाद के लिए उचित लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहे हैं । इसलिए मामले का पुनरावलोकन किया जाना चाहिए । कृषि मूल्य आयोग में कृषक समुदाय के भी प्रतिनिधि होने चाहिए । उनके असंतोष का अन्य कारण यह है कि जब पूरे देश में भूमि सीमा कानून लागू है—शहरों में सम्पत्ति कानून अब भी नहीं है । मैं कहना चाहूंगा कि उत्पादन के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां हैं । और यह विशेष रूप से पूर्वी भारत में हैं । पूर्वी भारत में उत्पादन बढ़ नहीं रहा है । उत्पादन के क्षेत्र में यह देश के अन्य विकसित क्षेत्रों से पीछे चल रहा है । मैं उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार आदि पूर्वी क्षेत्रों की चर्चा कर रहा हूं । प्रति एकड़ उत्पादन को उत्पादन लागत बढ़ाए बिना बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए । यदि उत्पादन के साथ उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है तो न तो यह आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होगा न ही उत्पादकों को कोई लाभ होगा । अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि उत्पादन लागत को अधिक बढ़ाए बिना उत्पादकता तथा प्रति एकड़ उत्पादन को बढ़ाया जाये । अन्यथा स्थितियां तीव्र गति से बिगड़ती चली जायेंगी और यह दिन-प्रति-दिन बिगड़ भी रही हैं । जैसा कि आप जानते हैं समाचार पत्रों में भी खबरें छपी थी कि पेयजल की पूर्ति संबंधी स्थिति चिन्ताजनक है । श्रीमान्, उड़ीसा में पेयजल की बहुत कमी है । 50 बच्चे आंत्र शोध तथा पानी की कमी से होने वाली अन्य बीमारियों के कारण मर गए । श्रीमान्, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि माननीय मन्त्री जी तुरन्त उड़ीसा में एक दल भेजें तथा सहायता पहुंचायें । जब तक केन्द्र इस गरीब राज्य की सहायता बिना विलम्ब बड़े पैमाने पर नहीं करता, मुझे डर है कि स्थिति वश के बाहर हो जायेगी ।

महोदय, जहां तक कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, सरकार तथा सहकारी संस्थायें उपयुक्त वित्त व्यवस्था कर सकती हैं । किन्तु मुझे यह देख कर बहुत दुख हुआ कि दमदूपाई का नियम जो व्यक्तिगत ऋणदाताओं पर लागू होता है सहकारी संस्थाओं पर लागू नहीं होता, इस प्रावधान के अन्तर्गत अब ऋणदाता मूलधन तथा ब्याज दोनों को मिलाकर उन्हें दुगुना नहीं कर

सकते चाहे ऋण की अवधि कुछ भी हो किन्तु इस नियम का सहकारी संस्थाओं के द्वारा पालन न करना बहुत अनुचित है।

श्रीमान्, कृषकों को सहायता पहुंचाने के लिए फसल बीमा नीति को बिना विलम्ब के पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। तथा कृषकों के लिए पासपोर्ट प्रणाली को कुछ विशेष बातों सहित लागू कर देना चाहिए उत्पादकों को। उनके ही क्षेत्र में बीज खाद आदि की सप्लाई करके उन्हें वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाने चाहिए। यह सब हो जाने पर कृषक उत्साहित होकर अधिक उत्पादन करके देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत बनायेंगे जो और अधिक मजबूत होगी।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : (सोनीपत) माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं लोकप्रिय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी व माननीय कृषि मंत्री श्री बूटा सिंह को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने 1985-86 के बजट में न केवल कृषि और किसान बल्कि सभी वर्गों के ग्रामीण भाइयों के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया है। काफी नई स्कीमें बजट में रखी गई हैं। जिस भावना से इन स्कीमों का बजट में प्रावधान किया गया है यदि उसी भावना से वे लागूकी जाएं तो निश्चित रूप से गावों का आर्थिक विकास होगा।

महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करने के साथ-साथ कुछ रचनात्मक टिप्पणी भी करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि किसान को फसल उगाने के लिए जो खर्च करना पड़ता है उस खर्च को ध्यान में रखकर उसके उत्पादन की कीमत निर्धारित करनी चाहिए। स्वयं सरकार द्वारा नोमिनेटिड कमेटियों और विशेषज्ञ इस बात को स्वीकार करते हैं कि एक क्विंटल गेहूं पैदा करने में दो सौ रुपये खर्च आता है परन्तु सरकार इतना न्यूनतम भाव गेहूं का निर्धारण नहीं करती है। यही हाल गन्ने व अन्य वस्तुओं का है।

मैं मानता हूं कि कृषि उत्पादनों का भाव बढ़ने से इसका सीधा प्रभाव उपभोक्ताओं, हरिजन व गरीब लोगों पर पड़ेगा। परन्तु इसका समाधान सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करके कर सकती है और गरीब उपभोक्ताओं को सबसीडाइज्ड रेट्स पर गेहूं, चावल, दालें और चीनी आदि दे सकती है।

न्याय की बात तो यह है कि कृषि उत्पादनों का मूल्य कृषि यानी ट्रेक्टर्स, नलकूप, फर्टिलाइजर्स आदि की कीमतों को ध्यान में रखकर निश्चित करें क्योंकि किसान को अपनी खेती की उपज को ही बेच कर सब चीजें खरीदनी पड़ती हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाये ताकि वह उसका भुगतान ठीक समय पर कर सकें। आज किसान के शरीर में खून नहीं है।

[श्री धर्मपाल सिंह मलिक]

पहले वह साहूकार के बोझ से दबा रहता था आज वह बैंक के बोझ को बर्दाशत करने में असमर्थ है। हरियाणा का 80% किसान आज बैंकों का कर्जदार है। इसलिए किसान को कम कीमत पर ट्रैक्टर व खाद आदि दिलाये जाएं।

एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्किटिंग को रेगुलेट किया जावे ताकि किसान व उपभोक्ताओं का बिचौलिये शोषण कर सकें।

एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रान्त के सोनीपत, रोहतक व जीन्द जिलों में क्रोपिंग पैटर्न बड़ी तेजी से बदल रहा है। मेरा सुझाव है कि गोहाना और सफीदों में सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्रों में चीनी और धान के मिल लगाए जावें और इस बजट में उनके लिए रुपयों का प्रावधान किया जाए। बहादुरगढ़ व सोनीपत में बेकरी और डेयरी प्लान्ट लगाया जाए तथा हरियाणा प्रान्त के शहर गन्नौर, जुलाना और खरखौदा में सब्जियां और फलों पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिये ठोस कदम उठाए जाएं।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो फसल बीमा योजना दी है, उसको गांव की इकाई मानकर चलाया जाए।

चूंकि समय कम है, इसलिए मैं इन शब्दों के साथ इन मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

डा० वी० वेंकटेश (कोलार) : सर्वप्रथम मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या 157 अर्थात्—"कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली (कृभा को) को सुधारने में असफलता" पर बोलने का अवसर दिया।

वर्ष 1978 या उसके आस-पास भारत सरकार ने कुछ राज्य सहकारी विपणन संघों सहित कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड की स्थापना की जिसे बाद में 1980 में राष्ट्रीय स्तर की बहु-एकक सहकारी सोसायटी के रूप में रजिस्टर किया गया, जिसकी 550 सहकारी समितियां सदस्य थीं, शुरू में यह गुजरात में पश्चिमी सूरत में ताप्ती नदी के किनारे स्थित हजीरा उर्वरक काम्पलेक्स को विकसित करके कृषकों तथा सहकारी संस्थाओं को सहायता पहुंचाने तथा उन्हें कृभाको तथा इसके उत्पादों तथा सेवाओं से अवगत कराने के लिए आरम्भ की गई थी।

किन्तु बदकिस्मती से यह कोआपरेटिव देश की अन्य सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं से भी बुरी स्थिति में है तथा कुछ सीमित लोगों के हाथों में, और लाभ उठा रहे हैं। इससे एक कुचक्रसा बन गया है। जैसी कि मुझे खबर मिली है कुछ उच्चाधिकारियों की फिजूल यात्राओं तथा टूर आदि पर सहकारी संस्थाओं के कई लाख रुपये यों ही व्यर्थ कर दिये गये हैं। अन्य शब्दों में, कृषि तथा

ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृभाको के निदेशक मण्डल में नियुक्त इसके सदस्य तथा माननीय मंत्री महोदय सभी की कोआपरेटिव के व्यवस्थापकों ने उपेक्षा की है। मुझे विश्वास है कि यदि जांच की जाती है तो सबको पता चल जाएगा कि कृभाको के व्यवस्थापकों ने किस तरह की कुव्यवस्था तथा गलत काम किए हैं। अत: इस माननीय सभा से तथा माननीय मन्त्री जी से मेरा यह अनुरोध है कि वे वर्तमान स्थिति को देखें तथा इससे पहले कि बहुत देर हो जाये, सरकार की विश्वसनीयता तथा देश में सहकारी क्षेत्र की साख के हित में प्रबन्धकों के विभिन्न गैर-कानूनी तथा अनुचित क्रियाकलापों की जांच पड़ताल करवाने के आदेश दिए जाएं।

अब मैं अपने दूसरे कटौती प्रस्ताव संख्या 158 की बात करूंगा, जो निम्न प्रकार से हैं :—

> "कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड द्वारा कोयला उठाई-धराई संयंत्र के बारे में अपना आदेश रद्द किये जाने पर डायना क्राफ्ट मशीन कम्पनी लिमिटेड, बम्बई को पर्याप्त प्रतिकर देने में असफलता।"

यह ऐसा मामला है जिसमें कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड के व्यवस्थापकों ने 800 कर्मचारियों तथा उनके बहुत से परिवारों को भूखों मरने के लिए निकाल बाहर किया है। ये सभी कर्मचारी डायना क्राफ्ट मशीन कम्पनी लिमिटेड में कार्यरत थे।

कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड ने हजीरा उर्वरक काम्पलेक्स के कोयला उठायी-धरायी संयंत्र के विकास के लिए डायना क्राफ्ट मशीन कम्पनी लिमिटेड बम्बई से अनुबन्ध किया था, जिसके लिए विश्वव्यापी निविदायें आमन्त्रित की गई थीं। यह भारतीय कम्पनी कोर-उद्योग के लिए माल सम्भलाई उपकरण बनाने के क्षेत्र में अग्रणी है तथा यह एक देशी कम्पनी है जिसकी व्यवस्था अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा करा रहा है।

अचानक सरकार की नीति में परिवर्तन के कारण कृभाको ने बायलर्स के कोयला जलाने की प्रणाली को समाप्त कर इसे गैस पर आधारित करने का निर्णय किया। कृभाको ने जुलाई 1983 में डायना क्राफ्ट को दिया हुआ आर्डर रद्द कर दिया।

कृभाको तथा डायनाक्राफ्ट में कई बैठकें हुईं थी और आश्वासन दिए गए थे कि प्रतिकर जल्दी ही दे दिया जायेगा। किन्तु जैसा कि उसके बाद की घटनाओं से पता चलता है कि कई ऐसे स्वार्थी थे जो लाभ उठाना चाहते थे। 4 जनवरी, 1985 को कम्पनी को एक तार भेजा गया था जिसमें बहुत बेकार की बातें पूछी गईं थी और मामले में विलम्ब किया गया था। यद्यपि प्रतिकर देने के मामले में कई निर्णय लिए गए थे किन्तु कृभाको ने कोई भी नियम नहीं माने। माननीय मन्त्री ने कम्पनी प्रतिवेदन को देखा किन्तु अभी तक मामले को सुलझाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है।

मैं जानता हूं कि माननीय कृषि मन्त्री ने बार-बार कृभाको को मामला सुलझाने के निदेश दिये, किन्तु आश्चर्य की बात है कि उनकी भी उपेक्षा कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप डायना-

[डा० जी० वेंकटेश]

क्राफ्ट, जो अन्य सरकारी क्षेत्र के एककों जैसे ई०पी०आई०, भिलाई स्टील प्लान्ट, सरकारी पावर प्रोजेक्ट, हिन्दुस्तान जिन्क इत्यादि में काम कर रहा था, को कृभाको के कारण हुई वित्तीय हानि के कारण उनके आर्डरों को रद्द करना पड़ा।

अतः मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे मामले में शीघ्र जांच करायें ताकि भारतीय कम्पनी कृभाको के द्वारा और नुकसान न उठायें और 800 कर्मचारी स्थायी रूप से बेकार न हों।

कृभाको अन्य सरकारी क्षेत्र की अन्य इकाईयों को अव्यवस्थित न कर सकें जो डायना-क्राफ्ट के माध्यम से कार्य करवाने में असमर्थ है।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस मामले को गम्भीरता से लेंगे तथा इन कर्मचारियों तथा अल्पसंख्यक समुदाय की भारतीय कम्पनियों से रक्षा करेंगे।

श्री आर०एस० माने (इचलकरांजी) : मैं कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। ऐसा करते समय मैं कृषि मन्त्री को तथा वित्त मन्त्री को कुछ फसलों के लिए और कुछ जिलों में फसल बीमा नीति लागू करने के लिए बधाई दूंगा। साथ ही मैं सुझाव दूंगा कि यह नीति बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सभी खण्डों में तथा ज्वार की फसल पर भी कृषकों की जोत को ध्यान में न रखते हुए लागू की जाये। यह मेरा विनम्र सुझाव है।

जहां तक कृषकों, विशेषतया उनको जो ज्वार, धान आदि खरीफ फसलें उगाते हैं, को ऋण देने का सवाल है, मैं यह कहूंगा कि कृषि मंत्रालय रिजर्व बैंक के माध्यम से किसानों को 6% की दर पर ऋण देने में पूर्णतया असफल रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि कृषि मंत्री इस मामले में रिजर्व बैंक से बात करें तथा 6% की दर से इनको ऋण दिलवाने के प्रयास करें।

महाराष्ट्र में मेरे निर्वाचन क्षेत्र और जिला कोल्हापुर में बहुत-सी मध्यम तथा प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं भारत सरकार के केन्द्रीय जल आयोग के पास अनुमोदन और प्रशासनिक मन्जूरी प्राप्त करने और यहां तक कि विश्व बैंक के पास ऋण प्राप्त करने के लिए लम्बित पड़ी हैं। इन परियोजनाओं की बहुत अधिक आवश्यकता है। यह परियोजनाएं हैं दूध-गंगा, वारना, कासारी, वेद-गंगा, कर्मावारी और चिकोसारा परियोजना। मेरे निर्वाचन क्षेत्र, विशेष रूप से मेरे जिले की इन परियोजनाओं के लिए धन की कमी है। जहां तक डेरी विकास, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम तथा गांवों के पुनर्निर्माण के अन्य कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, मैं सुझाव देता हूं कि भारत सरकार को लघु कृषक विकास अभिकरण के आधार पर आर्थिक सहायता योजनाओं की नीति की घोषणा करनी चाहिए जो एक अप्रैल से बन्द कर दी गई है।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक कोल्हापुर जिले में ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण नहीं दे रहा। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि वह राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक को ट्रैक्टरों के लिए ऋण देने के अनुदेश जारी करें। जहां तक चीनी उद्योग का संबंध है, महाराष्ट्र के पश्चिम क्षेत्र में गन्ने से सबसे अधिक चीनी प्राप्त होती है और वहां भरपूर फसल होती है। बड़ी सिंचाई परियोजनाएं भी वहां हैं। परन्तु अभी भी खाद्य तथा नागरिक पूर्ति विभाग द्वारा दिए गए मार्ग-निर्देश बहुत कठोर हैं। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि वह महाराष्ट्र, विशेष रूप से कोल्हापुर जिले की नई परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए उनसे कहें।

जहां भरपूर फसल होती है, सिंचाई परियोजनाएं हैं और गन्ने से सबसे अधिक चीनी प्राप्त होती है, उदारतापूर्वक लाइसैंस जारी किये जाने चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : सभापति महोदय, मैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। वर्ष 1983-84 में 1515 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का जो रिकार्ड उत्पादन भारत में हुआ, वह अद्वितीय उपलब्धि थी। विश्व ने इसकी सराहना की है। जितने कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें अच्छे बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां और नए तरीके अपनाए गए हैं। इससे आत्म-निर्भरता ही नहीं बल्कि उपलब्धि भी प्राप्त की है। समय बहुत कम है, इसलिए एक ही प्वाइन्ट पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वह है उर्वरक। हमारे देश में तीन महत्वपूर्ण एजेंसियों, प्राइवेट, को-आपरेटिव और एग्रीकल्चरल एजेंसीज द्वारा खाद वितरित की जाती है। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि प्राइवेट और को-आपरेटिव एजेंसीज में स्टाकिंग और स्टोरेज का कोई लास नहीं होता जबकि एग्रीकल्चर विभाग में लास दिया जाता है लेकिन खाद में पता नहीं कैसे गड़बड़ी और मिलावट हो जाती है। हमारे देश में खाद में तमाम किस्म के मिश्रण के तरीके प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए, 12, 32, 16, 8, 8, 8, 20, 20, 0, 15, 15, और 20। ये सब खादें अलग-अलग मूल्यों की होती हैं। बोरे में से इनको निकाल दिया जाता है तो इनका कुछ पता नहीं लगता क्योंकि इनका रूप-रंग और आकार-प्रकार एक जैसा होता है। परिणाम यह होता है कि सस्ती खाद महंगे दामों पर काश्तकारों को बेच दी जाती है क्योंकि उसको कोई जानकारी नहीं हो पाती है। एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 35 से 40 प्रतिशत खादें बाहरी देशों से मंगाई जाती हैं जिनमें जापान प्रमुख है। जब वह खादें हारवर पर आती हैं तो उनकी री-बैगिंग होती है। मैंने स्वयं देखा है कि लार्ज स्केल पर एडलट्रेशन किया जाता है। उन खादों का वजन कम होता है। इसके लिए सरकार को उचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना न घटे। जहां तक कीटनाशक दवाओं का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण माननीय मंत्री जी के समक्ष रखना चाहूंगा। पिछले वर्ष खर-पतवार को नष्ट करने के लिए आइसोप्रोटान नाम की एक दवा इन्ट्रोड्यूज की गई थी। वह चार सौ रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकती थी

[डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी]

जबकि इसी कार्य के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध थीं। इसको काश्तकार इस्तेमाल कर सके इसलिए इसको लाया गया और जिसने इस्तेमाल की उसकी खैर-पतवार नष्ट नहीं हुई। जबकि सस्ती दवाइयां भी उपलब्ध थीं और काफी कम दाम पर मिल सकती थीं। मेरे ख्याल में इस तरह उत्तर प्रदेश सरकार का करोड़ों रुपया नष्ट हुआ और दवायें भी इस्तेमाल नहीं की गईं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खाद के सैम्पल्स साल में पचासों बार लिए जाने चाहियें और एडल्टरेशन को रोका जाना चाहिए। जो दवाइयां एक्सपायर हो गई हैं, जिनकी पोटैंसी क्षीण हो गई है, उनका प्रयोग रोका जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री लाल विजय प्रताप सिंह (सरगुजा) : सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। चूंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं केवल दो चार मुख्य प्वाइंट्स पर ही अपने विचार आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं माननीय मन्त्री जी से यह स्पष्टीकरण जानना चाहूंगा कि बीज के सम्बन्ध में जैसा सुनने में आता है कि एटामिक रेज द्वारा उपचारित बीज बहुत लाभदायक होता है, इसके बारे में आपके मंत्रालय का क्या विचार है, उसको विकसित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है, वह जानकारी हमें बतायी जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त जहां तक बीमा योजना का सम्बन्ध है, यह योजना हमारे देश के किसानों के लिए वरदान सिद्ध हुई है लेकिन इसे यूनिट का आधार मान कर लागू करना उचित होगा।

जहां तक समर्थन मूल्य का सम्बन्ध है, इसे भी हमें और सुदृढ़ बनाना होगा, इसमें वृद्धि करनी चाहिए। भौगोलिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो हमारे देश में केवल 140 मिलियन हैक्टेयर भूमि में काश्तकारी की जाती है, इसे और बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। बागवानी में भी और वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। मछली पालन, पश पालन में और अधिक धन का प्रावधान करके इसके विस्तार की आवश्यकता है। इसके अलावा, जहां तक ग्रामीण विकास का प्रश्न है, ग्रामीण एकीकृत विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, आर० एल० ई० जी० पी० आदि जितने कार्यक्रम हमने देहात के विकास के लिए लागू किए हैं, उनमें और अधिक प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। यहां मैं एक मुख्य बात की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम जिन इलाकों में लागू किए जाते हैं, वहां जिन अधिकारियों पर इनको लागू करने की जिम्मेदारी होती है, उनको भी हमें किसी न किसी रूप से इनके साथ जोड़ना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए, कि इनके माध्यम से हम जितनी सहायता गरीब लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वह पूरी की पूरी रकम उन तक पहुंच सके और इन कार्यक्रमों का पूरा लाभ गरीब तबके को मिले। अन्यथा यदि हम उन अधिकारियों पर इस तरह की कोई बंदिश नहीं लगायेंगे, इनके साथ नहीं जोड़ेंगे, उनको जिम्मेदार नहीं बनाते, तब तक, मेरी ऐसी मान्यता है कि हमारा सारे का सारा पैसा, जो हम बड़ी मुश्किल

से इन कार्यक्रमों के लिए जुटा पाते हैं, वह बर्बाद हो जाता है। इसलिए मेरी ऐसी विनती है कि हमारे समस्त कार्यक्रम निश्चित समय सीमा में सम्पन्न होने वाले तथा परिणाममूलक हो। भ्रष्टाचार करने तथा किसी प्रकार की उदासीनता बरतने की स्थिति में इन अधिकारियों को भी कार्यक्रमों के साथ सम्बद्ध तथा उत्तरदायी किया जाना बहुत आवश्यक है।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मन्त्री और कृषि वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने योजनागत विकास के द्वारा इस देश को काफी उन्नत किया मगर हमारे हिली एरियाज की एग्रोनामी को बढ़ाने के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वहां आज भी कृषि की प्रति एकड़ पैदावार न्यूनतम है। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी पन्त नगर यूनिवर्सिटी या ऐसी दूसरी यूनिवर्सिटीज को कहें कि ऐसे क्षेत्र में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए वे अपने यहां रिसर्च वर्क करें। ऐसे पर्वतीय इलाकों में, वहां की बायोग्राफी का अध्ययन करने और रिसर्च करने के लिए पन्त नगर यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटीज को अपने कैम्पस स्थापित करने चाहिएं। उन इलाकों के लिए इम्पलीमेंट्स बनाने चाहिए जो वहां की स्थिति के अनुकूल हों। ऐसे इलाकों में चकबन्दी करने के लिए चकबन्दी कानून को लागू किया जाना चाहिए। वहां लैंड का कन्सौलीडेशन करवाया जाना चाहिए। वहां की इकानामी, एग्रोनोमी, हौर्टीकल्चर, सैरीकल्चर, वैजिटेबल डैवलपमैंट फौरैस्ट्री पर आधारित होनी चाहिए लेकिन इस दिशा में कोई कारगर कदम अभी तक नहीं उठाये गये हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप आई० सी० ए० आर० के लोगों को कहें कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो एक टैम्परेट फ्रूट्स हार्टिकल्चर रिसर्च इंसटीट्यूट खोलने का विचार है, वह इन्सटीट्यूट उत्तर प्रदेश के रानीखेत जिले के अन्तर्गत चौबटिया नामक स्थान पर खोला जाना चाहिए। इसके अलावा हिमालयन टी० रिसर्च सैन्टर भी खोला जाना चाहिए ताकि वह टी० के डैवलपमैंट के लिए कुछ काम कर सके। इस कार्य में आप कौमर्स मिनिस्ट्री की भी मदद ले सकते हैं।

8.00 म० प०

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो हिमाचल के अन्दर यूनिवर्सिटी खुलनी है हार्टिकल्चर पर, उस सम्बन्ध में मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि उनकी दो विंग होनी चाहिएं, एक विंग हिमाचल में हो और दूसरा कैम्पस उसका उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में होना चाहिए, ताकि वहां भी हार्टिकल्चर और सैरीकल्चर के डिवेलपमेन्ट के क्षेत्र में 7वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ काम हो सके। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में शिप रियरिंग के लिए एक व्यापक योजना बननी चाहिए। इसके लिए जापान और दूसरे देशों की मदद ली जा सकती है। वर्ल्ड बैंक से हार्टिकल्चर के डिवेलपमेन्ट के लिए उत्तर प्रदेश के 8 जिलों के लिए एक व्यापक योजना के विषय में बातचीत चल रही है, इसको और तेजी से चलाना चाहिए।

मछली, विशेषकर ट्राउट मछली के उत्पादन के लिए जापान के साथ बातचीत करनी

[श्री हरीश रावत]

चाहिए और जापान इसमें मदद दे सकता है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को दे रहा है। सोयाबीन के उत्पादन के लिए यूरोपियन कॉमन मार्केट की मदद ले सकते हैं जिस तरह से मध्य प्रदेश में ली गई है। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र में जो रिवर कैचमेण्ट एरियाज हैं, उनके लिए भी हमें वर्ल्ड बैंक से मदद लेनी चाहिए और अधिक रिवर कैचमेण्ट एरियाज को हमें इसमें लेना चाहिए। मैं तो कहूंगा मायक्रो कैचमेण्ट रिवर प्लानिंग होनी चाहिए। जब तक आप मायक्रो कैचमेण्ट प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक जो मिट्टी बहकर मैदानी क्षेत्रों में आती है जिसके कारण हमारी सिंचाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है और जिसके कारण सिल्टिंग और बाढ़ इत्यादि आती है, उसको रोकने की दिशा में काम नहीं हो सकता।

चन्द्राकर साहब यहां पर मौजूद हैं। मैं आपके माध्यम से चन्द्राकर साहब से निवेदन करूंगा कि चन्द्राकर साहब की बहुत इम्पोर्टेण्ट मिनिस्ट्री है और इसका जन-जन के साथ सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। इसलिए अगली बार जब भी इस मिनिस्ट्री की डिमांड्स पर बहस हो, तो इसके ऊपर अलग से बहस होनी चाहिए। मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि ड्राउट प्रोन एरिया के कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने बहुत कम पैसा दिया है। वह ज्यादा दिया जाना चाहिए और अधिक क्षेत्रों को इस ड्राउट प्रोन एरिया में शामिल किया जाना चाहिए। मगर इसके साथ-साथ ड्राउट एरियाज के सिलैक्शन का जो क्रायटीरिया है, उसको भी बदलने की जरूरत है। इसके लिए आप टास्क फोर्स इत्यादि बनाते हैं, उस टास्कफोर्स का नजरिया इस तरह का होना चाहिए, ताकि वह एक कांप्रिहेंसिव आइडिया लेकर के इस क्षेत्र में काम कर सके।

मैं, आर० एल० ई० जी० पी० के क्षेत्र में एक बात कहना चाहूंगा। आर० एल० ई० जी० पी० और एन० आर० ई० पी० के परमानेंट असेट क्रिएट करने की हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कोशिश होनी चाहिए। एक बात मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहूंगा कि जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, उनमें आई० ए० एस० अधिकारियों को, जो रिटायर होकर आते हैं, जो हमारा फेवर हासिल कर सकते हैं, जो पोलिटिशियन्स का फेवर हासिल कर सकते हैं, उनको वाइस चांसलर बना देते हैं। इससे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और अन्य वैज्ञानिक लोगों में बड़ा असंतोष है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप राज्य सरकारों को कहें कि वे अपने यहां पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में कृषि वैज्ञानिकों को ही वाइस चांसलर बनाएं।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : मैं कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं प्रधान मन्त्री जी तथा माननीय कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्री को फसल बीमा योजना शुरू करने के लिए बधाई देता हूं। इस समय यह योजना केवल चार फसलों, धान, गेहूं, तिलहन

और दालों तक सीमित हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि यह योजना अन्य फसलों जैसे मक्का, बाजरा और गन्ने के लिए भी शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि इन फसलों पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव पड़ता है।

सरकार कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों से कृषि उत्पाद का मूल्य निश्चित करती है, जिसमें किसानों के प्रतिनिधि नहीं होते। मैं मांग करता हूं कि किसानों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इस समय आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पांच कर दी जानी चाहिए और इनमें से तीन सदस्य किसानों की तरफ के होने चाहिए ताकि किसानों के हितों की सुरक्षा हो सके।

विश्व में मछली के उत्पादन में भारत मुख्य उत्पादकों में से एक है। राष्ट्र मण्डलीय देशों में, भारत का अवश्य ही पहला स्थान है। मछली के उत्पादन में विश्व में भारत आठवां बड़ा देश है। 1983-84 के दौरान देश में 21.4 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ, जिसमें 16.4 लाख टन समुद्री क्षेत्र में से और 10 लाख टन मछली देश के भीतर पैदा हुई। यह आशा थी कि देश को समुद्री उत्पाद के निर्यात से 400 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। समाज के सबसे गरीब लोग मछली के उत्पादन में लगे हुए हैं। उड़ीसा जैसे राज्य में मछुआरे अधिक संख्या में हैं, अतः मैं अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को मत्स्य उद्योग के विकास के लिए जो योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं, उन्हें शीघ्र मन्जूर किया जाए।

इस सम्बन्ध में, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र जिला बालासोर के कासाफल क्षेत्र में एक परियोजना के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। यह परियोजना नार्वे की सरकार की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित की जाएगी। इस योजना को सरकार द्वारा शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता है और समझौते को शीघ्र क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।

ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है। मैं माननीय कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्री जी को उनके द्वारा लिए गए इस उचित निर्णय के लिए बधाई देना चाहूंगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की धन राशि का 20 प्रतिशत सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए आबंटित किया जाय, इस वर्ष से जिसका सभी गांवों तक विस्तार कर दिया जाएगा। यह एक बहुत अच्छा निर्णय है और इसके लिए मुझे उन्हें बधाई देनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के सम्बन्ध में कुछ कहना है। हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का मैं बहुत आभारी हूं जो केवल एक ऐसी महिला थी जिन्हें ग्रामीण लोगों की दुर्दशा की जानकारी थी, जिनके लिए उन्होंने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम शुरू किया गया था। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस उद्देश्य के लिए पिछड़े राज्यों जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार इत्यादि को और अधिक धन राशि आबंटित की जाए।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर परसों देंगे।

———

8.08 म० प०

सदस्य की गिरफ्तारी

सभापति महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि लोक सभा के अध्यक्ष को संबोधित पुलिस आयुक्त, एमोर मद्रास, का 29 अप्रैल, 1985 का निम्न आशय का तार आज प्राप्त हुआ है :—

मुझे आपको सादर सूचित करना है कि श्री एन० वी० एन० सोमू, संसद् सदस्य को, जब वह अन्य व्यक्तियों के साथ तत्समय प्रवृत्त मद्रास नगर पुलिस अधिनियम, की धारा 41 के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों का उल्लंघन करके दक्षिण रेल कार्यालय मद्रास पर धरना देने हेतु जलूस बना कर ले जाने के लिए वहां एकत्र हुए थे, अपराध विधि (संशोधन) अधिनियम की धारा 7 (1) के साथ पठित मद्रास नगर पुलिस अधिनियम की धारा 41, भारती दण्ड संहिता की धारा 143 के अन्तर्गत, जो 2 पुलिस थाना में दर्ज अपराध संख्या 402/85 में, ई० वी० आर० सलाई रिबन भवन, मद्रास, के समीप पर, आज 29-4-85 को लगभग 10.10 बजे गिरफ्तार किया गया।

8.09 म० प०

(तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 2 मई, 1985/ 2 वैशाख, 1907 (शक) के 11 म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।)

मुद्रक : विंध्यवासिनी पैकेजिंग्स, डी/108, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-110053